


समसामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए



विशेष आकर्षण

मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

जनवरी

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

*प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न

- प्रगति प्लेटफॉर्म
- मन्नाथु पद्मनाभन
- 'बागुरुम्बा दाहो' लोक नृत्य
- ब्लूबर्ड-6 उपग्रह और LVM-3
- भारत-यूरोपीय संघ रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी
- एनपीएस वात्सल्य योजना दिशा-निर्देश 2025

- सुभाष चन्द्र बोस
- जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMFs)
- हाइपरसोनिक टेंटी-शिप मिसाइल
- रणनीतिक सीमा रक्षा परियोजनाएँ
- गोबरधन योजना: अपशिष्ट को संपत्ति में बदलना
- विशाल सौर तूफान और अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव

अनुक्रमणिका

राज्यव्यवस्था एवं शासन 1	अरावली ग्रीन वॉल परियोजना और मैत्री वन पहल 42
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई का अधिकार 1	पश्चिमी हिमालय में असामान्य शीतकालीन मौसम और हिमपात की कमी 43
धारा 17A का निर्णय: भ्रष्टाचार नियंत्रण बनाम अधिकारी संरक्षण 2	आईएमडी पूर्वानुमान: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ, शीत लहर और कोहरा 44
संवैधानिक सीमाएँ और संघीय संतुलन 3	राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौता 44
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 4	वायु और जल अधिनियमों के अंतर्गत समान सहमति दिशानिर्देश 46
परिसीमन और उसका महत्व 6	एक सुदृढ़ भारतीय हिमालयी क्षेत्र की ओर 48
राजस्थान विघ्नित क्षेत्र अधिनियम 7	गैलेक्सी मेंढक 50
जल जीवन मिशन में बजट कटौती 8	प्राचीन मराठी साहित्य से पता चलता है कि सवाना अवनत वन नहीं हैं 51
गणतंत्र दिवस 2026 9	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 54
2026 राज्यसभा चुनाव 9	विशाल सौर तूफान और अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव 54
अंतर्राष्ट्रीय संबंध 11	इसरो का एक्सपोजेड मिशन : विकास 54
भारत-यूरोपीय संघ रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी 11	इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 55
भारत-यूरोपीय संघ एफटीए और रणनीतिक पुनर्संरक्षण 12	भारत का गहरे समुद्र मिशन और बहुधात्विक सल्फाइड (PMS) अन्वेषण 56
भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी 13	भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपरकंप्यूटर का उपयोग करके म्पेम्बा प्रभाव का अनुकरण किया . 58
भारत-अरब रणनीतिक अभिसरण को गहरा करना 15	ब्लूबर्ड-6 उपग्रह और LVM-3 59
बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका 16	वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रौद्योगिकी 60
भारत-यूएई एलएनजी समझौता 18	एआई, अंतरिक्ष, ऊर्जा और पृथ्वी प्रणालियों में उभरते अग्रिम क्षेत्र 61
यूरोपीय संघ-अमेरिका और ग्रीनलैंड सुरक्षा 18	रक्षा एवं सुरक्षा 63
भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता 19	भारत ने राफेल लड़ाकू विमान का बड़ा सौदा मंजूर किया 63
भारत और पैक्स सिलिका 20	उग्रवादी समूहों से आतंक का खतरा 64
शक्सगम घाटी विवाद 22	रणनीतिक सीमा रक्षा परियोजनाएँ 65
अर्थव्यवस्था एवं कृषि 24	हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल 66
GDP से NDP तक 24	BSF ने “ऑप्स अलर्ट” शुरू किया 67
नई CPI श्रृंखला 2024: भारत के मुद्रास्फीति मापन ढाँचे का पुनःसमायोजन 26	मणिपुर में भारतीय सेना का विद्रोह-रोधी अभियान 67
भारत में कृषि सब्सिडी 28	सामाजिक मुद्दे 69
भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि स्थिति 29	मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार के रूप में 69
निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2024 30	सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी विनियम, 2026 पर रोक 71
भारत में हवाई अड्डों का निजीकरण 31	बढ़ती डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ 72
भारत के तंबाकू कराधान सुधार 32	POCSO मामलों में तेज़ निपटान हमेशा न्यायपूर्ण नहीं 74
भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास परिदृश्य और चुनौतियाँ 34	गरीबी और विकासात्मक मुद्दे 75
भारत के विकास पूर्वानुमान और आर्थिक स्थिरता 36	इतिहास एवं संस्कृति 77
मुद्रास्फीति प्रवृत्तियाँ, खाद्य मूल्य और मौद्रिक नीति का रुख 37	शिशुपालगढ़: कलिंग के एक प्राचीन नगरीय केन्द्र की पुनर्खोज 77
भारत का बाह्य व्यापार, निर्यात में मंदी और वैश्विक अनिश्चितता 38	केरल विधानमंडल अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2026 77
राजकोषीय समेकन, सब्सिडी और केंद्रीय बजट 2026-27 38	64वाँ केरल स्कूल कलोलसवम 2026 78
MSME, ऋण प्रवाह और रोजगार सृजन 40	‘बागुरुम्बा दाहो’ लोक नृत्य 78
पर्यावरण एवं भूगोल 42	दिल्ली ‘कला-यात्रा 2026’ 79
पर्यावरणीय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट 42	

गणतंत्र दिवस परेड 2026 में वडोदरा की भरतनाट्यम मंडली79

सरकारी योजनाएं 81

स्वस्थ जनसंख्या: एक सुदृढ़ भविष्य के लिए ABDM-केंद्रित मार्ग	81
एनपीएस वात्सल्य योजना दिशा-निर्देश 2025	82
मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी. 84	84
PFRDA ने 'एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना' प्रस्तुत की	85
गोबरधन योजना: अपशिष्ट को संपत्ति में बदलना	87
स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS)	88

महत्वपूर्ण रिपोर्ट90

WEF वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026: भारत के लिए निहितार्थ	90
भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर (IICDEM) 2026	91
प्रगति प्लेटफॉर्म	92
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026	93

समाचारों में चर्चित व्यक्तित्व95

सुभाष चन्द्र बोस	95
मन्नाथु पद्मनाभन	96
सावित्रीबाई फुले	97
रानी वेलु नाचियार	98
रानी अहिल्याबाई होलकर	99
पार्वती गिरी	100

विविध 102

जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMFs)	102
केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और भारत में भूजल प्रदूषण	103

जनवरी 2026 'द हिन्दू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न 108

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न	108
उत्तर कुंजी	122

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई का अधिकार

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद धाम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2026) में यह पुनः पुष्टि की कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लागू होता है, चाहे अपराध की प्रकृति या गंभीरता कुछ भी हो।

मुख्य बिंदु

- त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का एक अनिवार्य घटक है।
- विचाराधीन कैदियों की लंबी पूर्व-विचारण हिरासत असंवैधानिक है और दंड के समान है।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध जघन्य अवश्य हो सकते हैं, परंतु इससे स्वतः जमानत से इनकार उचित नहीं हो जाता।
- अभियोजन एजेंसियों के कारण हुई देरी संवैधानिक आधार पर जमानत के पक्ष को मजबूत करती है।

त्वरित सुनवाई के अधिकार का संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 21 की व्याख्या:** यद्यपि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को अनुच्छेद 21 में निहित माना है, यह कहते हुए कि यदि न्याय में अनिश्चितकालीन विलंब हो, तो स्वतंत्रता निरर्थक हो जाती है।
- **विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करना है:** हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) में न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन कैदियों को अधिकतम संभावित दंड से भी अधिक समय तक हिरासत में रखना असंवैधानिक है।
- **अधिकार का दायरा:** यह अधिकार आपराधिक कार्यवाही के सभी चरणों— जांच, पूछताछ, विचारण, अपील और पुनर्विचारण—पर लागू होता है, जैसा कि ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक (1992) में स्पष्ट किया गया।
- **निश्चित समय-सीमा नहीं, परंतु युक्तिसंगतता आवश्यक:** कठोर समय-सीमाएँ व्यवहारिक नहीं हैं, किंतु जब विलंब दमनकारी, अनुचित और अवांछित हो जाए, तब न्यायालय हस्तक्षेप करता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली का आधार स्तंभ: त्वरित सुनवाई

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण:** लंबी कारावास मानसिक कष्ट, सामाजिक कलंक और आर्थिक कठिनाई उत्पन्न करती है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
- **निर्दोषता की अनुमानित धारणा:** पूर्व-विचारण हिरासत दंडात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि अभियुक्त को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है।
- **गति और निष्पक्षता के बीच संतुलन:** “जल्दबाजी में किया गया न्याय, न्याय का दमन है” — इस सिद्धांत के अनुसार माल शीघ्रता के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का त्याग नहीं किया जा सकता।
- **न्यायपालिका में जन-विश्वास:** समयबद्ध न्याय, विधि के शासन में विश्वास को सुदृढ़ करता है और लोकतांत्रिक वैधता के क्षरण को रोकता है।

अरविंद धाम केस: तथ्य एवं न्यायिक तर्क

- **आरोपों की प्रकृति:** अरविंद धाम पर भारतीय दंड संहिता और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत ₹650 करोड़ से अधिक की बैंक धोखाधड़ी का आरोप था, जो 2022 में IFIRS में दर्ज हुआ।
- **विलंब की सीमा:** जुलाई 2024 में गिरफ्तारी के बावजूद संज्ञान नहीं लिया गया, 200 से अधिक अभियोजन गवाहों का उल्लेख किया गया और विचारण शीघ्र प्रारंभ होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी।
- **अभियोजन-जनित विलंब:** प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रक्रियात्मक नोटिसों के विरुद्ध अपील के कारण आठ माह का विलंब हुआ, जिससे विचारण की प्रगति बाधित हुई।
- **सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:** न्यायालय ने कहा कि विचारण प्रारंभ किए बिना लंबी हिरासत, पूर्व-विचारण हिरासत को दंड में परिवर्तित कर देती है, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

आर्थिक अपराध और जमानत संबंधी न्यायशास्त्र

- **सर्वथा कठोरता के तर्क का अस्वीकार:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध गंभीर हो सकते हैं, परंतु केवल तथ्यों के आधार पर जमानत से स्वतः इनकार उचित नहीं है।
- **PMLA और अनुच्छेद 21:** PMLA की धारा 45 की कठोर शर्तें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के संवैधानिक आदेश को निष्प्रभावी नहीं कर सकती।
- **न्यायिक दृष्टांत:** मनीष सिसोदिया, वी. सेन्थिल बालाजी तथा प्रदीप चंद्र जैन जैसे मामलों में दीर्घ कारावास के कारण जमानत के पक्ष में संतुलन झुका।
- **दस्तावेज-प्रधान जांच:** जहाँ साक्ष्य मुख्यतः दस्तावेजी हों और एजेंसियों के पास पहले से उपलब्ध हों, वहाँ निरंतर हिरासत का औचित्य कम हो जाता है।

अभियोजन के कारण हुई देरी

- **एजेंसी की जवाबदेही:** न्यायालय ने रेखांकित किया कि अभियोजन एजेंसियाँ अपनी प्रक्रियात्मक त्रुटियों से उत्पन्न विलंब का लाभ नहीं उठा सकती।
- **स्वतंत्रता के दुरुपयोग का अभाव:** गवाहों से छेड़छाड़ या गिरफ्तारी के बाद धन शोधन के आरोपों का कोई ठोस प्रमाण नहीं था।
- **राज्य पर दायित्व:** यदि राज्य समयबद्ध विचारण सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो वह अपराध की गंभीरता के आधार पर ही जमानत का विरोध नहीं कर सकता।
- **प्रक्रिया बनाम संविधान:** प्रक्रियात्मक विधि को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध दमन के उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

भारत में त्वरित सुनवाई की समकालीन प्रासंगिकता

- **विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या:** एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार भारत की जेलों में 75% से अधिक कैदी विचाराधीन हैं, जिनमें से अनेक वर्षों से निरुद्ध हैं।
- **विशेष कानूनों का प्रभाव:** पीएमएलए, यूएपीए तथा एनडीपीएस अधिनियम जैसे कठोर कानूनों ने पूर्व-विचारण कारावास में वृद्धि की है।

- **न्यायिक दृष्टिकोण में सुधार:** हाल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आपराधिक विधि की स्वतंत्रता-केंद्रित व्याख्या पर पुनः बल देते हैं।
- **मानवाधिकार दृष्टिकोण:** प्रशासनिक अक्षमता या जाँच में विलंब के नाम पर स्वतंत्रता का बलिदान नहीं किया जा सकता।

तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

- **आईसीसीपीआर मानक:** नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा (आईसीसीपीआर) का अनुच्छेद 14(3)(c) अनुचित विलंब के बिना विचारण की गारंटी देता है।
- **यूरोपीय अभिसमय:** मानवाधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय का अनुच्छेद 6 लंबी पूर्व-विचारण हिरासत को निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उल्लंघन मानता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** छठा संशोधन त्वरित विचारण के अधिकार की स्पष्ट गारंटी देता है, जिसका मूल्यांकन संतुलन परीक्षण के माध्यम से किया जाता है।
- **भारत की संगति:** भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र इन वैश्विक मानवाधिकार मानकों के अनुरूप विकसित हो रहा है।

निष्कर्ष

अरविंद धाम बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस बात को सुदृढ़ करता है कि वैधानिक कठोरता के कारण संवैधानिक स्वतंत्रता को कमतर नहीं आंका जा सकता। अनुच्छेद 21 को सार्थक बनाने के लिए भारतीय न्यायालयों को स्वतंत्रता-केंद्रित व्याख्याओं को सुनिश्चित करना, अभियोजन एजेंसियों को उत्तरदायी ठहराना तथा संरचनात्मक जवाबदेही स्थापित करना आवश्यक है। त्वरित विचारण नियम होना चाहिए और पूर्व-विचारण हिरासत अपवाद, ताकि संविधान के न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा के वादे की रक्षा हो सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. “त्वरित सुनवाई का अधिकार अपराध की प्रकृति से अप्रभावित रहता है।” हाल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (GS 2; 150 शब्द, 10 अंक)

धारा 17A का निर्णय: भ्रष्टाचार नियंत्रण बनाम अधिकारी संरक्षण

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिकता पर विभाजित निर्णय दिया, जिससे भ्रष्टाचार नियंत्रण और ईमानदार लोकसेवकों के संरक्षण के बीच संतुलन पर पुनः बहस प्रारंभ हुई।

मुख्य बिंदु

- धारा 17A, जिसे 2018 में जोड़ा गया, लोकसेवकों के आधिकारिक निर्णयों से संबंधित मामलों में जाँच प्रारंभ करने से पूर्व, पूर्व सरकारी स्वीकृति अनिवार्य करती है।
- सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीश पीठ ने भिन्न-भिन्न मत दिए, जिसके कारण मामला बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।
- एक मत ने लोकपाल/लोकायुक्त द्वारा स्वतंत्र पर्यवेक्षण के साथ इस प्रावधान को वैध माना, जबकि दूसरे ने इसे असंवैधानिक बताया।
- यह निर्णय शासन में प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही के बीच तनाव को उजागर करता है।

धारा 17A: विधिक पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

- **वैधानिक उद्गम:** धारा 17A को 2018 के संशोधन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जोड़ा गया, ताकि आधिकारिक क्षमता में लिए गए निर्णयों से संबंधित जाँच को विनियमित किया जा सके।
- **मुख्य आवश्यकता:** यह प्रावधान पुलिस या जाँच एजेंसियों को उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पूछताछ या जाँच करने से रोकता है।
- **नीतिगत तर्क:** यह प्रावधान नीतिगत जड़ता की आशंका को दूर करने हेतु लाया गया, जहाँ पश्चात जाँच के भय से साहसिक प्रशासनिक निर्णय हतोत्साहित हो सकते हैं।
- **लक्षित वर्ग:** यह सभी लोकसेवकों पर समान रूप से लागू होता है, पद के आधार पर कोई भेद नहीं करता।

धारा 17A के समर्थन में तर्क

- **ईमानदार अधिकारियों का संरक्षण:** यह प्रावधान दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ या राजनीतिक प्रेरित शिकायतों से अधिकारियों की रक्षा करता है।
- **नीतिगत जड़ता की रोकथाम:** अवसरचना, रक्षा या आर्थिक नीति जैसे क्षेत्रों में जाँच का भय निर्णयों में विलंब कर सकता है; धारा 17A समयबद्ध शासन को प्रोत्साहित करती है।
- **प्रशासनिक दक्षता:** अधिकारी जाँच एजेंसियों के समक्ष नियमित निर्णयों का बचाव करने के बजाय सेवा प्रदाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- **न्यायिक समर्थन:** के.वी. विश्वनाथन ने सरदार पटेल के “स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया” संबंधी विचार का उल्लेख करते हुए संवैधानिक विश्वास पर बल दिया।

धारा 17A से संबंधित संवैधानिक चिंताएँ

- **हितों का टकराव:** स्वीकृति की शक्ति सरकार—जो अक्सर अभियुक्त की नियोक्ता होती है—को देने से कार्यपालिका पक्षपात की आशंका उत्पन्न होती है।
- **जाँच की स्वतंत्रता में कमी:** पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों की स्वायत्तता को सीमित कर सकती है।
- **विलंब और साक्ष्य की हानि:** भ्रष्टाचार, विशेषकर आर्थिक अपराधों में, जाँच में देरी से साक्ष्यों का नष्ट होना संभव है।
- **अनुच्छेद 14 का उल्लंघन:** न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने माना कि कुछ अधिकारियों को विशेष संरक्षण देना विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है।

विभाजित निर्णय: भिन्न न्यायिक तर्क

- **न्यायमूर्ति नागरत्ना का मत:** उन्होंने धारा 17A को असंवैधानिक माना और इसे “पुरानी शराब नई बोतल में” कहा, अर्थात् न्यायालय द्वारा पूर्व में हटाई गई बाधाओं को पुनर्जीवित करना।
- **नज़ीरों पर निर्भरता:** विनीत नारायण बनाम भारत संघ तथा सुब्रमण्यम स्वामी बनाम सीबीआई जैसे मामलों में दिए गए निर्णयों में जाँच को बाधित करने वाली पूर्व स्वीकृति की शर्तों को निरस्त किया गया था।
- **न्यायमूर्ति विश्वनाथन का मत:** उन्होंने धारा 17A को पूर्व प्रावधानों से भिन्न बताया और कहा कि यह सभी लोकसेवकों पर समान रूप से लागू होती है तथा पद के आधार पर भेदभाव नहीं करती।
- **संस्थागत पुनर्चना:** उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र निकायों के माध्यम से स्वीकृति को मार्गित करते हुए धारा 17A को वैध ठहराया।

लोकपाल-आधारित परीक्षण तंत्र

- **स्वतंत्र पर्यवेक्षण:** स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की गई शिकायतों को प्रारंभिक परीक्षण के लिए लोकपाल (केंद्र) या लोकायुक्त (राज्य) को भेजा जाना चाहिए।

- **प्रथम दृष्टया परीक्षण:** यदि जाँच में पर्याप्त सामग्री पाई जाती है, तो सरकार स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाती है।
- **हितों का संतुलन:** यह मॉडल ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करते हुए जाँच पर कार्यपालिका के नियंत्रण को रोकने का प्रयास करता है।
- **संवैधानिक सामंजस्य:** यह शासन में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अनुरूप है।

व्यापक प्रशासनिक एवं संवैधानिक निहितार्थ

- **शासन बनाम जवाबदेही:** अत्यधिक संरक्षण भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर सकती है, जबकि अत्यधिक निगरानी प्रशासनिक भय उत्पन्न कर सकती है।
- **सिविल सेवा सुरक्षा उपाय:** भारत में पहले से ही अनुच्छेद 311, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत संरक्षण उपलब्ध है।
- **विधि के शासन का दृष्टिकोण:** सार्वजनिक पदधारकों की जवाबदेही लोकतांत्रिक शासन और जन-विश्वास का मूल आधार है।
- **संस्थागत विश्वास की आवश्यकता:** भ्रष्टाचार-रोधी ढाँचे विश्वसनीय, निष्पक्ष और समयबद्ध होने चाहिए।

निष्कर्ष

ईमानदार निर्णय-निर्माण और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए संतुलित ढाँचा आवश्यक है। पूर्व स्वीकृति तंत्र अत्यधिक संरक्षण से बचना चाहिए तथा जाँच एजेंसियों को निष्क्रिय नहीं करना चाहिए। स्वीकृतियों के लिए स्वतंत्र परीक्षण, वैधानिक समय-सीमाएँ और न्यायिक पर्यवेक्षण प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही—दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। बड़ी पीठ का अंतिम निर्णय भारत की भावी भ्रष्टाचार-रोधी संरचना को आकार देने में निर्णायक सिद्ध होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A किसकी अपेक्षा करती है:

- अभियोजन से पूर्व न्यायिक स्वीकृति
- जाँच से पूर्व सरकार की पूर्व स्वीकृति
- सभी मामलों के लिए अनिवार्य लोकपाल स्वीकृति
- अभियोजन हेतु संसदीय स्वीकृति

(9) : 2024

संवैधानिक सीमाएँ और संघीय संतुलन

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु और केरल में राज्यपाल द्वारा विधानसभा अभिभाषण के दौरान हालिया बहिर्गमन तथा चयनात्मक विलोपन की घटनाओं ने अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल के विवेकाधिकार की सीमा पर संवैधानिक बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।

मुख्य बिंदु

- अनुच्छेद 176 प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को संबोधित करने का दायित्व देता है।
- यह अभिभाषण निर्वाचित राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा को प्रतिबिंबित करता है, न कि राज्यपाल के व्यक्तिगत विचारों को।
- हालिया विवादों ने संघवाद, संवैधानिक परंपराओं तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

- सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने ऐसे अभिभाषणों में राज्यपाल के विवेकाधिकार को निरंतर सीमित किया है।

राज्यपाल के अभिभाषण का संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 176 (अनिवार्य दायित्व):** यह प्रावधान राज्यपाल को प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधान सभा (या दोनों सदनों) को संबोधित करने के लिए बाध्य करता है, जो एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है, न कि विवेकाधिकार।
- **अनुच्छेद 175 (अभिभाषण और संदेश):** यद्यपि यह राज्यपाल को सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने की अनुमति देता है, परंतु यह शक्ति कार्यपालिका ढाँचे के अंतर्गत संचालित होती है और मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन रहती है।
- **अनुच्छेद 163 (सहायता और सलाह):** राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, सिवाय उन विषयों के जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से विवेकाधिकार प्रदान करता है, जिनमें अभिभाषण सम्मिलित नहीं है।
- **अभिभाषण का स्वरूप:** यह भाषण सरकार की नीति का वक्तव्य होता है, जिससे उत्तरदायित्व और जवाबदेही निर्वाचित कार्यपालिका पर केंद्रित होती है।

संविधान सभा की दृष्टि में राज्यपाल

- **संवैधानिक प्रमुख, न कि कार्यपालिका शासक:** संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को ब्रिटिश सम्राट के समान एक नाममात्र प्रमुख के रूप में परिकल्पित किया था, जिसके पास स्वतंत्र नीतिगत अधिकार नहीं होगा।
- **अंबेडकर का मत:** डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं और विवेकाधिकार अपवाद है, सामान्य नियम नहीं।
- **तटस्थता और निरपेक्षता:** राज्यपाल संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर रहकर लोकतांत्रिक वैधता को बनाए रखना चाहिए।
- **संघीय कड़ी, न कि केंद्र का प्रतिनिधि:** राज्यपाल को संघीय सेतु के रूप में परिकल्पित किया गया था, न कि केंद्र के प्रभुत्व के साधन के रूप में।

न्यायिक व्याख्या और सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):** सात-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है और कार्यपालिका मामलों में व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता।
- **नाबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश (2016):** न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल का विवेकाधिकार अत्यंत सीमित है और विधानमंडल को संबोधित करना कार्यपालिका का कार्य है, न कि विवेकाधिकार।
- **तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल (2024):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल निर्वाचित सरकार के कार्यों को बाधित या निष्प्रभावी करने हेतु विवेकाधिकार का उपयोग नहीं कर सकता।
- **न्यायिक प्रवृत्ति:** न्यायालयों ने निरंतर मंत्रिमंडलीय सर्वोच्चता, उत्तरदायी सरकार और संघीय संतुलन का समर्थन किया है।

राज्यपाल के सीमित विवेकाधिकार के समर्थन में तर्क

- **संवैधानिक शपथ (अनुच्छेद 159):** राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और अभिभाषण की विषयवस्तु पर आपत्ति करना संवैधानिक रूप से अनुचित माना जा सकता है।
- **संस्थागत अखंडता:** अनिवार्य पाठ से विचलन पूर्व संवैधानिक कार्यों (जैसे विधेयक आरक्षण) से असंगति उत्पन्न कर सकता है।
- **संघ-राज्य संबंध:** संघ के संवैधानिक सेतु के रूप में राज्यपाल पर राष्ट्रीय एकता की रक्षा का दायित्व होने का तर्क दिया जाता है।

- **संवैधानिक मौन:** अनुच्छेद 175 और 176 में शब्दशः वाचन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिसे कुछ लोग विवेकाधिकार की संभावना के रूप में देखते हैं।

राज्यपाल के विवेकाधिकार के विरुद्ध तर्क

- **सहायता और सलाह का सिद्धांत:** संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है; राज्यपाल की एकपक्षीय कार्यवाही असंवैधानिक है।
- **संघवाद का क्षरण:** केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल यदि राज्य की नीतिगत घोषणाओं में परिवर्तन करें, तो यह राज्य की स्वायत्तता और सहकारी संघवाद को कमजोर करता है।
- **संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा:** नियमित कार्यों में विवेकाधिकार का प्रयोग समानांतर शक्ति केंद्र उत्पन्न कर सकता है और मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व को कमजोर करता है।
- **विधायी विशेषाधिकार:** सरकार की नीतियों पर चर्चा और अस्वीकृति का अधिकार विधानमंडल को है; पूर्व-हस्तक्षेप से उसकी स्वायत्तता प्रभावित होती है।
- **न्यायिक उपचार उपलब्ध:** संवैधानिक विवादों का समाधान न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि राज्यपाल की एकतरफा कार्यपालिका कार्यवाही से।

राज्यपाल की भूमिका पर समितियों की सिफारिशें

- **सरकारिया आयोग (1988):** राज्यपाल को संघवाद की कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि केंद्र के एजेंट के रूप में।
- **पंछी आयोग (2007):** राजनीतिक टकराव कम करने हेतु अतिरिक्त-संवैधानिक भूमिकाओं (जैसे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति) को सीमित करने की सिफारिश की।
- **परंपराओं पर बल:** दोनों आयोगों ने संस्थागत सामंजस्य हेतु संसदीय परंपराओं के पालन पर जोर दिया।

आगे की राह

- **संवैधानिक परंपराओं का संहिताकरण:** संसदीय परंपराओं, जिनमें अभिभाषण का शब्दशः प्रस्तुतीकरण भी शामिल है, को औपचारिक रूप से संहिताबद्ध या न्यायिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- **सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश:** अनुच्छेद 176 पर घोषणात्मक दिशानिर्देश आवर्ती विवादों को रोक सकते हैं और एकरूप संवैधानिक अभ्यास सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **अभिमुखीकरण और क्षमता निर्माण:** संघवाद, संवैधानिक परंपराओं और न्यायिक दृष्टांतों पर राज्यपालों के लिए अनिवार्य संवैधानिक प्रशिक्षण आवश्यक है।
- **संरचित संवाद तंत्र:** राज्यपालों को अपनी आपत्तियाँ निर्धारित समय-सीमा में लिखित रूप में प्रेषित करनी चाहिए; मौन को स्वीकृति माना जा सकता है।
- **सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना:** मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच नियमित संवाद विश्वास की कमी और सार्वजनिक टकराव को कम कर सकता है।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल का अभिभाषण एक **संवैधानिक दायित्व** है, न कि विवेकाधिकार। संवैधानिक पाठ, परंपराएँ, आयोगों की सिफारिशें तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सामूहिक रूप से निर्वाचित कार्यपालिका की प्रधानता की पुष्टि करते हैं। संवैधानिक नैतिकता और सहकारी संघवाद का पालन आवश्यक है, ताकि राज्यपाल का पद समानांतर प्राधिकरण में परिवर्तित न हो तथा भारतीय लोकतंत्र की संसदीय भावना संरक्षित रहे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. संविधान का अनुच्छेद 176 किससे संबंधित है?

- राज्यपाल की नियुक्ति
- राज्य विधानमंडल को राज्यपाल का अभिभाषण
- राज्यपाल के विवेकाधिकार
- विधानसभा का विघटन

(q) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. “अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल का अभिभाषण एक संवैधानिक दायित्व है, न कि विवेकाधिकार।” हाल की विवादित घटनाओं तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में परीक्षण कीजिए। (GS-2; 250 शब्द, 15 अंक)

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026

चर्चा में क्यों: भारत के राष्ट्रपति ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (NVD) 2026 समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें नागरिक-केंद्रित निर्वाचन सुधारों और लोकतांत्रिक शासन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का स्मरण करता है।
- NVD 2026 का विषय था “मेरा भारत, मेरा मत” तथा उप-वाक्य “लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक”।
- कार्यक्रम का केंद्र बिंदु मतदाता सहभागिता, निर्वाचन सुधार तथा पारदर्शिता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रहा।
- NVD 2026 भारत की निर्वाचन सहयोग में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका के साथ भी संबद्ध था, जिसे दिल्ली घोषणा 2026 के माध्यम से रेखांकित किया गया।

संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक महत्व

- **निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व:** भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया है, जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।
- **राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य:** 2011 से प्रति वर्ष मनाया जाने वाला NVD मतदाता जागरूकता, नैतिक सहभागिता और नामांकन को प्रोत्साहित करता है, विशेषकर प्रथम बार और युवा मतदाताओं के बीच।
- **नागरिक-केंद्रित लोकतंत्र:** 2026 की थीम इस विचार को सुदृढ़ करती है कि नागरिक ही सर्वोच्च हितधारक हैं और निर्वाचन प्रक्रिया में सुविधा, पहुँच और विश्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **लोकतांत्रिक निरंतरता:** NVD चुनावों से परे लोकतांत्रिक मूल्यों की निरंतरता का प्रतीक है, जो जागरूक और उत्तरदायी नागरिकता को प्रोत्साहित करता है।

पारदर्शिता और निष्पक्षता हेतु निर्वाचन सुधार

- **EPIC और e-EPIC पहल:** 1993 में आरंभ किया गया निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रतिरूपण को कम करने में सहायक रहा। e-EPIC (2021) ने सुरक्षित डिजिटल मतदाता पहचान उपलब्ध कराकर पहुँच को सुदृढ़ किया।
- **इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें (EVMs):** 1998 से व्यापक रूप से प्रयुक्त EVMs ने अमान्य मतों को समाप्त किया, मतगणना समय कम किया और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाकर निर्वाचन विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया।
- **वीवीपैट प्रणाली:** सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के निर्णय के पश्चात प्रारंभ की गई वीवीपैट प्रणाली मतदाता सत्यापन सुनिश्चित करती है और इलेक्ट्रॉनिक मतदान में विश्वास को बढ़ाती है।
- **मतदाता सूची सुधार:** NERPAP (2015) तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (2025) जैसे कार्यक्रमों ने डुप्लीकेट प्रविष्टियों और समावेशन संबंधी त्रुटियों को दूर किया, जिससे 51 करोड़ से अधिक मतदाता प्रभावित हुए।

मतदाता जागरूकता और समावेशी सहभागिता

- **SVEEP कार्यक्रम:** 2009 में प्रारंभ किया गया प्रणालीगत मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता (SVEEP) कार्यक्रम अभियानों, परिसर संपर्क तथा डिजिटल मंचों के माध्यम से मतदाता उदासीनता को दूर करता है।
- **सुगम्य चुनाव:** वर्ष 2018 को सुगम्य चुनाव वर्ष घोषित किया गया। निर्वाचन आयोग ने ब्रेल युक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC), परिवहन सुविधाएँ तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक मतदान केंद्र प्रारंभ किए।
- **युवा और नव मतदाता:** विशेष नामांकन अभियान और जागरूकता पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रारंभिक अवस्था में ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना है।
- **नैतिक मतदान संस्कृति:** NVD सूचित मतदान, आचार संहिता के पालन तथा प्रलोभनों के अस्वीकार को प्रोत्साहित करता है।

निर्वाचन शासन में प्रौद्योगिकी-प्रेरित पहल

- **cVIGIL अनुप्रयोग:** यह नागरिकों को भू-चिह्नित चित्र या वीडियो के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघनों की सूचना देने की सुविधा देता है, जिसमें 100 मिनट की अनिवार्य प्रतिक्रिया समय-सीमा निर्धारित है, जिससे जवाबदेही सुदृढ़ होती है।
- **ERO-NET मंच:** एक बहुभाषी डिजिटल प्रणाली जो निर्वाचन प्रपत्रों का त्वरित प्रसंस्करण, त्रुटियों में कमी तथा द्वितीयक पंजीकरण की रोकथाम सुनिश्चित करती है।
- **ECINET (2026):** 40 से अधिक निर्वाचन आयोग अनुप्रयोगों को एकीकृत करने वाला एकीकृत डिजिटल इंटरफेस, जो मतदाताओं, अधिकारियों तथा राजनीतिक दलों के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करता है।
- **प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्वास:** निर्वाचन आयोग निर्वाचन अखंडता की रक्षा करते हुए दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी के उत्तरदायी उपयोग पर बल देता है।

ECINET (निर्वाचन आयोग एकीकृत नेटवर्क)

- **प्रारंभ:** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ICDEM 2026, नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया।
- **यह क्या है:** 40 से अधिक निर्वाचन-संबंधित अनुप्रयोगों और वेब सेवाओं को एकीकृत करने वाला एकीकृत डिजिटल मंच।
- **उद्देश्य:** निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता और भागीदारी को सुदृढ़ करना।

- **परिधि:** मतदाताओं, प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों को एक ही मंच पर जोड़ता है।
- **मुख्य विशेषता:** सभी प्रमुख निर्वाचन सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।
- **भाषा समर्थन:** 22 भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेज़ी में उपलब्ध।

भारत का वैश्विक नेतृत्व

- **लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICDEM) 2026:** भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित, जिसमें विश्वभर के 40 से अधिक निर्वाचन प्रबंधन निकायों (EMBs) की भागीदारी रही।
- **दिल्ली घोषणा 2026:** सहयोग, नवाचार और जवाबदेही के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु एक सर्वसम्मति-आधारित वैश्विक रूपरेखा।
- **घोषणा के पाँच स्तंभ**
 - **निर्वाचक नामावलियों की शुद्धता** — सार्वभौमिक फोटो पहचान और सटीक मतदाता सूचियाँ।
 - **चुनावों का संचालन** — स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया।
 - **अनुसंधान और प्रकाशन** — लोकतंत्रों का वैश्विक विश्वकोश।
 - **प्रौद्योगिकी का उपयोग** — भारत के ECINET अनुभव का साझा करना।
 - **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण** — IIIDEM के माध्यम से संस्थागत सुदृढ़ीकरण।
- **मानकात्मक महत्व:** यह घोषणा भारत की सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करती है और निर्वाचन प्रबंधन में निर्वाचन आयोग को वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करती है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 यह रेखांकित करता है कि निर्वाचन लोकतंत्र एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए सतत सुधार, नैतिक शासन और सक्रिय नागरिक सहभागिता आवश्यक है। मतदाता शिक्षा को सुदृढ़ करना, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्थायी विश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। भारत निर्वाचन आयोग को नवाचार और अखंडता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए नागरिकों को भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में बनाए रखना होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रीय मतदाता दिवस किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?

- (a) भारतीय संसद (b) भारत निर्वाचन आयोग
(c) भारत का सर्वोच्च न्यायालय (d) संविधान सभा

(Q) : 2026

परिसीमन और उसका महत्व

चर्चा में क्यों: लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 2026 के पश्चात प्रस्तावित परिसीमन पर बहस तेज हो गई है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

मुख्य बिंदु

- परिसीमन का अर्थ जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण तथा सीटों का आवंटन है।
- वर्तमान लोकसभा सीटों का वितरण 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि भारत की जनसंख्या लगभग 147 करोड़ तक पहुँच चुकी है।
- 84वाँ संवैधानिक संशोधन (2001) ने प्रथम जनगणना 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी थी।
- आगामी परिसीमन, जो 2027 की जनगणना के बाद अपेक्षित है, राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

परिसीमन: अवधारणा और संवैधानिक आधार

- अर्थ और उद्देश्य:** परिसीमन का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना है, ताकि “एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य” के सिद्धांत के अनुसार समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- संवैधानिक प्रावधान:**
 - **अनुच्छेद 82:** प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा सीटों के पुनःसमायोजन का प्रावधान करता है, जिसके लिए परिसीमन अधिनियम बनाया जाता है।
 - **अनुच्छेद 170:** राज्य विधानसभाओं के परिसीमन का प्रावधान करता है।
 - **अनुच्छेद 329:** परिसीमन आदेशों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, जिससे अंतिमता सुनिश्चित होती है।
- परिसीमन आयोग:** सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक उच्च-स्तरीय वैधानिक निकाय, जिसके आदेशों को विधि का बल प्राप्त होता है और जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- लोकतांत्रिक तर्क:** परिसीमन का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना है, जिससे निर्वाचन निष्पक्षता सुदृढ़ होती है।

भारत में परिसीमन का ऐतिहासिक विकास

- प्रारंभिक परिसीमन:** 1951, 1961 और 1971 की जनगणनाओं के पश्चात परिसीमन अभ्यास किए गए, जिनमें जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप सीटों का समायोजन किया गया।
- 42वाँ संवैधानिक संशोधन (1976):** आपातकाल के दौरान 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर स्थिर कर दी गई, ताकि जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन मिल सके।
- 84वाँ और 87वाँ संशोधन:**
 - **84वाँ संशोधन (2001):** सीटों की संख्या में वृद्धि किए बिना 2026 तक स्थगन को बढ़ाया।
 - **87वाँ संशोधन (2003):** 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की अनुमति दी, परंतु सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई।
- वर्तमान स्थिति:** वर्तमान प्रतिनिधित्व 1971 की 54.8 करोड़ जनसंख्या को प्रतिबिंबित करता है, जो आज की जनसांख्यिकीय वास्तविकता से काफी भिन्न है।

जनसांख्यिकीय असंतुलन और संघीय चिंताएँ

- असमान जनसंख्या वृद्धि:** उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में उच्च जनसंख्या वृद्धि हुई है, जबकि दक्षिणी राज्यों ने प्रारंभिक जनसांख्यिकीय संक्रमण प्राप्त कर लिया है।
- संभावित प्रतिनिधित्व परिवर्तन:** यदि सीटों का आवंटन केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 24% से घटकर लगभग 19% हो सकती है, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।
- संघीय निहितार्थ:** जिन राज्यों ने परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, वे अपने सुशासन के कारण दंडित होते हुए प्रतीत हो सकते हैं।
- राजकोषीय संघवाद से संबंध:** इसी प्रकार की चिंताएँ वित्त आयोग के वितरण में भी उत्पन्न होती हैं, जहाँ जनसंख्या-आधारित भारांकन से कर हस्तांतरण प्रभावित होता है, जिससे दक्षिणी राज्यों की शिकायतें बढ़ती हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ

- समय-साध्य प्रक्रिया:** पूर्व परिसीमन आयोगों को 3-5 वर्ष लगे; 2031-32 से पूर्व प्रक्रिया पूर्ण होना कठिन प्रतीत होता है।
- गठबंधन राजनीति पर प्रभाव:** सीट वितरण में परिवर्तन से गठबंधन की गतिशीलता बदल सकती है, जिससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में मजबूत आधार रखने वाले दलों को लाभ मिल सकता है।
- आंतरिक परिसीमन के मुद्दे:** आंतरिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करते समय भौगोलिक, प्रशासनिक इकाइयों और सामाजिक समरसता का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि निर्वाचन क्षेत्र-हेरफेर (गैरिमेंडरिंग) से बचा जा सके।
- जन-विश्वास की कमी:** पारदर्शिता या सहमति के अभाव से क्षेत्रीय अलगाव और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

संभावित समाधान और विकल्प

- स्थगन की अवधि बढ़ाना:** स्थगन को जारी रखने से अस्थायी रूप से संघीय संतुलन सुरक्षित रह सकता है, परंतु इससे पुरानी प्रतिनिधित्व व्यवस्था के कारण संवैधानिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- लोकसभा सीटों का विस्तार:** सीटों की संख्या बढ़ाकर (जैसे 848 या 866) यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी राज्य की सीटें कम न हों, यद्यपि आनुपातिक असंतुलन बना रह सकता है।
- विकल्पात्मक आनुपातिक (भारत) सूत्र:** सीटों का आवंटन जनसंख्या (उदाहरणार्थ 60%) तथा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (40%) के आधार पर करना उत्तरदायी शासन को प्रोत्साहित कर सकता है, जैसा कि यूरोपीय संसद के मॉडल में है।
- राज्यसभा को सुदृढ़ करना:** उच्च सदन की संघीय भूमिका को सशक्त बनाना, संभवतः समान प्रतिनिधित्व या पुनर्स्थापित प्रभुत्व मानदंडों के माध्यम से, लोकसभा के प्रभुत्व का संतुलन कर सकता है।
- चरणबद्ध पुनर्वितरण:** परिवर्तनों को क्रमिक रूप से लागू करने से राजनीतिक आघात कम हो सकता है और संस्थागत अनुकूलन संभव हो सकता है।

निष्कर्ष

आगामी परिसीमन एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अभ्यास है, जो भारत की प्रतिनिधित्व संरचना को पुनःआकार देगा। एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जो निर्वाचन समानता को संघीय न्यायसंगतता के साथ समन्वित करे, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को दंडित न किया जाए। पारदर्शिता, विशेषज्ञ परामर्श, सार्वजनिक सुनवाई और राजनीतिक सहमति भारत की लोकतांत्रिक संरचना में विश्वास बनाए रखने तथा सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में परिसीमन आयोग के आदेश:

- परामर्शात्मक प्रकृति के होते हैं
- न्यायालयों में चुनौती दिए जा सकते हैं
- विधि का बल रखते हैं
- राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है

(c) : 2019

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. 2026 के पश्चात प्रस्तावित परिसीमन सहकारी संघवाद को कमजोर कर सकता है। भारतीय राज्यों में जनसांख्यिकीय संक्रमण के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

राजस्थान विघ्नित क्षेत्र अधिनियम

चर्चा में क्यों: राजस्थान सरकार संपत्ति लेन-देन को विनियमित करने हेतु “विघ्नित क्षेत्र” के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जो गुजरात के विघ्नित क्षेत्र अधिनियम पर आधारित है और वर्तमान में संवैधानिक परीक्षण के अधीन है।

मुख्य बिंदु

- राजस्थान कुछ क्षेत्रों को “विघ्नित क्षेत्र” घोषित करने का प्रस्ताव कर रहा है, ताकि जनसांख्यिकीय असंतुलन और अनुचित समूहबंदी (क्लस्टरिंग) को संबोधित किया जा सके।
- प्रस्तावित विधेयक गुजरात के 1991 के विघ्नित क्षेत्र अधिनियम और उसके बाद के संशोधनों से अत्यंत समानता रखता है।
- गुजरात का कानून कार्यपालिका के अतिक्रमण और संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में निरंतर न्यायिक परीक्षण के अधीन रहा है।
- उच्च न्यायालय के निर्णयों ने अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक विवेकाधिकार के दायरे को बार-बार सीमित किया है।

विघ्नित क्षेत्र अधिनियम: अवधारणा और औचित्य

- कानून की उत्पत्ति:** गुजरात विघ्नित क्षेत्र अधिनियम 1991 में बार-बार हुए साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात संपत्ति की बाध्य बिक्री को रोकने हेतु अधिनियमित किया गया।
- मुख्य उद्देश्य:** इस अधिनियम का उद्देश्य विशेषकर साम्प्रदायिक अशांति के दौरान भय, दबाव या धमकी के कारण संपत्ति बेचने से संवेदनशील संपत्ति स्वामियों की रक्षा करना है।
- राज्य का औचित्य:** इस कानून को प्रतिबंधात्मक नहीं, बल्कि सुरक्षात्मक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो स्वैच्छिक सहमति और उचित मूल्यांकन पर बल देता है।
- असाधारण विनियमन:** सामान्य संपत्ति कानून से भिन्न, यह पूर्व राज्य स्वीकृति की अनिवार्यता लाता है, जो लोक-व्यवस्था के आधार पर अपवादात्मक हस्तक्षेप को दर्शाता है।

विघ्नित क्षेत्र ढाँचे का कार्यान्वयन

- विघ्नित क्षेत्रों की अधिसूचना:** राज्य सरकार साम्प्रदायिक हिंसा या अशांति के

इतिहास के आधार पर क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकती है, जिससे वे विशेष विनियमन के अधीन आ जाते हैं।

- अनिवार्य कलेक्टर स्वीकृति:** किसी भी अचल संपत्ति—घर, भूमि या दुकान—के हस्तांतरण हेतु जिला कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
- अवैध लेन-देन:** बिना ऐसी स्वीकृति के किए गए संपत्ति हस्तांतरण, क्रेता-विक्रेता की पारस्परिक सहमति के बावजूद, विधिक रूप से शून्य माने जाते हैं।
- प्रशासनिक जाँच:** अनुमति प्रदान करने से पूर्व कलेक्टर को औपचारिक जाँच करनी होती है, जिससे कार्यपालिका का विवेक अधिनियम के संचालन में केंद्रीय हो जाता है।

संवैधानिक और विधिक चिंताएँ

- निवास और बसावट का अधिकार (अनुच्छेद 19):** आलोचकों का तर्क है कि संपत्ति हस्तांतरण पर प्रतिबंध अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से बसने के अधिकार को सीमित करता है।
- समानता और भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 15):** आरोप है कि यह कानून परिणामस्वरूप भेदभाव उत्पन्न कर सकता है, विशेषकर धर्म या समुदाय के आधार पर।
- संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300A):** यद्यपि यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी संपत्ति एक संवैधानिक अधिकार है और अत्यधिक राज्य नियंत्रण आनुपातिकता के प्रश्न उठाता है।
- जनसांख्यिकीय अभियांत्रिकी की आशंका:** यह आशंका व्यक्त की जाती है कि यह अधिनियम संपत्ति खरीदने वालों और स्थान-निर्धारण को प्रभावित कर सकता है तथा बाध्य बिक्री रोकने के बजाय जनसंख्या संरचना को विनियमित करने का उपकरण बन सकता है।

गुजरात विघ्नित क्षेत्र अधिनियम पर न्यायिक परीक्षण

- लंबित संवैधानिक चुनौती:** गुजरात अधिनियम की संवैधानिक वैधता 2021 और 2022 में दायर याचिकाओं के माध्यम से वर्तमान में परीक्षणधीन है।
- अंतरिम राहत से इनकार:** 2024 में अधिनियम के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका में अंतरिम स्थगन से इनकार किया गया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया।
- 2020 संशोधन पर स्थगन:** उच्च न्यायालय ने 2020 के संशोधन पर स्थगन लगाया, जिसमें “अनुचित समूहबंदी” और “जनसांख्यिकीय संतुलन” जैसे अस्पष्ट शब्द सम्मिलित किए गए थे।
- कार्यपालिका शक्ति पर न्यायिक नियंत्रण:** न्यायालयों ने प्रशासनिक मनमानी और अधिकार उल्लंघन को रोकने हेतु निरंतर हस्तक्षेप किया है।

कलेक्टर के अधिकार की सीमाएँ: न्यायिक व्याख्या

- जाँच का दायरा निर्धारित:** न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर की भूमिका लेन-देन की स्वतंत्र सहमति और उचित बाजार मूल्य की पुष्टि तक सीमित है।
- विधि और व्यवस्था के आधार का अस्वीकार:** 2020 के एक मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट और विधि-व्यवस्था संबंधी चिंताएँ इस अधिनियम के अंतर्गत प्रासंगिक नहीं हैं।
- पड़ोसियों की आपत्तियाँ अमान्य:** न्यायिक निर्णयों में कहा गया है कि निजी संपत्ति लेन-देन में पड़ोसियों को कोई विधिक अधिकार-क्षमता (लोकस स्टैंडी) प्राप्त नहीं है।
- पुलिस अभिमत असंगत:** 2023 में पुलिस अभिमत पर निर्भरता को अधिकार-सीमा से परे (अधिकारातीत) माना गया।
- मुख्य उद्देश्य की पुनर्पुष्टि (2025):** उच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि अधिनियम का उद्देश्य बाध्य बिक्री को रोकना है, न कि सामाजिक संरचना का विनियमन करना।

गणतंत्र दिवस 2026

चर्चा में क्यों: गणतंत्र दिवस परेड 2026 भारत के संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सुदृढ़ता और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रदर्शित करेगी, जिसमें वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष आकर्षण होंगे।

पृष्ठभूमि

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) भारतीय संविधान (1950) के अंगीकरण का स्मरण कराता है, जिसने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तित किया। इस दिवस के आयोजन में कर्तव्य पथ पर औपचारिक परेड, सांस्कृतिक झाँकियाँ और “एकता में विविधता” की भारतीय भावना को दर्शाने वाले सम्मान समारोह सम्मिलित होते हैं।

थीम 2026

वर्ष 2026 की थीम वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आधारित है, जो संवैधानिक देशभक्ति और सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करती है।

प्रमुख विषय

- **संवैधानिक मूल्य**
 - गणतंत्र दिवस लोकतंत्र, न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक आदर्शों का प्रतीक है तथा लोकतांत्रिक शासन और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करता है।
- **राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक समरसता**
 - झाँकियों के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन बहुलतावाद और लोकतांत्रिक एकता के प्रति गौरव को सुदृढ़ करता है।
- **वैश्विक कूटनीति और सॉफ्ट पावर**
 - आमंत्रित गणमान्य अतिथि भारत की कूटनीतिक पहँच और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के गणराज्य सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं।

गणतंत्र दिवस 2026

आयाम	प्रमुख बिंदु एवं सामरिक महत्व
ऐतिहासिक मील का पत्थर	वंदे मातरम् के 150 वर्ष (1875–2026): बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना की शताब्दी-पंचाशती। UPSC के लिए इसका संबंध स्वदेशी आंदोलन (1905) से है, जहाँ यह भारतीय राष्ट्रवाद का “आध्यात्मिक गान” बना।
कूटनीतिक संकेत	मुख्य अतिथि: शीर्ष यूरोपीय नेतृत्व (उर्सुला वॉन डेर लयेन और एंतोनियो कोस्टा)। यह भारत-यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ करने तथा भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और भारत-मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) पर बल देता है।
संवैधानिक मूल्य	संवैधानिक देशभक्ति: जातीय/धार्मिक राष्ट्रवाद से हटकर प्रस्तावना के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित निष्ठा की ओर परिवर्तन। प्रमुख शब्द: “भारत – लोकतंत्र की मातृका” (Mother of Democracy)।
संघीय प्रदर्शन	झाँकियों का महत्व: गुजरात द्वारा मैडम भीकाजी कामा (स्टुटगार्ट, 1907) को श्रद्धांजलि तथा महाराष्ट्र द्वारा लोकमान्य तिलक के गणेशोत्सव (1893) पर आधारित प्रस्तुति—इतिहास (GS-I) को कला और संस्कृति से जोड़ना।

रक्षा एवं सुरक्षा

भैरव बटालियन का पदार्पण: आधुनिक पैदल सेना की विशेषज्ञता का प्रदर्शन। S-400, राफेल और ब्रह्मोस का उल्लेख “आत्मनिर्भर भारत” के अंतर्गत “क्रेता” से “निर्माता” की ओर संक्रमण को दर्शाता है।

निष्कर्ष

गणतंत्र दिवस संवैधानिक लोकतंत्र की वार्षिक पुनर्पुष्टि का प्रतीक है। विशेषकर युवाओं को सहभागितापूर्ण शासन, नागरिक उत्तरदायित्व और विधि के शासन के महत्व के प्रति शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है?

- (a) 15 अगस्त; भारत की स्वतंत्रता (b) 26 जनवरी; संविधान लागू हुआ
(c) 2 अक्टूबर; गांधी जयंती (d) 26 नवंबर; संविधान अंगीकृत
(q) 222

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. संवैधानिक मूल्यों और भारत के लोकतांत्रिक शासन-आचार को सुदृढ़ करने में गणतंत्र दिवस के संवैधानिक महत्व की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

2026 राज्यसभा चुनाव

चर्चा में क्यों: 2026 के राज्यसभा चुनावों के माध्यम से उच्च सदन की 72 सीटों के लिए चुनाव निर्धारित हैं, जो राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संपन्न होंगे—यह संसद में संघीय संतुलन को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

राज्यसभा के बारे में

- राज्यसभा (राज्यों की परिषद) संसद का स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता।
- सदस्य क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त होते हैं, जिसमें लगभग एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
- इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं—233 राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित।
- चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल हस्तांतरणीय मत (STV) पद्धति से होते हैं, जिससे विधानसभाओं में दलों की शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

प्रमुख विश्लेषण

संघीय प्रतिनिधित्व

- राज्यसभा संघ स्तर पर राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों और विधानसभा की संरचना राष्ट्रीय विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करें।

भारत-यूरोपीय संघ रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी

चर्चा में क्यों: यूरोप और भारत एक सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी को अंतिम रूप देने जा रहे हैं, जिससे सैन्य-औद्योगिक सहयोग गहरा होगा और रक्षा उत्पादन तथा पारस्परिक संचालन क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी) में अधिक सामंजस्य के साथ मजबूत भू-राजनीतिक समन्वय का संकेत मिलता है।

मुख्य विवरण

- यह समझौता लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के साथ आगे बढ़ रहा है, जिस पर लगभग दो दशकों से वार्ता चल रही है, और यह व्यापक द्विपक्षीय संबंधों में उन्नयन का संकेत देता है।
- यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने घोषणा की कि दोनों पक्ष साझेदारी ढाँचे को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, जिसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग पर विशेष बल दिया जाएगा।
- भारत से विशिष्ट हथियारों और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में यूरोप की रुचि पारंपरिक रक्षा आपूर्ति व्यवस्था में एक रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाती है।

लेन-देन आधारित सहयोग से संरचित रक्षा संबंधों की ओर

ऐतिहासिक रूप से भारत-यूरोपीय संघ रक्षा सहयोग सीमित, असंगठित तथा मुख्यतः भारतीय सेवाओं और व्यक्तिगत यूरोपीय सरकारों (जैसे फ्रांस, जर्मनी) के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित था। नई साझेदारी एक अधिक संरचित, संस्थागत सहयोग प्रदान करती है, जो केवल अवसर-आधारित खरीद और अभ्यास तक सीमित नहीं है।

साझा सुरक्षा चिंताएँ

- दोनों पक्षों ने सामान्य खतरों से निपटने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है:
 - समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता
 - साइबर खतरों और साइबर सुरक्षा में सहयोग
 - सीमा-पार आतंकवाद और सूचना साझा करना
 - महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा

साझेदारी के प्रमुख पहलू

- रक्षा औद्योगिक सहयोग
 - संयुक्त उपकरणों, निवेश और प्रौद्योगिकी साझाकरण को सुगम बनाने के लिए भारत-यूरोपीय संघ रक्षा उद्योग मंच की स्थापना।
 - भारतीय रक्षा निर्माताओं को यूरोपीय संघ तक अधिक पहुँच तथा भारतीय कंपनियों को यूरोपीय प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुँच।
- संयुक्त अभियान एवं सूचना साझा करना
 - समुद्री क्षेत्र जागरूकता और आतंकवाद-रोधी जैसे क्षेत्रों में नौसेनाओं और रक्षा संरचनाओं के बीच विस्तारित सहयोग।
 - संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकी और आँकड़ों के सुरक्षित आदान-प्रदान को सुगम बनाने हेतु सूचना सुरक्षा समझौते पर वार्ता।

- प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान-विकास
 - विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष रक्षा और द्वैध-उपयोग क्षमताओं में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर सहयोग, जो भारत के उभरते औद्योगिक आधार और यूरोपीय संघ की प्रौद्योगिकीय क्षमता के अनुरूप है।
- बाज़ार तक पहुँच को सक्षम बनाना
 - भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ की रक्षा खरीद योजनाओं (जैसे यूरोपीय संघ के SAFE कोष और अन्य पहलें) में संभावित पहुँच।

भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

- **चीन के उदय के संदर्भ में रणनीतिक अभिसरण:** भारत और यूरोपीय संघ दोनों एक अधिक मुखर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक अनिश्चितता में कमी को अनुभव करते हैं। परिणामस्वरूप, दोनों शक्तियाँ पारंपरिक गठबंधनों से आगे बढ़कर समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ संबंध विविधीकरण कर रही हैं।
- **अन्य गठबंधनों के साथ पूरकता:** भारत पहले से ही अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान साझेदारों के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। यूरोपीय संघ की भागीदारी एक यूरोपीय रणनीतिक आयाम जोड़ती है, जो प्रत्यक्ष रूप से चीन-विरोधी न होकर नियम-आधारित व्यवस्था की ओर उन्मुख है।
- **आर्थिक और रक्षा औद्योगिक समन्वय:** भारत में रक्षा विनिर्माण तीव्र गति से बढ़ रहा है (उत्पादन और निर्यात में वृद्धि)। यह समझौता भू-राजनीतिक झटकों के बीच यूरोप को आपूर्ति शृंखलाओं के जोखिम को कम करने में सहायता कर सकता है तथा भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल को समर्थन प्रदान करता है।

रणनीतिक निहितार्थ

भारत के लिए	यूरोपीय संघ के लिए
रक्षा औद्योगिक निर्यात और वैश्विक बाज़ार तक पहुँच को सुदृढ़ करता है।	अमेरिका और नाटो ढाँचों से परे रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाता है।
भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकियों को यूरोपीय मानकों के साथ एकीकृत करता है।	भारत के पैमाने, लागत दक्षताओं और उभरते प्रौद्योगिकी आधार तक पहुँच प्रदान करता है।
भारत की हिंद-प्रशांत और उससे आगे सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थिति को मजबूत करता है।	हिंद-प्रशांत के रणनीतिक परिदृश्य में यूरोपीय प्रभाव को सुदृढ़ करता है।

आगे की राह

- यह साझेदारी एक रूपरेखा है, बाध्यकारी संधि नहीं — इसका वास्तविक प्रभाव अनुवर्ती तंत्रों और परियोजनाओं पर निर्भर करेगा।
- सफल क्रियान्वयन से संयुक्त उत्पादन पंक्तियाँ, सह-विकास कार्यक्रम तथा संचालन मानकों में गहरा सामंजस्य स्थापित हो सकता है।
- समय के साथ, यह अन्य उन्नत यूरोपीय संघ रक्षा साझेदारियों (जैसे जापान और दक्षिण कोरिया के साथ) के समान रूप ले सकती है तथा संभवतः हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय परियोजनाओं में विकसित हो सकती है।

भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी रणनीतिक सहयोग में एक नए अध्याय का संकेत देती है। यह केवल एक प्रतीकात्मक घोषणा नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्षमताओं को भू-राजनीतिक उद्देश्य के साथ जोड़ने का प्रयास है — जिससे संबंधों को व्यापार और संवाद से आगे बढ़ाकर ठोस रक्षा सहयोग तक ले जाया जा सके।

भारत के लिए, इसका अर्थ वैश्विक रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं में अधिक गहन एकीकरण है; जबकि यूरोपीय संघ के लिए, इसका अर्थ परिवर्तित होती सुरक्षा परिस्थितियों में नई रणनीतिक गहराई प्राप्त करना है।

प्रत्याशित मुक्त व्यापार समझौते के साथ मिलकर, यह रक्षा साझेदारी भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में गुणात्मक उन्नयन का संकेत देती है — जिसका 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति संतुलन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक संरक्षण पर ठोस प्रभाव पड़ेगा।

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए और रणनीतिक पुनर्संरक्षण

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए और 'टुवर्ड्स 2030: संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा' को अपनाया, जो ठहराव से रणनीतिक पुनर्संरक्षण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।

मुख्य विवरण

- द्विपक्षीय व्यापार 136 अरब डॉलर पर है, जिसमें यूरोपीय संघ का भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में लगभग 16% योगदान है।
- अनुमान है कि यह एफटीए आगामी वर्षों में अतिरिक्त 75 अरब डॉलर के निर्यात को बढ़ावा देगा।
- मूल्य के आधार पर 99% भारतीय निर्यातों को अधिमान्य पहुँच प्रदान की गई है।
- यह साझेदारी अब व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, जलवायु शासन और वैश्विक व्यवस्था निर्माण तक विस्तृत हो गई है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का विकास

- चरण I: मानक-आधारित सहभागिता (1990-2004):** शीत युद्ध के बाद लोकतंत्र, विकास सहयोग और व्यापार पर आधारित सहभागिता हुई। संबंधों को 2004 की रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया, जो साझा मूल्यों को दर्शाता था, परंतु भू-राजनीतिक गहराई सीमित थी।
- चरण II: संस्थागत आशावाद, सीमित अभिसरण (2005-2013):** 2005 की संयुक्त कार्य योजना और 2007 की बीटीआईए वार्ताओं ने संवाद की संरचना का विस्तार किया। हालांकि, यूरोक्षेत्र संकट और नियामकीय मतभेदों के कारण एफटीए टप हो गया, जिससे महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन के बीच अंतर स्पष्ट हुआ।
- चरण III: रणनीतिक विचलन (2014-2019):** व्यापार माला बढ़ने के बावजूद संबंध लेन-देन आधारित रहे। भारत ने अमेरिका और हिंद-प्रशांत की ओर झुकाव बढ़ाया, जबकि यूरोपीय संघ अपेक्षाकृत आंतरिक मुद्दों पर केंद्रित रहा।
- चरण IV: रणनीतिक पुनर्संतुलन (2020-2024):** कोविड-19, आपूर्ति शृंखला अवरोध और चीन की आक्रामकता ने लचीलापन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिसरण को बढ़ावा दिया। 2022 में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने संरचित सहयोग को नया बल दिया।
- चरण V: रणनीतिक सुदृढीकरण (2025-वर्तमान):** एफटीए, सुरक्षा एवं रक्षा

साझेदारी तथा गतिशीलता ढाँचे व्यापक सामंजस्य को दर्शाते हैं। यह संबंध अब केवल व्यापार से आगे बढ़कर बहुध्रुवीय, नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है।

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए के प्रमुख प्रावधान

- वस्तुओं में शुल्क उदारीकरण:** भारत को यूरोपीय संघ के बाजार में मूल्य के आधार पर 99% निर्यातों पर अधिमान्य पहुँच प्राप्त होगी। वस्त्र और चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए शून्य-शुल्क पहुँच से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। भारत 92.1% शुल्क पंक्तियों (जो 97.5% यूरोपीय संघ निर्यातों का प्रतिनिधित्व करती हैं) पर शुल्क घटाएगा। कारों पर शुल्क 100% से घटाकर 10% किया जाएगा, प्रतिवर्ष 2,50,000 वाहनों के कोटा के अंतर्गत, जिसमें विद्युत वाहन शामिल नहीं होंगे।
- संरक्षा उपाय एवं टीआरक्यू:** दुग्ध उत्पाद, अनाज, पोल्ट्री और सोयामील जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की गई है। शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) बाजार पहुँच और घरेलू उद्योग के हितों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।
- सेवाओं का उदारीकरण:** यूरोपीय संघ सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और शिक्षा सेवाओं सहित 144 सेवा उप-क्षेत्र खोलता है। भारत 102 उप-क्षेत्र खोलता है, जिससे प्रौद्योगिकी प्रवाह और नियामकीय सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।
- गतिशीलता एवं सामाजिक सुरक्षा:** यह ढाँचा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पेशेवरों, व्यावसायिक आगंतुकों (37 क्षेत्र) और स्वतंत्र पेशेवरों (17 क्षेत्र) को सम्मिलित करता है। सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर संवाद का उद्देश्य पेशेवरों के लिए दोहरे अंशदान को कम करना है।
- सीबीएएम एवं जलवायु परस्पर संबंध:** यूरोपीय संघ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) पर सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (एमएफएन) आश्वासन में लचीलापन प्रदान करता है। भारत छिपे हुए संरक्षणवाद को रोकने हेतु अपनी कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) के माध्यम से समन्वय चाहता है।

रणनीतिक अभिसरण के क्षेत्र

- रणनीतिक स्वायत्तता एवं बहुध्रुवीयता:** दोनों पक्ष अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच किसी गुट-राजनीति से बचना चाहते हैं। भारत और यूरोपीय संघ नियम-आधारित गठबंधनों, संप्रभुता और लचीले संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं।
- आपूर्ति शृंखला सुदृढता:** यूरोपीय संघ चीन पर निर्भरता में विविधीकरण चाहता है; भारत पैमाना और विनिर्माण क्षमता प्रदान करता है। 6,000 से अधिक यूरोपीय संघ की कंपनियाँ भारत में कार्यरत हैं, जो गहन एकीकरण का संकेत देती हैं।
- प्रौद्योगिकी शासन:** टीटीसी के अंतर्गत सहयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, क्वांटम और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को कवर करता है। दोनों मानव-केंद्रित, नियम-आधारित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करते हैं, जो अमेरिका के बाज़ार-आधारित या चीन के राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल से भिन्न हैं।
- सुरक्षा एवं हिंद-प्रशांत:** सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी समुद्री, साइबर और संकर खतरों में सहयोग का विस्तार करती है। आईपीओआई और आईओआरए में यूरोपीय संघ की भागीदारी हिंद-प्रशांत में उसकी संलग्नता को सुदृढ़ करती है।
- बहुपक्षीय शासन:** जी-20, डब्ल्यूटीओ सुधार, जलवायु वार्ताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन में समन्वय नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रमुख मतभेद के क्षेत्र

- सीबीएएम एवं हरित संरक्षणवाद:** भारत सीबीएएम को सीबीडीआर सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला एकतरफा हरित कर मानता है। भारतीय निर्यातकों को इस्पात, सीमेंट और एल्युमिनियम पर अतिरिक्त 20-35% लागत का सामना करना पड़ता है।

- **रूस-यूक्रेन संघर्ष:** यूरोपीय संघ प्रतिबंधों के साथ संरक्षण की मांग करता है; भारत रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है। भारत ने रूसी हाइड्रोकार्बन का 2.3 अरब डॉलर का आयात किया (दिसंबर 2025), जिससे तनाव उत्पन्न हुआ।
- **डेटा शासन (जीडीपीआर बनाम डीपीडीपी अधिनियम):** यूरोपीय संघ निगरानी अपवादों के कारण भारत को “डेटा पर्याप्तता” प्रदान करने में हिचकिचाता है, जो 2023 के डीपीडीपी अधिनियम के अंतर्गत है। भारतीय आईटी कंपनियाँ महंगी मानक संविदात्मक धाराओं (एससीसी) पर निर्भर रहती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है।
- **गतिशीलता असंतुलन:** यूरोपीय संघ अस्थायी परिपत्र प्रवासन को प्राथमिकता देता है; भारत व्यापक मोड-4 पहुँच चाहता है। प्रति वर्ष 35,000 सलातक परमिट भारत की कार्यबल आपूर्ति से कम है।
- **डब्ल्यूटीओ कृषि सब्सिडी विवाद:** यूरोपीय संघ भारत की एमएसपी को व्यापार-विकृतकारी बताता है, जबकि अपनी हरित बॉक्स सब्सिडी का समर्थन करता है। विवाद निपटान सुधार और विशेष एवं भिन्न उपचार प्रावधानों पर मतभेद बने हुए हैं।

विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार प्रमुख FTA लाभ

क्षेत्र	प्रमुख FTA लाभ
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्जियाँ और मांस के लिए वरीयतापूर्ण पहुँच; डेयरी जैसे संवेदनशील उत्पादों के लिए सुरक्षा प्रावधान
इंजीनियरिंग वस्तुएँ	इंजीनियरिंग निर्यात पर शुल्क में कटौती (लगभग 22% तक)
श्रम-प्रधान उद्योग	शुल्क का उन्मूलन
चमड़ा एवं जूता उद्योग	सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क पहुँच (पहले लगभग 17% तक शुल्क)
समुद्री उत्पाद	100% व्यापार मूल्य को कवर करते हुए शुल्क में लगभग 26% तक कमी
चिकित्सा उपकरण एवं यंत्र	99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच
रत्न एवं आभूषण	पूर्ण वरीयतापूर्ण पहुँच (पहले लगभग 4% तक शुल्क)
वस्त्र एवं परिधान	शून्य-शुल्क पहुँच (लगभग 12% तक के शुल्क समाप्त)
प्लास्टिक एवं रबर	यूरोपीय संघ के बड़े आयात बाजार तक वरीयतापूर्ण पहुँच
रसायन	निर्यात मूल्य के 97.5% पर शून्य शुल्क
खनिज एवं धातु	100% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क
फर्नीचर एवं गृह सज्जा	शुल्क में कमी (लगभग 10.5% तक)

एफटीए का रणनीतिक महत्व

- विश्व के सबसे बड़े एकल बाज़ार (~450 मिलियन उपभोक्ता) तक भारत की पहुँच सुनिश्चित करता है।
- यूरोपीय संघ को चीन पर निर्भरता से आपूर्ति शृंखलाओं में विविधीकरण करने में सहायता करता है।
- भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और ‘मेक इन इंडिया’ के अंतर्गत विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को सुदृढ़ करता है।
- खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था में दोनों को स्थिरकारी कारकों के रूप में स्थापित करता है।
- एफटीए केवल एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का एक भू-राजनीतिक साधन है।

आगे की राह

- **कार्बन बाज़ारों का सामंजस्य:** सीबीएएम से उत्पन्न तनाव से बचने हेतु भारत की सीसीटीएस को यूरोपीय संघ की ईयू ईटीएस के साथ संरेखित करना। पारस्परिक मान्यता व्यापार घर्षण के बिना जलवायु लक्ष्यों को सुनिश्चित कर सकती है।
- **डेटा संरक्षण अभिसरण:** जीडीपीआर-अनुपालक नियामकीय सैंडबॉक्स या डेटा एन्क्लेव स्थापित करना। संरचित संवाद पर्याप्तता के अंतर को पाट सकता है और आईटी निर्यात को बढ़ावा दे सकता है।
- **संतुलित गतिशीलता ढाँचा:** योग्यता की पारस्परिक मान्यता के साथ कुशल प्रवासन चैनलों का विस्तार। डिजिटल वीज़ा प्रक्रियाएँ और सामाजिक सुरक्षा समझौतों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी सह-सृजन का गहनकरण:** 6जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक और हरित हाइड्रोजन हेतु भारत-यूरोपीय संघ नवाचार केंद्रों को क्रियाशील बनाना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संयुक्त अनुसंधान-विकास और विनिर्माण पारितंत्र की ओर परिवर्तन।

- **समन्वित वैश्विक शासन:** डब्ल्यूटीओ सुधार, संयुक्त राष्ट्र सुधार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन मानकों के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना। ग्लोबल गेटवे और आईएमईसी के अंतर्गत अफ्रीका और हिंद-प्रशांत में लिपक्षीय सहयोग का विस्तार।

निष्कर्ष

भारत-यूरोपीय संघ संबंध अनियत सहभागिता से संरचित रणनीतिक अभिसरण की ओर परिवर्तित हुए हैं। एफटीए आर्थिक एकीकरण को उत्प्रेरित करता है, परंतु व्यापक साझेदारी सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु शासन तक विस्तृत है, जो वैश्विक नियम-निर्माण को प्रभावित करती है। संवाद और संस्थागत तंत्रों के माध्यम से मतभेदों का प्रबंधन यह निर्धारित करेगा कि क्या भारत और यूरोपीय संघ बढ़ती हुई खंडित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में स्थिरता के स्तंभ के रूप में उभरते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “भारत-यूरोपीय संघ एफटीए केवल एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का एक साधन है।” विवेचना कीजिए। (GS 2 एवं 3; 150 शब्द, 10 अंक)

भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी

चर्चा में क्यों: भारत के प्रधानमंत्री ने 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता से पूर्व भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और सहयोग को गहन बनाने हेतु ब्राज़ील के राष्ट्रपति के साथ एक रणनीतिक चर्चा की।

मुख्य विवरण

- भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी (2006) की पुनर्पुष्टि तथा नियमित उच्च-स्तरीय सहभागिता के प्रति प्रतिबद्धता।
- कृषि, ऊर्जा, रक्षा, औषधि तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) में द्विपक्षीय व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार पर ध्यान।
- संयुक्त राष्ट्र, जी-20, डब्ल्यूटीओ और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों में अभिसरण, जिसमें वैश्विक शासन सुधारों के लिए समर्थन शामिल है।
- ब्राज़ील ने 2026 में अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं के समर्थन की अभिव्यक्ति की।

भारत-ब्राज़ील संबंधों की ऐतिहासिक आधारशिला

- **रणनीतिक साझेदारी (2006):** भारत और ब्राज़ील ने 2006 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया, जिससे राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग का संस्थानीकरण हुआ।
- **आईबीएसए संवाद मंच (2003):** दक्षिण अफ्रीका के साथ दोनों देश आईबीएसए के सदस्य हैं, जो वैश्विक दक्षिण की प्रमुख लोकांतिक शक्तियों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **साझा लोकांतिक मूल्य:** दोनों बड़े, बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र हैं जो विधि के शासन, बहुपक्षवाद और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
- **पूरक अर्थव्यवस्थाएँ:** ब्राज़ील संसाधन-समृद्ध है और कृषि में मजबूत है, जबकि भारत की ताकत सेवाओं, औषधि उद्योग और डिजिटल प्रौद्योगिकी में है।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

- **लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार:** ब्राज़ील इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 15-16 अरब डॉलर से अधिक हो गया है।
- **कृषि एवं कृषि-प्रौद्योगिकी:** सहयोग में तिलहन, दालें, एथेनॉल मिश्रण और कृषि यंत्रीकरण शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय कृषि में ब्राज़ील की विशेषज्ञता भारत की आवश्यकताओं का पूरक है।
- **ऊर्जा एवं जैव-ईंधन:** दोनों स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करते हैं, विशेषकर एथेनॉल और नवीकरणीय ऊर्जा में, जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **औषधि एवं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** भारत सस्ती दवाओं का निर्यात करता है, जबकि यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना प्रणालियों में सहयोग डिजिटल शासन मॉडलों को सुदृढ़ कर सकता है।



रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग

- **रक्षा विनिर्माण:** एयरोस्पेस, नौसैनिक प्रणालियों और 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत संयुक्त उत्पादन में सहयोग की संभावनाएँ।
- **समुद्री सहयोग:** दोनों राष्ट्र हिंद महासागर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा में साझा हित रखते हैं।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** इसरो और ब्राज़ीलियाई अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग वैज्ञानिक सहभागिता को उजागर करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** दोनों देश स्वतंत्र विदेश नीतियों का अनुसरण करते हैं, बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देते हैं और गुट-राजनीति से बचते हैं।

बहुपक्षीय अभिसरण

- **संयुक्त राष्ट्र एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार:** दोनों जी-4 समूह (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान) का हिस्सा हैं, जो स्थायी यूएनएससी सदस्यता सुधार की वकालत करते हैं।
- **जी-20 समन्वय:** प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में दोनों जलवायु वित्त, ऋण राहत और समावेशी विकास के मुद्दों को बढ़ावा देते हैं।
- **डब्ल्यूटीओ एवं व्यापार न्याय:** कृषि सब्सिडी और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के संबंध में साझा चिंताएँ समन्वय को सुदृढ़ करती हैं।
- **वैश्विक दक्षिण की पैरवी:** दोनों देश विकास सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व पर बल देते हैं।

ब्रिक्स और भारत की 2026 की अध्यक्षता

- **विकास वित्त:** सतत परियोजनाओं के लिए नई विकास बैंक (एनडीबी) की वित्तपोषण क्षमता को सुदृढ़ करना।
- **जलवायु एवं स्थिरता:** जलवायु न्याय, हरित ऊर्जा संक्रमण और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना।
- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार:** डिजिटल शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग का विस्तार।
- **ब्राज़ील का समर्थन:** ब्राज़ील का समर्थन 2026 में भारत की ब्रिक्स प्राथमिकताओं में उसकी नेतृत्व भूमिका को सुदृढ़ करता है।

जन-से-जन एवं सांस्कृतिक संबंध

- **शैक्षिक आदान-प्रदान:** शैक्षणिक साझेदारियाँ और छात्रवृत्तियाँ दीर्घकालिक सहभागिता को सुदृढ़ करती हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** खेल, कला और प्रवासी समुदायों में साझा रुचियाँ पारस्परिक समझ को बढ़ावा देती हैं।
- **विज्ञान एवं कौशल विकास:** कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में संयुक्त अनुसंधान सहयोग का विस्तार करता है।
- **सॉफ्ट पावर समन्वय:** बॉलीवुड, योग और ब्राज़ीलियाई सांस्कृतिक निर्यात सांस्कृतिक परिचय को बढ़ाते हैं।

चुनौतियाँ

- **भौगोलिक दूरी:** लंबी समुद्री मार्गों से परिवहन लागत बढ़ती है और व्यापार दक्षता घटती है।
- **कम व्यावसायिक जागरूकता:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच सीमित जानकारी बाजार संभावनाओं को सीमित करती है।
- **व्यापार संरक्षणवाद:** नियामकीय बाधाएँ और कृषि एवं औद्योगिक निर्यातों से संबंधित शुल्क चिंताएँ।

- क्रियान्वयन अंतराल: समझौतों में प्रायः नौकरशाही और नियामकीय बाधाओं के कारण विलंब होता है।

आगे की राह

- **क्षेत्र-विशिष्ट कार्य समूहों का क्रियान्वयन:** कृषि, रक्षा, ऊर्जा और डीपीआई जैसे क्षेत्रों में संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ कर मापनीय परिणाम सुनिश्चित करना।
- **संपर्कता में सुधार:** परिवहन लागत कम करने हेतु प्रत्यक्ष नौवहन मार्गों और वायु माल परिवहन नेटवर्क का विस्तार।
- **एमएसएमई एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन:** जागरूकता और साझेदारी बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिखर सम्मेलन और व्यापार मेलों का आयोजन।
- **ब्रिक्स एवं आईबीएसए मंचों का उपयोग:** राजनीतिक अभिसरण को विकास वित्त, जलवायु और प्रौद्योगिकी में ठोस पहलों में परिवर्तित करना।
- **डिजिटल एवं हरित सहयोग का विस्तार:** जैव-ईंधन, हरित हाइड्रोजन और डिजिटल भुगतान में संयुक्त परियोजनाएँ रणनीतिक संरक्षण को गहरा कर सकती हैं।

निष्कर्ष

भारत-ब्राज़ील संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिसारी रणनीतिक हितों और वैश्विक दक्षिण के सशक्तिकरण की समान प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार, जलवायु कार्रवाई, डिजिटल शासन और संस्थागत सुधार में सहयोग का विस्तार करने की क्षमता है। विशेषकर ब्रिक्स और आईबीएसए के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को सुदृढ़ करेगा और अधिक समावेशी, बहुध्रुवीय और न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के निर्माण में योगदान देगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत और ब्राज़ील, वैश्विक दक्षिण की अग्रणी लोकतांत्रिक शक्तियों के रूप में, अभिसारी राजनीतिक, आर्थिक और बहुपक्षीय हितों पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। भारत-ब्राज़ील संबंधों के प्रमुख आयामों पर चर्चा कीजिए और 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में उनके महत्व का विश्लेषण कीजिए। (GS 2; 250 शब्द, 15 अंक)

भारत-अरब रणनीतिक अभिसरण को गहरा करना

चर्चा में क्यों: भारत ने 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसका समापन रणनीतिक, आर्थिक और बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ हुआ।

मुख्य विवरण

- इस बैठक में भारत और अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों की भागीदारी रही।
- भारत और अरब देशों के बीच व्यापार 240 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसमें ऊर्जा और प्रवासी समुदाय के मजबूत संबंध हैं।
- घोषणा में संप्रभुता, आतंकवाद-रोधी, यूएनएससी सुधार, फिलिस्तीन मुद्दा और समुद्री सुरक्षा पर बल दिया गया।
- 2026-28 के लिए एक नई कार्यकारी कार्य-योजना अपनाई गई, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का संस्थानीकरण किया जा सके।

भारत-अरब संबंधों का संस्थागत ढाँचा

- **अरब लीग की पृष्ठभूमि (रणनीतिक):** 1945 में काहिरा में स्थापित, अरब लीग के पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में 22 सदस्य देश हैं। भारत को 2002 से पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और वह संस्थागत संवाद में भाग लेता है।
- **अरब-भारत सहयोग मंच (एआईसीएफ):** 2008 के सहयोग ज्ञापन के माध्यम से स्थापित और 2013 में संशोधित, ताकि सहभागिता को सुव्यवस्थित किया जा सके। यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रमुख संरचित तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- **मंलिस्त्रीय तंत्र:** भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समन्वय के लिए सर्वोच्च संस्थागत मंच है।
- **कार्यकारी कार्यक्रम 2026-28:** ऊर्जा, पर्यटन, अंतरिक्ष, रक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप, कृषि संवाद, पर्यटन समूह और आतंकवाद-रोधी कार्य समूहों को शामिल करता है।

आर्थिक और ऊर्जा परस्पर निर्भरता

- **व्यापार माला:** भारत-अरब व्यापार सामूहिक रूप से 240 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिससे यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपना लगभग 47% कच्चा तेल और 50% उर्वरक अरब लीग देशों से आयात करता है, जो रणनीतिक संवेदनशीलता और निर्भरता को दर्शाता है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश:** नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में बढ़ते अरब निवेश, विशेषकर यूएई और सऊदी अरब से।
- **नवीकरणीय और हरित सहयोग:** हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और भारत की पहल जैसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) तथा वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन में सहयोग।

समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक भूगोल

- **महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग:** भारत के अधिकांश बाह्य व्यापार का आवागमन स्वेज नहर, लाल सागर, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य, अदन की खाड़ी और अरब सागर से होता है।
- **हौथी हमलों की निंदा:** घोषणा में समुद्री नौवहन पर हमलों की स्पष्ट निंदा की गई और सुरक्षित समुद्री मार्गों का आह्वान किया गया।
- **स्ट्रीम पहल:** अरब पक्ष की स्वेज नहर-लाल सागर आर्थिक क्षेत्र और समुद्री विकास पहल में रुचि, जिसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- **भारतीय समुद्री संबंध:** भारत की खाड़ी और लाल सागर के साथ ऐतिहासिक संलग्नता उसकी 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टि के अनुरूप है।

संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता – मूल कूटनीतिक सिद्धांत

- **संप्रभुता का समर्थन:** घोषणा ने सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान की पुनर्पुष्टि की।
- **भारत के मूल हितों के साथ संरक्षण:** भारत निरंतर अलगाववाद और बाहरी समर्थित मिलिशिया का विरोध करता है, जो उसकी अपनी क्षेत्रीय अखंडता संबंधी चिंताओं को दर्शाता है।
- **लेबनान और हथियार नीति:** राज्य-नियंत्रित सशस्त्र संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन राज्य-केंद्रित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पुष्ट करता है।
- **तीन द्वीप मुद्दा (यूएई-ईरान):** किसी पक्ष का समर्थन किए बिना अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन संतुलित कूटनीति को दर्शाता है।

फिलिस्तीन प्रश्न और पश्चिम एशिया शांति

- **द्वि-राष्ट्र समाधान:** 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन राज्य की व्यवहार्य स्थापना के प्रति संप्रभु प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि।
- **गाज़ा युद्धविराम का समर्थन:** 2025 के शर्म अल-शेख शांति शिखर सम्मेलन का स्वागत किया गया और सतत मानवीय सहायता की अपील की गई।
- **अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि:** संयुक्त राष्ट्र के अधिदेशों के अनुरूप राहत एजेंसियों के निरंतर संचालन पर बल।
- **संतुलित दृष्टिकोण:** भारत ने इज़राइल, फिलिस्तीन, अरब देशों और अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखे, जो रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है।

आतंकवाद-रोधी और उभरते खतरे

- **शून्य सहिष्णुता नीति:** सभी रूपों में आतंकवाद, विशेषकर सीमा-पार आतंकवाद, के विरुद्ध प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि।
- **उभरते प्रौद्योगिकी खतरे:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और डिजिटल मंचों के दुरुपयोग से आतंकवादी भर्ती और वित्तपोषण को लेकर चिंता।
- **यूएनएससी 1267 तंत्र:** वैश्विक रूप से प्रतिबंधित आतंकवादियों और वित्तपोषण नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई की प्रतिबद्धता।
- **पहलगाय हमले की निंदा:** अरब देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की।

बहुपक्षवाद और वैश्विक दक्षिण नेतृत्व

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार:** स्थायी और अस्थायी सदस्यता के विस्तार का आह्वान, ताकि समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके।
- **वैश्विक दक्षिण की आवाज़:** अरब मंत्रियों ने वैश्विक दक्षिण में भारत के नेतृत्व की सराहना की।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** समानता, संप्रभुता और वैश्विक शासन सुधार में साझेदारी पर बल।
- **शांतिरक्षा योगदान:** भारत और अरब देश संयुक्त राष्ट्र अभियानों में महत्वपूर्ण सैनिक योगदानकर्ता हैं।

प्रवासी एवं जन-से-जन संबंध

- **भारतीय प्रवासी:** 90 लाख से अधिक भारतीय अरब देशों में निवास करते हैं, जो आर्थिक और सांस्कृतिक सेतु का कार्य करते हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** शिक्षा, मीडिया, युवा आदान-प्रदान और सांस्कृतिक उत्सवों में सहयोग।
- **महिला-नेतृत्व विकास:** महिला सशक्तिकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की प्रतिबद्धता।
- **अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी सहयोग:** उपग्रह और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में सहयोग विस्तार हेतु प्रस्तावित भारत-अरब अंतरिक्ष कार्य समूह।

आगे की राह

- **ऊर्जा से परे विविधीकरण:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और हरित हाइड्रोजन में सहयोग का विस्तार।
- **समुद्री सुरक्षा संवाद का संस्थानीकरण:** लाल सागर स्थिरता हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और खुफिया साझाकरण।
- **बहुपक्षीय समन्वय को सुदृढ़ करना:** यूएनएससी सुधार और वैश्विक दक्षिण मंचों पर समन्वय।
- **क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताओं का संतुलन:** सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इज़राइल और अमेरिकी हितों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना।
- **आपूर्ति शृंखला और खाद्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा:** उर्वरक, कृषि प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक गलियारों में सहयोग।

निष्कर्ष

दिल्ली घोषणा भारत के एक स्थिति-स्थिरता प्रदाता के रूप में उभरने को दर्शाती है, जो पश्चिम एशिया में संप्रभुता, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक परस्पर निर्भरता और बहुपक्षीय सुधारों को संतुलित करता है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय समूहों के बीच संतुलन साधते हुए और संस्थागत सहयोग का विस्तार करते हुए, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना अरब विश्व में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अरब लीग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. स्थापना 1945 में हुई।
2. मुख्यालय रियाद में है।
3. भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(C) : 2025

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: दिल्ली घोषणा (2026) का पश्चिम एशिया के साथ भारत की सहभागिता के लिए रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। (GS 2; 150 शब्द, 10 अंक)

बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका

चर्चा में क्यों: सिंगापुर के राजनेता जॉर्ज योंग-बून यो ने बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में भारत की विशिष्ट स्थिति को रेखांकित किया, और ऐसी संतुलित विदेश नीति की वकालत की जो भारत को कठोर संरेखणों के बिना सभी वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाती है।

एकध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर परिवर्तन

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से वैश्विक शक्ति संरचना अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्व से हटकर बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रही है, जिसमें अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, रूस और जापान जैसे अनेक प्रभावशाली केंद्र उभर रहे हैं।

इस परिवर्तन को निम्न कारकों ने उत्प्रेरित किया है:

- अमेरिका की वैश्विक प्रतिबद्धताओं में तुलनात्मक संकुचन।
- चीन और अन्य उभरती शक्तियों का उदय।
- नई अंतरराष्ट्रीय चुनौतियाँ (जैसे, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति शृंखला, जलवायु परिवर्तन)।

भारत की रणनीतिक स्थिति

- **रणनीतिक स्वायत्तता एवं बहु-संरेखण**
 - भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता में निहित है, जो किसी विशेष गुट में शामिल हुए बिना सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संलग्न रहती है। यह एक बहु-संरेखण रणनीति के रूप में विकसित हुई है: पश्चिम के साथ संबंधों

को गहरा करते हुए रूस के साथ संबंध बनाए रखना और चीन के साथ व्यवहारिक रूप से संवाद करना।

- भारत विचारधारा या गुट-निष्ठा के बजाय हित-आधारित सहभागिता को बढ़ावा देता है।
- यह महान शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में उलझाव से बचते हुए सहयोग को अधिकतम करने का प्रयास करता है।
- **आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्व**
 - भारत प्रमुख तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और शताब्दी के मध्य तक शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अनुमान है।
 - इसकी आर्थिक वृद्धि वैश्विक प्रभाव और सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करती है, जिससे नई दिल्ली आर्थिक शासन चर्चाओं को आकार देने में सक्षम होती है।

• **संस्थागत एवं विषयगत नेतृत्व**

- भारत वैश्विक शासन में सक्रिय रूप से भागीदारी करता है, जैसे:

जी-20, ब्रिक्स/ब्रिक्स प्लस, क्वाड, एससीओ और अन्य मंच।

- संयुक्त राष्ट्र सुधारों की वकालत, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक प्रतिनिधित्व शामिल है।
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसी पहलें, जो वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं से मेल खाती हैं।

• **महाशक्तियों के बीच संतुलन**

- भारत पश्चिमी लोकतंत्रों (जैसे क्वाड साझेदारों) के साथ सुरक्षा सहयोग को गहरा करता है, बिना औपचारिक सैन्य गठबंधन में शामिल हुए।
- यह रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध बनाए रखता है और चीन के साथ तनाव के बावजूद संवाद के मार्ग खुले रखता है।



महत्व

भारत के लिए

- व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु, सुरक्षा और शासन जैसे वैश्विक मुद्दों पर बहस को आकार देने की क्षमता।
- रणनीतिक स्वायत्तता कूटनीतिक लचीलेपन को सुदृढ़ करती है, जिससे मुद्दा-आधारित सहयोग संभव होता है।
- भारत की वैश्विक छवि एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में मजबूत होती है, न कि आश्रित राज्य के रूप में।

क्षेत्र और विश्व के लिए

- अधिक संतुलित शक्ति संरचना वर्चस्ववादी प्रभुत्व के जोखिम को कम करती है।
- अनेक साझेदारों के साथ भारत की सहभागिता क्षेत्रीय स्थिरता और सामूहिक समस्या-समाधान में योगदान दे सकती है।

चुनौतियाँ

- महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के बीच स्वायत्तता बनाए रखना — विशेषकर चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के संदर्भ में।

- कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप रक्षा और आर्थिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
- दक्षिण एशिया के आंतरिक विवादों और बाहरी दबावों सहित जटिल क्षेत्रीय गतिशीलताओं का प्रबंधन।

निष्कर्ष

बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है। उसकी बहु-संरक्षण रणनीति, आर्थिक उन्नति और कूटनीतिक सक्रियता उसे केवल एक सहभागी नहीं, बल्कि उभरती वैश्विक व्यवस्था का संभावित निर्माता बनाती है। विश्लेषकों के अनुसार, भारत के पास कठोर संरक्षणों से बचते हुए वैश्विक स्तर पर विशिष्ट योगदान देने का अवसर है, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता सुदृढ़ होती है और एक संतुलित एवं सहयोगात्मक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को बल मिलता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “भारत, बहुध्रुवीय विश्व में, रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरक्षण के माध्यम से स्वयं एक ध्रुव बन सकता है।” भारत की विदेश नीति के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

भारत-यूएई एलएनजी समझौता

चर्चा में क्यों: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक प्रमुख 3 अरब डॉलर के एलएनजी आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए और रक्षा एवं आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों राष्ट्रों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिससे रक्षा सहयोग के साथ ऊर्जा सहयोग का विस्तार होगा।

मुख्य विशेषताएँ

- **एलएनजी समझौता:**
 - यूएई भारत को एलएनजी की आपूर्ति करेगा, जिससे देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
 - यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण का समर्थन करता है।
- **द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य:**
 - दोनों राष्ट्र 2032 तक व्यापार को 200 अरब डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं।
 - प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और रक्षा शामिल हैं।
- **रक्षा सहयोग:**
 - आर्थिक और ऊर्जा संबंधों के साथ रक्षा सहयोग का विस्तार किया जाएगा।

एलएनजी समझौते का विवरण

- 2025 में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने एडीएनओसी गैस के साथ दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति समझौते (14-वर्षीय अनुबंध, मूल्य 7-9 अरब डॉलर) पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत 2026 से प्रति वर्ष 1.2 मिलियन टन तक की आपूर्ति होगी।
- ये संयुक्त समझौते बढ़ती ऊर्जा साझेदारी को दर्शाते हैं, जिसमें यूएई भारत की दीर्घकालिक गैस आवश्यकताओं के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

- **ऊर्जा विविधीकरण:** सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करता है और भारत की सौदेबाजी स्थिति को सुदृढ़ करता है।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** पश्चिम एशिया में गहराते भारत-खाड़ी संबंध क्षेत्रीय गठबंधनों और वैश्विक ऊर्जा पुनर्संरचना को प्रतिबिंबित करते हैं।
- **आर्थिक वृद्धि:** भारत की औद्योगिक और घरेलू ऊर्जा मांग को समर्थन देता है, साथ ही द्विपक्षीय आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को सुदृढ़ करता है।

रणनीतिक महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:**
 - यह समझौता वैश्विक गैस बाजारों में अस्थिरता के बीच भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है और एलएनजी आपूर्ति के विविधीकरण को सुनिश्चित करता है।
 - भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाना है, जिससे विश्वसनीय दीर्घकालिक अनुबंध अत्यंत रणनीतिक बन जाते हैं।
- **प्रमुख एलएनजी भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका:**
 - इस समझौते के साथ भारत यूएई का सबसे बड़ा एलएनजी ग्राहक बन गया है, और भारतीय समझौते एडीएनओसी गैस के पिछले दो वर्षों के अनुबंधों का 20 अरब डॉलर से अधिक हिस्सा है।

आगे की राह

- 2028 तक एलएनजी आपूर्ति (0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष) की अपेक्षा है, जिसके लिए अवसंरचना और लॉजिस्टिक योजना आवश्यक होगी।
- 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में 15% प्राकृतिक गैस के लक्ष्य का समर्थन करता है और घरेलू तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का पूरक है।
- एलएनजी अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा और डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में संयुक्त उपक्रमों के अवसर खोलता है।
- बढ़ते भारत-यूएई व्यापार और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करता है, जिसमें प्रौद्योगिकी, रक्षा और निवेश साझेदारियाँ शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत-यूएई एलएनजी समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है और भू-राजनीतिक संबंधों को गहरा करता है। यह दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग, सतत विकास और आर्थिक वृद्धि की आधारशिला रखता है, जिससे यह भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “भारत-यूएई एलएनजी समझौते को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारियों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।” इस समझौते के महत्व की भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, यूएई के साथ द्विपक्षीय संबंधों और इसके व्यापक भू-राजनीतिक प्रभावों के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

यूरोपीय संघ-अमेरिका और ग्रीनलैंड सुरक्षा

चर्चा में क्यों: यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड की स्थिति और व्यापार संबंधों पर की गई टिप्पणियों ने यूरोपीय देशों को चिंतित कर दिया है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने खुले तौर पर अंतर-अटलांटिक सहयोग में गिरावट को स्वीकार किया है, जो नाटो साझेदारों के बीच उभरते भू-राजनीतिक तनाव को रेखांकित करता है।

ग्रीनलैंड यूरोपीय संघ-अमेरिका सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

- **रणनीतिक स्थिति:** ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में भौगोलिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है तथा बर्फ के पिघलने के साथ उभरते नौवहन मार्गों की निगरानी करता है। इसकी स्थिति मिसाइल पहचान, उपग्रह कवरेज और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सहायता करती है, विशेषकर 1951 के डेनमार्क-अमेरिका रक्षा समझौते के अंतर्गत स्थित अमेरिकी पिटफिक अंतरिक्ष अड्डे के माध्यम से।
- **महाशक्ति प्रतिस्पर्धा:** रूस और चीन सैन्य गतिविधियों या वाणिज्यिक निवेशों के माध्यम से आर्कटिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, जिससे यूरोपीय संघ और अमेरिका के लिए रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता तीव्र हो रही है।
- **यूरोपीय संघ के आर्थिक हित:** यूरोपीय संघ का ग्रीनलैंड के साथ खनिज संसाधनों (महत्वपूर्ण खनिज), नवीकरणीय ऊर्जा, अनुसंधान और आर्थिक विकास में दीर्घकालिक संबंध रहा है, जो हालिया भू-राजनीतिक तनावों से पूर्व स्थापित सहयोग ढाँचों के अंतर्गत है।

अंतर-अटलांटिक तनाव और सुरक्षा सहयोग

- **अमेरिकी कार्रवाइयाँ और यूरोपीय प्रतिक्रिया**
 - 2026 की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड तक “पूर्ण और स्थायी पहुँच” प्राप्त करनी चाहिए, जिससे यूरोपीय देशों में चिंता उत्पन्न हुई।
 - यूरोपीय नेताओं को आशंका है कि ऐसी पहलें नाटो की एकता को कमजोर कर सकती हैं और गठबंधन के सिद्धांतों को प्रभावित कर सकती हैं।
- **यूरोपीय संघ और नाटो की रणनीति**
 - यूरोपीय संघ क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु रक्षा और अवसंरचना निवेश सहित एक आर्कटिक सुरक्षा पैकेज तैयार कर रहा है।
 - डेनमार्क और नाटो ने आर्कटिक में सुरक्षा संलग्नता को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे रक्षा प्रतिरोध क्षमता बढ़े और तनाव में कमी आए।
- **सैन्य और रक्षा आयाम**
 - **नाटो संतुलन:** नाटो सहयोगी आर्कटिक रक्षा तैयारी को सुदृढ़ करने और रूस को रोकने के लिए संयुक्त अभ्यास जैसे ऑपरेशन आर्कटिक एंड्यूरेंस का संचालन कर रहे हैं।
 - **क्षमता अंतराल:** रणनीतिक इरादों के बावजूद, आर्कटिक सैन्य तैयारी में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, और अमेरिका ने क्षेत्र के अनुकूल उपकरणों (जैसे बर्फ-सक्षम पोत और विशेष निगरानी प्रणालियाँ) में कमी को स्वीकार किया है।

व्यापक भू-राजनीतिक निहितार्थ

- **अंतर-अटलांटिक संबंध:** ग्रीनलैंड मुद्दा व्यापक अंतर-अटलांटिक तनावों को दर्शाता है, जिनमें विदेश नीति प्राथमिकताएँ, मानदंड और रक्षा स्वायत्तता शामिल हैं। कुछ विश्लेषकों का मत है कि वर्तमान अमेरिकी नीतियाँ नाटो की एकजुटता को कमजोर कर रही हैं और यूरोपीय संघ को अधिक रक्षा स्वतंत्रता की ओर प्रेरित कर रही हैं।
- **आर्कटिक सुरक्षा संरचना:** आर्कटिक केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और जलवायु संबंधी दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्र है, जिसके लिए नाटो सहयोगियों, स्वदेशी समुदायों और क्षेत्रीय राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है।



आगे की राह

- आर्कटिक सुरक्षा पर नाटो और यूरोपीय संघ के समन्वय को सुदृढ़ करना।
- आर्कटिक-विशिष्ट रक्षा क्षमताओं और संयुक्त अभ्यासों में निवेश।
- सभी रणनीतिक और आर्थिक निर्णयों में ग्रीनलैंड की संप्रभुता का सम्मान।
- आर्कटिक परिषद और यूरोपीय संघ साझेदारियों के माध्यम से बहुपक्षीय शासन को बढ़ावा देना।
- अंतर-अटलांटिक गठबंधनों का समर्थन करते हुए यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता का निर्माण।

निष्कर्ष

ग्रीनलैंड का रणनीतिक आर्कटिक स्थान इसे यूरोपीय संघ-अमेरिका सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है, परंतु हालिया तनाव सावधानीपूर्ण कूटनीति की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संतुलित अंतर-अटलांटिक सहयोग, ग्रीनलैंड की संप्रभुता का सम्मान और बढ़ती आर्कटिक प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध तैयारी आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: उभरती आर्कटिक भू-राजनीति के संदर्भ में ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। यूरोपीय संघ-अमेरिका संबंध इस क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक हितों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता

चर्चा में क्यों: भारत ने आधिकारिक रूप से 2026 के लिए अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता प्रारंभ की, और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए “बिल्डिंग फॉर रेज़िलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी” विषय के साथ लोगो और ब्रांडिंग का शुभारंभ किया। यह विषय अध्यक्षता के दौरान भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को समाहित करता है, जिसमें आर्थिक लचीलापन, प्रौद्योगिकी नवाचार, सहयोगात्मक साझेदारियाँ और सतत विकास पर बल दिया गया है।

ब्रिक्स का अवलोकन

ब्रिक्स पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका — का एक संघ है। 2009 में ब्रिक के रूप में स्थापित (दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा), यह समूह निम्न का प्रतिनिधित्व करता है:

- विश्व की लगभग 40% जनसंख्या
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 25%
- वैश्विक व्यापार का लगभग 18%

भारत की अध्यक्षता का महत्व

2026 में ब्रिक्स में भारत का नेतृत्व प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है:

- **वैश्विक नेतृत्व की भूमिका:** भारत को आर्थिक पुनरुद्धार, प्रौद्योगिकी नवाचार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा को आकार देने का अवसर मिलेगा, जिससे वह एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकेगा।

- **आर्थिक कूटनीति:** भारत वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार, व्यापार और निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने तथा ब्रिक्स सदस्यों के बीच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रयास कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार पर बल:** शिखर सम्मेलन के विषय में नवाचार और लचीलापन शामिल कर भारत डिजिटल परिवर्तन, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित प्रौद्योगिकी सहयोग को ब्रिक्स देशों के बीच प्राथमिकता देना चाहता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** भारत वैश्विक दक्षिण के साथ साझेदारी को सुदृढ़ कर सकता है, विशेषकर नई विकास बैंक (एनडीबी) जैसे विकास वित्त तंत्रों के माध्यम से, जो सदस्य देशों में अवसरचना और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करता है।
- **बहुध्रुवीय विश्व में रणनीतिक स्थिति:** अध्यक्षता भारत को विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु के रूप में स्थापित करने तथा अधिक न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए वकालत करने का अवसर प्रदान करती है।

यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक नीति, विकास वित्तपोषण, राजनीतिक सहयोग और वैश्विक शासन सुधार के समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच वार्षिक रूप से घूमती रहती है।

भारत की 2026 ब्रिक्स कार्यसूची के प्रमुख क्षेत्र

केंद्रित क्षेत्र	संभावित पहलें
लचीलापन	महामारी के बाद आर्थिक पुनरुद्धार, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुदृढ़ता
नवाचार	डिजिटल अवसरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक सहयोग, प्रौद्योगिकी-प्रेरित विकास
सहयोग	व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करना, जन-से-जन आदान-प्रदान, वैश्विक मुद्दों पर समन्वित नीति
स्थिरता	जलवायु वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ, हरित प्रौद्योगिकी साझेदारियाँ

लोगो और ब्रांडिंग का प्रतीकवाद

यद्यपि लोगो के विशिष्ट विवरण जारी किए गए हैं, इसे एकता, प्रगति और स्थिरता का संकेत देने हेतु भारत की सांस्कृतिक पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसी ब्रांडिंग सॉफ्ट पावर कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वैश्विक मंच पर नेतृत्व की दृष्टि की छवि निर्मित होती है।

वैश्विक राजनीति के लिए निहितार्थ

- **भारत की भू-राजनीतिक आवाज़ को सुदृढ़ करना:** ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को संयुक्त राष्ट्र सुधार, वित्तीय सुधार और वैश्विक शासन संरचनाओं जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है।
- **वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन:** प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव के साथ, भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स संवाद और वार्ता के मंच के रूप में कार्य कर सकता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा:** भारत अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स का उपयोग कर सकता है।

चुनौतियाँ

- **विविध सदस्यता:** चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे सदस्यों की भिन्न प्राथमिकताओं का संतुलन बनाना कूटनीतिक रूप से जटिल हो सकता है।

- **भू-राजनीतिक तनाव:** रूस-यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा ब्रिक्स की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है।
- **ठोस परिणाम प्रदान करना:** शिखर सम्मेलन के महत्वाकांक्षी विषयों को विशेषकर स्थिरता और नवाचार के क्षेत्रों में क्रियान्वित परियोजनाओं में परिवर्तित करना आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षण है, जो उसकी बढ़ती वैश्विक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर बल देकर भारत एक बहुध्रुवीय, न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखता है। सफल अध्यक्षता भारत की आर्थिक कूटनीति, भू-राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ कर सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान “नवाचार” पर भारत का बल निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक संबंधित है?

- परमाणु ऊर्जा सहयोग
- डिजिटल अवसरचना, फिनटेक और उभरती प्रौद्योगिकियाँ
- समुद्री सुरक्षा
- अंतरिक्ष सैन्यीकरण

(9) : 2024

भारत और पैक्स सिलिका

चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित रूप से भारत को “पैक्स सिलिका” में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित एक प्रस्तावित रणनीतिक प्रौद्योगिकी और आपूर्ति-श्रृंखला पहल है। यह कदम अमेरिका-भारत तकनीकी कूटनीति के सुदृढ़ होने का संकेत देता है और वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा के बीच दोनों देशों के बीच गहन प्रौद्योगिकी साझेदारी को रेखांकित करता है।

पैक्स सिलिका क्या है?

पैक्स सिलिका (अर्थात “सिलिकॉन के माध्यम से शांति”) एक वैचारिक ढाँचा है जिसे अमेरिका आगे बढ़ा रहा है, जिसका उद्देश्य है:

- महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना
- चीन-केंद्रित अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता कम करना
- उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों का गठबंधन बनाना

इसकी प्रेरणा के स्रोत

- पैक्स अमेरिकाना (अमेरिका-नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था)
- चिप 4 गठबंधन (अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान)
- प्रौद्योगिकी-केंद्रित बहुपक्षीय व्यवस्थाएँ

पैक्स सिलिका के मुख्य उद्देश्य

- लचीली अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला: चिप निर्माण, डिज़ाइन और पैकेजिंग में विविधीकरण।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकी शासन: एआई सुरक्षा, नैतिकता और मानकों पर साझा मानदंड।
- रणनीतिक विमुक्ति: प्रतिकूल प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भरता में क्रमिक कमी।
- प्रौद्योगिकी-रणनीतिक संरक्षण: निर्यात नियंत्रण, निवेश जाँच और अनुसंधान एवं विकास सहयोग का समन्वय।

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- महत्वपूर्ण खनिज वे तत्व हैं जो आधुनिक आवश्यक प्रौद्योगिकियों के निर्माण खंड हैं और आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों के जोखिम में रहते हैं।
- इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में उनके उत्खनन या प्रसंस्करण का संकेंद्रण संभावित रूप से “आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान” का कारण बन सकता है।



महत्वपूर्ण खनिजों की सूची

- विभिन्न देशों की अपनी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों की अलग-अलग सूचियाँ होती हैं।
- भारत के लिए 30 खनिजों को अत्यंत महत्वपूर्ण पाया गया है: एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफ्नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनाडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम।

पैक्स सिलिका के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है

भारत का समावेशन एक प्रौद्योगिकी और विनिर्माण केंद्र के रूप में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है:

भारत की रणनीतिक बढ़त

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॉफ्टवेयर और चिप डिज़ाइन में विशाल प्रतिभा भंडार
- भारत अर्धचालक मिशन के अंतर्गत विस्तृत होता अर्धचालक पारिस्थितिक तंत्र
- सुदृढ़ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (आधार, यूपीआई, ओएनडीसी)
- विश्वसनीय, संधि-रहित लोकतांत्रिक भागीदार के रूप में भू-राजनीतिक विश्वसनीयता

बाजार से रणनीतिक भागीदार तक

यह आमंत्रण भारत के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में परिवर्तन को दर्शाता है:

- केवल प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से → प्रौद्योगिकी सह-विकासकर्ता तक
- गुटनिरपेक्ष अभिकर्ता से → रणनीतिक प्रौद्योगिकी संतुलनकर्ता तक

पैक्स सिलिका का अमेरिका-भारत प्रौद्योगिकी सहभागिता में स्थान

मौजूदा ढाँचा	प्रासंगिकता
आईसीईटी (महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल)	कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग की आधारशिला
क्वाड	विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और आपूर्ति-श्रृंखला सुदृढ़ता
अमेरिकी निर्यात नियंत्रण शिथिलीकरण	भारत के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुँच
सेमीकंडक्टर समझौता ज्ञापन	संयुक्त विनिर्माण इकाइयाँ, पैकेजिंग और डिज़ाइन सहयोग

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

अवसर

- प्रौद्योगिकी संप्रभुता: एकल-देश आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता में कमी
- विनिर्माण विस्तार: वैश्विक अर्धचालक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रवेश
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेतृत्व: वैश्विक एआई मानदंडों और मानकों पर प्रभाव
- भू-राजनीतिक प्रभाव: वैश्विक प्रौद्योगिकी व्यवस्था को आकार देने में उन्नत भूमिका

चुनौतियाँ

- रणनीतिक स्वायत्तता संबंधी चिंताएँ: निरोधक संरचना का हिस्सा समझे जाने का जोखिम

- **घरेलू क्षमता अंतराल:** पूंजी-गहन अर्धचालक विनिर्माण की चुनौतियाँ
- **चीन के साथ संतुलन:** आर्थिक संबंध बनाम रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

आगे की राह

- औपचारिक गठबंधन प्रतिबद्धताओं के बिना चयनात्मक और रणनीतिक सहभागिता
- केवल बाजार पहुँच नहीं, बल्कि सह-विकास और सह-विनिर्माण पर ध्यान
- मानव पूंजी, अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण इकाइयों में निवेश
- वैश्विक प्रौद्योगिकी मानदंडों को आकार देते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना

निष्कर्ष

पैक्स सिलिका में शामिल होने का अमेरिकी आमंत्रण भारत के उभरते वैश्विक प्रौद्योगिकी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उदय को रेखांकित करता है। यह पारंपरिक प्रौद्योगिकी संबंधों से रणनीतिक प्रौद्योगिकी संरक्षण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। भारत के लिए, पैक्स सिलिका अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है, जिसके लिए विखंडित डिजिटल विश्व की भू-राजनीति को सावधानीपूर्वक संतुलित करना आवश्यक होगा।

शक्सगम घाटी विवाद

चर्चा में क्यों: भारत ने सीपीईसी के अंतर्गत शक्सगम घाटी में चीन की अवसंरचना गतिविधियों को अवैध बताते हुए अस्वीकार किया है और पुनः पुष्टि की है कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है।

मुख्य विवरण

- शक्सगम घाटी (ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट) को 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था, जिसे भारत अवैध मानता है।
- भारत ने इस क्षेत्र में सीपीईसी से जुड़ी अवसंरचना विकास गतिविधियों के विरुद्ध कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
- वर्तमान में चीन इस घाटी का प्रशासन शिनजियांग उद्गार स्वायत्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में करता है।
- सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चिन और काराकोरम दर्रे के निकट होने के कारण यह क्षेत्र अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है।

भौगोलिक एवं रणनीतिक स्थिति

- **उच्च ऊँचाई वाला ट्रांस-काराकोरम क्षेत्र:** शक्सगम घाटी काराकोरम पर्वतश्रेणी के उत्तर में, काराकोरम और कुनलुन पर्वतों के बीच स्थित है। यह लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला विरल जनसंख्या वाला, हिमाच्छादित भूभाग है।
- **सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्र:** यह दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (हुंजा-गिलगित) तथा पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर से सटा हुआ है, जिससे इसका भू-राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है।
- **नदी तंत्र:** शक्सगम नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है और आगे चलकर यारकंद नदी में मिलती है, जो अंततः शिनजियांग के तारिम बेसिन में प्रवाहित होती है।
- **रणनीतिक दर्रे के निकटता:** काराकोरम दर्रे के समीप होने से व्यापक लद्दाख-अक्साई चिन क्षेत्र में इसकी सैन्य और निगरानी संबंधी महत्ता बढ़ जाती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विधिक आयाम

- **पूर्व 1947 जम्मू-कश्मीर राज्य का भाग:** 1947 से पहले यह क्षेत्र जम्मू-

कश्मीर की रियासत का वैध हिस्सा था, जिसे विलय पत्र (1947) के अंतर्गत भारत में सम्मिलित किया गया।

- **पाकिस्तान का कब्जा (1947-48):** प्रथम भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिनमें शक्सगम से जुड़े क्षेत्र भी शामिल थे।
- **1963 चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता:** 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने सीमा विवाद सुलझाने के नाम पर शक्सगम घाटी चीन को सौंप दी। हालांकि, समझौते में प्रावधान था कि कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान के बाद इसे पुनः वार्ता के लिए खोला जाएगा।
- **भारत की विधिक आपत्तियाँ:** भारत इस समझौते को अवैध और अमान्य मानता है, यह तर्क देते हुए कि पाकिस्तान को भारत के क्षेत्र को हस्तांतरित करने का कोई संप्रभु अधिकार नहीं था।

चीन-पाकिस्तान रणनीतिक अभिसरण

- **काराकोरम राजमार्ग की आधारशिला:** 1963 के समझौते ने 1970 के दशक में काराकोरम राजमार्ग के निर्माण को सुगम बनाया, जिससे चीन-पाकिस्तान संपर्क सुदृढ़ हुआ।
- **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी):** यह बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना है, जो ग्वाटर बंदरगाह (पाकिस्तान) को काशगर (शिनजियांग) से जोड़ती है, और चीन को मलक्का जलडमरूमध्य से बचते हुए वैकल्पिक ऊर्जा और व्यापार मार्ग प्रदान करती है।
- **अवसंरचना का सैन्यीकरण संबंधी चिंताएँ:** शक्सगम में सड़क निर्माण, द्वैध-उपयोग अवसंरचना और सैन्य क्षमताएँ चीन की उत्तरी सीमाओं पर त्वरित सैन्य तैनाती की क्षमता को बढ़ा सकती हैं।
- **पाकिस्तान के लिए रणनीतिक गहराई:** यह व्यवस्था पाकिस्तान की उत्तरी रक्षा संरचना को सुदृढ़ करती है और चीन-पाकिस्तान रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करती है।

भारत के लिए सुरक्षा निहितार्थ

- **सियाचिन ग्लेशियर पर प्रभाव:** विश्व के सर्वाधिक ऊँचे युद्धक्षेत्र सियाचिन की निकटता भारत को सामरिक लाभ प्रदान करती है।
- **द्वि-मोर्चा चुनौती:** बढ़ता चीन-पाकिस्तान समन्वय भारत के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में द्वि-मोर्चा सुरक्षा परिदृश्य का जोखिम बढ़ाता है।
- **अक्साई चिन से जुड़ाव:** शक्सगम की स्थिति अक्साई चिन पर चीन के नियंत्रण को पूरक बनाती है, जिससे विवादित क्षेत्रों में उसकी रणनीतिक निरंतरता सुदृढ़ होती है।
- **संप्रभुता का उल्लंघन:** भारत इस क्षेत्र में अवसंरचना विकास को यथास्थिति बदलने के प्रयास के रूप में देखता है।

कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय विधिक परिप्रेक्ष्य

- **अस्वीकार की नीति:** भारत 1963 के समझौते को मान्यता नहीं देता और क्षेत्र में परियोजनाओं के विरुद्ध निरंतर कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता है।
- **क्षेत्रीय अखंडता का सिद्धांत:** अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत, विवादित क्षेत्र का हस्तांतरण किसी गैर-संप्रभु प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता, जो भारत की विधिक स्थिति को सुदृढ़ करता है।
- **हिंद-प्रशांत संदर्भ में भू-राजनीतिक महत्व:** यह विवाद व्यापक भारत-चीन तनावों से जुड़ा है, विशेषकर गलवान (2020) और जारी एलएसी गतिरोध के बाद।
- **रणनीतिक संकेत:** भारत की कड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया जमीनी वास्तविकताओं में एकतरफा परिवर्तन को स्वीकार न करने के उसके संकल्प को दर्शाती है।

निष्कर्ष

शक्सगम घाटी विवाद क्षेत्रीय संप्रभुता, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्रीय संपर्क के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। भारत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें शामिल हो:

- चीन और पाकिस्तान के साथ सतत कूटनीतिक संवाद
- सीमा अवसंरचना और सैन्य तैयारी को सुदृढ़ करना
- अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर क्षेत्रीय दावों को प्रस्तुत करना
- हिंद-प्रशांत ढाँचे के अंतर्गत क्षेत्रीय साझेदारियों को सुदृढ़ करना

संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा हेतु प्रतिरोध, कूटनीति और विकास की संतुलित रणनीति आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: शक्सगम घाटी को पाकिस्तान ने किस समझौते के अंतर्गत चीन को सौंपा था?

- (a) शिमला समझौता (b) 1963 का चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता
(c) ताशकंद समझौता (d) पंचशील समझौता

(9) :255

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विवादित क्षेत्रों में सीपीईसी के अंतर्गत अवसंरचना विकास भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसकी समीक्षा कीजिए।
(150 शब्द, 10 अंक)

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल



'द हिंदू' का एडिटोरियल एनालिसिस

क्यू आर कोड स्कैन करें



GDP से NDP तक

चर्चा में क्यों: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.4% वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (System of National Accounts – SNA) 2025 के अंतर्गत 2029-30 से शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) की ओर स्थानांतरण की योजना बना रहा है।

मुख्य विवरण

- वास्तविक GDP वृद्धि (वित्त वर्ष 2025-26): 7.4%, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 6.5% से अधिक है।
- भारत 2025 में 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नाममात्र GDP के साथ जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
- भारत की प्रति व्यक्ति GDP (2024) अभी भी 2,694 अमेरिकी डॉलर है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं से काफी कम है।
- SNA 2025 के अंतर्गत NDP की ओर परिवर्तन का उद्देश्य मूल्यहास (depreciation) तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षय को घटाकर सततता-उन्मुख मापन करना है।

भारत में राष्ट्रीय आय मापन का ऐतिहासिक विकास

औपनिवेशिक काल : प्रारंभिक अनुमान

- भारत की राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान दादाभाई नौरोजी (1867) ने अपने “धन बहिर्गमन सिद्धांत” के विश्लेषण में प्रस्तुत किया था।
- बाद में 1930-40 के दशक में वी.के.आर.वी. राव तथा अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुमानों ने स्वतंत्रता के बाद की योजना प्रक्रिया के लिए आधार तैयार किया।

स्वतंत्रता के बाद की नियोजन अवधि

- 1950 के बाद GDP के अनुमान पाँच वर्षीय योजनाओं के लिए केंद्रीय आधार बन गए, जो हैरोड-डोमर वृद्धि मॉडल द्वारा निर्देशित थे।
- 1950-1980 के दौरान GDP वृद्धि लगभग 3.5% रही, जिसे “हिंदू वृद्धि दर” कहा गया, जो संरचनात्मक अवरोधों को दर्शाती थी।



1991 के बाद के सुधार

- उदारीकरण के बाद ध्यान राज्य-नेतृत्व वाली वृद्धि से हटकर बाजार-नेतृत्व वाली वृद्धि पर स्थानांतरित हुआ।
- 2003-08 की अवधि में GDP वृद्धि 6-8% प्रतिवर्ष तक तेज हो गई।
- सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर GDP के 50% से अधिक हो गया।

पद्धतिगत सुधार (2015 के बाद)

- आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 किया गया।
- कारक लागत पर GDP से बाजार मूल्यों पर GDP की ओर परिवर्तन किया गया।
- विनिर्माण, कृषि और वित्तीय सेवाओं में कवरेज का विस्तार किया गया।

स्थिर मूल्यों पर वार्षिक GDP और GVA के अनुमान तथा वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) वृद्धि दर।



सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को समझना

- **परिभाषा:** GDP किसी निश्चित अवधि के दौरान देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है।
- **प्रकार**
 - **नाममात्र GDP:** वर्तमान मूल्यों पर मापा जाता है; मुद्रास्फीति से प्रभावित होता है।
 - **वास्तविक GDP:** GDP डिफ्लेटर का उपयोग करके समायोजित; वास्तविक उत्पादन वृद्धि को दर्शाता है।
- **महत्त्व**
 - अर्थव्यवस्था के आकार और वृद्धि का संकेतक।
 - राजकोषीय घाटा, कर-GDP अनुपात और ऋण-GDP अनुपात की गणना का आधार।
 - अंतरराष्ट्रीय तुलना (IMF, विश्व बैंक रैंकिंग) के लिए उपयोग किया जाता है।
- **भारत की वर्तमान स्थिति (2025)**
 - नाममात्र GDP: 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर।
 - वास्तविक GDP वृद्धि (वित्त वर्ष 2025-26): 7.4%।
 - सेवा क्षेत्र लगभग 55% GDP में योगदान देता है, कृषि ~15%, उद्योग ~30%।

क्षेत्रीय एवं मांग-पक्षीय विश्लेषण: वित्त वर्ष 2025-26

- **क्षेत्रीय वृद्धि**
 - **सेवाएँ:** वित्तीय और रियल एस्टेट सेवाओं में 9.9% वृद्धि।

- व्यापार एवं परिवहन: 7.5% वृद्धि।
- विनिर्माण एवं निर्माण: 7.0%।
- कृषि: 3.1%।
- उपयोगिताएँ: 2.1%।

यह सेवा-नेतृत्व वाली पुनर्प्राप्ति को दर्शाता है जिसमें कृषि का विस्तार मध्यम है।

- मांग-पक्ष प्रेरक
 - निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE): 7.0% वृद्धि, जो घरेलू मांग की मजबूती को दर्शाता है।
 - सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF): 7.8% वृद्धि, जो निवेश में वृद्धि का संकेत देता है।
- समष्टि आर्थिक संदर्भ
 - 2026 में वैश्विक वृद्धि 2.7% रहने का अनुमान (UN WESP 2026)।
 - वैश्विक व्यापार दबावों के कारण 2026 में भारत की वृद्धि 6.6% तक मध्यम होने की संभावना।

कल्याण माप के रूप में GDP की सीमाएँ

- मूल्यहास की अनदेखी
 - GDP पूंजी उपभोग (मशीनरी का घिसाव, अवसंरचना का क्षरण) को नहीं घटाता। इससे पुनर्निवेश के लिए उपलब्ध शुद्ध आय का अधिक आकलन हो जाता है।
- पर्यावरणीय क्षरण
 - कोयला, तेल और खनिजों का निष्कर्षण GDP को बढ़ाता है, लेकिन यह प्राकृतिक पूंजी को समाप्त करता है। भारत गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है (विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं), फिर भी शमन (mitigation) की लागत GDP में जुड़ जाती है।
- असमानता के प्रति अंधता
 - भारत के शीर्ष 10% परिवारों के पास 70% से अधिक संपत्ति है (विभिन्न असमानता आकलनों के अनुसार)। GDP वृद्धि वितरणात्मक न्याय को नहीं दर्शाती।
- अनौपचारिक क्षेत्र का कम आकलन
 - भारत की लगभग 80–85% कार्यशक्ति अनौपचारिक है।
 - GDP अनौपचारिक उत्पादन को सही रूप से मापने में कठिनाई अनुभव करता है।
- रक्षात्मक व्यय का समावेशन
 - आपदा राहत, प्रदूषण नियंत्रण और दुर्घटनाओं पर होने वाला व्यय, उपचारात्मक लागत होने के बावजूद GDP को बढ़ाता है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP): अवधारणा और प्रासंगिकता

- परिभाषा
 - $NDP = GDP - \text{पूंजीगत परिसंपत्तियों का मूल्यहास}$
 - SNA 2025 के अंतर्गत
 - $NDP = GDP - (\text{मूल्यहास} + \text{प्राकृतिक संसाधनों का क्षय})$
- यह परिवर्तन क्यों?
 - वास्तविक शुद्ध आय सृजन को दर्शाता है।
 - यह संकेत देता है कि वृद्धि संपत्ति निर्माण कर रही है या संपत्ति उपभोग।
 - SDGs और जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

- नीतिगत लाभ
 - सतत राजकोषीय नियोजन को बढ़ावा देता है।
 - पर्यावरणीय लेखांकन को एकीकृत करता है।
 - अंतरपीढ़ी समानता को मजबूत करता है।

SNA 2025: आर्थिक मापन में वैश्विक सुधार

- मुख्य नवाचार
 - प्राकृतिक पूंजी लेखांकन का परिचय।
 - वितरणात्मक लेखे (आय और संपत्ति असमानता का अनुगमन)।
 - विस्तारित खातों में अवैतनिक देखभाल कार्य की मान्यता।
- संस्थागत प्रभाव
 - RBI का उत्पादन गैर-बाजार गतिविधि के रूप में वर्गीकृत।
 - नियामकीय भुगतान को अंतरण के रूप में माना गया।
 - सततता-समायोजित वृद्धि पर जोर।
- वैश्विक महत्व
 - GDP के प्रभुत्व से आगे बढ़ना।
 - हरित वृद्धि और जलवायु-सहिष्णु विकास को समर्थन।

तुलनात्मक दृष्टिकोण: GDP बनाम NDP

पक्ष	GDP	NDP
पूंजी मूल्यहास	नहीं घटाया जाता	घटाया जाता है
प्राकृतिक संसाधन क्षय	अनदेखा	घटाया जाता है (SNA 2025)
सततता	सीमित	अधिक प्रासंगिक
कल्याण का प्रतिबिंब	अपूर्ण	अधिक यथार्थवादी

निष्कर्ष

भारत का GDP से NDP की ओर नियोजित परिवर्तन मात्रा-आधारित वृद्धि से सततता-उन्मुख वृद्धि की ओर एक प्रतिमान परिवर्तन को दर्शाता है। जबकि GDP व्यापक आर्थिक स्थिरता और वैश्विक तुलना के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है, NDP दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता और पारिस्थितिक संतुलन को बेहतर रूप से दर्शाता है।

भारत को चाहिए कि:

- हरित लेखांकन प्रणालियों को सुदृढ़ करे,
- अनौपचारिक क्षेत्र के आँकड़ों में सुधार करे,
- राजकोषीय नीति को सततता लक्ष्यों के साथ संरेखित करे,
- नीतिनिर्माण में वितरणात्मक संकेतकों को एकीकृत करे।

21वीं सदी में आर्थिक सफलता को केवल उत्पादन के विस्तार से नहीं, बल्कि पूंजी—भौतिक, मानवीय और प्राकृतिक—के संरक्षण से भी मापा जाना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: SNA 2025 के अंतर्गत शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन्हीं घटाया जाता है?

1. स्थिर पूंजी का मूल्यहास
2. प्राकृतिक संसाधनों का क्षय
3. अप्रत्यक्ष कर

नीचे दिये कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

(q) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में आर्थिक कल्याण के संकेतक के रूप में GDP की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) इन सीमाओं को किस प्रकार संबोधित करता है? (150 शब्द, 10 अंक)

नई CPI श्रृंखला 2024: भारत के मुद्रास्फीति मापन ढाँचे का पुनःसमायोजन

चर्चा में क्यों: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2023-24 को आधार वर्ष मानकर भारत की संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) श्रृंखला जारी की है, जिसमें खाद्य और पेय पदार्थों का भार कम किया गया है तथा मुद्रास्फीति टोकरी में आवास के हिस्से को बढ़ाया गया है।

मुख्य विवरण

- खाद्य और पेय पदार्थों का भार 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है, जिससे शीर्षक मुद्रास्फीति में खाद्य का प्रभुत्व कम होगा।
- आवास का भार 10.07% से बढ़ाकर 17.66% किया गया है, जो बढ़ते किराए और उपयोगिता व्यय को दर्शाता है।
- CPI टोकरी को 299 से बढ़ाकर 358 वस्तुओं तक विस्तारित किया गया है, जिसमें डिजिटल सेवाएँ और ऑनलाइन बाज़ार भी शामिल हैं।
- संशोधित श्रृंखला गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 पर आधारित है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- खुदरा मुद्रास्फीति का प्रमुख माप: CPI घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के अंतर्गत उपयोग किया जाने वाला आधिकारिक मुद्रास्फीति संकेतक है।
- आधार वर्ष संशोधन की प्रथा: पूर्व CPI आधार वर्ष (2011-12) संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों जैसे शहरीकरण और बढ़ती आय के कारण पुराना हो गया था। समय-समय पर आधार वर्ष का संशोधन मुद्रास्फीति आँकड़ों को वर्तमान उपभोग पैटर्न के अनुरूप बनाता है।
- कानूनी और नीतिगत प्रासंगिकता: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अंतर्गत सरकार RBI से परामर्श करके मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। CPI 4% ±2% मुद्रास्फीति लक्ष्य का आधार है।
- कल्याण का संकेतक: CPI वास्तविक मजदूरी, पेंशन, महँगाई भत्ता (DA) और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है, जिससे यह राजकोषीय और सामाजिक नीति निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है।

उच्च खाद्य भार चिंता का कारण क्यों था

- खाद्य-प्रधान मुद्रास्फीति संकेत: पहले CPI का लगभग 46% भाग खाद्य से संबंधित था, जिससे सब्जी, अनाज या दाल की कीमतों में उतार-चढ़ाव शीर्षक मुद्रास्फीति को अत्यधिक प्रभावित करते थे।
- आपूर्ति संकटों के कारण अस्थिरता: खाद्य कीमतें मानसून, वैश्विक वस्तु मूल्यों और आपूर्ति व्यवधानों से प्रभावित होती हैं। ऐसे आपूर्ति-आधारित संकटों पर RBI का नियंत्रण सीमित होता है।
- हालिया आँकड़ा विकृति का उदाहरण: जून 2025 से खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक रही (अक्टूबर 2025 में -5.02%), जिससे व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद शीर्षक CPI 0.25% के रिकॉर्ड निम्न स्तर तक पहुँच गया।
- एंगेल का नियम (Engel's Law) की पुष्टि: HCES 2023-24 के अनुसार खाद्य व्यय का हिस्सा घटा है—
 - ग्रामीण: 52.9% → 47.04%
 - शहरी: 42.62% → 39.68%
- इससे CPI में खाद्य भार को कम करना उचित सिद्ध हुआ।

नई CPI श्रृंखला की प्रमुख विशेषताएँ (2024 आधार वर्ष)

- खाद्य भार में कमी (36.75%): इससे शीर्षक मुद्रास्फीति में अस्थिरता कम होती है और CPI अंतर्निहित मांग परिस्थितियों को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है।
- आवास भारण में वृद्धि (17.66%): अब इसमें किराया, जल, बिजली, गैस और उपयोगिताएँ शामिल हैं, जो शहरी उपभोग और सेवाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं।
- विस्तारित वस्तु टोकरी (358 वस्तुएँ): इसमें OTT सदस्यताएँ, दूरसंचार योजनाएँ, ऑनलाइन हवाई किराए और ई-कॉमर्स मूल्य शामिल हैं, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं।
- व्यापक बाज़ार कवरेज: इसमें 1,465 ग्रामीण और 1,395 शहरी बाज़ार, साथ ही 12 ऑनलाइन बाज़ार शामिल हैं, जिससे प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता बढ़ती है।

आवास मुद्रास्फीति: उभरता हुआ प्रेरक

- किराये के हिस्से में वृद्धि: HCES के आँकड़े दर्शाते हैं कि किराये पर होने वाला व्यय बढ़ रहा है—
 - ग्रामीण: 0.45% → 0.56%
 - शहरी: 6.24% → 6.58%
- पद्धतिगत सुधार: नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवास को बाहर करना तथा किराये के बेहतर नमूना-संग्रह से मापी गई आवास मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है।
- संरचनात्मक नगरीकरण प्रवृत्ति: तीव्र शहरी प्रवासन और बढ़ती रियल एस्टेट मांग आवास को मुद्रास्फीति का एक प्रमुख घटक बना रही है।
- शीर्षक CPI पर प्रभाव: जबकि खाद्य अस्थिरता कम होती है, आवास के अधिक भार के कारण किराये में वृद्धि के समय CPI संरचनात्मक रूप से बढ़ सकता है।

भारत में कृषि सब्सिडी

चर्चा में क्यों: केंद्रीय बजट 2026 चक्र के दौरान हाल की बहसों तथा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के अवलोकनों ने यह उजागर किया है कि भारत का सब्सिडी मॉडल राजकोषीय रूप से भारी और पर्यावरणीय रूप से अस्थिर है, जिससे इसके युक्तिकरण की मांग उठी है।

मुख्य विवरण

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी का संयुक्त व्यय लगभग ₹3.71 लाख करोड़ अनुमानित है, जो कुल व्यय का लगभग 8.5% है।
- केवल खाद्य सब्सिडी लगभग ₹2.03 लाख करोड़ है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लगभग 81.3 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है।
- उर्वरक सब्सिडी आवंटन लगभग ₹1.67 लाख करोड़ है, जो इसे दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी मद बनाता है।
- खाद्य और उर्वरक सब्सिडियों को एक विस्तारित PM-Kisan DBT ढाँचे में विलय करने पर चर्चा चल रही है।

कृषि सब्सिडी: अवधारणा और संवैधानिक आधार

- **परिभाषा और उद्देश्य:** कृषि सब्सिडी वे वित्तीय हस्तांतरण हैं जो सरकार द्वारा इनपुट लागत (उर्वरक, बिजली, सिंचाई) कम करने या MSP के माध्यम से लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इनका उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **खाद्य सुरक्षा दायित्व:** अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य पर पोषण स्तर में सुधार करने का दायित्व है। रियायती खाद्यान्न वितरण इस दायित्व का एक प्रमुख माध्यम है।
- **आय समर्थन तंत्र:** PM-Kisan जैसी योजनाएँ, जो 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 हस्तांतरित करती हैं, मूल्य समर्थन से प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण की ओर बदलाव को दर्शाती हैं।
- **मूल्य स्थिरीकरण की भूमिका:** MSP आधारित खरीद से चावल और गेहूँ का बफर स्टॉक सुनिश्चित होता है और किसानों को मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा मिलती है।

कृषि सब्सिडियों के रुझान और राजकोषीय आयाम

- **बढ़ता राजकोषीय बोझ:** वित्त वर्ष 2025-26 में ₹3.71 लाख करोड़ का कुल व्यय केंद्रीय बजट का लगभग 10% है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए राजकोषीय स्थान सीमित हो जाता है।
- **MSP का विस्तार:** पिछले दशक में MSP खरीद भुगतान तीन गुना हो गया है और जून 2025 तक लगभग ₹3.33 लाख करोड़ तक पहुँच गया है।
- **आयात निर्भरता:** भारत पोटाश का लगभग 90% और फॉस्फेट का 60% आयात करता है, जिससे वैश्विक मूल्य अस्थिरता के कारण उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ता है।
- **बजटीय असंतुलन:** उर्वरक सब्सिडी आवंटन (~₹1.67 लाख करोड़) पूरे कृषि मंत्रालय के बजट (~₹1.37 लाख करोड़) से अधिक है, जो व्यय प्राथमिकताओं में असंतुलन को दर्शाता है।

भारतीय कृषि में सब्सिडियों का महत्व

- **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना:** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 81.3 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाता है, जिससे संवेदनशील वर्गों को खाद्य मुद्रास्फीति से सुरक्षा मिलती है।

- **वैश्विक संकटों से सुरक्षा:** 2025 में DAP के लिए ₹3,500 प्रति टन का विशेष पैकेज बढ़ती वैश्विक फॉस्फोरिक अम्ल कीमतों के बीच उर्वरक कीमतों को स्थिर रखने में सहायक रहा।
- **फसल विविधीकरण प्रयास:** मिशन ऑन पल्सेस के अंतर्गत तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद का लक्ष्य 2027 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के अंतर्गत ड्रोन और कृषि मशीनरी पर 40-50% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे श्रम-निर्भरता कम होती है।
- **जलवायु अनुकूलन:** PM-KUSUM के अंतर्गत 2026 तक 49 लाख सौर पंप लगाए गए हैं, जिससे डीजल उपयोग कम होता है और सततता बढ़ती है।

पर्यावरणीय और संरचनात्मक चिंताएँ

- **पोषक तत्व अनुपात में असंतुलन:** अत्यधिक यूरिया सब्सिडी आदर्श N:P:K अनुपात (4:2:1) को विकृत कर देती है, जिससे मृदा क्षरण और उत्पादकता में कमी होती है।
- **भूजल प्रदूषण:** पंजाब और हरियाणा में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा विषाक्तता और भूजल प्रदूषण बढ़ा है।
- **फसल पैटर्न विकृति:** MSP का चावल और गेहूँ पर अधिक ध्यान एकल फसल प्रणाली को प्रोत्साहित करता है और तिलहन तथा दलहन की खेती को हतोत्साहित करता है।
- **लीकेज और दुरुपयोग:** नीम-लेपित यूरिया के बावजूद अनुमान है कि 20-25% सब्सिडी वाला यूरिया उद्योगों की ओर मोड़ दिया जाता है।

WTO और वैश्विक व्यापार के निहितार्थ

- **एम्बर बॉक्स सीमाएँ:** WTO नियमों के अनुसार व्यापार-विकृत सब्सिडियाँ 10% 'डी-मिनिमिस' सीमा के भीतर रहनी चाहिए, जिससे नीतिगत दबाव उत्पन्न होता है।
- **बार-बार विवाद:** चावल और गेहूँ की अत्यधिक खरीद अक्सर WTO वार्ताओं में विकसित देशों की जाँच-पड़ताल को आकर्षित करती है।
- **वैश्विक तुलनात्मक मॉडल:** चीन जैसे देश "ग्रीन बॉक्स" उपायों (जैसे अनुसंधान एवं विकास और अवसंरचना) में अधिक निवेश करते हैं, जो WTO के अनुरूप हैं।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव:** सब्सिडी-प्रेरित मूल्य विकृतियाँ भारत की विविधीकृत कृषि निर्यातों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती हैं।

किए गए सुधारात्मक पहल

- **PM-PRANAM योजना:** राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें सब्सिडी बचत का 50% साझा किया जाता है।
- **PACS का डिजिटलीकरण:** 80,000 PACS को कंप्यूटरीकृत करने के लिए ₹2,925 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और बेहतर ऋण वितरण सुनिश्चित होता है।
- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS):** विशिष्ट उर्वरकों के बजाय पोषक तत्वों पर सब्सिडी देकर संतुलित उर्वरीकरण को प्रोत्साहित करता है।
- **DBT एकीकरण:** PM-Kisan के अंतर्गत ₹3.7 लाख करोड़ से अधिक राशि सीधे किसानों को हस्तांतरित की गई है, जिससे लीकेज कम हुआ है।

निष्कर्ष

भारत की कृषि सब्सिडी व्यवस्था को मूल्य-विकृत करने वाली इनपुट सब्सिडियों से हटकर लक्षित आय समर्थन और उत्पादकता-वर्धक निवेशों की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। खाद्य और उर्वरक सब्सिडियों को एक सुदृढ़ DBT ढाँचे में विलय करना, NBS के अंतर्गत यूरिया मूल्य निर्धारण का युक्तिकरण, तथा “ग्रीन बॉक्स” निवेशों (जैसे अनुसंधान एवं विकास, सिंचाई, भंडारण और मूल्य श्रृंखला) पर ध्यान केंद्रित करना राजकोषीय सततता को सुधार सकता है। सुधारों का उद्देश्य पर्यावरणीय सततता, WTO अनुपालन, समान वितरण और दीर्घकालिक कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता होना चाहिए। एक युक्तिसंगत और प्रौद्योगिकी-आधारित सब्सिडी संरचना कृषि को “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण के अनुरूप एक लचीले विकास इंजन में परिवर्तित कर सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: WTO की शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन-से व्यापार-विकृत “एम्बर बॉक्स” सब्सिडियों के अंतर्गत आते हैं?

1. MSP आधारित मूल्य समर्थन
2. उर्वरक सब्सिडी
3. सिंचाई अवसंरचना में निवेश
4. कृषि अनुसंधान के लिए वित्तपोषण

नीचे दिये गये कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

(e) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: WTO दायित्वों और सतत कृषि के संदर्भ में भारत की कृषि-सब्सिडी संरचना द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि स्थिति

चर्चा में क्यों: भारत के आठ प्रमुख आधारभूत अवसंरचना उद्योगों ने दिसंबर 2025 में 3.7% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो चार महीनों का उच्चतम स्तर है और औद्योगिक गति में सुधार का संकेत देती है।

मुख्य विवरण

- आठ कोर उद्योगों का सूचकांक (ICI) दिसंबर 2025 में 3.7% बढ़ा, जो नवंबर में 2.1% था।
- सीमेंट (13.5%) और इस्पात (6.9%) वृद्धि के मुख्य चालक रहे।
- पाँच क्षेत्रों—कोयला, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली—ने सकारात्मक विस्तार दर्ज किया।
- कच्चा तेल (-5.6%) और प्राकृतिक गैस (-4.4%) में गिरावट जारी रही।

आठ कोर उद्योगों का सूचकांक (ICI): संरचनात्मक महत्व

- संरचना और कवरेज: ICI में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। ये क्षेत्र अवसंरचना और औद्योगिक गतिविधि की रीढ़ बनाते हैं।
- IIP में भार: कोर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 40.27% भार है, जिससे वे समग्र औद्योगिक वृद्धि के अग्रणी संकेतक बनते हैं।
- फॉरवर्ड लिंकज: ये क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, बिजली उत्पादन और परिवहन को आवश्यक इनपुट प्रदान करते हैं, जिससे GDP वृद्धि और रोजगार प्रभावित होते हैं।
- नीतिगत संवेदनशीलता: सरकारी अवसंरचना व्यय, पूंजीगत व्यय और ऊर्जा नीतियाँ कोर क्षेत्रों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

दिसंबर 2025 का प्रदर्शन

- सीमेंट वृद्धि (13.5%): सीमेंट उत्पादन में तेज वृद्धि अवसंरचना परियोजनाओं, शहरी आवास और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से प्रेरित मजबूत निर्माण गतिविधि को दर्शाती है।
- इस्पात उत्पादन (6.9%): इस्पात उत्पादन वृद्धि औद्योगिक मांग की मजबूती को दर्शाती है, विशेषकर निर्माण, ऑटोमोबाइल और पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों में।
- बिजली उत्पादन (5.3%): बढ़ता बिजली उत्पादन औद्योगिक खपत और आर्थिक गतिविधि में सुधार का संकेत देता है, जो नवंबर की गिरावट की तुलना में बेहतर है।
- कोयला और उर्वरक: कोयला 3.6% और उर्वरक 4.1% बढ़े, जो क्रमशः बिजली उत्पादन और कृषि उत्पादकता का समर्थन करते हैं।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में लगातार कमजोरी

- कच्चे तेल में गिरावट (-5.6%): घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन पुराने तेल क्षेत्रों, सीमित नई खोजों और तकनीकी सीमाओं के कारण लगातार घट रहा है।
- प्राकृतिक गैस में संकुचन (-4.4%): उत्पादन में कमी संरचनात्मक बाधाओं और बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए आयातित LNG पर निर्भरता को दर्शाती है।
- रिफाइनरी उत्पाद (-1%): हल्की गिरावट वैश्विक मांग और कच्चे तेल आपूर्ति गतिशीलता में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है।
- ऊर्जा सुरक्षा की चिंता: हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की कमजोरी आयात निर्भरता बढ़ाती है, जिससे चालू खाते के घाटे का जोखिम बढ़ता है।

संचयी वृद्धि प्रवृत्तियाँ (अप्रैल-दिसंबर 2025-26)

- मध्यम समग्र वृद्धि (2.6%): अप्रैल-दिसंबर अवधि में कोर सेक्टर वृद्धि 2.6% रही, जो पिछले वर्ष से कम है और असमान पुनरुद्धार का संकेत देती है।
- इस्पात (9.5%) और सीमेंट (8.8%) अग्रणी: मजबूत संचयी वृद्धि सार्वजनिक अवसंरचना निवेश और आवास मांग को दर्शाती है।
- बिजली (0.3%) सीमित वृद्धि: संचयी रूप से बिजली वृद्धि धीमी रही, जो पहले की मौसमी मंदी को दर्शाती है।
- कोयला उत्पादन थोड़ा नकारात्मक (-0.7%): दिसंबर में सुधार के बावजूद संचयी कोयला उत्पादन पीछे रहा, जिससे ऊर्जा नियोजन प्रभावित हुआ।

समष्टि आर्थिक संकेतकों से संबंध

- औद्योगिक गति का संकेतक: कोर उद्योगों का IIP में उच्च भार होने के कारण इसमें सुधार औद्योगिक उत्पादन आँकड़ों के मजबूत होने का संकेत देता है।
- GDP वृद्धि पर प्रभाव: अवसंरचना विस्तार उद्योग और निर्माण क्षेत्रों के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सीधे योगदान देता है।

- पूंजीगत व्यय का प्रोत्साहन: केंद्रीय बजट में सड़क, रेलवे, रक्षा और शहरी अवसंरचना में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर जोर कोर सेक्टर के पुनरुद्धार को समर्थन देता है।
- मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव: इस्पात, सीमेंट और बिजली में वृद्धि आपूर्ति पक्ष के दबावों को स्थिर करती है और लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति को कम करती है।

संरचनात्मक चुनौतियाँ और आवश्यक सुधार

- ऊर्जा विविधीकरण: तेल और गैस उत्पादन में गिरावट के कारण नवीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में तेजी से निवेश आवश्यक है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: खनन और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में अधिक निजी निवेश उत्पादकता और तकनीकी अपनाने को सुधार सकता है।
- लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना दक्षता: रेल, बंदरगाह और भंडारण सुविधाओं में सुधार आपूर्ति बाधाओं को कम करेगा।
- हरित संक्रमण: सतत इस्पात उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छ ईंधन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

कोर सेक्टर की वृद्धि में चार महीनों के उच्च स्तर तक तेज़ी अवसंरचना और औद्योगिक गति में क्रमिक सुधार को दर्शाती है। हालांकि, हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों की संरचनात्मक कमजोरियाँ ऊर्जा सुधारों और विविधीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, निजी निवेश की भागीदारी और हरित संक्रमण नीतियाँ स्थिर औद्योगिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। कोर सेक्टर का प्रदर्शन भारत की व्यापक आर्थिक दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण मापक (बारोमीटर) बना हुआ है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आठ कोर उद्योगों के सूचकांक में शामिल निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए:

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. कोयला | 2. इस्पात |
| 3. दूरसंचार | 4. सीमेंट |

उपरोक्त में से कौन-से शामिल हैं?

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (a) केवल 1 और 2 | (b) केवल 1, 2 और 4 |
| (c) केवल 2 और 3 | (d) 1, 2, 3 और 4 |

(9) : 2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि के अग्रणी संकेतक के रूप में कोर उद्योगों की भूमिका की चर्चा कीजिए। हाल के रुझानों और उनसे संबंधित चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2024

चर्चा में क्यों: नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक (EXPORT PREPAREDNESS INDEX-EPI) 2024 जारी किया, जो भारत की निर्यात-आधारित वृद्धि को समर्थन देने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी का आकलन करता है।

मुख्य विवरण

- EPI 2024 इस सूचकांक का चौथा संस्करण है, जिसे पहली बार 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था।
- यह 4 स्तंभ, 13 उप-स्तंभ और 70 संकेतकों का उपयोग करके निर्यात तैयारी का मूल्यांकन करता है।
- यह सूचकांक 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वस्तु निर्यात के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।
- तटीय और औद्योगिक राज्य रैंकिंग में प्रभुत्व बनाए हुए हैं।

निर्यात तत्परता सूचकांक: अवधारणा और उद्देश्य

- निर्यात तैयारी का समग्र माप: EPI एक डेटा-आधारित समग्र सूचकांक है जो निर्यात को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रतिस्पर्धात्मकता, नीतिगत वातावरण और संस्थागत क्षमता का मूल्यांकन करता है।
- उप-राष्ट्रीय फोकस: राष्ट्रीय निर्यात आँकड़ों के विपरीत, EPI राज्य और जिला स्तर पर प्रदर्शन का आकलन करता है, यह मानते हुए कि निर्यात क्षेत्रीय क्षमताओं से संचालित होते हैं।
- साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण: यह सूचकांक सरकारों को संरचनात्मक अंतराल, क्षेत्रीय शक्तियाँ और लॉजिस्टिक बाधाएँ पहचानने में मदद करता है, जिससे लक्षित सुधार संभव होते हैं।
- राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखण: EPI विकसित भारत @2047, मेक इन इंडिया और 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य जैसी प्रमुख पहलों का समर्थन करता है।

EPI 2024 का ढाँचा और कार्यप्रणाली

- चार-स्तंभीय संरचना: यह सूचकांक चार स्तंभों पर आधारित है— निर्यात अवसंरचना, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, नीति एवं शासन, और निर्यात प्रदर्शन—जो समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं।
- सूक्ष्म संकेतक प्रणाली: 13 उप-स्तंभ और 70 संकेतकों के साथ यह ढाँचा लॉजिस्टिक्स, MSME पारिस्थितिकी तंत्र, वित्त तक पहुँच और मानव पूंजी जैसे आयामों को समाहित करता है।
- भार निर्धारण पैटर्न: व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र (40%) का सबसे अधिक भार है, जबकि अन्य तीन स्तंभों का 20%-20% भार है, जो लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार के महत्व को दर्शाता है।
- मजबूत डेटा स्रोत: EPI केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक संस्थानों के आधिकारिक आँकड़ों का उपयोग करता है, जिससे विश्वसनीयता और तुलनात्मकता बढ़ती है।

निर्यात तत्परता के प्रमुख स्तंभ

- निर्यात अवसंरचना (20%): लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, उपयोगिताएँ और औद्योगिक अवसंरचना को मापता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे तटीय राज्य बंदरगाह-आधारित विकास के कारण उच्च अंक प्राप्त करते हैं।
- व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र (40%): समष्टि आर्थिक स्थिरता, मानव पूंजी, MSME की क्षमता और वित्त तक पहुँच का मूल्यांकन करता है। यह स्तंभ प्रतिस्पर्धा-आधारित निर्यात की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- नीति एवं शासन (20%): राज्य निर्यात नीतियों, संस्थागत समर्थन और नियामक वातावरण का आकलन करता है, जिसमें निर्यात व्यापार करने में सुगमता पर जोर दिया जाता है।
- निर्यात प्रदर्शन (20%): निर्यात विविधीकरण, वैश्विक एकीकरण और निर्यात परिणामों को ट्रैक करता है, जिससे नीतिगत तैयारी और वास्तविक व्यापार प्रदर्शन के बीच संबंध स्थापित होता है।

EPI 2024 की प्रमुख विशेषताएँ

- नए विश्लेषणात्मक आयाम: 2024 संस्करण में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, MSME पारिस्थितिकी तंत्र, वित्तीय पहुँच और समष्टि आर्थिक स्थिरता जैसे कारकों को शामिल किया गया है।
- जिला-केंद्रित दृष्टिकोण: निर्यात वृद्धि के इंजन के रूप में जिलों पर अधिक जोर दिया गया है, जो जिला निर्यात हब पहल के अनुरूप है।
- क्लस्टर और मूल्य श्रृंखला पर ध्यान: सूचकांक स्थान-आधारित औद्योगिक क्लस्टरों और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
- सहकारी संघवाद का उपकरण: राज्यों को लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायर्स के रूप में रैंक करके EPI परस्पर सीखने और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है।

EPI 2024 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रदर्शन

- शीर्ष बड़े राज्य: महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात मजबूत विनिर्माण आधार, बंदरगाह अवसंरचना और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के कारण अग्रणी हैं।
- उभरते प्रदर्शनकर्ता: उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने निर्यात प्रोत्साहन नीतियों और लॉजिस्टिक्स विस्तार के माध्यम से सुधार दिखाया है।
- छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के अग्रणी: उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, और गोवा अपने आकार के अनुपात में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
- तटीय लाभ: सूचकांक निर्यात अवसंरचना और वैश्विक संपर्क में तटीय राज्यों के निरंतर प्रभुत्व को उजागर करता है।

भारत की निर्यात रणनीति के लिए महत्व

- निर्यात-आधारित वृद्धि को बढ़ावा: EPI 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वस्तु निर्यात प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य है।
- रोजगार सृजन: निर्यात विस्तार, विशेषकर MSME और क्लस्टरों के माध्यम से, विनिर्माण और सेवाओं में श्रम-प्रधान रोजगार उत्पन्न कर सकता है।
- क्षेत्रीय असमानताओं में कमी: एस्पायरर राज्यों की पहचान करके EPI संतुलित क्षेत्रीय विकास का समर्थन करता है।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण: लॉजिस्टिक्स, मानकों और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक गहराई से जुड़ सकता है।

EPI द्वारा उजागर चुनौतियाँ

- आंतरिक राज्यों में अवसंरचना अंतराल: स्थल-रुद्ध और पूर्वोत्तर राज्यों को अभी भी उच्च लॉजिस्टिक लागत और कनेक्टिविटी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- MSME निर्यात बाधाएँ: वित्त, प्रौद्योगिकी और वैश्विक बाजारों तक सीमित पहुँच MSME के निर्यात संभावनाओं को सीमित करती है।
- नीतिगत समन्वय की समस्याएँ: राज्य निर्यात नीतियों और संस्थागत क्षमता में भिन्नता असमान निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न करती है।
- वैश्विक व्यापार अनिश्चितताएँ: संरक्षणवाद, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव निर्यात वृद्धि के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष

निर्यात-आधारित वृद्धि की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत को राज्य-स्तरीय निर्यात अवसंरचना, MSME प्रतिस्पर्धात्मकता और लॉजिस्टिक दक्षता को मजबूत करना होगा, साथ ही जिला-आधारित रणनीतियों को गहरा करना होगा। निर्यात तत्परता सूचकांक को सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक प्रभावी रूप से एकीकृत करने के लिए एक गतिशील सुधार उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, जो विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) किसके द्वारा जारी किया जाता है?

- (a) वाणिज्य मंत्रालय (b) नीति आयोग
(c) RBI (d) विश्व बैंक

(9) :2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय राज्यों द्वारा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के सामने आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए तथा उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)

भारत में हवाईअड्डों का निजीकरण

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने हवाईअड्डों के निजीकरण के तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के 11 हवाईअड्डों को PPP मॉडल के अंतर्गत निजी संचालकों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव है।

मुख्य विवरण

- तीसरे चरण में 11 गैर-मेट्रो हवाईअड्डे शामिल हैं, जिन्हें निजीकरण के लिए पाँच पैकेजों में समूहित किया गया है।
- यह कदम राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ब्राउनफील्ड अवसंरचना से मूल्य प्राप्त करना है।
- हवाईअड्डों के निजीकरण का उद्देश्य बढ़ते हवाई यातायात के बीच दक्षता, क्षमता और सेवा गुणवत्ता में सुधार करना है।
- बाजार संकेन्द्रण, याली शुल्क और नियामकीय निगरानी को लेकर चिंताएँ भी सामने आई हैं।

भारत में हवाईअड्डों का निजीकरण: पृष्ठभूमि और विकास

- **AAI की प्रमुख भूमिका:** भारत में हवाईअड्डों का स्वामित्व और संचालन मुख्यतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के पास है, जो वैमानिक परिसंपत्तियों (रनवे, टर्मिनल) और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों (खुदरा, पार्किंग, रियल एस्टेट) का प्रबंधन करता है।
- **प्रारंभिक निजीकरण चरण:** यह प्रक्रिया 2000 के दशक की शुरुआत में दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों के निजीकरण से शुरू हुई, जिसके बाद बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे ग्रीनफील्ड PPP हवाईअड्डे विकसित हुए।

- **दूसरा चरण (2019):** छह हवाईअड्डों का निजीकरण प्रति-यात्री शुल्क मॉडल के माध्यम से किया गया, जिसने पहले के राजस्व-साझाकरण मॉडल को प्रतिस्थापित किया और नीतिगत परिवर्तन को दर्शाया।
- **वर्तमान चरण:** तीसरे चरण में **मेट्रो और गैर-मेट्रो हवाईअड्डों के बंडलिंग** की अवधारणा शामिल है, जिसका उद्देश्य छोटे हवाईअड्डों को **व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाना** है।

हवाईअड्डा निजीकरण के पीछे तर्क

- **अवसंरचना आधुनिकीकरण:** निजी भागीदारी से हवाईअड्डा संचालन में **पूंजी निवेश, उन्नत प्रौद्योगिकी और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं** के आने की अपेक्षा है।
- **संचालन दक्षता:** निजीकरण का उद्देश्य **टर्नअराउंड समय, यात्री प्रबंधन और परिसंपत्ति उपयोग** में सुधार करना है, जहाँ सार्वजनिक प्रबंधन अक्सर सीमाओं का सामना करता है।
- **राजकोषीय विचार:** हवाईअड्डों को पट्टे पर देने से **सरकारी खजाने पर दबाव कम** होता है और सरकार को प्राप्त राशि को **नई अवसंरचना परियोजनाओं** में पुनर्निवेश करने की अनुमति मिलती है।
- **विमानन वृद्धि की संभावनाएँ:** भारत में केवल लगभग **6% लोग ही हवाई यात्रा का उपयोग करते हैं**, इसलिए आर्थिक वृद्धि, पर्यटन और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए हवाईअड्डा क्षमता का विस्तार महत्वपूर्ण है।

हवाईअड्डा निजीकरण का तीसरा चरण

- **कवरेज और बंडलिंग:** तीसरे चरण में **11 AAI हवाईअड्डे** शामिल हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग **0.1-1 मिलियन यात्रियों** को संभालते हैं और यातायात क्षमता तथा भौगोलिक आधार पर समूहित किए गए हैं।
- **स्वीकृति और समय-सीमा:** इस प्रस्ताव को सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) और केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृति की आवश्यकता है, जबकि बोली प्रक्रिया 2026 में शुरू होने की संभावना है।
- **NMP के साथ संरेखण:** राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत **25 हवाईअड्डों के निजीकरण से ₹20,000 करोड़ से अधिक** की आय प्राप्त होने का अनुमान है।
- **नीतिगत प्रोत्साहन:** सड़क और रेल की तुलना में विमानन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी परिसंपत्ति मुद्रीकरण के कारण हवाईअड्डा परिसंपत्तियों पर **नया ध्यान** केंद्रित किया गया है।

राजस्व मॉडल और नियामकीय ढाँचा

- **प्रति-यात्री शुल्क मॉडल:** निजी संचालक **प्रत्येक यात्री पर AAI को एक निश्चित शुल्क** देते हैं, जिसे वार्षिक रूप से अनुक्रमित किया जाता है, जिससे AAI को राजस्व निश्चितता मिलती है।
- **AERA द्वारा नियामकीय निगरानी:** विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (UDF), लैंडिंग शुल्क और पार्किंग शुल्क जैसे टैरिफ का नियमन करता है।
- **गैर-वैमानिक राजस्व की भूमिका:** खुदरा, फूड कोर्ट, विज्ञापन और रियल एस्टेट से प्राप्त आय से **यात्रियों की लागत को आंशिक रूप से सब्सिडी** दी जा सकती है, हालांकि राजस्व रिपोर्टिंग को लेकर विवाद बने रहते हैं।
- **उभरता नियामकीय परिवर्तन:** AERA सेवा-आधारित टैरिफ विनियमन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें शुल्क को प्रदर्शन मानकों से जोड़ा जाता है।

उभरती चिंताएँ और आलोचनाएँ

- **बाजार संकेन्द्रण का जोखिम:** एक ही कॉर्पोरेट समूह द्वारा कई प्रमुख हवाईअड्डों के नियंत्रण से **एकाधिकार या द्वायाधिकार** की आशंका बढ़ती है, जिससे प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है।
- **यात्री लागत में वृद्धि:** कई निजीकरण किए गए हवाईअड्डों में टैरिफ संशोधन के बाद **UDF और अन्य अतिरिक्त शुल्क** बढ़ गए हैं।
- **सेवा गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ:** यात्रियों ने भीड़भाड़, उच्च टैक्सी किराया, पहुँच संबंधी अंतराल और असंगत सेवा मानकों की शिकायत की है।
- **नियामकीय क्षमता की सीमाएँ:** सेवा गुणवत्ता, मूल्य पारदर्शिता और अनुबंधीय अनुपालन की प्रभावी निगरानी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।

निष्कर्ष

भारत की हवाईअड्डा क्षमता अगले पाँच वर्षों में लगभग **550 मिलियन** से बढ़कर लगभग **850 मिलियन** यात्रियों प्रति वर्ष तक पहुँचने का अनुमान है। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल निजी निवेश ही नहीं बल्कि मजबूत नियमन और प्रतिस्पर्धा सुरक्षा उपाय भी आवश्यक हैं। पारदर्शी बोली प्रक्रिया, बाजार संकेन्द्रण पर नियंत्रण, AERA की मजबूत निगरानी और सेवा गुणवत्ता के लागू करने योग्य मानक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हवाईअड्डा निजीकरण को दक्षता और लाभप्रदता के साथ-साथ सुलभता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए, ताकि समावेशी विमानन वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में हवाईअड्डा टैरिफ का विनियमन निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था करती है?

(a) DGCA	(b) नीति आयोग
(c) AERA	(d) AAI

(C) 2024

भारत के तंबाकू कराधान सुधार

चर्चा में क्यों: भारत ने 1 फरवरी से प्रभावी एक नई तंबाकू कराधान व्यवस्था अधिसूचित की है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद लागू हुई है और यह 'हानिकारक वस्तुओं' (sin goods) के कराधान में एक बड़ा परिवर्तन दर्शाती है।

मुख्य विवरण

- तंबाकू पर लगाया जाने वाला GST क्षतिपूर्ति उपकर 1 फरवरी से समाप्त हो जाएगा।
- एक नया उत्पाद शुल्क और उद्देश्य-विशिष्ट उपकर ढाँचा प्रस्तुत किया गया है।
- तंबाकू उत्पादों के लिए GST स्लैब का युक्तिकरण किया गया है, जिससे प्रभावी कराधान अधिक होगा।
- धूम्ररहित तंबाकू के लिए खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) आधारित मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है।

कर पुनर्संरचना (Tax Reset)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की नई दरें निर्धारित करता है।

■ वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 के प्रावधान, जिसका उद्देश्य पान मसाला इकाइयों पर उपकर लगाना है, फरवरी से लागू होंगे।

■ बीड़ी को अब 18% जीएसटी श्रेणी में रखा गया है, जो पहले लागू 28% कर स्लैब से स्थानांतरित किया गया है।

■ अन्य सभी तंबाकू उत्पादों को 40% कर स्लैब में स्थानांतरित किया गया है।



'हानिकारक वस्तु' के रूप में तंबाकू: नीतिगत तर्क

- सार्वजनिक स्वास्थ्य बाह्यताएँ: तंबाकू का सेवन भारत में रोकथाम योग्य मृत्यु का प्रमुख कारण है, जो कैंसर, हृदय-रोग और श्वसन संबंधी रोगों में योगदान देता है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाता है।
- आर्थिक बोझ: राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार तंबाकू से संबंधित रोग भारत को प्रति वर्ष GDP का 1% से अधिक खर्च कराते हैं, जिससे सामाजिक लागतों को आंतरिक करने के लिए उच्च कराधान उचित ठहरता है।
- द्वैध नीतिगत उद्देश्य: तंबाकू कराधान का उद्देश्य उच्च कीमतों के माध्यम से उपभोग को हतोत्साहित करना तथा स्वास्थ्य और कल्याण व्यय के लिए स्थिर राजस्व उत्पन्न करना है।
- वैश्विक मानक: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अनुशंसा करता है कि कर तंबाकू के खुदरा मूल्य का कम-से-कम 75% होना चाहिए ताकि उपभोग में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके।

भारत में तंबाकू कराधान की संरचना

- बहु-स्तरीय कराधान: भारत में तंबाकू उत्पादों पर GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उपकर के माध्यम से कर लगाया जाता है, जो इन्हें हानिकारक वस्तु के रूप में दर्शाता है।
- GST वर्गीकरण: GST के अंतर्गत तंबाकू को लगातार सबसे उच्च कर स्लैब में रखा गया है, जबकि आवश्यक वस्तुएँ निम्न स्लैब में होती हैं।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क की निरंतरता: GST द्वारा कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित करने के बावजूद, राजस्व और स्वास्थ्य कारणों से तंबाकू पर उत्पाद शुल्क बनाए रखा गया।
- उपकर तंत्र: अधिकांश वस्तुओं को छूट मिलने के बाद भी तंबाकू GST क्षतिपूर्ति उपकर के अधीन रहने वाली कुछ वस्तुओं में से एक रहा।

पूर्व व्यवस्था की सीमाएँ

- सुलभता का विरोधाभास: उच्च नाममात्र कर दरों के बावजूद सिगरेट की वास्तविक कीमतें स्थिर रहीं, क्योंकि कर आय वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़े।

- कमजोर उत्पाद शुल्क अनुक्रमण: समय-समय पर कर दरों में वृद्धि न होने से तंबाकू नियंत्रण नीतियों की प्रभावशीलता कम हुई।
- कर चोरी की समस्या: उत्पादन की कम रिपोर्टिंग और मूल्यांकन में खामियाँ, विशेषकर धूम्ररहित तंबाकू में, राजस्व संभावनाओं को कम करती थीं।
- स्वास्थ्य नीति अंतराल: भारत में प्रभावी तंबाकू कराधान WHO द्वारा अनुशंसित स्तर से कम रहा, जिससे मांग कम करने के प्रयास कमजोर पड़े।

हाल के तंबाकू कराधान सुधार (2025-26)

- GST क्षतिपूर्ति उपकर का अंत: यह उपकर समाप्त होगा क्योंकि इसका मूल उद्देश्य—GST से संबंधित राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई—काफी हद तक पूरा हो चुका है।
- नया उत्पाद शुल्क ढाँचा: संशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए कीमत आधारित निरोधक प्रभाव को मजबूत करता है।
- उद्देश्य-विशिष्ट उपकर की शुरुआत: स्वास्थ्य सुरक्षा-सह-राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2025 के अंतर्गत एक नया उपकर पान मसाला और संबंधित इकाइयों पर लागू किया गया है।
- अव्ययनीय राजस्व स्रोत: सामान्य उपकरों के विपरीत, नया कर पूर्वानुमेय और सुरक्षित वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, बिना व्यापक जनसंख्या पर अतिरिक्त बोझ डाले।

• सिगरेट पर कर कैसे लगाया जाएगा

घटक	वर्तमान संरचना	1 फरवरी से
उत्पाद शुल्क	₹5-10 प्रति 1,000 सिगरेट	₹2,050-8,500 प्रति 1,000 सिगरेट
एनसीसीडी	₹230-850 प्रति 1,000 सिगरेट	₹230-850 प्रति 1,000 सिगरेट
जीएसटी	28%	40%
क्षतिपूर्ति उपकर	5-36% + ₹2,076-4,170 प्रति 1,000 सिगरेट	शून्य

* स्रोत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)

GST स्लैब का युक्तिकरण

- **बीड़ी का पुनर्वर्गीकरण:** बीड़ियों को 28% से घटाकर 18% GST में रखा गया है, जिससे आजीविका संबंधी संवेदनशीलताओं और अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता को ध्यान में रखा गया है।
- **अन्य तंबाकू उत्पादों पर उच्च GST:** सिगरेट और चबाने वाले तंबाकू को 40% GST स्लैब में रखा गया है, जिससे प्रभावी कराधान बढ़ेगा।
- **सरलीकरण का उद्देश्य:** यह सुधार स्लैब की जटिलता को कम करता है और कर दरों को स्वास्थ्य जोखिम की तीव्रता के अनुरूप बनाता है।
- **समानता का विचार:** भिन्न-भिन्न तंबाकू उत्पादों के हानि स्तर के अनुसार अलग-अलग कराधान लागू किया गया है।

धूम्ररहित तंबाकू के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली

- **RSP आधारित मूल्यांकन:** अब GST पैकेजिंग पर मुद्रित खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर लगाया जाएगा, जिससे कम मूल्यांकन की संभावना घटेगी।
- **कर चोरी पर नियंत्रण:** यह गुटखा, खैनी, जर्दा और चबाने वाले तंबाकू क्षेत्रों में उत्पादन कम दिखाने की समस्या को कम करेगा।
- **अनुपालन में सुधार:** स्पष्ट मूल्यांकन नियम पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाते हैं।
- **राजस्व सुनिश्चितता:** बेहतर मूल्यांकन से GST और उत्पाद शुल्क दोनों के संग्रह में वृद्धि होने की संभावना है।

सुधारों का महत्व

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य के अनुरूप:** वास्तविक कीमतों में वृद्धि से विशेषकर युवाओं और निम्न-आय वर्गों में तंबाकू की उपलब्धता कम होगी।
- **राजकोषीय स्थिरता:** अस्थायी उपकर के स्थान पर उद्देश्य-विशिष्ट कर दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- **नीतिगत सामंजस्य:** यह सुधार स्वास्थ्य प्राथमिकताओं, राजकोषीय विवेक और प्रशासनिक सरलता के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- **वैश्विक अभिसरण:** भारत की तंबाकू कराधान प्रणाली अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अधिक निकट पहुँचती है।

निष्कर्ष

भारत के तंबाकू कराधान सुधार स्वास्थ्य-उन्मुख राजकोषीय नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाते हैं। आगे चलकर मुद्रास्फीति और आय वृद्धि के अनुरूप तंबाकू करों का नियमित अनुक्रमण, अवैध व्यापार के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं तथा नशामुक्ति कार्यक्रमों के लिए राजस्व का लक्षित उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। एक सतत और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि कराधान तंबाकू उपभोग को कम करने का प्रभावी साधन बना रहे और साथ ही राजकोषीय स्थिरता भी बनी रहे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के तंबाकू कराधान सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तंबाकू पर GST क्षतिपूर्ति उपकर 1 फरवरी से समाप्त हो जाता है।
2. स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नया अव्ययनीय उपकर लागू किया गया है।
3. धूम्ररहित तंबाकू के लिए GST मूल्यांकन खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर होगा।

उपरोक्त में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

(P) 2022

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास परिदृश्य और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों: भारत का आर्थिक प्रदर्शन वैश्विक ध्यान के केंद्र में बना हुआ है क्योंकि GDP वृद्धि अनुमान, मुद्रा की चाल और केंद्रीय बजट 2026-27 से पूर्व नीतिगत तैयारियाँ जैसे प्रमुख संकेतक घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहे हैं। राष्ट्रीय एजेंसियों, वैश्विक संस्थानों और वित्तीय बाजारों की हालिया रिपोर्टें 2026 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के रुझानों और चुनौतियों को रेखांकित करती हैं।

मुख्य विवरण

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, हालांकि वृद्धि में कुछ मंदी आने की संभावना है।
- विश्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने FY 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि 7.2-7.4% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि FY 2026-27 में इसमें कुछ नरमी आ सकती है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 की तिथियाँ और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जो वृद्धि को बढ़ावा देने और संरचनात्मक चिंताओं के समाधान पर नीति के फोकस का संकेत देता है।
- वैश्विक जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति और विदेशी निवेश के बहिर्गमन के बीच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुँच गया।
- उद्योग जगत व्यापार सुगमता के लिए कस्टम शुल्क प्रणाली को GST के समान सरल बनाने की मांग कर रहा है।
- द्वावोस 2026 में भारत की आर्थिक प्रगति और प्रौद्योगिकी नेतृत्व तथा निवेश पर विशेष बल दिया गया।

मुख्य बिंदु

- **विकास अनुमान:** FY 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि 7.2%-7.4% रहने की संभावना है, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक है।
- **वैश्विक रैंकिंग:** IMF ने पुष्टि की है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
- **मुद्रा दबाव:** भारतीय रुपया ₹91 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया, जो पूंजी के बहिर्गमन और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं को दर्शाता है।
- **बजट तैयारियाँ:** आर्थिक सर्वेक्षण और बजट घोषणाएँ विकास को बनाए रखने के लिए नीतिगत उपायों की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं।
- **उद्योग सुधार:** बजट से पहले कस्टम शुल्क के सरलीकरण की मांग व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती है।
- **वैश्विक सहभागिता:** विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वावोस 2026 में भारत की आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित किया गया और निवेश के अवसरों को रेखांकित किया गया।

पृष्ठभूमि

- 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास और संरचनात्मक चुनौतियों

वाले वातावरण में प्रवेश कर रही है। NSO और वैश्विक एजेंसियों के GDP अनुमान दर्शाते हैं कि वैश्विक व्यापार तनाव, उच्च टैरिफ और मुद्रा अस्थिरता के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

- प्रथम अग्रिम GDP अनुमान भारत को वैश्विक औसत वृद्धि से ऊपर दर्शाते हैं, जिसे मजबूत घरेलू मांग और पिछले बजटों में किए गए सुधारों से समर्थन मिला है।
- साथ ही, **समष्टि आर्थिक प्रबंधन** — विशेषकर मौद्रिक नीति और विनिमय दर स्थिरता — बाहरी दबावों से निपटने का प्रमुख साधन बना हुआ है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने मुद्रास्फीति, विकास और वित्तीय बाजार स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए **अनुकूल (accommodative) नीति** रख बनाए रखा है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के प्रमुख निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2027 में 6.8%–7.2% की दर से बढ़ने की अपेक्षा है।


वैश्वीकरण बदल गया है — अब भू-राजनीति व्यापार, पूंजी और प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर रही है।

अस्थिरता (Volatility) अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई सामान्य स्थिति बन गई है।

विनिर्माण (Manufacturing) केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि समष्टि आर्थिक सुरक्षा का साधन है।

सस्ती पूंजी का प्रवाह उत्पादकता और निर्यात के पीछे चलता है, न कि नीतिगत शॉर्टकट के पीछे।

खंडित विश्व व्यवस्था में लचीलापन (Resilience) उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आर्थिक वृद्धि।



मुद्दे और चुनौतियाँ

बाह्य क्षेत्र की कमजोरियाँ

- रुपये के निरंतर अवमूल्यन से **आयात लागत और मुद्रास्फीति दबाव बढ़ते** हैं।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI)** के अधिक बहिर्गमन से जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

वैश्विक व्यापार अनिश्चितताएँ

- प्रमुख व्यापारिक साझेदारों द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ सहित व्यापार तनाव **निर्यात वृद्धि और भुगतान संतुलन की स्थिरता** के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं।

व्यापार नीति में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता

- उद्योग द्वारा **कस्टम शुल्क ढाँचे को सरल बनाने** की मांग यह दर्शाती है कि व्यापार प्रक्रियाओं में बाधाएँ मौजूद हैं, जो प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं।

महत्व

- **नीति निर्माण:** ये विकास **केंद्रीय बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण** की रणनीतियों को प्रभावित करते हैं, विशेषकर राजकोषीय और मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के संदर्भ में।
- **वैश्विक संदर्भ:** अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की विकास स्थिति **विदेश नीति और व्यापार वार्ताओं** को भी प्रभावित करती है।

समाधान / सरकारी पहल

मजबूत समष्टि आर्थिक प्रबंधन

- RBI का अनुकूल नीति रख और नीतिगत उपकरण मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं।
- बजट से पूर्व सावधानीपूर्ण राजकोषीय रणनीतियाँ सार्वजनिक निवेश को बनाए रखने और निजी क्षेत्र के विश्वास को बढ़ाने में मदद करती हैं।

व्यापार नीति सुधार

- अनुपालन लागत कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए कस्टम शुल्क को सरल बनाने की संभावना।
- टैरिफ प्रभाव को संतुलित करने के लिए निर्यात बाजारों का विविधीकरण।

निवेश प्रोत्साहन

- दावोस जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की विकास कहानी को प्रस्तुत करना **विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक** है।

निष्कर्ष

2026 के लिए भारत का आर्थिक परिदृश्य आशावादी बना हुआ है, जिसे मजबूत विकास आधार और सतत घरेलू मांग का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, मुद्रा अस्थिरता और वैश्विक व्यापार तनाव जैसी बाह्य कमजोरियों को समन्वित नीतिगत कार्रवाई के माध्यम से कम करना आवश्यक है। सरल व्यापार ढाँचे, लक्षित सुधार और सतत राजकोषीय अनुशासन स्थिर आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 से अपेक्षा है कि वह सुधारों और विकासोन्मुख नीतियों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 2026 की शुरुआत में भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- IMF का अनुमान है कि भारत की GDP वृद्धि 5% से नीचे चली जाएगी।
- विश्व बैंक और NSO के अनुमान FY 2025-26 में 7% से अधिक वृद्धि दर्शाते हैं।
- जनवरी 2026 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत हुआ।
- उद्योग जगत वर्तमान कस्टम शुल्क व्यवस्था से संतुष्ट है।

(9) :2025

भारत के विकास पूर्वानुमान और आर्थिक स्थिरता

चर्चा में क्यों: जनवरी 2026 में प्रमुख वैश्विक और घरेलू आर्थिक संस्थानों ने भारत के विकास परिदृश्य का पुनर्मूल्यांकन किया, जबकि मुद्रा अवमूल्यन और बैंकिंग क्षेत्र की तरलता जैसी महत्वपूर्ण समस्याएँ प्रमुख चिंताओं के रूप में सामने आईं।

मुख्य विवरण

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2025-26 के लिए भारत के GDP पूर्वानुमान को बढ़ाया है तथा मध्यम अवधि की स्थिरता पर बल दिया है, जबकि वित्तीय बाजारों और बैंक वित्तपोषण के पैटर्न संरचनात्मक अनुकूलन का संकेत दे रहे हैं।
- इसका नीति-निर्माताओं, निवेशकों और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- IMF ने FY26 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7.3% कर दिया है, जो अपेक्षा से अधिक मजबूत आर्थिक गति को दर्शाता है। हालांकि, यह भी चेतावनी दी गई है कि अगले दो वित्तीय वर्षों में चक्रीय कारकों के कमजोर होने से वृद्धि धीमी हो सकती है।
- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) जैसे उद्योग संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 में अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास (R&D), वित्तीय प्रणालियों और नवाचार को मजबूत किया जाए ताकि उच्च विकास दर बनाए रखी जा सके।
- वैश्विक जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति और पूंजी के बहिर्गमन के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुँच गया।
- भारतीय बैंक दीर्घकालिक थोक जमा (bulk deposits) जारी करने के लिए RBI की स्वीकृति चाहते हैं ताकि वित्तपोषण लागत कम की जा सके और जमा वृद्धि की धीमी गति की समस्या का समाधान हो सके।

मुख्य बिंदु

- **विकास संशोधन:** IMF द्वारा पूर्वानुमान में वृद्धि घरेलू मांग की मजबूती और बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाती है।
- **नीतिगत फोकस:** CII की सिफारिशें अल्पकालिक विकास लक्ष्यों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों पर जोर देती हैं।
- **मुद्रा दबाव:** लगातार अवमूल्यन बाहरी कमजोरियों को दर्शाता है, जो आयात लागत और निवेशक विश्वास को प्रभावित कर सकता है।
- **बैंकिंग क्षेत्र समायोजन:** दीर्घकालिक जमा की ओर बैंकों का झुकाव इस बात का संकेत है कि खुदरा जमा की धीमी वृद्धि की तुलना में ऋण मांग तेज है।

पृष्ठभूमि

- भारत की आर्थिक दिशा मजबूत GDP वृद्धि से चिह्नित रही है, जिसे मजबूत घरेलू खपत, उच्च सार्वजनिक पूंजी व्यय और सुदृढ़ सेवा क्षेत्र से समर्थन मिला है।
- उच्च टैरिफ, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक मांग में मंदी जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच विकास का प्रमुख इंजन बना हुआ है।
- IMF समय-समय पर आने वाले आर्थिक आँकड़ों और परिस्थितियों के आधार पर विकास पूर्वानुमानों को संशोधित करता है। नवीनतम अद्यतन FY25-26 के अंतिम तिमाहियों में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है।
- हालांकि, जब चक्रीय वृद्धि के कारक कमजोर होंगे, तब विकास की गति बनाए रखना संरचनात्मक सुधारों और निवेश समर्थन पर निर्भर करेगा।
- रुपये का अवमूल्यन बाहरी क्षेत्र के दबावों को दर्शाता है, विशेषकर वैश्विक जोखिम से बचाव और उभरते बाजारों के प्रति कम निवेश रुचि के कारण पूंजी के


बहिर्गमन को। इससे मुद्रास्फीति और सीमा-पार व्यापार प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ सकता है।

- साथ ही, भारत का बैंकिंग क्षेत्र वित्तपोषण दबावों का सामना कर रहा है क्योंकि ऋण मांग जमा प्रवाह से अधिक तेजी से बढ़ रही है, जिससे ऋणदाताओं को दीर्घकालिक वित्तीय साधनों के लिए नियामकीय बदलावों की आवश्यकता पड़ रही है।

मुद्दे

- **मध्यम अवधि की वृद्धि क्षमता में मंदी:** हालांकि तत्काल विकास परिदृश्य मजबूत है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि वृद्धि में कुछ मंदी आ सकती है। इस मंदी को प्रबंधित करते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करना एक नीतिगत चुनौती है।
- **बाह्य क्षेत्र की कमजोरियाँ:** यदि रुपये की कमजोरी जारी रहती है, तो आयात लागत (विशेषकर ऊर्जा) बढ़ सकती है और इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर प्रभाव पड़ेगा।
- **बैंकिंग क्षेत्र की तरलता:** उच्च क्रेडिट-टू-डिपॉजिट अनुपात के कारण बैंकों को वित्तीय असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। यदि खुदरा जमा मजबूत नहीं होते, तो महंगे थोक जमा पर निर्भरता बढ़ सकती है।
- **संरचनात्मक सुधारों में देरी:** उद्योग द्वारा बजट में अवसंरचना और R&D पर जोर देने की मांग दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता को दर्शाती है।

भारत की जीडीपी वृद्धि



भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ी, जबकि इससे पहले की तिमाही में यह 7.8% और वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4% थी। यह वृद्धि अनिश्चित वैश्विक व्यापार और नीतिगत परिस्थितियों के बीच मजबूत घरेलू मांग के कारण हुई तेजी से बढ़ते विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों ने वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 8.1% की वृद्धि को प्रेरित किया।

सरकारी पहल

विकास स्थिरता के लिए नीतिगत प्रतिक्रिया

- उत्पादकता बढ़ाने के लिए अवसंरचना, नवाचार, डिजिटल प्रणालियों और अनुसंधान एवं विकास के लिए बजटीय आवंटन को प्राथमिकता देना।
- विकास स्थिरता बनाए रखने के लिए राजकोषीय अनुशासन के साथ सार्वजनिक निवेश को मजबूत करना।

बाह्य क्षेत्र रणनीति

- पूंजी प्रवाह और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बाजार की गहराई को बढ़ाना।
- टैरिफ प्रभावों को कम करने और निर्यात बाजारों का विविधीकरण करने के लिए व्यापार कूटनीति का उपयोग।

बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना

- परिसंपत्ति-दायित्व असंतुलन को संतुलित करने के लिए बैंकों के लिए दीर्घकालिक निधि स्रोतों को स्वीकृति देना।
- महंगे थोक वित्तपोषण पर निर्भरता कम करने के लिए विशेषकर खुदरा ग्राहकों के बीच जमा संग्रह अभियान को बढ़ावा देना।

संरचनात्मक सुधार

- ऐसे नियामकीय और कर सुधारों को लागू करना जो व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाएँ, निवेश को प्रोत्साहित करें और नवाचार को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

2026 की शुरुआत में भारत का आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक गति और संरचनात्मक चुनौतियों का मिश्रण दर्शाता है। विकास पूर्वानुमानों में वृद्धि आर्थिक लचीलापन को दर्शाती है, लेकिन धीमी होती प्रवृत्तियाँ और बाहरी दबाव संतुलित नीतिगत प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अवसंरचना, बैंकिंग स्थिरता, बाह्य क्षेत्र की मजबूती और दीर्घकालिक सुधारों पर संतुलित ध्यान उच्च विकास दर बनाए रखने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा। सरकार, नियामकों और उद्योग के बीच सहयोग FY27 और उसके बाद भारत की आर्थिक दिशा को आकार देगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: जनवरी 2026 में रुपये के अवमूल्यन का कारण निम्नलिखित में से कौन-सा है?

- अत्यधिक विदेशी निवेश प्रवाह
- वैश्विक जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति और पूंजी का बहिर्गमन
- भारत में खुदरा जमा की उच्च वृद्धि
- घरेलू बचत में तीव्र वृद्धि

(9) : 2026

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 2026 में भारत के लिए IMF के संशोधित विकास पूर्वानुमानों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए तथा बाह्य क्षेत्र के दबावों और बैंकिंग क्षेत्र की तरलता चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रमुख नीतिगत उपायों की चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

मुद्रास्फीति प्रवृत्तियाँ, खाद्य मूल्य और मौद्रिक नीति का रुख

चर्चा में क्यों: जनवरी 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति के आँकड़ों और RBI की टिप्पणियों ने हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी लेकिन खाद्य कीमतों की निरंतर अस्थिरता को रेखांकित किया।

मुख्य विवरण

- CPI मुद्रास्फीति आधार प्रभाव और ईंधन कीमतों में नरमी के कारण कम हुई।
- खाद्य मुद्रास्फीति, विशेषकर अनाज और सब्जियों में, अस्थिर बनी रही।
- RBI ने सावधानीपूर्ण रुख बनाए रखा, जिसमें मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी गई।
- ग्रामीण मांग में धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिखाई दिए।

पृष्ठभूमि

- मुद्रास्फीति प्रबंधन लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण ढाँचे के अंतर्गत RBI का एक प्रमुख दायित्व है। भारत $\pm 2\%$ सहनशीलता बैंड के साथ 4% CPI

लक्ष्य का पालन करता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक आपूर्ति संकटों, जलवायु परिवर्तनशीलता और खाद्य कीमतों में उछाल ने मुद्रास्फीति की अस्थिरता को बढ़ाया है।

- 2025 के अंत में वैश्विक वस्तु कीमतों में नरमी आने से मुद्रास्फीतिक दबाव कम हुआ। हालांकि, घरेलू खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव असमान मानसून प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं और भंडारण सीमाओं के कारण जारी रहा।

मुख्य बिंदु

- मुख्य मुद्रास्फीति RBI की सहनशीलता सीमा के करीब पहुँच गई।
- खाद्य मुद्रास्फीति प्रमुख ऊर्ध्व जोखिम के रूप में उभरी।
- कोर मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर रही।
- मौद्रिक नीति का फोकस “समायोजन की वापसी (withdrawal of accommodation)” पर रहा।

मुद्दे

- मुख्य CPI निर्धारित करने में खाद्य मुद्रास्फीति पर अत्यधिक निर्भरता।
- खाद्य कीमतों पर मौद्रिक नीति के सीमित संचरण।
- जलवायु-जनित आपूर्ति व्यवधान।
- ग्रामीण उपभोग अभी भी असमान बना हुआ है।

चुनौतियाँ

- मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास पुनरुद्धार के बीच संतुलन बनाना।
- गैर-मौद्रिक उपकरणों के माध्यम से खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन।
- केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण की विश्वसनीयता बनाए रखना।

महत्व

- मुद्रास्फीति क्रय शक्ति, गरीबी और असमानता को प्रभावित करती है।
- मौद्रिक नीति के निर्णय निवेश और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं।

नीतिगत उपाय

- बफर स्टॉक और खाद्य प्रबंधन को मजबूत करना।
- कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं और कोल्ड स्टोरेज में सुधार करना।
- व्यापक सब्सिडी के स्थान पर लक्षित राजकोषीय हस्तक्षेप का उपयोग करना।
- जलवायु-सहिष्णु कृषि योजना को बेहतर बनाना।

सरकारी पहल

- मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF)।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
- आवश्यक वस्तुओं की डिजिटल निगरानी।
- RBI का लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण ढाँचा।

निष्कर्ष

2026 में भारत की मुद्रास्फीति की दिशा बेहतर व्यापक आर्थिक स्थिरता का संकेत देती है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी एक संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है। स्थायी मूल्य स्थिरता के लिए मौद्रिक सतर्कता और आपूर्ति-पक्ष सुधारों का संयोजन आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्य कौन निर्धारित करता है?

- (a) वित्त मंत्रालय (b) RBI-सरकार समझौता
(c) नीति आयोग (d) सेबी

(9) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए। केवल मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्यों पर्याप्त नहीं है? (150 शब्द, 10 अंक)

भारत का बाह्य व्यापार, निर्यात में मंदी और वैश्विक अनिश्चितता

चर्चा में क्यों: जनवरी 2026 के व्यापार आँकड़ों और संपादकीयों ने कमजोर वैश्विक मांग और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के कारण वस्तु निर्यात में धीमी वृद्धि को रेखांकित किया।

मुख्य विवरण

- वस्तु निर्यात में धीमी वृद्धि देखी गई।
- सेवा निर्यात लचीला बना रहा।
- उच्च आयात के कारण व्यापार घाटा बढ़ा।
- वैश्विक मंदी और टैरिफ ने भारतीय निर्यात को प्रभावित किया।

मुख्य बिंदु

- आईटी और सेवा निर्यात स्थिरीकरण कारक के रूप में कार्य करते रहे।
- विनिर्माण निर्यात को मांग में कमी का सामना करना पड़ा।
- चीन+1 रणनीति के मिश्रित परिणाम मिले।
- रुपये के अवमूल्यन ने आंशिक रूप से निर्यात में मंदी के प्रभाव को कम किया।

पृष्ठभूमि

- भारत की व्यापार संरचना वैश्विक मांग चक्रों के प्रति संवेदनशील है। जबकि सेवा निर्यात ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वस्तु निर्यात को लॉजिस्टिक्स लागत, अनुपालन बोझ और विदेशों में संरक्षणवादी उपायों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था भूराजनीतिक तनाव, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि और खंडित व्यापार व्यवस्थाओं के कारण अनिश्चितता का सामना कर रही है।

चुनौतियाँ

- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना।
- विकास को प्रभावित किए बिना व्यापार घाटे का प्रबंधन करना।
- निर्यात में MSME की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्रीन व्यापार अवरोधों (CBAM) के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करना।

महत्व

- निर्यात आर्थिक विकास और विदेशी मुद्रा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- व्यापार प्रदर्शन चालू खाता घाटे को प्रभावित करता है।

पहल

- उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ।
- विदेश व्यापार नीति 2023।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति।
- UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA)।

निष्कर्ष

भारत को माला-आधारित निर्यात से मूल्य-आधारित निर्यात की ओर स्थानांतरित होना चाहिए, साथ ही विविधीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारों के माध्यम से वैश्विक संकटों से स्वयं को सुरक्षित करना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के व्यापार घाटे को सबसे प्रभावी रूप से कौन-सा क्षेत्र संतुलित करता है?

- (a) कृषि (b) विनिर्माण
(c) सेवाएँ (d) खनन

(9) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के निर्यात क्षेत्र के सामने उपस्थित संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)

राजकोषीय समेकन, सब्सिडी और केंद्रीय बजट 2026-27

चर्चा में क्यों: केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले, जनवरी 2026 में आयोजित पूर्व-बजट परामर्श ने सरकार के राजकोषीय समेकन, सब्सिडी के युक्तिकरण और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के समर्थन के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बनाए रखने पर ध्यान को रेखांकित किया।

पूर्व-बजट चर्चाओं से प्रमुख बिंदु

- सरकार ने मध्यम अवधि के समेकन रोडमैप के अनुरूप राजकोषीय घाटे को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- खाद्य और उर्वरक सब्सिडी कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं और वैश्विक मूल्य अस्थिरता के कारण व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहीं।
- पूंजीगत व्यय अवसंरचना-आधारित विकास पर जोर के साथ विकास का एक प्रमुख प्रेरक बना रहा।
- विशेषकर GST संग्रह से राजस्व में वृद्धि ने राजकोषीय प्रबंधन को समर्थन दिया।

राजकोषीय समेकन क्या है?

- राजकोषीय समेकन से तात्पर्य व्यय के युक्तिकरण, राजस्व में वृद्धि और बेहतर

राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण संचय को कम करने की रणनीति से है।

- इसका उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता, ऋण स्थिरता और निवेशकों के विश्वास को सुनिश्चित करना है।

पृष्ठभूमि

- COVID-19 महामारी के बाद प्रतिचक्रिय व्यय की आवश्यकता के कारण भारत ने क्रमिक राजकोषीय समेकन मार्ग अपनाया।
- बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश ने विकास को पुनर्जीवित करने में मदद की, लेकिन बढ़ते सब्सिडी बिल और प्रतिबद्ध व्यय ने राजकोषीय क्षेत्र को सीमित कर दिया।
- चुनौती यह है कि महामारी के बाद और भूराजनीतिक रूप से अनिश्चित वैश्विक वातावरण में विकास की आवश्यकता और राजकोषीय सावधानी के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।

बजटीय रणनीति में प्रमुख प्रवृत्तियाँ

राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय की ओर बदलाव


- अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा संक्रमण और शहरी विकास की ओर आवंटन बढ़ाना।
- राजस्व व्यय की तुलना में कैपेक्स का गुणक प्रभाव अधिक होता है।

सार्वभौमिक समर्थन की तुलना में लक्षित सब्सिडी

- लीकेज को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को प्राथमिकता।
- व्यापक सब्सिडी के बजाय आवश्यकता-आधारित लक्ष्यीकरण पर ध्यान।

राजकोषीय विश्वसनीयता और निवेशक विश्वास

- विदेशी निवेश आकर्षित करने और सार्वभौमिक ऋण-विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है।



मुख्य मुद्दे

- उच्च प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन)।
- कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के लिए सीमित राजकोषीय क्षेत्र।
- राज्य स्तर पर राजकोषीय ढ़बाव, विशेषकर बिजली क्षेत्र के घाटों और सामाजिक क्षेत्र के व्यय के कारण।
- ऑफ-बजट उधारी को लेकर चिंताएँ, जो पारदर्शिता और ऋण स्थिरता को प्रभावित करती हैं।

चुनौतियाँ

- कल्याणकारी आवश्यकताओं और राजकोषीय सावधानी के बीच संतुलन।
- सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करना।
- मध्यम अवधि में ऋण-से-GDP अनुपात को कम करना।
- केंद्र-राज्य वित्तीय तनावों के बीच सहकारी राजकोषीय संघवाद को मजबूत करना।

राजकोषीय समेकन को समर्थन देने वाली सरकारी पहल

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) ढ़ाँचा:** घाटे और ऋण लक्ष्यों को निर्धारित करता है।
- **राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):** मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करता है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** सब्सिडी लक्ष्यीकरण में सुधार करता है और लीकेज को कम करता है।
- **GST सुधार:** राजस्व में वृद्धि और कर अनुपालन को मजबूत करते हैं।

आगे की राह

- यथार्थवादी घाटा लक्ष्यों के साथ विकास-अनुकूल राजकोषीय समेकन जारी रखना।
- प्रौद्योगिकी और डेटा-आधारित लक्ष्यीकरण के माध्यम से सब्सिडियों का और युक्तिकरण।
- परिणाम-आधारित बजटिंग के माध्यम से सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार।
- उप-राष्ट्रीय राजकोषीय ढ़बावों को संबोधित करने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करना।
- विशेषकर ऑफ-बजट देनदारियों के संबंध में राजकोषीय पारदर्शिता को बढ़ाना।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए भारत की राजकोषीय रणनीति राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। एक संतुलित दृष्टिकोण—जिसमें पूंजीगत व्यय, लक्षित कल्याण और विश्वसनीय समेकन शामिल हों—व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को कौन-सा अधिनियम नियंत्रित करता है?

- (a) GST अधिनियम
- (b) FRBM अधिनियम
- (c) वित्त अधिनियम
- (d) RBI अधिनियम

(9) : 2026

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: समावेशी विकास को बनाए रखते हुए भारत में राजकोषीय समेकन की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

MSME, ऋण प्रवाह और रोजगार सृजन

चर्चा में क्यों: जनवरी 2026 की रिपोर्टों ने MSME क्षेत्र में ऋण बाधाओं, रोजगार संबंधी चिंताओं और सरकारी समर्थन तंत्र की भूमिका को उजागर किया।

पृष्ठभूमि

- MSME आर्थिक मंदी के दौरान जीविकाओं को बनाए रखकर एक महत्वपूर्ण संकट-अवशोषक (shock absorber) के रूप में कार्य करते हैं।
- औपचारिकरण (formalisation) ने कर आधार और डिजिटल उपस्थिति का विस्तार किया है, लेकिन इससे सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुपालन लागत भी बढ़ी है।
- दीर्घकालिक और धैर्यशील पूंजी तक सीमित पहुँच क्षमता विस्तार और प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रतिबंधित करती है, जिससे MSME कम उत्पादकता के चक्र में फँसे रहते हैं।

मुख्य विवरण

- ऋण तक पहुँच मध्यम उद्यमों के पक्ष में झुकी हुई है; सूक्ष्म इकाइयों को अधिक अस्वीकृति दर का सामना करना पड़ता है।
- रोजगार सृजन असमान है, जिसमें स्व-रोजगार बढ़ रहा है लेकिन वेतन-आधारित रोजगार कमजोर है।
- GST, उद्यम पंजीकरण, अकाउंट एग्रीगेटर और डिजिटल भुगतान के माध्यम से औपचारिकरण में सुधार हुआ है।
- पुराने NPA, जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण और विश्वसनीय ऋण इतिहास की कमी के कारण बैंक सावधानी बरतते हैं।
- NBFC और फिनटेक वैकल्पिक ऋण चैनलों के रूप में उभरे हैं, लेकिन उच्च ब्याज दरों के साथ।

मुख्य बिंदु

- MSME GDP में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 40% का योगदान देते हैं।
- ये 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, मुख्यतः श्रम-प्रधान क्षेत्रों में।
- क्रेडिट गारंटी योजनाओं ने ऋणदाताओं के जोखिम को कम किया है, लेकिन नैतिक जोखिम (moral hazard) की चिंताएँ भी बढ़ाई हैं।
- कौशल असंगति, कम पूंजी तीव्रता और अनौपचारिकता उत्पादकता-आधारित रोजगार सृजन को सीमित करती हैं।
- क्लस्टर-आधारित MSME रोजगार और निर्यात प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

मुद्दे

- जोखिम प्रीमियम और सीमित गिरवी के कारण ऋण की उच्च लागत।
- बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं से भुगतान में देरी।
- पुरानी प्रौद्योगिकी और सीमित पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण कम उत्पादकता।
- श्रम संबंधों में अनौपचारिकता, जिससे सामाजिक सुरक्षा कवरेज सीमित रहता है।
- लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताएँ, जहाँ महिला-नेतृत्व वाले और ग्रामीण MSME अधिक बाधाओं का सामना करते हैं।

एमएसएमई (MSME) विकास के लिए तीन-आयामी रणनीति

इकित्ती समर्थन

- **₹10,000 करोड़** – एमएसएमई वृद्धि कोष (SME Growth Fund) इकित्ती सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित कोष बनाया गया है।
- **₹2,000 करोड़** – कोष में अतिरिक्त वृद्धि (Fund Top-Up) आत्मनिर्भर भारत कोष को अतिरिक्त पूंजी प्रदान की गई है।

व्यावसायिक समर्थन

- विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए 'कॉरपोरेट मिल' पेशेवर संस्थान एमएसएमई की सहायता के लिए विशेषज्ञ विकसित करेंगे।
- छोटे शहरों में किफायती अनुपालन कम लागत वाले अनुपालन के लिए टियर-II और टियर-III शहरों पर विशेष ध्यान।

तरलता समर्थन

- सरकारी खरीद के लिए अनिवार्य TReDS सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) की खरीद TReDS प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
- चालान छूट (Invoice Discounting) के लिए ऋण गारंटी CGTMSE सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए गारंटी तंत्र प्रदान करेगा।
- GeM-TReDS लिंक के माध्यम से सस्ता वित्तपोषण सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) को TReDS से जोड़ने से वित्तपोषण लागत कम होगी।

चुनौतियाँ

- बढ़ते गुणवत्ता और स्थिरता मानकों के बीच MSME को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना।
- रोजगार सुरक्षा और उचित मजदूरी के साथ गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन।
- उद्योग 4.0, डिजिटलीकरण और हरित संक्रमण के अनुरूप अनुकूलन।
- नए श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रम लचीलेपन और श्रमिक संरक्षण के बीच संतुलन।
- MSME विकास में ग्रामीण-शहरी और डिजिटल विभाजन को कम करना।

पहल

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) — प्रतिचक्रिय ऋण समर्थन।
- उद्यम पंजीकरण — डेटा की दृश्यता और औपचारिक ऋण तक पहुँच में सुधार।
- TReDS प्लेटफॉर्म — चालान छूट (invoice discounting) के माध्यम से विलंबित भुगतानों का समाधान।
- स्किल इंडिया मिशन — MSME से संबंधित कौशलों पर ध्यान।
- पीएम विश्वकर्मा योजना — पारंपरिक कारीगरों और अनौपचारिक श्रमिकों का समर्थन।
- अकाउंट एग्रीगेटर ढाँचा — नकदी प्रवाह आधारित ऋण प्रदान करने को सक्षम बनाता है।
- क्लस्टर विकास कार्यक्रम — उत्पादकता और अवसरचना में सुधार।

निष्कर्ष

भविष्य के लिए तैयार MSME पारिस्थितिकी तंत्र सतत विकास, निर्यात प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीतिगत ध्यान को अल्पकालिक अस्तित्व से दीर्घकालिक विस्तार क्षमता की ओर स्थानांतरित करना चाहिए, जिसमें सस्ती ऋण व्यवस्था, प्रौद्योगिकी अपनाना, कौशल संरक्षण और बाजार एकीकरण को प्राथमिकता दी जाए। उत्पादकता-आधारित MSME रणनीति गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: MSME पंजीकरण के लिए कौन-सा पोर्टल उपयोग किया जाता है?

- (a) GeM (b) उद्यम
(c) GSTN (d) स्किल इंडिया

(q) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में रोजगार सृजन में MSME की भूमिका की चर्चा कीजिए। उनकी पूर्ण क्षमता के उपयोग के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? (10 अंक, 150 शब्द)

पर्यावरण एवं भूगोल

पर्यावरणीय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट

चर्चा में क्यों: दिसंबर 2025-जनवरी 2026 के अंत में इंदौर, मध्य प्रदेश के भीमरथपुरा में जल प्रदूषण की एक बड़ी घटना ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारण अनेक मौतें हुईं, सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हुए तथा शहरी जल अवसंरचना पर न्यायिक प्रश्न उठे।

मुख्य विवरण

- यह संकट एक पुराने पाइपलाइन में रिसाव के कारण सीवेज के नगरपालिका जल आपूर्ति में प्रवेश करने से उत्पन्न हुआ, जिससे व्यापक जीवाणुजनित प्रदूषण फैल गया।
- इस प्रकोप के कारण कम से कम 21 मौतें हुईं और कई सौ लोग अस्पताल में भर्ती हुए।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से पूछा कि प्रदूषण इतना गंभीर कैसे हो गया कि यह घातक बन गया।

अन्य विवरण

- इंदौर को “सबसे स्वच्छ शहर” का दर्जा मिलने के बावजूद, इस प्रदूषण ने शहरी जल सुरक्षा में गंभीर खामियों को उजागर किया।
- अस्पतालों में चल रहे उपचार के मामले तथा अवसंरचना सुधार कार्य जारी हैं, जिनमें पुरानी पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन और नर्मदा जल स्रोत से 8000 करोड़ रुपये की आपूर्ति योजना शामिल है।
- जलवैज्ञानिक विशेषज्ञों ने इस संकट से उजागर हुए गहरे भूजल प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

- भारत में शहरी जल सुरक्षा मुख्यतः भूजल और पाइपलाइन आधारित आपूर्ति प्रणालियों पर निर्भर करती है, जो बड़ी जनसंख्या की सेवा करती हैं। दूषित पेयजल अक्सर जलजनित रोगों के प्रकोप का कारण बनता है और व्यवस्थागत अवसंरचनात्मक उपेक्षा को उजागर करता है।

मुद्दे एवं चुनौतियाँ

- पुरानी अवसंरचना और उपेक्षित रखरखाव।
- वास्तविक समय में जल गुणवत्ता निगरानी और निवारक शासन की कमी।
- पुराने नगरपालिका क्षेत्रों में सीवेज और पेयजल पाइपलाइनों का आपस में मिलना या समानांतर होना।

समाधान / पहल

- पाइपलाइन प्रतिस्थापन और जल वितरण नेटवर्क का व्यापक पुनर्गठन।
- आधुनिक जल गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों का क्रियान्वयन।
- सीवेज और पेयजल अवसंरचना को अलग करने के लिए नीतियाँ।

निष्कर्ष

इंदौर जल संकट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शहरी पर्यावरणीय स्थिरता के लिए

अवसंरचना, शासन और सामुदायिक निगरानी का एकीकरण आवश्यक है। सतत समाधान के लिए जल प्रबंधन में संस्थागत सुधार, कठोर गुणवत्ता नियंत्रण और राष्ट्रीय जल सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ समन्वय आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: इंदौर जल प्रदूषण घटना ने मुख्यतः किस क्षेत्र की विफलताओं को उजागर किया?

- (a) औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन (b) शहरी पेयजल अवसंरचना
(c) कृषि अपवाह नियंत्रण (d) तटीय प्रदूषण निगरानी

(q) :222

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 2026 के इंदौर जल प्रदूषण संकट पर भारत में शहरी जल शासन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इससे कौन-सी व्यवस्थागत कमजोरियाँ उजागर हुईं, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किन नीतिगत उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? (250 शब्द, 15 अंक)

अरावली ग्रीन वॉल परियोजना और मैत्री वन पहल

चर्चा में क्यों: अरावली ग्रीन वॉल परियोजना और हरियाणा की मैत्री वन पहल को क्षतिग्रस्त अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के एक मॉडल के रूप में विस्तार दिया जा रहा है, जिसमें 2030 तक के क्रियान्वयन की रूपरेखा और बहु-हितधारक समर्थन शामिल है।

मुख्य विवरण

- हरियाणा सरकार ने मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के लिए 2030 तक अरावली पर्वतमाला को पुनर्स्थापित करने की समयबद्ध योजना स्थापित की है।
- मैत्री वन परियोजना, जो गुरुग्राम में शुरू हुई, अब अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के अंतर्गत कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) के माध्यम से बहु-स्थलीय पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के लिए एक नमूने के रूप में कार्य कर रही है।
- केंद्र और राज्य एजेंसियाँ वनीकरण, नमी संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता संवर्धन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों में मृदा, जल और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक परिदृश्य-स्तरीय पारिस्थितिक गलियारा बनाना है।

अरावली पर्वतमाला के बारे में

- अरावली पर्वतमाला क्षेत्रीय जलवायु और जलविज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है, जिसका निर्माण प्रोटेरोजोइक युग के दौरान हुआ था।
- यह पश्चिमी भारत में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में फैली हुई है।
- यह पर्वतमाला लगभग 800 किमी तक फैली है, जो गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाती है।
- गुरु शिखर (माउंट आबू, राजस्थान) इसकी सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी ऊँचाई 1,722 मीटर है।
- अरावली थार मरुस्थल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है, जिससे पूर्वी राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायता मिलती है।
- यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर और मानसून के पैटर्न को थोड़ा प्रभावित करके जलवायु को प्रभावित करती है।
- यह क्षेत्र तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर और चूना पत्थर सहित खनिज संसाधनों से समृद्ध है।
- बनास, लूनी और साबरमती जैसी प्रमुख नदियाँ अरावली क्षेत्र से निकलती हैं या इससे प्रभावित होती हैं।
- इस क्षेत्र की मिट्टी सामान्यतः पथरीली और कम उपजाऊ है, विशेषकर पश्चिमी भाग में।
- महत्वपूर्ण पहाड़ी स्टेशन और क्षेत्र में माउंट आबू शामिल है, जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है।
- यहाँ की वनस्पति मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और काटेदार वन हैं।
- अत्यधिक प्राचीन होने के कारण अरावली में गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और यह अत्यधिक अपरदित है।

पृष्ठभूमि

- शहरी विस्तार, खनन और वनों की कटाई के कारण अरावली पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ गया है। इसके क्षरण का वायु गुणवत्ता, भूजल पुनर्भरण, मृदा संरक्षण और जलवायु शमन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

मुद्दे एवं चुनौतियाँ

- हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- विकास के दबावों और संरक्षण प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना।
- पुनर्स्थापन और संरक्षण के लिए सतत वित्तपोषण और सामुदायिक सहभागिता।

पहल

- क्षतिग्रस्त भूमि खंडों के लिए संरक्षित वन की घोषणा और कानूनी सुरक्षा उपाय।
- हरित ऋण (ग्रीन क्रेडिट) और सामुदायिक हितधारकों के माध्यम से निजी भागीदारों की भागीदारी।
- स्थानीय प्रजातियाँ, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता पर केंद्रित एकीकृत पुनर्स्थापन ढाँचा।

निष्कर्ष

अरावली ग्रीन वॉल पहल उत्तर भारत में पारिस्थितिक स्थिरता के लिए एक दीर्घकालिक परिदृश्य पुनर्स्थापन रणनीति का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी सफलता सहयोगात्मक शासन, वित्तीय तंत्र और जन-सहभागिता पर निर्भर करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य है:

- (a) तटीय मैंग्रोव पट्टी बनाना
- (b) क्षतिग्रस्त पर्वतीय परिदृश्य का पुनर्स्थापन करना
- (c) जलविद्युत बाँधों का निर्माण करना
- (d) शहरी पर्यावासीय क्षेत्रों का विस्तार करना

(9) 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के पारिस्थितिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसके क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, और उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

पश्चिमी हिमालय में असामान्य शीतकालीन मौसम और हिमपात की कमी

चर्चा में क्यों: जनवरी 2026 में पश्चिमी हिमालय के बड़े हिस्सों में हिमपात में उल्लेखनीय कमी देखी गई, जिससे जलवायु परिवर्तनशीलता, जल सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

मुख्य विवरण

- कमजोर और नमी की कमी वाले पश्चिमी विक्षोभ (WDs), जेट स्ट्रीम के बदले हुए पैटर्न के साथ मिलकर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में असामान्य रूप से शुष्क शीतकालीन परिस्थितियों का कारण बने।
- हिमपात एक प्राकृतिक जलाशय के रूप में कार्य करता है, जो नदियों को पोषित करता है और कृषि का समर्थन करता है — इसकी कमी जल उपलब्धता और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।

पृष्ठभूमि

पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली बहिरूष्ण-कटिबंधीय मौसम प्रणालियाँ हैं, जो उत्तर-पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए आवश्यक होती हैं। इनके परिवर्तन से जलवायु परिवर्तनशीलता का संकेत मिलता है।

मुख्य बिंदु

- कम हिमावरण हिमनद द्रव्यमान संतुलन को प्रभावित करता है, जिससे पिघलने की गति बढ़ती है और दीर्घकालिक जल कमी की स्थिति उत्पन्न होती है।
- समय से पहले बर्फ के पिघलने से मृदा नमी के पैटर्न बाधित होते हैं और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- शुष्क सर्दियाँ वनाग्नि की संवेदनशीलता और जैव विविधता पर दबाव बढ़ाती हैं।

चुनौतियाँ

- जल संसाधन योजना और कृषि चक्रों पर प्रभाव।
- पर्वतीय जैव विविधता और आजीविका के लिए खतरे।
- अनिश्चित मौसम पैटर्न के कारण आपदा प्रबंधन जटिल हो जाता है।

समाधान

- शीतकालीन वर्षा की निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- हिमजल संचयन और जलागम प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- क्षेत्रीय जल संसाधन नीति में जलवायु मॉडलों को एकीकृत करना।

निष्कर्ष

हिमपात में परिवर्तनशीलता से निपटने के लिए हिमालयी जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन की रक्षा हेतु वैज्ञानिक नीतियों और सामुदायिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा से संबंधित हैं?

- (a) दक्षिणी भारत (b) उत्तर-पश्चिम भारत
(c) पूर्वी भारत (d) मध्य भारत

(9) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विश्लेषण कीजिए कि पश्चिमी विक्षोभ और हिमालयी हिमपात के पैटर्न में परिवर्तन भारत की जल सुरक्षा और कृषि को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। (10 अंक, 150 शब्द)

आईएमडी पूर्वानुमान: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ, शीत लहर और कोहरा

चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जनवरी 2026 में उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आर्द्र मौसम, हिमपात और शीत लहर की परिस्थितियों का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, साथ ही मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति भी बनी हुई है।

मुख्य विवरण

- पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित किया — जिससे वर्षा, हिमपात और शीत लहर की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं।
- मैदानी क्षेत्रों, विशेषकर सिंधु-गंगा का मैदान में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हुई और परिवहन में बाधाएँ उत्पन्न हुईं।

मुख्य बिंदु

- पश्चिमी हिमालय में हिमपात से मृदा नमी में सुधार होता है।
- लेकिन उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन के जोखिम भी बढ़ जाते हैं।
- कोहरा वायु प्रदूषण की स्थिति को और गंभीर बनाता है तथा सड़क और वायु परिवहन के लिए खतरा उत्पन्न करता है।

पृष्ठभूमि

पश्चिमी विक्षोभ मध्य-अक्षांशीय मौसम प्रणालियाँ हैं, जो शीतकाल में उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षा लाती हैं। सर्दियों में तापमान प्रतिलोमन और नमी के कारण कोहरा सामान्य रूप से बनता है।

मुद्दे

- कम दृश्यता के कारण प्रमुख परिवहन और लॉजिस्टिक्स में व्यवधान।
- अप्रत्याशित वर्षा और शीतलहर से कृषि और फसलों को नुकसान।
- ठंड और कोहरे के कारण प्रदूषण के फैसने से स्वास्थ्य (विशेषकर श्वसन संबंधी) समस्याएँ बढ़ना।

समाधान

- प्रारंभिक मौसम चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- हवाई अड्डों और सड़क गलियारों के लिए कोहरा प्रसार तकनीकों में सुधार।
- ठंड और कोहरे की अवधि के दौरान स्वास्थ्य सावधानियों के संबंध में सार्वजनिक परामर्श जारी करना।

निष्कर्ष

सर्दियों के मौसम की चरम स्थितियों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी मौसम पूर्वानुमान और सुदृढ़ आपदा तैयारी आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सिंधु-गंगा के मैदान में सर्दियों के घने कोहरे का मुख्य कारण क्या है?

- (a) पश्चिमी विक्षोभ (b) एल नीनो
(c) तापमान व्युत्क्रमण (d) मानसूनी पवनें

(9) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: उत्तर भारत में शीतकालीन मौसम की चरम घटनाओं (शीत लहर, घना कोहरा, पश्चिमी विक्षोभ) के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का परीक्षण कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)

राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौता

चर्चा में क्यों: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते से जुड़े घरेलू कानूनों को संरेखित करने के लिए 12 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में भारत के हितों की रक्षा की जा सके।

मुख्य विवरण

- BBNJ समझौता (हाई सीज़ संधि) संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के अंतर्गत 2023 में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा है।
- इसका उद्देश्य समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs), पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIAs) और लाभ साझा करने के माध्यम से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है।
- भारत ने 2024 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है।

- आवश्यक 60 अनुमोदनों को पार करने के बाद यह संधि प्रभाव में आ गई, जो वैश्विक महासागर शासन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाई सीज़ और वैश्विक साझा संसाधन

- **परिभाषा (High Seas):** हाई सीज़ उन समुद्री क्षेत्रों को कहते हैं जो किसी भी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से परे होते हैं, जो तट से सामान्यतः 200 समुद्री मील के बाद शुरू होते हैं। इन क्षेत्रों का शासन समुद्रों की स्वतंत्रता के सिद्धांत से होता है।
- **पैमाना और पारिस्थितिक महत्व:** हाई सीज़ विश्व के लगभग 64% महासागरों और पृथ्वी की सतह के लगभग आधे हिस्से को आच्छादित करते हैं। ये जलवायु विनियमन, ऑक्सीजन उत्पादन और वैश्विक मत्स्य पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **शासन अंतराल:** BBNJ समझौते से पहले, UNCLOS और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों जैसे क्षेत्रीय निकायों के अंतर्गत विनियमन खंडित था, जिससे जैव विविधता संरक्षण कमजोर था।
- **वैश्विक साझा संसाधन का स्वरूप:** चूंकि हाई सीज़ संसाधनों पर किसी देश की संप्रभुता नहीं होती, इसलिए इनके प्रबंधन के लिए सामूहिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आवश्यक होती है, जिससे यह वैश्विक साझा संसाधनों का एक प्रमुख उदाहरण बनते हैं।

BBNJ समझौता: मुख्य विशेषताएँ

- **कानूनी स्थिति:** BBNJ समझौता UNCLOS के अंतर्गत तीसरा क्रियान्वयन समझौता है, जिसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता से जुड़े शासन अंतराल को भरने के लिए बनाया गया है।
- **स्वीकृति और लागू होना:** लगभग 15 वर्षों की वार्ताओं के बाद मार्च 2023 में इसे अंतिम रूप दिया गया। 60 अनुमोदनों के बाद यह संधि प्रभाव में आई।
- **उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना, साथ ही विकास और समानता के बीच संतुलन बनाए रखना।
- **संस्थागत ढाँचा:** संधि के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ (COP), एक सचिवालय तथा एक क्लियरिंग-हाउस तंत्र की स्थापना की गई है, ताकि वैश्विक महासागर शासन का समन्वय किया जा सके।

BBNJ संधि के चार स्तंभ

1. समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs)

- यह संधि पहली बार अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में वैश्विक कानूनी तंत्र के अंतर्गत समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण को सक्षम बनाती है।
- यह वैश्विक “30×30” जैव विविधता लक्ष्य (2030 तक 30% समुद्री क्षेत्र की रक्षा) का समर्थन करती है।
- MPAs पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्हाली के लिए मछली पकड़ने, नौवहन और खनन जैसी गतिविधियों को विनियमित कर सकते हैं।
- वर्तमान में केवल लगभग 1% हाई सीज़ संरक्षित है, जिससे इस संधि का महत्व स्पष्ट होता है।

2. समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGRs) और लाभ साझा करना

- गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीवों में मूल्यवान आनुवंशिक सामग्री होती है, जिसका उपयोग औषधि, जैव प्रौद्योगिकी और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है।
- संधि यह सुनिश्चित करती है कि विकसित देशों द्वारा एकाधिकार को रोकते हुए लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण हो।

- इसमें मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार के लाभ शामिल हैं, जैसे डेटा साझा करना और अनुसंधान तक पहुँच।
- यह वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- 3. **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIAs)**
 - यह संधि गहरे समुद्र में खनन, कार्बन अवशोषण और बड़े पैमाने पर मत्स्यन जैसी गतिविधियों के लिए EIA अनिवार्य करती है।
 - यह मानकीकृत वैश्विक प्रक्रियाएँ प्रस्तुत करती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
 - EIAs में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर संचयी और पार-सीमावर्ती प्रभावों को ध्यान में रखना होगा।
 - इससे महासागर शासन एक एहतियाती और पारिस्थितिकी-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है।
- 4. **क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण**
 - विकासशील देशों के पास अक्सर समुद्री अनुसंधान अवसंरचना और निगरानी क्षमता का अभाव होता है।
 - संधि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्तपोषण, प्रशिक्षण और डेटा तक पहुँच प्रदान करती है।
 - इसका उद्देश्य महासागर विज्ञान और शासन में समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।
 - यह भारत जैसे विकासशील देशों की ब्लू इकॉनमी क्षमता को भी मजबूत करता है।

BBNJ समझौते का महत्व

• पर्यावरणीय महत्व

- **जैव विविधता संरक्षण:** MPAs ट्यूना और व्हेल जैसी प्रवासी प्रजातियों के लिए सुरक्षित पर्यावास बना सकते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बेहतर बनाते हैं।
- **जलवायु विनियमन:** महासागर वैश्विक CO₂ उत्सर्जन का लगभग 30% और ऊष्मा का लगभग 50% अवशोषित करते हैं, जिससे उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।
- **पारिस्थितिकी-आधारित प्रबंधन:** यह संधि क्षेत्रीय नियमन से आगे बढ़कर समग्र महासागर शासन की दिशा में कदम बढ़ाती है।
- **प्रदूषण नियंत्रण:** मानकीकृत EIAs उभरते समुद्री उद्योगों से होने वाले पारिस्थितिक नुकसान को कम करने में सहायता करते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक महत्व**
 - **ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा:** सतत प्रबंधन मत्स्य पालन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और इको-पर्यटन क्षेत्रों का समर्थन करता है।
 - **खाद्य सुरक्षा:** MPAs के “स्पिलओवर प्रभाव” से स्वस्थ मछली भंडार तटीय समुदायों को लाभ पहुँचाते हैं।
 - **वैश्विक दक्षिण के लिए समानता:** MGRs से लाभ साझा करना ऐतिहासिक तकनीकी असमानताओं को संबोधित करता है।
 - **नवाचार की संभावनाएँ:** गहरे समुद्र की आनुवंशिक खोजें औषधि और औद्योगिक एंजाइमों में क्रांति ला सकती हैं।

भारत की स्थिति और रणनीतिक चिंताएँ

- **भारत की स्थिति:** भारत ने 2024 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है, जो सावधानीपूर्ण सहभागिता को दर्शाता है।
- **घरेलू तैयारी:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पैनल घरेलू कानूनों को संधि दायित्वों के अनुरूप बनाने का लक्ष्य रखता है।
- **अवसर:** भारत इस संधि का उपयोग समुद्री अनुसंधान, ब्लू इकॉनमी विस्तार और वैश्विक समुद्री नेतृत्व को मजबूत करने के लिए कर सकता है।
- **चिंताएँ:** मुद्दों में प्रौद्योगिकी तक पहुँच, लाभ साझा करने की निष्पक्षता और भारतीय नौवहन तथा मत्स्य पालन पर नियामकीय बोझ शामिल हैं।

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

- **सार्वभौमिक अनुमोदन:** प्रमुख समुद्री शक्तियों द्वारा अनुमोदन में देरी से प्रभावशीलता कमजोर हो सकती है।
- **निगरानी और प्रवर्तन:** विस्तृत हाई सीज़ क्षेत्रों की निगरानी के लिए उन्नत उपग्रह और निगरानी क्षमता की आवश्यकता होगी।
- **संस्थागत समन्वय:** अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण जैसे निकायों के साथ समन्वय में नियामकीय टकराव की संभावना हो सकती है।
- **वैज्ञानिक ज्ञान अंतराल:** गहरे समुद्र का बड़ा हिस्सा अभी भी अन्वेषित नहीं है, जिससे संरक्षण योजना जटिल हो जाती है।

निष्कर्ष

BBNJ समझौता नियम-आधारित वैश्विक महासागर शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसकी सफलता सार्वभौमिक अनुमोदन, पर्याप्त वित्तपोषण और मजबूत संस्थागत समन्वय पर निर्भर करती है। भारत को अपने समुद्री हितों की रक्षा करते हुए अनुमोदन में तेजी लानी चाहिए, समुद्री अनुसंधान क्षमता में निवेश करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय महासागर मानकों को सक्रिय रूप से आकार देना चाहिए। हाई सीज़ की सुरक्षा सतत जैव विविधता, जलवायु स्थिरता और भविष्य की ब्लू इकॉनमी के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-से BBNJ समझौते के स्तंभ हैं?

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. समुद्री संरक्षित क्षेत्र | 2. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन |
| 3. समुद्री आनुवंशिक संसाधन | 4. कार्बन व्यापार तंत्र |

सही उत्तर चुनिए:

- | | |
|--------------------|------------------|
| (a) केवल 1, 2 और 3 | (b) केवल 1 और 4 |
| (c) केवल 2 और 3 | (d) 1, 2, 3 और 4 |

(B) : 2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वैश्विक महासागर शासन को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

वायु और जल अधिनियमों के अंतर्गत समान सहमति दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने जनवरी 2026 में वायु और जल अधिनियमों के अंतर्गत समान सहमति दिशानिर्देशों में संशोधन किया, ताकि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए औद्योगिक अनुमोदनों को सुव्यवस्थित किया जा सके।

मुख्य विवरण

- संशोधनों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उद्योगों के लिए एक समान राष्ट्रीय सहमति ढाँचा बनाया गया है।
- एकल एकीकृत अनुमोदन का प्रावधान विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत कई आवेदनों की आवश्यकता को कम करता है।
- संचालन की सहमति (CTO) अब रद्द किए जाने तक वैध रहेगी, जिससे नवीनीकरण का बोझ कम होगा।
- पंजीकृत पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों को अनुपालन सत्यापन में सहायता के लिए अधिकृत किया गया है।

वायु और जल अधिनियमों के अंतर्गत नियामक ढाँचा

- **वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था:** भारत औद्योगिक प्रदूषण को मुख्यतः वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के माध्यम से नियंत्रित करता है, जिनका प्रशासन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य बोर्डों द्वारा किया जाता है।
- **सहमति तंत्र (CTE और CTO):** उद्योगों को स्थापना से पहले Consent to Establish (CTE) और संचालन शुरू करने से पहले Consent to Operate (CTO) प्राप्त करना आवश्यक होता है, ताकि उत्सर्जन और अपशिष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की भूमिका:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) सहमति प्रदान करने, निगरानी करने और रद्द करने के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं।
- **उद्योगों का वर्गीकरण:** उद्योगों को प्रदूषण क्षमता के आधार पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें रेड श्रेणी के उद्योगों पर सबसे कड़ी निगरानी होती है।

समान सहमति दिशानिर्देशों की आवश्यकता

- **अनुमोदनों की बहुलता:** पहले उद्योगों को विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत अलग-अलग आवेदन करने पड़ते थे, जिससे दोहराव, देरी और अनुपालन बोझ बढ़ता था।
- **अंतर-राज्यीय भिन्नताएँ:** विभिन्न राज्यों में अलग-अलग सहमति प्रक्रियाएँ थीं, जिससे नियामकीय अनिश्चितता पैदा होती थी और व्यापार करने में आसानी प्रभावित होती थी।
- **प्रशासनिक बोझ:** SPCBs को मानव संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता था, जबकि लगभग 2.5 लाख औद्योगिक इकाइयों की निगरानी करनी होती थी, जिससे प्रक्रिया सरलीकरण की आवश्यकता थी।
- **विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन:** भारत के विनिर्माण और अवसंरचना विस्तार के लिए तीव्र अनुमोदन आवश्यक थे, बिना पर्यावरणीय संरक्षण को कमजोर किए।

समान सहमति दिशानिर्देशों में प्रमुख संशोधन

- **एकीकृत सहमति और प्राधिकरण**
 - एकल विंडो स्वीकृति: उद्योग अब वायु अधिनियम, जल अधिनियम और

अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को शामिल करते हुए एक समेकित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कागजी कार्यवाही कम होगी।

- **समय और लागत दक्षता:** एकीकरण से अनुमोदन समय और अनुपालन लागत कम होने की संभावना है, विशेषकर मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए।
- **बेहतर नियामकीय समन्वय:** SPCBs अब आवेदनों को समग्र रूप से संसाधित कर सकते हैं, जिससे बेहतर पर्यावरणीय निगरानी संभव होगी।
- **सुरक्षा प्रावधानों का संरक्षण:** सरलीकरण के बावजूद उल्लंघन के मामलों में अस्वीकृति या रद्द करने के प्रावधान यथावत रहेंगे।
- **संचालन की सहमति (CTO) की वैधता**
 - **पूर्व व्यवस्था:** पहले CTO की वैधता सीमित अवधि के लिए होती थी, जिसके कारण बार-बार नवीनीकरण करना पड़ता था और संचालन में अनिश्चितता रहती थी।
 - **नई व्यवस्था:** CTO अब रद्द किए जाने तक वैध रहेगा, जिससे औद्योगिक संचालन की निरंतरता सुनिश्चित होगी।
 - **निरीक्षण के माध्यम से अनुपालन:** पर्यावरणीय निगरानी आवधिक निरीक्षणों और अचानक जांचों के माध्यम से जारी रहेगी।
 - **व्यवसाय करने में आसानी:** यह सुधार प्रशासनिक बोझ को कम करता है और भारत की व्यवसायिक रैंकिंग में सुधार करता है।
- **अनुमोदन समयसीमा में कमी**
 - **रेड श्रेणी के उद्योग:** प्रसंस्करण समय 120 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दिया गया है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन तेज होगा।
 - **अनुमोदन में पूर्वानुमेयता:** निर्धारित समयसीमाएँ निवेशकों का विश्वास बढ़ाती हैं और प्रक्रियात्मक देरी को कम करती हैं।
 - **उच्च जोखिम वाले इकाइयों पर ध्यान:** कम जोखिम वाले उद्योगों की त्वरित स्वीकृति से नियामक उच्च प्रदूषण उद्योगों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं।
 - **डिजिटल प्रसंस्करण:** यह सुधार पर्यावरणीय स्वीकृतियों के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा देता है।
- **पंजीकृत पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों की भूमिका**
 - **नई संस्थागत व्यवस्था:** पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 के अंतर्गत पंजीकृत लेखा परीक्षक SPCBs के साथ मिलकर निरीक्षण में सहायता करेंगे।
 - **क्षमता सीमाओं का समाधान:** इससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में मानव संसाधन की कमी की समस्या कम होगी।
 - **यादृच्छिक आवंटन प्रणाली:** हितों के टकराव को कम करने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लेखा परीक्षकों को यादृच्छिक रूप से नियुक्त किया जाएगा।
 - **डेटा आधारित अनुपालन:** ऑडिट से प्राप्त डेटा बेहतर नियामकीय निर्णयों के लिए डिजिटलीकृत पर्यावरणीय सूचना प्रदान करेगा।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए विशेष प्रावधान**
 - **स्थापना के लिए मानी हुई सहमति:** अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में MSMEs को स्व-प्रमाणन के आधार पर स्वतः CTE प्रदान किया जाएगा।
 - **छोटे उद्योगों को समर्थन:** यह महत्वपूर्ण है क्योंकि MSMEs भारत के GDP का लगभग 30% और निर्यात का 45% योगदान देते हैं।
 - **क्लस्टर आधारित पर्यावरणीय मूल्यांकन:** औद्योगिक क्षेत्रों का सामूहिक रूप से पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे दोहराव कम होगा।

- **विश्वास आधारित शासन:** यह केवल नियंत्रण के बजाय अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दिशा में बदलाव को दर्शाता है।
- **स्थल-विशिष्ट स्थापना मानदंडों की ओर बदलाव**
 - **पूर्व व्यवस्था:** पहले कठोर न्यूनतम दूरी नियम लागू थे, जो अक्सर स्थानीय पारिस्थितिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज करते थे।
 - **संदर्भ आधारित मूल्यांकन:** अब प्राधिकरण जल निकायों, बस्तियों या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों की निकटता के आधार पर सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकते हैं।
 - **अधिक पर्यावरणीय सटीकता:** इससे वैज्ञानिक रूप से अधिक उपयुक्त निर्णय लिए जा सकेंगे।
 - **लचीलापन और जवाबदेही:** यह औद्योगिक लचीलापन और पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- **लचीली CTO शुल्क संरचना**
 - **एकमुश्त शुल्क विकल्प:** राज्य 5-25 वर्षों के लिए CTO शुल्क एकमुश्त ले सकते हैं, जिससे बार-बार भुगतान की आवश्यकता कम होगी।
 - **प्रशासनिक दक्षता:** इससे उद्योगों और नियामकों दोनों के लिए कागजी कार्यवाही कम होगी।
- **समान पूंजी निवेश परिभाषा**
 - **स्पष्टता:** राज्यों के बीच शुल्क गणना में अस्पष्टता दूर की गई है।
 - **राजस्व पूर्वानुमेयता:** इससे राज्य पर्यावरणीय नियामक वित्त का बेहतर नियोजन कर सकेंगे।

सुधार का महत्व

- **व्यवसाय करने में आसानी:** सुव्यवस्थित अनुमोदन 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के अंतर्गत विनिर्माण को समर्थन देते हैं।
- **मजबूत पर्यावरणीय शासन:** निरंतर निगरानी और रद्द करने के प्रावधान सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाए रखते हैं।
- **विश्वास आधारित विनियमन:** स्व-प्रमाणन और तृतीय-पक्ष ऑडिट आधुनिक नियामक दर्शन को दर्शाते हैं।
- **सुधारित अनुपालन पारिस्थितिकी तंत्र:** डिजिटलीकरण पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **नियामकीय कमजोर पड़ने का जोखिम:** यदि निरीक्षणों में देरी होती है, तो उद्योग लंबे समय तक बिना औपचारिक नवीनीकरण के संचालन कर सकते हैं।
- **लेखा परीक्षकों की निष्पक्षता:** उद्योगों द्वारा भुगतान किए जाने वाले तृतीय-पक्ष ऑडिटोर पर दबाव पड़ सकता है।
- **SPCBs की क्षमता सीमाएँ:** कई बोर्ड पहले से ही स्टाफ और तकनीकी संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।
- **MSME स्व-प्रमाणन जोखिम:** स्व-प्रमाणन के कारण प्रदूषण स्तर कम रिपोर्ट किए जाने की संभावना हो सकती है।
- **अंतर-राज्यीय कार्यान्वयन भिन्नताएँ:** डिजिटल अवसंरचना के अंतर के कारण विभिन्न राज्यों में प्रवर्तन की गुणवत्ता अलग हो सकती है।
- **डेटा प्रबंधन और निगरानी चुनौतियाँ:** लाखों इकाइयों के ऑडिट डेटा के लिए मजबूत डिजिटल प्रणालियों की आवश्यकता होगी।
- **संभावित पर्यावरणीय बाह्यताएँ:** तीव्र अनुमोदन कभी-कभी संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में उद्योगों के स्थान चयन को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

समान सहमति दिशानिर्देश व्यवसाय करने में आसानी और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इनकी सफलता मजबूत डिजिटल निगरानी, पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों की सख्त निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण संस्थानों की क्षमता सुदृढ़ करने पर निर्भर करेगी। सुविधा और कड़े प्रवर्तन का संतुलित दृष्टिकोण भारत के सतत विकास और नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: समान सहमति दिशानिर्देश (2026) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. Consent to Operate (CTO) अब सभी औद्योगिक श्रेणियों के लिए “रद्द होने तक वैध” मॉडल का पालन करती है।
2. अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में MSMEs को स्व-प्रमाणन के आधार पर “स्थापना के लिए मानी हुई सहमति” प्रदान की जाती है।
3. पंजीकृत पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों को राज्य बोर्डों द्वारा 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए विशिष्ट उद्योगों को सौंपा जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

(e) : 2026

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “कमांड एंड कंट्रोल” व्यवस्था से “विश्वास आधारित” पर्यावरणीय शासन मॉडल की ओर परिवर्तन सतत विकास के लिए द्वािधारी तलवार है। समान सहमति दिशानिर्देशों के संदर्भ में इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

एक सुदृढ़ भारतीय हिमालयी क्षेत्र की ओर

चर्चा में क्यों: हाल की आपदाएँ और वैज्ञानिक रिपोर्टें बताती हैं कि असुरक्षित विकास और जलवायु दबाव भारतीय हिमालयी क्षेत्र को लगातार अधिक आपदा-प्रवण बना रहे हैं।

मुख्य विवरण

- हिमालय वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 50% अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिससे आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है।
- भारत में 2025 में जलवायु से संबंधित चरम घटनाओं के कारण 4,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें हिमालयी राज्यों पर विशेष प्रभाव पड़ा।
- विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अवसंरचनात्मक अतिक्रमण और पारिस्थितिक उपेक्षा प्राकृतिक जोखिमों को बढ़ा रहे हैं।
- संपादकीय इस संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में विज्ञान-आधारित, लचीलापन-आधारित योजना की आवश्यकता पर बल देता है।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व

- **जलवैज्ञानिक सुरक्षा — “एशिया का जल स्तंभ”**
 - हिमालय विशाल मीठे जल भंडार को संरक्षित करते हैं, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों को पोषित करते हैं और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। पिघलाव के कम मौसम में धीरे-धीरे मुक्त होने वाला हिमपात उत्तरी मैदानों के लिए प्राकृतिक सूखा-रोधी सुरक्षा प्रदान करता है।
 - हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र लगभग 240 मिलियन पर्वतीय निवासियों और 1.9 बिलियन निचले क्षेत्रों के लोगों का समर्थन करता है, जिससे इसका वैश्विक महत्व स्पष्ट होता है। हिमनद प्रणालियों में किसी भी प्रकार का व्यवधान भारत की खाद्य और जल सुरक्षा को सीधे खतरे में डाल सकता है।
 - **जलवायु नियमन और मानसून इंजन**
 - पर्वतीय अवरोध मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे उत्तर भारत ठंडे मरुस्थल में बदलने से बचता है। साथ ही यह नमी से भरी मानसूनी हवाओं को ऊपर उठने के लिए बाध्य करता है, जिससे पर्वतीय वर्षा होती है।
 - हिमालयी प्रणाली गंगा के मैदानों को लगभग 1000 मिमी वार्षिक वर्षा प्राप्त करने में मदद करती है, जो खरीफ कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हिमालय भारत की मानसून विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित करता है।
 - **सामरिक और भू-राजनीतिक महत्व**
 - हिमालय भारत की प्राकृतिक रक्षा दीवार बनाते हैं और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ सीमा सुरक्षा रणनीति में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सीमा सड़क संगठन की अवसंरचना परियोजनाएँ संपर्क और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं।
 - वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम सीमा क्षेत्रों में जनसंख्या पलायन को रोकने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे बस्तियाँ “जीवंत सुरक्षा दीवार” के रूप में कार्य करें। चीन के बढ़ते सीमा अवसंरचना विकास के बीच इसका महत्व बढ़ गया है।
 - **हरित ऊर्जा शक्ति केंद्र**
 - इस क्षेत्र में अनुमानित 115,550 मेगावाट जलविद्युत क्षमता है, जो भारत के ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएँ नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता को स्थिर करने में मदद करती हैं।
 - इस क्षमता का लगभग 40% स्थापित हो चुका है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण में हिमालय की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। हालाँकि खराब नियोजित बांध पारिस्थितिक जोखिमों को भी बढ़ा सकते हैं।
 - **जैव विविधता हॉटस्पॉट**
 - हिमालय भारत के चार वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक हैं और यहाँ 3,000 से अधिक स्थानिक पौध प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र परागण, मृदा स्थिरता और औषधीय संसाधन प्रदान करते हैं।
 - हिम तेंदुआ और लाल पांडा जैसी प्रजातियाँ सुरक्षित पर्यावास पर निर्भर करती हैं, जिससे संरक्षण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बनता है। जैव विविधता का नुकसान अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक परिणाम उत्पन्न कर सकता है।
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियाँ**
- **क्रायोस्फीयर का पतन**
 - हिमालयी हिमनद तेजी से पीछे हट रहे हैं; अध्ययन बताते हैं कि हिंदू कुश हिमालय में 65% हिमनद द्रव्यमान का नुकसान हो चुका है। यह

दीर्घकालिक नदी प्रवाह और जलवैज्ञानिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है।

- **दक्षिण लोनाक GLOF (2023)** जैसी घटनाएँ दिखाती हैं कि हिमनदीय अस्थिरता कैसे निचले क्षेत्रों के अवसंरचना को नष्ट कर सकती है। इस क्षेत्र में खतरनाक बाढ़-प्रेरित विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है।
- **अवसंरचना से उत्पन्न अस्थिरता**
 - आक्रामक सड़क चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण और विस्फोटक कार्य हिमालय की संवेदनशील भूविज्ञान की अनदेखी करते हैं। इससे **जोशीमठ** जैसे नगरों में धंसाव की घटनाएँ सामने आई हैं।
 - रिपोर्टों के अनुसार **जनवरी 2022 से जनवरी 2024 के बीच जोशीमठ लगभग 30 सेमी ढँस गया**, जो संचयी विकास दबाव को दर्शाता है। उचित जल निकासी और मलबा प्रबंधन के बिना भारी इंजीनियरिंग ढलानों की विफलता को बढ़ाती है।
- **अतिपर्यटन और वहन क्षमता का उल्लंघन**
 - तीर्थयात्रा और साहसिक पर्यटन अक्सर पारिस्थितिक सीमाओं से अधिक हो जाते हैं, जिससे अपशिष्ट और जल संकट उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, **केदारनाथ की वास्तविक वहन क्षमता (≈9,800/दिन)** अक्सर चरम यातायात से बहुत कम रहती है।
 - भारतीय हिमालयी क्षेत्र प्रतिवर्ष **5-8 मिलियन टन कचरा** उत्पन्न करता है, जिसमें अधिकांश पुनर्चक्रण योग्य नहीं होता। यह संवेदनशील पर्वतीय जलधाराओं को प्रदूषित करता है।
- **ब्लैक कार्बन जमाव**
 - जीवाश्म ईंधन, बायोमास जलाने और डीजल से उत्पन्न **कालिख हिमनदों पर जम जाती है**, जिससे उनकी परावर्तन क्षमता (एल्बीडो) कम हो जाती है। गहरे रंग की बर्फ अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है, जिससे ठंडे वातावरण में भी पिघलाव तेज हो जाता है।
 - अध्ययन बताते हैं कि ब्लैक कार्बन हिमालय में क्षेत्रीय ऊष्मीकरण को काफी बढ़ाता है। यह एक खतरनाक सकारात्मक प्रतिपुष्टि चक्र उत्पन्न करता है।
- **जैव विविधता विखंडन**
 - राजमार्ग और ट्रांसमिशन लाइन जैसी रैखिक अवसंरचना वन्यजीव गलियारों को बाधित करती हैं। इससे हिम तेंदुआ जैसी प्रजातियों का आनुवंशिक अलगाव होता है।
 - तीव्र शहरीकरण के कारण पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में **1991-2023 के बीच प्राकृतिक वन आवरण में 11% गिरावट** आई है। पर्यावास विखंडन मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ाता है।
- **संस्थागत और नीतिगत अंतराल**
 - हिमालयी शासन कई मंत्रालयों में विभाजित है और कोई एकीकृत पर्वतीय नीति नहीं है। इससे खंडित और कभी-कभी विरोधाभासी निर्णय सामने आते हैं।
 - रणनीतिक छूटों के अंतर्गत पर्यावरणीय मानकों में शिथिलता ने **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)** ढाँचे की सुरक्षा को कमजोर किया है। संवेदनशील परियोजनाएँ कभी-कभी कठोर जाँच से बच जाती हैं।

प्रमुख सरकारी पहल

- **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का राष्ट्रीय मिशन**
 - यह मिशन अनुसंधान, संवेदनशीलता मानचित्रण और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देता है।
 - द्वितीय चरण साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और राज्यों की जलवायु कार्य योजनाओं के साथ समन्वय पर जोर देता है।

- **पर्वतमाला (राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम)**
 - इसका लक्ष्य संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क दबाव कम करने के लिए लगभग **1,200 किमी रोपवे** बनाना है।
 - सोनप्रयाग-केदारनाथ जैसे रोपवे यात्रा समय और पारिस्थितिक व्यवधान दोनों को कम करते हैं।
- **स्प्रिंगशेड प्रबंधन (धारा विकास)**
 - यह जलभृत पुनर्भरण के माध्यम से सूखते पर्वतीय झरनों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है।
 - यह महत्वपूर्ण है क्योंकि **लगभग 50% हिमालयी झरने सूख रहे हैं**, जिससे ग्रामीण जल सुरक्षा खतरे में है।
- **हिमनदीय झील प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली**
 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) उच्च जोखिम वाली झीलों पर सेंसर आधारित निगरानी तैनात कर रहा है।
 - दक्षिण लोनाक और शाको चो जैसी झीलों में प्रणाली महत्वपूर्ण निकासी समय प्रदान करती है।
- **सुरक्षित हिमालय और सामुदायिक संरक्षण**
 - यह कार्यक्रम वन्यजीव संरक्षण को स्थानीय आजीविका जैसे इको-पर्यटन के साथ जोड़ता है।
 - इसने **1,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया**, जिससे समुदाय संरक्षण के भागीदार बने।

आगे की राह

- **हिमालय-विशिष्ट विकास संहिता अपनाना**
 - भारत को कानूनी रूप से लागू पर्वतीय निर्माण और भूमि उपयोग मानकों की आवश्यकता है।
 - सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण और संचयी प्रभाव आकलन अनिवार्य होने चाहिए।
- **लचीलापन-आधारित भूमि उपयोग योजना**
 - अवसंरचना को अल्पकालिक संपर्क लाभों के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
 - परियोजना डिजाइन के प्रारंभिक चरण में भूवैज्ञानिकों और पारिस्थितिकीविदों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **प्रकृति-आधारित समाधान को बढ़ावा देना**
 - वन पुनर्स्थापन, आर्द्रभूमि संरक्षण और ढलान वनस्पति पुनर्जीवन आपदा जोखिम को क्लिफायती तरीके से कम कर सकते हैं।
 - पारिस्थितिक तंत्र को महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में देखा जाना चाहिए।
- **पर्यटन का वैज्ञानिक नियमन**
 - वहन क्षमता सीमा, परमिट प्रणाली और क्षेत्रीय योजना लागू की जानी चाहिए।
 - वितरित और सतत पर्यटन मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए।
- **सामुदायिक-आधारित शासन को मजबूत करना**
 - पंचायतों और स्थानीय संस्थानों को निगरानी और आपदा तैयारी में सशक्त बनाना चाहिए।
 - स्वदेशी ज्ञान को औपचारिक योजना में शामिल करना चाहिए।

निष्कर्ष

हिमालयी संकट अब केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं रहा बल्कि भारत की विकास बुद्धिमत्ता की परीक्षा बन गया है। जब संवेदनशील पर्वत अल्पकालिक लाभों के लिए समतल भूमि की तरह उपयोग किए जाते हैं, तो आपदाएँ नीति-निर्मित हो जाती हैं।

जल, ऊर्जा, जैव विविधता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन-आधारित, पारिस्थितिकी-केंद्रित शासन मॉडल आवश्यक है। हिमालय में स्थिरता विकल्प नहीं बल्कि अंतिम रक्षा पंक्ति है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय हिमालयी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ब्लैक कार्बन जमाव हिमनद पिघलाव को तेज करता है।
2. हिमालय वैश्विक औसत की तुलना में धीमी गति से गर्म हो रहे हैं।
3. स्प्रिंगशेड प्रबंधन जलभृत पुनर्भरण पर केंद्रित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

(e) :2118

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “हिमालयी संकट उतना ही शासन की विफलता है जितना जलवायु परिवर्तन का परिणाम।” भारतीय हिमालयी क्षेत्र में अवसंरचना विकास और आपदा लचीलापन के संदर्भ में इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

गैलेक्सी मेंढक

चर्चा में क्यों: हाल के एक अध्ययन में बताया गया है कि सात दुर्लभ गैलेक्सी मेंढक मृत पाए गए हैं, जिससे पश्चिमी घाट में अनैतिक वन्यजीव फोटोग्राफी और बढ़ते फोटो पर्यटन से उत्पन्न पारिस्थितिक खतरे पर प्रकाश पड़ता है।

मुख्य विवरण

- गैलेक्सी मेंढक (*Melanobatrachus indicus*) दक्षिणी पश्चिमी घाट का एक दुर्लभ उभयचर है।
- एक वैज्ञानिक अध्ययन कई व्यक्तियों के लुप्त होने को वन्यजीव फोटोग्राफों द्वारा उत्पन्न व्यवधान से जोड़ता है।
- यह प्रजाति अत्यधिक पर्यावास-विशिष्ट है और सूक्ष्म जलवायु परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है।
- वर्तमान में इसे IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

प्रजाति प्रोफाइल: गैलेक्सी मेंढक

- **स्थानिक उभयचर:** गैलेक्सी मेंढक केवल दक्षिणी पश्चिमी घाट के नम सदाबहार वनों में पाया जाता है, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में, जिससे यह स्थानीय व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बन जाता है।
- **विशिष्ट रूप:** इसकी चमकदार काली त्वचा पर नीले धब्बे और नारंगी चिह्न होते हैं जो तारों भरी आकाशगंगा जैसे दिखाई देते हैं, जिससे वन्यजीव फोटोग्राफों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है।
- **सूक्ष्म पर्यावास विशेषज्ञ:** यह प्रजाति ठंडे और नम वन क्षेत्रों में सड़ी हुई लकड़ियों के नीचे रहती है, जो एक बहुत संकीर्ण पारिस्थितिक निच और कम अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।

- **प्रमुख प्रजाति स्थिति:** इसे माथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख प्रजाति घोषित किया गया है, जिससे संरक्षण और पर्यटन दोनों पर ध्यान आकर्षित हुआ है।

- **छोटा शरीर आकार:** केवल लगभग 2-3.5 सेमी लंबाई होने के कारण ये छोटे मेंढक अत्यंत संवेदनशील होते हैं और संभालने या पर्यावास में व्यवधान से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं।

शारीरिक और व्यवहारिक संवेदनशीलता

- **त्वचा द्वारा श्वसन:** उभयचर होने के कारण गैलेक्सी मेंढक आंशिक रूप से नम त्वचा से श्वसन करते हैं, जिससे वे सूखापन, गर्मी और मानव स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- **अस्वर प्रकृति:** यह प्रजाति अधिकांशतः बिना आवाज के रहती है, जिससे इसका प्रजनन संचार कमजोर होता है और मानव गतिविधि तथा शोर से आसानी से बाधित हो सकता है।
- **असमतली शारीरिक क्रिया:** बाह्य तापमान और आर्द्रता पर निर्भर होने के कारण सूक्ष्म जलवायु में छोटे परिवर्तन भी इनके अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं।
- **कम जनसंख्या घनत्व:** स्वाभाविक रूप से कम जनसंख्या के कारण व्यक्तियों की हानि आनुवंशिक विविधता को घटाती है और विलुप्ति का जोखिम बढ़ाती है।
- **पर्यावास निष्ठा:** ये मेंढक विशेष लकड़ियों और वन क्षेत्रों के प्रति मजबूत निष्ठा दिखाते हैं, इसलिए विस्थापन अक्सर मृत्यु का कारण बनता है।

उभरता खतरा: फोटो पर्यटन

- **पर्यावास में व्यवधान:** फोटोग्राफर अक्सर तस्वीर लेने के लिए लकड़ियों को उलट देते हैं और सूक्ष्म पर्यावास को बदल देते हैं, जिससे मेंढक का आश्रय और नमी संतुलन नष्ट हो जाता है।
- **स्पर्श से तनाव:** नंगे हाथों से सीधे पकड़ने से रोगाणु, तेल और रोग फैल सकते हैं, जो मेंढकों की पारगम्य त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं।
- **प्लैश फोटोग्राफी का प्रभाव:** तीव्र कैमरा प्लैश इन रात्रिचर उभयचरों को भ्रमित कर सकता है और उनके प्राकृतिक व्यवहार को बाधित कर सकता है।
- **बार-बार मानव हस्तक्षेप:** संवेदनशील वन क्षेत्रों में बढ़ती आवाजाही से रौंदना, सूक्ष्म पर्यावास में परिवर्तन और दीर्घकालिक पारिस्थितिक तनाव उत्पन्न होता है।

अन्य संरक्षण चुनौतियाँ

- **पर्यावास हानि:** कृषि और वृक्षारोपण के लिए वन भूमि का रूपांतरण पश्चिमी घाट के नम सदाबहार वनों को खंडित कर रहा है।
- **ईंधन लकड़ी संग्रह:** ईंधन के लिए गिरी हुई लकड़ियों को हटाने से मेंढक के मुख्य सूक्ष्म पर्यावास नष्ट हो जाते हैं।
- **जलवायु संवेदनशीलता:** उभयचर वैश्विक जैव संकेतक माने जाते हैं; बढ़ता तापमान और अनियमित वर्षा नमी-निर्भर प्रजातियों को खतरे में डालते हैं।
- **पश्चिमी घाट में भूस्वलन:** केरल के उच्च क्षेत्रों में बढ़ती अत्यधिक वर्षा घटनाएँ संवेदनशील वन तल को समय-समय पर नुकसान पहुँचाती हैं।
- **रोगजनक संक्रमण जोखिम:** मानव संपर्क से फफूंद संक्रमण (जैसे काइट्रिड फंगस) फैल सकता है, जो वैश्विक उभयचर विनाश का प्रमुख कारण है।

संरक्षण स्थिति और पारिस्थितिक महत्व

- **IUCN स्थिति:** गैलेक्सी मेंढक को सुभेद्य (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो वन्य अवस्था में उच्च विलुप्ति जोखिम को दर्शाता है।
- **संकेतक प्रजाति की भूमिका:** उभयचर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाते हैं; इनकी गिरावट पश्चिमी घाट के वनों में गहरे पारिस्थितिक असंतुलन का संकेत देती है।

- **स्थानिक हॉटस्पॉट:** पश्चिमी घाट एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जहाँ उभयचर स्थानिकता उच्च है, जिससे इसका नुकसान वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **सीमित वितरण:** सीमित भौगोलिक विस्तार के कारण स्थानीय विलुप्ति वैश्विक विलुप्ति में बदल सकती है।
- **सूक्ष्म पर्यावास संरक्षण की आवश्यकता:** संरक्षण को बड़े वन संरक्षण से आगे बढ़कर सूक्ष्म पर्यावास प्रबंधन तक जाना होगा।

अनुसंशित संरक्षण उपाय

- **नैतिक वन्यजीव फोटोग्राफी दिशानिर्देश:** फोटोग्राफी के दौरान सूक्ष्म पर्यावासों को हटाने, पीछा करने या बाधित करने पर कड़े नियम होने चाहिए।
- **नियंत्रित पारिस्थितिक पर्यटन:** पश्चिमी घाट के संवेदनशील क्षेत्रों में आगंतुक सीमा, मार्गदर्शित प्रवेश और मौसमी प्रतिबंध आवश्यक हैं।
- **मार्गदर्शकों की क्षमता निर्माण:** वन मार्गदर्शकों और फोटोग्राफरों को जिम्मेदार प्रकृति पर्यटन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **उभयचर निगरानी को सुदृढ़ करना:** दीर्घकालिक जनसंख्या निगरानी और सूक्ष्म पर्यावास मानचित्रण प्रारंभिक चेतावनी के लिए आवश्यक हैं।
- **विभागीय समन्वय:** वन, पर्यटन और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग संतुलित संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है।

निष्कर्ष

गैलेक्सी मेंढकों का लुप्त होना संरक्षण प्रचार के विरोधाभास को उजागर करता है, जहाँ अधिक दृश्यता कभी-कभी संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। सूक्ष्म-स्थानिक प्रजातियों की रक्षा के लिए व्यापक वन संरक्षण से आगे बढ़कर स्थल-विशिष्ट, विज्ञान-आधारित पारिस्थितिक पर्यटन प्रबंधन की आवश्यकता है। सतत सह-अस्तित्व तभी संभव है जब जैव विविधता के प्रति प्रशंसा, जैव विविधता के लिए व्यवधान में परिवर्तित न हो।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: गैलेक्सी मेंढक (*Melanobatrachus indicus*) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पश्चिमी घाट का स्थानिक है।
2. इसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
3. यह आंशिक रूप से त्वचा द्वारा श्वसन करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

(e) : १५६

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चर्चा कीजिए कि अनियंत्रित पारिस्थितिक पर्यटन और वन्यजीव फोटोग्राफी पश्चिमी घाट जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट में सूक्ष्म-स्थानिक प्रजातियों को किस प्रकार खतरे में डाल सकते हैं। (150 शब्द, 10 अंक)

प्राचीन मराठी साहित्य से पता चलता है कि सवाना अवनत वन नहीं हैं

चर्चा में क्यों: हाल ही में *People and Nature* में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के सवाना अवनत वन नहीं बल्कि प्राचीन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं।

मुख्य विवरण

- इस अध्ययन में मध्यकालीन मराठी साहित्य, मौखिक परंपराओं, अभिलेखीय आँकड़ों और पारिस्थितिक साक्ष्यों का उपयोग कर यह दिखाया गया है कि सवाना कम से कम 750 वर्षों से अस्तित्व में हैं।
- यह उस लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती देता है कि भारतीय सवाना वनों की कटाई या मानव क्षरण के परिणाम हैं।
- साक्ष्य बताते हैं कि खुले वृक्ष-घास परिदृश्य लंबे समय से बने हुए हैं और ये पशुपालक आजीविकाओं का समर्थन करते हैं।
- शोधकर्ताओं ने सवाना पारिस्थितिक तंत्र के लिए अलग संरक्षण और नीतिगत मान्यता की मांग की है।

सवाना: अवधारणा और पारिस्थितिक आधार

- **मिश्रित वृक्ष-घास पारिस्थितिकी तंत्र:** सवाना बिखरे हुए वृक्षों और निरंतर घास परत से पहचाने जाते हैं, जिन्हें मौसमी सूखा, आग और चराई द्वारा बनाए रखा जाता है। ये बंद छल वाले वनों से मूलतः भिन्न होते हैं।
- **जलवायु परिस्थितियाँ:** सामान्यतः मध्यम वर्षा और स्पष्ट शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा घने वनों के लिए पर्याप्त नहीं होती लेकिन मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए पर्याप्त होती है।
- **वनस्पति विशेषताएँ:** प्रमुख प्रजातियाँ सूखा सहनशीलता, कांटेदार संरचना और गहरी जड़ प्रणाली प्रदर्शित करती हैं, जिससे वे आग और चराई वाले परिदृश्यों में जीवित रह पाती हैं।
- **वैश्विक और भारतीय उपस्थिति:** वैश्विक स्तर पर पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं; भारत में ये दक्कन पठार के वृष्टि-छाया क्षेत्रों, राजस्थान-गुजरात के कुछ भागों और तराई घासभूमियों में प्रमुख हैं।

सवाना और वन: प्रमुख पारिस्थितिक अंतर

- **छल संरचना:** सवाना में खुले छल और घास का प्रभुत्व होता है, जबकि वनों में घना, बंद छल होता है जो भूमिगत घास को दबा देता है।
- **आग और चराई की भूमिका:** सवाना में आग और शाकाहारी जीव पारिस्थितिक चालक होते हैं, जबकि वन पारिस्थितिक तंत्र में इन्हें आमतौर पर व्यवधान माना जाता है।
- **प्रजातीय अनुकूलन:** सवाना प्रजातियों में मोटी छाल, कांटे और पुनः अंकुरण क्षमता होती है, जबकि वन प्रजातियाँ सामान्यतः छाया सहनशील और आग के प्रति संवेदनशील होती हैं।
- **नीतिगत गलत वर्गीकरण:** सवाना को अवनत वन मानने से गलत वनीकरण कार्यक्रम चलाए गए, जिससे घासभूमि जैव विविधता को नुकसान पहुँचा।

ऐतिहासिक भारतीय पारिस्थितिक शब्दावली

- **पारंपरिक शब्द:** प्राचीन पारिस्थितिक शब्दावली “वन/जागला” (खुले शुष्क वन) और “अनूप” (आर्द्र वन) जैसे परिदृश्यों में अंतर करती थी।
- **औपनिवेशिक युग की गलत व्याख्या:** आधुनिक वानिकी ने “वन” शब्द को केवल घने वनों तक सीमित कर दिया, जिससे भारत के लंबे समय से मान्यता प्राप्त खुले पारिस्थितिक तंत्रों की उपेक्षा हुई।

- **नीति पर प्रभाव:** इस अर्थ परिवर्तन के कारण घासभूमि और सवाना को “बंजर भूमि” के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे भूमि उपयोग नीतियाँ त्रुटिपूर्ण हो गईं।
- **ज्ञान पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता:** पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को शामिल करने से बायोम वर्गीकरण और संरक्षण योजना में सुधार हो सकता है।

मध्यकालीन मराठी साहित्य और मौखिक परंपराओं से साक्ष्य

- **पाठ्य स्रोत (13वीं–20वीं शताब्दी):** शोधकर्ताओं ने लोक कथाएँ, वर्णनात्मक कविताएँ, भूगोल और अभिलेखों का विश्लेषण किया, विशेष रूप से पुणे, सतारा और सोलापुर क्षेत्रों से।
- **परिदृश्य वर्णन:** बार-बार कांटेदार वृक्षों, खुले घासभूमि, मौसमी सूखे और चराई के मैदानों का उल्लेख दीर्घकालिक सवाना स्थितियों का संकेत देता है।
- **पशुपालक सांस्कृतिक स्मृति:** साहित्य और मौखिक परंपराएँ पशु चराई, चरवाहा संघर्ष और साझा भूमि प्रबंधन का उल्लेख करती हैं, जो खुले पारिस्थितिक तंत्र के प्रति मानव अनुकूलन को दर्शाती हैं।
- **पवित्र भूगोल:** शिंगणापुर और कोठलगिरी जैसे स्थलों पर धार्मिक परंपराओं में स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का उल्लेख मिलता है, जो जैव विविधता और सांस्कृतिक पहचान के संबंध को दर्शाता है।

पारिस्थितिक और वनस्पति साक्ष्य

- **वनस्पति संरचना (80 प्रजातियाँ):** अध्ययन में 27 सवाना संकेतक प्रजातियाँ पहचानी गईं, जबकि केवल 14 प्रजातियाँ खुली छत्र पारिस्थितिकी का मजबूत समर्थन करती हैं।
- **मुख्य संकेतक प्रजातियाँ:** *Vachellia leucophloea*, *Senegalia catechu*, और *Butea monosperma* सवाना-अनुकूलित टैक्सा के रूप में जानी जाती हैं।
- **कार्यात्मक लक्षण:** मोटी छाल, कांटे और क्लोनल पुनः अंकुरण की उपस्थिति आग और चराई के लिए दीर्घकालिक अनुकूलन को दर्शाती है।
- **वर्षा क्षेत्र विभाजन:** दो सवाना प्रकार—सूक्ष्म-पत्ती (<1000 मिमी वर्षा) और चौड़ी-पत्ती (>700 मिमी)—पश्चिमी महाराष्ट्र के संक्रमण क्षेत्र में सह-अस्तित्व रखते हैं।

बहु-स्रोत साक्ष्यों का समन्वय

- **अभिलेखीय दृश्य रिकॉर्ड:** पुराने फोटोग्राफ और चित्र विरल वृक्षों वाले उच्चभूमि क्षेत्रों को दर्शाते हैं, जो घने वन की धारणा का खंडन करते हैं।
- **औपनिवेशिक राजस्व दस्तावेज:** अभिलेखों में चरागाह और घास के मैदानों का उल्लेख मिलता है, जो घासभूमि अर्थव्यवस्थाओं की संस्थागत मान्यता को दर्शाता है।
- **प्राणी और शिकार रिकॉर्ड:** पक्षी सूचियाँ और शिकार अभिलेख खुले देशी जीवों, जैसे ब्लैकबक और खुले मैदान के पक्षियों, का उल्लेख करते हैं।
- **पुरातात्विक संकेतक:** मवेशियों के चित्रण और ताम्रपाषाणिक चरवाहा अवशेष दीर्घकालिक पशुपालक परिदृश्य का संकेत देते हैं।

इन निष्कर्षों का महत्व

- **पारिस्थितिक गलत वर्गीकरण:** सवाना को बंजर भूमि मानने से व्यापक वृक्षारोपण हुआ, जिसने प्राकृतिक घासभूमि जैव विविधता को बाधित किया।
- **घासभूमि प्रजातियों के लिए खतरा:** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ब्लैकबक जैसी प्रजातियाँ खुले पर्यावासों पर निर्भर करती हैं और घासभूमि के वनीकरण से घटती हैं।

- **आजीविका पर प्रभाव:** दक्कन के पशुपालक समुदाय इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर हैं; गलत प्रबंधन पारंपरिक चराई अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करता है।
- **जलवायु और आग प्रबंधन:** प्राकृतिक आग और चराई चक्रों की अनदेखी से लकड़ीदार वनस्पति का अतिक्रमण और पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत को सवाना और घासभूमियों को अवनत वन के बजाय स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। संरक्षण नीति को व्यापक वनीकरण कार्यक्रमों से आगे बढ़कर बायोम-विशिष्ट प्रबंधन अपनाया होगा, जिसमें आग पारिस्थितिकी, देशी घास और पशुपालक ज्ञान का समावेश हो। इन परिदृश्यों की रक्षा से जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सतत आजीविकाओं की एक साथ सुरक्षा होगी। भारत का पर्यावरणीय शासन साक्ष्य-आधारित पारिस्थितिक वर्गीकरण की ओर बढ़ना चाहिए।

नागौरी अश्वगंधा


नागौरी अश्वगंधा

जीआई-टैग प्राप्त औषधीय पौधा

नवीनतम अद्यतन


- नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया।
- नागौर, राजस्थान से इसकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए मान्यता प्राप्त।

उत्पत्ति का स्थान




- नागौर जिला, राजस्थान
- शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी

विशिष्ट विशेषताएँ



- मोटी, अल्लॉइड-समृद्ध जड़ें
- ब्राइट रेड बेरी

अश्वगंधा के बारे में




- वैज्ञानिक नाम: इन नामों से भी जाना जाता है:
- भारतीय जिनसेंग
- भारतीय शीतकालीन चेरी

वृद्धि की आवश्यकताएँ




- जलवायु: शुष्क और उपोष्णकटिबंधीय
- मौसम: वर्षा ऋतु (खरीफ)
- वर्षा: 500–750 मिमी
- तापमान: 20°–38°C
- मिट्टी: रेतीली दोमट, pH 7.5–8.0

प्रमुख उत्पादक क्षेत्र



मध्य प्रदेश राजस्थान पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र

औषधीय महत्व



- तनाव से राहत के लिए एंड्रोजेन
- सूजन कम करता है
- ऊर्जा और नींद की गुणवत्ता बढ़ता है
- चिंता कम करता है

व्हाइट बिल्लड हेरॉन

(श्वेत-उदर बगुला)



चर्चा में क्यों

- ▶ EAC ने लोहित नदी (अरुणाचल प्रदेश) पर कालाङ-॥ जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की – यह श्वेत-उदर बगुले का एक महत्वपूर्ण आवास है।

प्रजाति के बारे में

- ▶ वैज्ञानिक नाम: *Ardea insignis*
- ▶ इन नामों से भी जाना जाता है: इंपीरियल बगुला, ग्रेट व्हाइट-बेल्लिड बगुला
- ★ गोलियथ बगुले के बाद दूसरा सबसे बड़ा बगुला
- ★ स्वस्थ नदियों और जल गुणवत्ता का संकेतक

पर्यावास और पारिस्थितिकी

- ▶ स्वतंत्र रूप से बहने वाली नदियाँ और आर्द्रभूमियाँ
- ▶ पूर्वी हिमालय की तलहटी
- ▶ तीव्र प्रवाह वाली नदी की धाराएँ (रेपिड्स)

आहार

- ▶ नदी की तेज धाराओं से मछलियाँ

खतरे

- ▶ जलविद्युत परियोजनाएँ
- ▶ पर्यावास हानि और आर्द्रभूमि का रूपांतरण
- ▶ मानव हस्तक्षेप

संरक्षण स्थिति

- ▶ IUCN: गंभीर रूप से संकटग्रस्त

- ▶ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:

- ▶ CITES: सूचीबद्ध नहीं



जनसंख्या 60 से कम परिपक्व (वयस्क) जनसंख्या विश्व के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक

UPSC के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

- ▶ जलविद्युत बनाम जैव विविधता संघर्ष
- ▶ नदी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण
- ▶ प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) और GS-III मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिक

विशाल सौर तूफ़ान और अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव

चर्चा में क्यों: एक महत्वपूर्ण सौर विकिरण तूफ़ान (सोलर फ्लेयर) की सूचना मिली है, जो पृथ्वी के चुंबकमंडल को प्रभावित कर रहा है और ऑरोरा गतिविधि को बढ़ा रहा है — यह अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य घटक

1. सौर ज्वाला (Solar Flare)

- सूर्य की सतह से ऊर्जा का अचानक उत्सर्जन।
- एक्स-किरणों और पराबैंगनी विकिरण का उत्सर्जन करता है।
- पृथ्वी पर रेडियो संचार को लगभग तुरंत बाधित कर सकता है।

2. कोरोनल मास इजेक्शन (CME)

- सूर्य से निकला प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विशाल बादल।
- पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 1-3 दिन लगते हैं।
- पृथ्वी के चुंबकमंडल के साथ संपर्क होने पर भू-चुंबकीय तूफ़ान उत्पन्न करता है।

3. चुंबकमंडल (Magnetosphere)

- पृथ्वी का चुंबकीय कवच जो इसे सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है।
- शक्तिशाली सौर तूफ़ान इसे संकुचित या विकृत कर सकते हैं, जिससे भू-चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न होते हैं।

सौर तूफ़ान के प्रभाव

1. अंतरिक्ष और वायुमंडलीय प्रभाव

- ऑरोरा (बोरियलिस और ऑस्ट्रालिस) की तीव्रता बढ़ना, जो कभी-कभी निम्न अक्षांशों पर भी दिखाई देते हैं।
- ऊपरी वायुमंडल का गर्म होना, जिससे उपग्रहों पर घर्षण (ड्रैग) बढ़ जाता है।

2. तकनीकी प्रभाव

- उपग्रह संचार और जीपीएस नेविगेशन में व्यवधान।
- उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संभावित क्षति।
- उच्च-आवृत्ति रेडियो संकेतों में बाधा, जिनका उपयोग विमानन और समुद्री सेवाओं द्वारा किया जाता है।

3. पृथ्वी आधारित अवसंरचना

- प्रेरित विद्युत धाराएँ विद्युत ग्रिड पर अत्यधिक भार डाल सकती हैं, जिससे ब्लैकआउट हो सकता है।
- भू-चुंबकीय प्रेरित धाराओं (GICs) के कारण ट्रांसफॉर्मर और पाइपलाइनों को क्षति।

अंतरिक्ष मौसम निगरानी का महत्व

- उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों और बिजली उपयोगिताओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी देने में सहायता करता है।

- रक्षा प्रणालियों, विमानन सुरक्षा और आपदा तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
- अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के कारण इसका महत्व बढ़ रहा है।

अंतरिक्ष मौसम निगरानी में भारत की पहल

✓ आदित्य-L1 मिशन (ISRO)

भारत की पहली सौर वेधशाला, जिसे **लैंग्रेज बिंदु L1** पर स्थापित किया गया है।

यह सौर ज्वालाओं, CME और सौर पवन का वास्तविक समय में अध्ययन करता है।

✓ भारतीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA) कार्यक्रम

डेटा साझाकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग।

आगे की राह

- अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को मजबूत करना।
- अधिक सक्षम और सुरक्षित उपग्रह तथा विद्युत अवसंरचना विकसित करना।
- सौर तूफ़ानों की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढाँचे में अंतरिक्ष मौसम से जुड़े जोखिमों को शामिल करना।

इसरो का एक्सपोसैट मिशन : विकास

चर्चा में क्यों: भारत का पहला समर्पित **एक्स-रे पोलारीमेट्री मिशन XPoSat** ने उच्च-ऊर्जा खगोलभौतिकी में भारत की क्षमताओं को मजबूत करते हुए वैज्ञानिक डेटा प्रदान करना शुरू कर दिया है।

मुख्य विवरण

- **XPoSat** भारत का पहला **एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह** है, जिसे **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** ने जनवरी 2024 में प्रक्षेपित किया।
- यह खगोलीय स्रोतों से आने वाली **एक्स-रे किरणों के ध्रुवीकरण** का अध्ययन करता है।
- इस मिशन ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल किया है जो **अंतरिक्ष-आधारित एक्स-रे पोलारीमेट्री** करने में सक्षम हैं।

XPoSat मिशन क्या है?

- **मिशन उद्देश्य:** XPoSat (एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट) का उद्देश्य खगोलीय स्रोतों से आने वाली **एक्स-रे के ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण** को मापना है, जिससे उच्च-ऊर्जा ब्रह्मांड को बेहतर समझने में सहायता मिलती है।
- **प्रक्षेपण विवरण:** उपग्रह को **एलवीएम3 (LVM3)** प्रक्षेपण यान द्वारा **सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र** से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत के विश्वसनीय **पीएसएलवी प्लेटफॉर्म** का उपयोग करता है।
- **कक्षीय स्थापना:** यह लगभग **650 किमी** की ऊँचाई पर **निम्न पृथ्वी कक्षा** में संचालित होता है, जिससे विभिन्न खगोलीय स्रोतों का अवलोकन संभव है।

- **रणनीतिक महत्व:** XPoSat उच्च-ऊर्जा खगोलभौतिकी में भारत की स्थिति को मजबूत करता है और AstroSat जैसे पूर्व मिशनों का पूरक है।

वैज्ञानिक पेलोड और कार्य

- **POLIX (प्राथमिक पेलोड):**
 - पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रे (POLIX)
 - यह 3–30 keV ऊर्जा बैंड में एक्स-रे ध्रुवीकरण को मापता है।
 - यह **ब्लैक होल** के आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करने में सहायता करता है।
- **XSPECT (द्वितीयक पेलोड):**
 - XSPECT एक्स-रे स्रोतों के स्पेक्ट्रल और समय संबंधी गुणों का अध्ययन करता है।
 - इससे उच्च-ऊर्जा घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है।
- **पोलारीमेट्री का महत्व:** सामान्य इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के विपरीत, **पोलारीमेट्री** उत्सर्जन तंत्र, चुंबकीय क्षेत्रों और चरम वातावरणों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है।
- **अवलोकन लक्ष्य:** मुख्य लक्ष्य हैं **ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, पल्सर** और अन्य आकाशगंगा से बाहर के स्रोत, जो खगोलभौतिकीय अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रमुख विकास

- **सफल कमीशनिंग:** इसरो ने पेलोड के स्वस्थ प्रदर्शन और वैज्ञानिक अवलोकनों की शुरुआत की पुष्टि की है।
- **डेटा उत्पादन चरण:** मिशन अब वैश्विक खगोलभौतिकीय डेटासेट में योगदान देने के लिए ध्रुवीकरण माप उत्पन्न कर रहा है।
- **वैश्विक स्थिति:** XPoSat भारत को उन सीमित देशों (जिसमें अमेरिका और चीन शामिल हैं) के समूह में शामिल करता है जिनके पास **एक्स-रे पोलारीमेट्री क्षमता** है।
- **भविष्य का सर्वेक्षण:** XPoSat जटिल खगोलीय लक्ष्यों पर **बहु-तरंगदैर्घ्य अवलोकनों** को पूरक करेगा, जो भूमि और अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों से किए जाते हैं।

महत्व

- **अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति:** उच्च-ऊर्जा खगोल विज्ञान में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करता है और सीमांत अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
- **प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता:** सटीक डिटेक्टरों और उपग्रह स्थिरीकरण में भारत की प्रगति को दर्शाता है।
- **वैज्ञानिक कूटनीति:** अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डेटा साझाकरण के नए अवसर खोलता है।

निष्कर्ष

XPoSat भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के संचालनात्मक अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से खगोलभौतिकीय मिशनों की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कदम है। निरंतर वैज्ञानिक अवलोकन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डेटा उपयोग भारत को वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान समुदाय में प्रमुख भूमिका निभाने में सहायता करेंगे। यह उन्नत प्रेक्षणीय खगोल विज्ञान में भारत की बढ़ती क्षमता को भी दर्शाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: XPoSat मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है:

- (a) नेविगेशन सेवाएँ (b) ब्रह्मांडीय स्रोतों की एक्स-रे पोलारीमेट्री
(c) पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (d) संचार उपग्रह
(q) 2026

इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026

चर्चा में क्यों: भारत ने गोवा में **इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026** का आयोजन किया, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज करने की अपनी दोहरी रणनीति को रेखांकित किया गया।

मुख्य विवरण

- IEW 2026 ने “ऊर्जा संवर्धन” की अवधारणा को प्रमुखता दी—अर्थात् केवल जीवाश्म ईंधनों को हटाने के बजाय पारंपरिक और नवीकरणीय दोनों ऊर्जा स्रोतों का विस्तार।
- भारत ने OALP और DSF बोली प्रक्रियाओं जैसे सुधारों को प्रदर्शित किया।
- भारत-यूएई ऊर्जा साझेदारी को मजबूत किया गया, जिसमें यूएई कच्चे तेल और एलपीजी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
- भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की पुनः पुष्टि की।

महत्व और उद्देश्य

- **प्रमुख वैश्विक मंच:** 2023 में **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय** के अंतर्गत शुरू किया गया IEW, ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है। यह वैश्विक ऊर्जा शासन में भारत की रणनीतिक भूमिका को दर्शाता है, निवेश आकर्षित करने और रणनीतिक ऊर्जा साझेदारियों को गहरा करने में सहायता करता है।
- **सुलभ और सतत ऊर्जा पर ध्यान:** यह मंच ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और स्थिरता के बीच संतुलन पर जोर देता है, जो भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के अनुरूप है।
- **सार्वजनिक और निजी हितधारकों का एकीकरण:** यह मंच सरकारों, तेल कंपनियों, प्रमुख कंपनियों, नवीकरणीय ऊर्जा फर्मों और नवाचारकर्ताओं को एक साथ लाता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की भूमिका मजबूत होती है।

ऊर्जा संवर्धन का प्रतिमान परिवर्तन

- **अवधारणात्मक परिवर्तन:** भारत ने तर्क दिया कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण केवल जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने के बजाय बढ़ती मांग को देखते हुए **ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने** के बारे में होना चाहिए।
- **संतुलित ऊर्जा मिश्रण:** भारत यह मानता है कि तेल, गैस, एलएनजी, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार आवश्यक है, क्योंकि केवल नवीकरणीय ऊर्जा निकट अवधि की मांग को पूरा नहीं कर सकती।
- **ऊर्जा न्याय का दृष्टिकोण:** भारत का जोर ऊर्जा समानता पर है, जिसमें यह बताया गया कि विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत अभी भी कम है।

- **नीति निरंतरता:** यह दृष्टिकोण वैश्विक जलवायु वार्ताओं में भारत की व्यावहारिक नीति को दर्शाता है—विकास की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना सतत विकास को बढ़ावा देना।

घरेलू हाइड्रोकार्बन अन्वेषण को सुदृढ़ करना

- **ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP):** यह पूरे भारत में ब्लॉकों की खोज के लिए कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति देती है, जिससे लचीलापन बढ़ता है।
- **डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स (DSF) नीति:** यह छोटे तेल और गैस क्षेत्रों के मुद्रीकरण को प्रोत्साहित करती है, जिससे पहले अप्रयुक्त घरेलू संसाधनों का दोहन संभव होता है।
- **हेल्प कार्यक्रम (HELP):** हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी राजस्व-साझेदारी अनुबंधों और विपणन स्वतंत्रता के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है।
- **रणनीतिक उद्देश्य:** ये सुधार आयात निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है।

भारत-यूई ऊर्जा साझेदारी

- **विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता:** यूई ने पुष्टि की कि वह भारत के कच्चे तेल और एलपीजी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना रहेगा।
- **व्यापार का महत्व:** यूई भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात स्रोत और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- **भविष्य का व्यापार लक्ष्य:** दोनों देश 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे ऊर्जा और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।
- **रणनीतिक विविधीकरण:** यह साझेदारी भारत को ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करने और वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरताओं से बचने में मदद करती है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा प्रगति

- **वैश्विक रैंकिंग (IRENA 2025):** भारत कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
- **गैर-जीवाश्म क्षमता का मील का पत्थर:** भारत ने 203 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ गैर-जीवाश्म स्रोतों से अपनी कुल बिजली क्षमता का लगभग 50% प्राप्त कर लिया है।
- **प्रमुख योजनाएँ जो संक्रमण को आगे बढ़ा रही हैं:** मुख्य योजनाएँ शामिल हैं: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना; PM-कुसुम (PM-KUSUM) राष्ट्रीय कार्यक्रम; राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन; 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) लक्ष्य 2025 तक
- **वैश्विक सौर नेतृत्व:** भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) पहल के माध्यम से सौर कूटनीति को बढ़ावा देता है।

ऊर्जा संक्रमण में चुनौतियाँ

- **वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक:** भारत की रैंकिंग 2024 में 63वें स्थान से गिरकर 71वें स्थान पर आ गई।
- **उच्च आयात निर्भरता:** नवीकरणीय ऊर्जा के बावजूद भारत कच्चे तेल और गैस के लिए वैश्विक मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।
- **अवसंरचना और वित्तीय सीमाएँ:** ग्रिड एकीकरण, भंडारण क्षमता और हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तपोषण प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- **विकास और डीकार्बोनाइजेशन का संतुलन:** तेजी से औद्योगिकीकरण और बढ़ती ऊर्जा मांग संक्रमण को जटिल बनाती है।

हरित इस्पात : एक उभरती प्राथमिकता

- **प्रमुख उत्सर्जन स्रोत:** इस्पात क्षेत्र भारत के कुल 12% औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, मुख्य रूप से कोयला आधारित ब्लास्ट फर्नेस के कारण।
- **बढ़ता मांग दबाव:** मध्य-शताब्दी तक इस्पात उत्पादन 240 मिलियन टन से अधिक हो सकता है, जिससे ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन दोनों बढ़ेंगे।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दबाव:** यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे उपाय कार्बन-गहन निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं।
- **नीति प्रोत्साहन:** भारत ने ग्रीन स्टील टैक्सोनामी, ग्रीन स्टील रोडमैप और हाइड्रोजन आधारित पायलट परियोजनाएँ शुरू की हैं।

निष्कर्ष

भारत की ऊर्जा रणनीति एक व्यावहारिक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के बीच संतुलन बनाया गया है। घरेलू डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों, वैश्विक साझेदारियों और तकनीकी नवाचार के साथ भारत ऊर्जा संवर्धन की संतुलित रणनीति को बढ़ावा दे रहा है, जो विकास और नीति लक्ष्यों को बनाए रखते हुए भारत को एक सशक्त और सतत ऊर्जा नेता के रूप में उभरने में सहायता कर सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: इंडिया एनर्जी वीक (IEW) मुख्य रूप से किससे संबंधित है:

- (a) परमाणु सुरक्षा
- (b) वैश्विक ऊर्जा सहयोग और निवेश
- (c) जलवायु वित्त वार्ताएँ
- (d) कोयला क्षेत्र में सुधार

(9) : 258

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की “ऊर्जा संवर्धन” रणनीति की चर्चा कीजिए, जो ऊर्जा संक्रमण में ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के संतुलन से संबंधित है। (150 शब्द, 10 अंक)

भारत का गहरे समुद्र मिशन और बहुधात्विक सल्फाइड (PMS) अन्वेषण

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्र प्राधिकरण (ISA) से बहुधात्विक सल्फाइड (PMS) के अन्वेषण के लिए पहला देश बन गया है।

मुख्य विवरण

- भारत ने हिंद महासागर के कार्ल्सबर्ग रिज में 10,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में विशेष अन्वेषण अधिकार प्राप्त किए हैं।
- यह बहुधात्विक नोड्यूल (PMN) और कोबाल्ट-समृद्ध क्रस्ट के अन्वेषण में भारत की पहले की उपलब्धियों को आगे बढ़ाता है।
- यह विकास भारत की डीप ओशन मिशन (DOM) और ब्लू इकोनामी रणनीति के अनुरूप है।
- यह समुद्री शासन में भारत के वैश्विक नेतृत्व को भी मजबूत करता है।

बहुधात्विक सल्फाइड (PMS): संसाधन का महत्व

- **प्रकृति और स्थान:** PMS जमाव प्रायः मध्य-महासागरीय कटकों पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के साथ बनते हैं, लगभग 2000–6000 मीटर की गहराई पर।
- **महत्वपूर्ण खनिज संरचना:** इन जमाओं में तांबा, जस्ता, सोना, चांदी और प्लेटिनम समूह धातुएँ होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना और एयरोस्पेस निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **भविष्य के संसाधन की सुरक्षा:** महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, PMS स्थलीय भंडारों के पूरक के रूप में एक रणनीतिक संसाधन बन रहा है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** चीन, रूस और यूरोपीय संघ के सदस्य देश गहरे समुद्र खनन तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से अन्वेषण कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय समुद्र प्राधिकरण (ISA)

- **UNCLOS के अंतर्गत कानूनी आधार:** ISA की स्थापना 1994 में संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून अभिसमय (UNCLOS) के तहत की गई थी, ताकि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र तल क्षेत्र के खनिज संसाधनों का प्रबंधन किया जा सके।
- **मानवता की साझा धरोहर:** अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में समुद्र तल संसाधनों को “मानवता की साझा धरोहर” माना जाता है, जिसके लिए न्यायसंगत और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार दोहन आवश्यक है।
- **नियामक कार्य:** ISA अन्वेषण अनुबंध आवंटित करता है, खनन संहिता (Mining Code) विकसित करता है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए पर्यावरणीय मानकों की निगरानी करता है।
- **भारत का दीर्घकालिक संबंध:** भारत 1987 में पहला अग्रणी निवेशक बना, जिसने बहुधात्विक नोड्यूल के अन्वेषण का अधिकार प्राप्त किया और तब से समुद्र तल संसाधन अन्वेषण में सक्रिय है।
- **अस्थायी विनियम:** ISA द्वारा विकसित अस्थायी नियम भविष्य के गहरे समुद्र खनन के वैश्विक नियमों को आकार देने में मदद कर रहे हैं।

डीप ओशन मिशन (DOM): रणनीतिक दृष्टि

- **प्रक्षेपण और उद्देश्य:** इसे 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य समुद्री अनुसंधान, खनिज और जैव संसाधनों तथा समुद्री-आधारित सेवाओं के लिए उन्नत गहरे समुद्र प्रौद्योगिकियों का विकास करना है।
- **छह प्रमुख घटक:** इनमें खनिज अन्वेषण, गहरे समुद्र जैव विविधता का आकलन, समुद्री जलवायु सेवाएँ, समुद्री प्रौद्योगिकी और मानवयुक्त पनडुब्बी प्रणाली का विकास शामिल है।
- **प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन – समुद्रयान:** मिशन का प्रमुख भाग मानवयुक्त पनडुब्बी “समुद्रयान” का विकास है, जिसे लगभग 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा।
- **ब्लू इकोनॉमी से संबंध:** डीप ओशन मिशन ब्लू इकोनॉमी का विस्तार करता है, जो वर्तमान में भारत के जीडीपी का लगभग 4% योगदान देता है और इसमें वृद्धि की बड़ी संभावनाएँ हैं।

रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व

- **हिंद महासागर प्रतिस्पर्धा:** हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, विशेषकर चीन के गहरे समुद्र अन्वेषण कार्यक्रम के कारण।
- **समुद्री उपस्थिति को मजबूत करना:** ISA अनुबंधों को सुरक्षित करना भारत की समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति और दीर्घकालिक संसाधन पहुँच को मजबूत करता है।

- **महासागर शासन में नेतृत्व:** 2025 में 8वीं ISA परिषद की मेजबानी भारत की सक्रिय और जिम्मेदार महासागर शासन में भूमिका को दर्शाती है।
- **SAGAR के साथ समन्वय:** यह पहल भारत के SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो समुद्री सहयोग और सतत समुद्री संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव

- **महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा:** भारत महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भर है; PMS संसाधन आपूर्ति जोखिम को कम करने और संसाधन आत्मनिर्भरता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।
- **सनराइज सेक्टरों को बढ़ावा:** गहरे समुद्र खनिज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को समर्थन देंगे।
- **नई मूल्य श्रृंखलाएँ:** PMS अन्वेषण गहरे समुद्र रोबोटिक्स, समुद्री धातुकर्म और समुद्री लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **ब्लू इकोनॉमी विविधीकरण:** गहरे समुद्र खनन मत्स्य पालन और तटीय पर्यटन जैसी पारंपरिक गतिविधियों के साथ समुद्र-आधारित आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करता है।

वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति

- **स्वदेशी क्षमताएँ विकसित करना:** गहरे समुद्र खनन के लिए उन्नत रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियाँ और उच्च दबाव सहन करने वाले पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिससे भारत के उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है।
- **समुद्र विज्ञान अनुसंधान:** हाइड्रोथर्मल वेंट्स का अध्ययन चरम परिस्थितियों में जीवन के स्वरूपों और गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की समझ को बढ़ाता है।
- **रणनीतिक प्रौद्योगिकी प्रभाव:** गहरे समुद्र मिशनों से विकसित तकनीकें अंतरिक्ष मिशनों और अपतटीय ऊर्जा अन्वेषण में भी उपयोगी हो सकती हैं।
- **वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा:** भारत गहरे समुद्र अन्वेषण क्षमता वाले चुनिंदा देशों में शामिल है, जिससे उसकी वैज्ञानिक प्रतिष्ठा बढ़ती है।

पर्यावरणीय और नैतिक चिंताएँ

- **संवेदनशील गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र:** हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर विशिष्ट और स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं; खनन गतिविधियाँ जैव विविधता को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुँचा सकती हैं।
- **सीमित वैज्ञानिक जानकारी:** गहरे समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र के लगभग 95% से अधिक भाग के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, जिससे समय से पहले व्यावसायिक दोहन पर चिंता बढ़ती है।
- **प्रदूषण और तलछट जोखिम:** खनन तलछट के गुबार और विषैले धातुओं के उत्सर्जन का कारण बन सकता है, जिससे समुद्री जीवों और खाद्य श्रृंखलाओं को नुकसान हो सकता है।
- **वैश्विक स्थगन बहस:** कई देश और पर्यावरण समूह व्यावसायिक गहरे समुद्र खनन पर अस्थायी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, जब तक कि अधिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध न हो जाएँ।

तकनीकी और आर्थिक चुनौतियाँ

- **कठोर समुद्री परिस्थितियाँ:** लगभग 300–600 बार दबाव वाली गहराइयों में खनन के लिए अत्यधिक उन्नत और विफलता-प्रतिरोधी उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- **उच्च पूंजी निवेश:** गहरे समुद्र खनन के लिए अन्वेषण, प्रसंस्करण और परिवहन में भारी लागत लगती है, जिससे यह व्यावसायिक रूप से अनिश्चित हो सकता है।

- **नियामक अनिश्चितता:** ISA की खनन संहिता अभी भी विकसित हो रही है, जिससे निवेश और संचालन के जोखिम बने हुए हैं।
- **बाजार की अस्थिरता:** महत्वपूर्ण खनिजों की कीमतों की वैश्विक मांग और उतार-चढ़ाव दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत को प्रौद्योगिकीय नवाचार, मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और सक्रिय कूटनीति के माध्यम से PMS अन्वेषण को आगे बढ़ाना चाहिए। गहरे समुद्र खनन को ब्लू इकोनॉमी, SAGAR दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर भारत के साथ एकीकृत करना महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि महासागर मानवता की साझा धरोहर बने रहें।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बहुधात्विक सल्फाइड मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं:

(a) महाद्वीपीय मग्नट (b) महासागरीय कटक पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स
(c) तटीय अवसाद (d) नदी डेल्टा

(9) : 2024

भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपरकंप्यूटर का उपयोग करके म्पेम्बा प्रभाव का अनुकरण किया

चर्चा में क्यों: भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपरकंप्यूटर का उपयोग करके म्पेम्बा प्रभाव (Mpemba effect) का सफलतापूर्वक अनुकरण किया है, जिससे भौतिकी की एक लंबे समय से चली आ रही पहेली का समाधान हुआ है।

मुख्य विवरण

- भारत ने सुपरकंप्यूटर आधारित पहला म्पेम्बा प्रभाव अनुकरण प्रस्तुत किया है।
- यह अध्ययन गैर-संतुलन ऊष्मागतिकी की भूमिका की पुष्टि करता है, जो जमने की गतिशीलता को प्रभावित करती है।
- शोध से पता चलता है कि कुछ परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जम सकता है।
- यह उपलब्धि जटिल वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान में भारत की बढ़ती संगणनात्मक क्षमता को दर्शाती है।

म्पेम्बा प्रभाव : अवधारणा और परिभाषा

- **प्रतिस्वेदी जमाव की घटना:** म्पेम्बा प्रभाव बताता है कि कुछ परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जम सकता है, जो पारंपरिक ऊष्मागतिकी की समझ को चुनौती देता है।
- **ऐतिहासिक उत्पत्ति:** इस प्रभाव का नाम तंजानिया के छात्र एरास्टो म्पेम्बा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1960 के दशक में इसे देखा था और जिसे बाद में भौतिकविदों ने सत्यापित किया।
- **वैज्ञानिक विरोधाभास:** दशकों तक इस घटना के लिए कोई एकीकृत सैद्धांतिक व्याख्या नहीं थी, जिससे यह भौतिकी में एक प्रमुख रहस्य बना रहा।
- **शर्तीय प्रकृति:** यह प्रभाव हमेशा नहीं होता; यह वाष्पीकरण, चुली हुई गैसों और पाल की विशेषताओं जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

सुपरकंप्यूटर अनुकरण की भूमिका

- **पहला उच्च-रिज़ॉल्यूशन संगणनात्मक विश्लेषण:** भारतीय वैज्ञानिकों ने उन्नत सुपरकंप्यूटिंग का उपयोग करके बहु-स्तरीय ऊष्मा स्थानांतरण और अवस्था परिवर्तन गतिकी का मॉडल तैयार किया।
- **परमाणु-स्तरीय मॉडलिंग:** सुपरकंप्यूटरों ने लाखों कणों की अंतःक्रियाओं का अनुकरण संभव बनाया, जो पारंपरिक प्रयोगों से समझना कठिन था।
- **भौतिक तंत्रों का सत्यापन:** अनुकरण ने ऊर्जा अपव्यय और शीतलन मार्गों से संबंधित प्रस्तावित सिद्धांतों की पुष्टि की।
- **संगणनात्मक विज्ञान को बढ़ावा:** यह दर्शाता है कि उच्च-प्रदर्शन संगणन (HPC) लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक भौतिकी समस्याओं को हल कर सकता है।

पारंपरिक ऊष्मागतिकी से एक नई समझ

- **शास्त्रीय संतुलन सिद्धांत से भिन्नता:** पारंपरिक ऊष्मागतिकी मानती है कि प्रणालियाँ संतुलन की ओर विकसित होती हैं, जबकि म्पेम्बा प्रभाव गैर-संतुलन स्थितियों को दर्शाता है।
- **ऊर्जा पुनर्वितरण की गतिशीलता:** अध्ययन से पता चलता है कि प्रारंभिक ऊष्मा अवस्थाएँ ऊर्जा मार्गों को बदल सकती हैं, जिससे कुछ मामलों में गर्म पानी अधिक कुशलता से ऊष्मा खो सकता है।
- **सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तन:** आणविक पुनर्व्यवस्थाएँ और तेज संरचनात्मक क्रमबद्धता विशेष परिस्थितियों में जमने की प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं।
- **व्यापक वैज्ञानिक महत्व:** ऐसे परिणाम जलवायु विज्ञान, धातुकर्म, क्रायोजेनिक्स और पदार्थ विज्ञान में महत्वपूर्ण हैं।

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय महत्व

- **लंबे समय से चली आ रही भौतिकी पहेली का समाधान:** इस सफल अनुकरण से दशकों से चर्चा में रहे एक जटिल वैज्ञानिक प्रश्न को समझने में मदद मिली है।
- **अवस्था संक्रमण अध्ययनों में प्रगति:** यह निष्कर्ष औद्योगिक प्रक्रियाओं में द्रव-से-ठोस संक्रमण को बेहतर समझने में सहायता कर सकता है, जैसे धातु ढलाई और क्रायोप्रिजर्वेशन।
- **पदार्थ विज्ञान के लिए निहितार्थ:** यह खोज बताती है कि जल की आणविक संरचना और ऊर्जा प्रवाह विभिन्न प्रणालियों में संघनन और जमने को प्रभावित कर सकते हैं।
- **सुपरकंप्यूटिंग क्षमता का प्रदर्शन:** यह भारत की राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग क्षमता और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करता है।

संस्थागत और राष्ट्रीय संदर्भ

- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन से समन्वय:** यह शोध राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) जैसी पहलों के अंतर्गत हुई प्रगति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य भारत में उच्च-प्रदर्शन संगणन क्षमता का निर्माण करना है।
- **वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना:** यह भारत की उन्नत भौतिकी, द्रव गतिकी और उन्नत शोध अवसंरचना में क्षमता को बढ़ाता है।
- **रणनीतिक महत्व:** सुपरकंप्यूटिंग क्षमता मौसम पूर्वानुमान, औषधि खोज, परमाणु अनुकरण और रक्षा मॉडलिंग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **वैश्विक वैज्ञानिक स्थिति:** ऐसी उपलब्धियाँ मूलभूत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करती हैं।

निष्कर्ष

म्पेम्बा प्रभाव का सफल अनुकरण संगणनात्मक विज्ञान के माध्यम से जटिल ऊष्मागतिकी प्रश्नों को हल करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हुए भारत को उच्च-प्रदर्शन संगणन अवसंरचना, अंतर्विषयी अनुसंधान और उन्नत औद्योगिक

अनुप्रयोगों में निवेश को मजबूत करना चाहिए। यह उपलब्धि आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में सुपरकंप्यूटिंग की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: म्बेबा प्रभाव किससे संबंधित है:

- (a) दबाव में पानी का उबलना
- (b) कुछ परिस्थितियों में गर्म पानी का ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जमना
- (c) गर्म करने पर पानी का फैलाव
- (d) द्रवों का सुपरकूलिंग

(q) 2022

ब्लूबर्ड-6 उपग्रह और LVM-3

चर्चा में क्यों: इसरो ने भारी-भरकम LVM-3 रॉकेट का उपयोग करके AST SpaceMobile के BlueBird-6 उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है, जो वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

मुख्य विवरण

- BlueBird-6 एक अमेरिकी विकसित वाणिज्यिक उपग्रह है, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष-से-डिवाइस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- इसे ISRO के LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, जो भारत का सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेट है।
- यह मिशन भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग और वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमताओं को मजबूत करता है।
- इस उपग्रह का लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को कम करना है।

ब्लूबर्ड-6 उपग्रह : प्रमुख विशेषताएँ

- **विकासकर्ता और प्रकृति:** BlueBird-6 को AST SpaceMobile (USA) द्वारा विकसित किया गया है। यह एक वाणिज्यिक उपग्रह समूह का हिस्सा है जो अंतरिक्ष-आधारित सेल्युलर ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करेगा।
- **प्रत्यक्ष-से-डिवाइस कनेक्टिविटी:** यह उपग्रह सामान्य स्मार्टफोन को सीधे अंतरिक्ष से जोड़ सकता है, जिससे मोबाइल टावरों पर निर्भरता समाप्त हो सकती है — यह दूरसंचार तकनीक में एक उभरता हुआ क्षेत्र है।
- **भारी वाणिज्यिक पेलोड:** लगभग 6.5 टन द्रव्यमान के साथ यह सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रहों में से एक है, जो भारत की भारी-उठान प्रक्षेपण क्षमता को दर्शाता है।
- **निम्न पृथ्वी कक्षा के लाभ:** यह निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में कार्य करेगा, जिससे भू-स्थिर उपग्रहों की तुलना में कम विलंबता और बेहतर ब्रॉडबैंड प्रदर्शन मिलता है।
- **बड़ा चरणबद्ध सरणी एंटीना:** इस उपग्रह में लगभग 400 वर्ग मीटर का विशाल एंटीना है, जो अंतरिक्ष से व्यापक मोबाइल कवरेज प्रदान करने में सक्षम है।

प्रत्यक्ष-से-डिवाइस (D2D) उपग्रहों का तकनीकी महत्व

- **अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक:** Direct-to-Device (D2D) उपग्रह पारंपरिक उपग्रह फोन से आगे बढ़कर मानक 4G/5G स्मार्टफोन को सीधे अंतरिक्ष से जोड़ते हैं।

- **डिजिटल विभाजन को कम करना:** यह तकनीक दूरस्थ, समुद्री, मरुस्थलीय और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है।
- **आपदा-सहनीय संचार:** भूकंप या चक्रवात जैसी स्थितियों में जब स्थलीय अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब भी संचार सेवाएँ जारी रह सकती हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** SpaceX (Starlink), Direct-to-Cell और AST SpaceMobile जैसी कंपनियाँ इस बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जिससे यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया है।

रणनीतिक महत्व

- **वाणिज्यिक प्रक्षेपण केंद्र:** ऐसे प्रक्षेपण भारत की स्थिति को लागत-प्रभावी और विश्वसनीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता के रूप में मजबूत करते हैं।
- **भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग:** यह मिशन उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाता है।
- **राजस्व और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था:** वाणिज्यिक प्रक्षेपणों से भारत को वैश्विक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- **निजी क्षेत्र को बढ़ावा:** ऐसे मिशन निजी अंतरिक्ष कंपनियों, नवाचार और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं।

LVM-3 : भारत का भारी-उठान रॉकेट

- **मूल विवरण:** LVM-3 (Launch Vehicle Mark-3), जिसे पहले GSLV Mk-III कहा जाता था और उपनाम “बाहुबली”, इसरो का सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेट है।
- **भारी पेलोड क्षमता:** यह लगभग 4 टन तक GTO और लगभग 8 टन तक LEO में पेलोड ले जा सकता है, जिससे यह बड़े संचार उपग्रहों और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त है।
- **मानव अंतरिक्ष उड़ान में भूमिका:** LVM-3 भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए निर्धारित प्रक्षेपण यान है।
- **तीन-चरणीय विन्यास:** इसमें दो ठोस स्टैप-ऑन बूस्टर, एक तरल कोर चरण और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण शामिल है।
- **सिद्ध प्रक्षेपण रिकॉर्ड:** इसे चंद्रयान-3 जैसे मिशनों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता सिद्ध हुई है।

LVM-3 बनाम PSLV बनाम GSLV

- **PSLV:** इसे इसरो का वर्कहॉर्स माना जाता है; मुख्यतः पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है।
- **GSLV (Mk II):** मुख्य रूप से भू-स्थिर संचार उपग्रहों के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का उपयोग होता है।
- **LVM-3:** बड़े उपग्रहों और मानव मिशनों के लिए भारी-उठान प्रक्षेपण यान है, जो भारी प्रक्षेपण मिशनों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

निहितार्थ

- **वैश्विक कनेक्टिविटी क्रांति:** प्रत्यक्ष-से-मोबाइल उपग्रह सार्वभौमिक कनेक्टिविटी को सक्षम बना सकते हैं।
- **भारत की अंतरिक्ष कूटनीति:** सफल वाणिज्यिक प्रक्षेपण ग्लोबल साउथ में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं।
- **नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा:** IN-SPACe और NSIL जैसे सुधार निजी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** यह राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षमताओं के लिए भारत की स्वतंत्र भारण-उठान क्षमता को मजबूत करता है।

BlueBird-6 का LVM-3 द्वारा प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास को दर्शाता है—एक विकासशील कार्यक्रम से वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी की दिशा में। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, उन्नत प्रक्षेपण तकनीक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में बड़ा स्थान प्राप्त कर सकता है, साथ ही विश्वभर में डिजिटल कनेक्टिविटी को भी समर्थन दे सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: BlueBird-6 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह मानक स्मार्टफोनों को प्रत्यक्ष ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
2. यह भू-स्थिर पृथ्वी कक्षा (GEO) में स्थापित किया जाएगा।
3. इसका प्रक्षेपण ISRO के LVM-3 द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- | | |
|-----------------|------------|
| (a) केवल 1 और 3 | (b) केवल 2 |
| (c) 1, 2 और 3 | (d) केवल 3 |

(ए) : 2022

वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों: भारत सरकार 2026 के अंत तक वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रौद्योगिकी को लागू करने की योजना बना रही है, ताकि सड़क दुर्घटनाएँ, विशेषकर कोहरे और बहु-वाहन टक्करों को कम किया जा सके।

मुख्य विवरण

- V2V वाहनों के बीच प्रत्यक्ष वायरलेस संचार को सक्षम बनाता है, जिससे वास्तविक समय में सुरक्षा चेतावनियाँ मिलती हैं।
- यह नेटवर्क के बिना भी कार्य करता है, मोबाइल नेटवर्क पर निर्भरता को कम करता है।
- इसका समन्वय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा किया जा रहा है।
- इस प्रौद्योगिकी से पीछे से होने वाली टक्करों, कोहरे से संबंधित दुर्घटनाओं और बहु-वाहन टक्करों में कमी आने की संभावना है।

वाहन-से-वाहन (V2V) प्रौद्योगिकी : अवधारणा

- **प्रत्यक्ष अल्प-दूरी संचार:** V2V वायरलेस संचार का उपयोग करता है ताकि वाहन वास्तविक समय में डेटा का आदान-प्रदान कर सकें, जिससे सड़क सुरक्षा और बेहतर हो सके।
- **बुद्धिमान परिवहन प्रणाली (ITS) का हिस्सा:** यह कनेक्टेड और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को सुधारना है।
- **कोई इंटरनेट निर्भरता नहीं:** V2V छोटे-दूरी संचार (DSRC/C-V2X) का उपयोग करता है, जिससे मोबाइल या नेटवर्क कवरेज के बिना भी कार्य संभव होता है।

- **सुरक्षा-प्रथम डिजाइन:** इसका मुख्य उद्देश्य टक्कर से बचाव और टक्कर की सूचना देना है, न कि केवल सूचना-मनोरंजन या नेविगेशन सेवाएँ प्रदान करना।

V2V प्रणाली कैसे कार्य करती है?

- **ऑन-बोर्ड संचार इकाई:** वाहनों में एक SIM-जैसा वायरलेस उपकरण लगाया जाता है जो कम दूरी में आसपास के वाहनों को निरंतर वाहन संबंधी डेटा प्रसारित करता है।
- **रीयल-टाइम डेटा आदान-प्रदान:** मुख्य डेटा में वाहन की गति, स्थिति, दिशा और अचानक ब्रेक लगने की जानकारी शामिल होती है।
- **तत्काल चालक चेतावनी:** जब कोई जोखिम का पता चलता है, तो प्राप्त करने वाला वाहन चालक को ऑडियो-दृश्य चेतावनी देता है।
- **कम विलंबता संचार:** प्रणाली मिलीसेकंड के भीतर कार्य करती है, जो आवश्यक है क्योंकि अधिकांश राजमार्ग दुर्घटनाएँ विलंबित मानवीय प्रतिक्रिया के कारण होती हैं।

मुख्य विशेषताएँ और सुरक्षा लाभ

- **360-डिग्री परिस्थितिजन्य जागरूकता:** दर्पण और कैमरों के विपरीत, V2V ब्लाइंड स्पॉट सहित सभी दिशाओं में चेतावनी प्रदान करता है।
- **उन्नत चेतावनी प्रणाली:** जब कोई वाहन बहुत नज़दीक या तेज़ी से आ रहा हो, तो प्रणाली चालक को पहले ही चेतावनी देती है, जिससे दुर्घटनाएँ रोकी जा सकती हैं।
- **स्थिर वाहन पहचान:** प्रणाली खड़े या खराब वाहन तथा धीमी गति से चल रहे वाहनों के बारे में भी चेतावनी देती है।
- **कम दृश्यता में सुरक्षा:** भारत में कोहरे और कम दृश्यता के कारण होने वाली दुर्घटनाएँ अधिक हैं, इसलिए V2V दृश्यता से स्वतंत्र होकर कार्य करता है।
- **पाइल-अप रोकथाम:** प्रारंभिक ब्रेकिंग चेतावनियों के माध्यम से बहु-वाहन टक्करों की संभावना कम हो जाती है।

भारत के लिए प्रासंगिकता

- **उच्च सड़क मृत्यु दर:** भारत में लगभग 11% वैश्विक सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जबकि विश्व के केवल लगभग 1% वाहन भारत में हैं।
- **मानवीय त्रुटि का प्रभुत्व:** भारत में 85-90% दुर्घटनाएँ मानवीय त्रुटि के कारण होती हैं, जिन्हें V2V चेतावनियों से कम किया जा सकता है।
- **कोहरे से संभावित क्षेत्र:** उत्तरी भारत, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्दियों के दौरान घने कोहरे के कारण बहु-वाहन दुर्घटनाएँ होती हैं।
- **स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा:** V2V भारत के डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन और बुद्धिमान परिवहन प्रणाली नीति के लक्ष्यों के अनुरूप है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **मानकीकरण के मुद्दे:** वाहन निर्माताओं के बीच प्रोटोकॉल की संगतता के लिए सामान्य मानकों की आवश्यकता होगी।
- **स्थापना की लागत:** पुराने वाहनों में V2V उपकरण जोड़ना महंगा हो सकता है, जिससे अपनाने में कठिनाई हो सकती है।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** कनेक्टेड वाहन पारिस्थितिकी तंत्र हैकिंग, स्पूर्फिंग और डेटा हस्तक्षेप जैसे जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो सकता है।
- **अवसंरचना और नीति तैयारी:** बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए अवसंरचना परीक्षण, प्रोटोकॉल और स्वचालित चेतावनी प्रणालियों के लिए कानूनी ढाँचे की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

वाहन-से-वाहन संचार प्रौद्योगिकी सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को बुद्धिमान और स्वायत्त गतिशीलता के मानकों के करीब लाती है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानकीकरण, वहनीयता, साइबर सुरक्षा सुरक्षा उपाय और एकीकृत सड़क सुरक्षा ढांचा आवश्यक होगा। भारत की बुद्धिमान परिवहन प्रणाली नीति के हिस्से के रूप में V2V का क्रमिक संक्रमण सुरक्षित, कनेक्टेड और स्वायत्त गतिशीलता की दिशा में अग्रसर करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह निकटवर्ती वाहनों के बीच प्रत्यक्ष संचार को सक्षम बनाता है।
2. इसे निरंतर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है।
3. यह पीछे से होने वाली टक्करों और बहु-वाहन दुर्घटनाओं को कम करने में मदद कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही है?

- | | |
|------------|---------------|
| (a) केवल 1 | (b) 1 और 3 |
| (c) 2 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |

(9) : 2024

एआई, अंतरिक्ष, ऊर्जा और पृथ्वी प्रणालियों में उभरते अग्रिम क्षेत्र

चर्चा में क्यों: एआई और नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में हाल के विकास भारत के विज्ञान और नवाचार योजनाओं में प्रगति को उजागर करते हैं—जो रणनीतिक महत्व के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति को दर्शाते हैं।

मुख्य विवरण

- शोधकर्ताओं ने टेस्ट-टाइम मैचिंग विकसित किया, जिससे प्रशिक्षण डेटा के बिना अधिक बुद्धिमान एआई संभव हुआ।
- विश्व आर्थिक मंच जैसे वैश्विक मंचों ने एआई की स्थिरता में भूमिका को प्रदर्शित किया।
- भारत ने चेन्नई में अपनी पहली संप्रभु एआई पार्क की घोषणा की और 50 से अधिक निगरानी उपग्रहों की योजना बनाई।
- भूकंप और फ्यूजन ऊर्जा अनुसंधान में प्रगति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाती है।

टेस्ट-टाइम मैचिंग (TTM) : कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक प्रगति

- **TTM की अवधारणा:** टेस्ट-टाइम मैचिंग एक नई एआई तकनीक है जो बड़े प्रशिक्षण डेटासेट पर निर्भर हुए बिना मॉडल को इनपुट संकेतों को समझने और डेटा में पैटर्न खोजने में सक्षम बनाती है।
- **मशीन लर्निंग में दक्षता:** पारंपरिक डीप लर्निंग मॉडलों के विपरीत, TTM महंगे पुनःप्रशिक्षण की आवश्यकता के बिना प्रदर्शन को बेहतर बनाता है।
- **एआई में प्रगति:** ऐसी विधियाँ बड़े भाषा मॉडल और कंप्यूटर विज्ञान प्रणालियों को बेहतर बना सकती हैं, जिससे डेटा की कमी और मॉडल भ्रम (हेलुसिनेशन) की समस्या कम हो सकती है।

विश्व आर्थिक मंच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेतृत्व

- **वैश्विक तकनीकी शासन:** विश्व आर्थिक मंच की चर्चाओं ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में एआई, जलवायु मॉडलिंग, हरित प्रौद्योगिकी और जिम्मेदार एआई शासन की बढ़ती भूमिका को उजागर किया।
- **शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका:** इम्पीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने एआई आधारित जलवायु मॉडलिंग, हरित प्रौद्योगिकी और सतत विकास में प्रगति प्रदर्शित की।
- **जलवायु प्रौद्योगिकी के लिए एआई:** एआई का उपयोग जलवायु पूर्वानुमान, कार्बन निगरानी और आपदा पूर्वानुमान में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
- **भारत का अवसर:** भारत के पास विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वैश्विक तकनीकी मंचों का उपयोग करने का अवसर है।

डेटा-संचालित अंतरिक्ष विज्ञान में एआई

- **डेटा-संचालित अंतरिक्ष विज्ञान:** नासा अंतरिक्ष वेधशालाओं से प्राप्त विशाल खगोलीय डेटा का विश्लेषण करने और नए ग्रहों की पहचान करने के लिए एआई का उपयोग कर रहा है।
- **बिग स्पेस डेटा का प्रबंधन:** आधुनिक दूरबीनें प्रतिदिन पेटाबाइट स्तर का डेटा उत्पन्न करती हैं; एआई इन विशाल डेटा सेटों से पैटर्न पहचानने में सहायता करता है।
- **खगोल विज्ञान में प्रगति:** एआई आधारित उपकरण रहने योग्य बाह्यग्रहों की खोज और रेडियो खगोल विज्ञान में संकेतों के विश्लेषण को बेहतर बना सकते हैं।
- **रणनीतिक महत्व:** ऐसी तकनीकें अंतरिक्ष मिशन योजना, ग्रह रक्षा और खगोल भौतिकी अनुसंधान में प्रगति को तेज कर सकती हैं।

राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक प्रदर्शनी (STEM Expo), नागपुर

- **नवाचार का प्रोत्साहन:** इस प्रदर्शनी (जनवरी 2026) में 41 छात्र परियोजनाएँ प्रदर्शित की गईं, जो युवा नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं।
- **मुख्य विषय:** परियोजनाएँ हरित ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, सतत कृषि और जलवायु समाधान पर केंद्रित थीं, जो राष्ट्रीय एआई प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।
- **विकसित भारत दृष्टि का समर्थन:** ऐसी पहलें भारत की ज्ञान-आधारित विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दीर्घकालिक रणनीति का समर्थन करती हैं।
- **मानव पूंजी विकास:** प्रारंभिक शोध अनुभव नवाचार पाइपलाइन को मजबूत करता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भविष्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

भूकंप विज्ञान में प्रगति और प्रारंभिक चेतावनी

- **गांधीनगर में वैज्ञानिक विमर्श:** विशेषज्ञों ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, शहरी संवेदनशीलता और अगली पीढ़ी के भूकंप निगरानी तंत्र पर चर्चा की।
- **भारत के लिए महत्व:** भारत के लगभग 59% भूभाग भूकंप जोखिम क्षेत्रों में आता है, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र, उत्तर-पूर्व और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रौद्योगिकियाँ:** रीयल-टाइम सेंसर, एआई आधारित भूकंपीय मॉडलिंग और सार्वजनिक चेतावनी प्रणालियाँ हानि को काफी कम कर सकती हैं।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण:** यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडार्ड फ्रेमवर्क के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क (चेन्नई)

- **रणनीतिक अवसरचना:** तमिलनाडु लगभग ₹10,000 करोड़ के निवेश से

उच्च-प्रदर्शन संगणन, सुरक्षित डेटा प्रयोगशालाएँ और नवाचार केंद्र के साथ संप्रभु एआई पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है।

- **डेटा संप्रभुता:** “संप्रभु एआई” का अर्थ है कि महत्वपूर्ण एआई अवसंरचना और डेटा पर घरेलू नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।
- **एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा:** इससे स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थान और वैश्विक साझेदारियाँ आकर्षित होंगी, जिससे भारत की एआई मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी।
- **नीति संदर्भ:** यह IndiaAI मिशन, सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विस्तार का समर्थन करता है।

अंतरिक्ष-आधारित निगरानी : चरण-3

- **सभी मौसम में निगरानी:** भारत सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) उपग्रह तैनात करने की योजना बना रहा है, जो बादलों और रात में भी चित्र ले सकते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा आयाम:** यह सीमा निगरानी, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और खुफिया जानकारी संग्रह को मजबूत करेगा।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** यह विदेशी उपग्रह डेटा पर निर्भरता कम करेगा और भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा संरचना को मजबूत करेगा।
- **द्वि-उपयोग प्रौद्योगिकी:** SAR उपग्रह आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी और शहरी नियोजन में भी सहायता करते हैं।

लक्षद्वीप में नई समुद्री प्रजाति की खोज

- **वैज्ञानिक उपलब्धि:** शोधकर्ताओं ने कवरत्ती लैगून में Indiaphonte bijoyi नामक एक नई क्रस्टेशियन प्रजाति की खोज की।

- **जैव विविधता का महत्व:** यह भारत के प्रवाल द्वीपों के समृद्ध लेकिन कम अध्ययन किए गए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है।
- **संरक्षण निहितार्थ:** यह खोज समुद्री संरक्षित क्षेत्रों और ब्लू इकोनॉमी अनुसंधान को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

फ्यूजन ऊर्जा अनुसंधान में प्रगति

- **पृथ्वी पर तारकीय ऊर्जा:** ITER और EAST जैसे परियोजनाओं ने सतत प्लाज्मा नियंत्रण में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।
- **स्वच्छ ऊर्जा की संभावना:** फ्यूजन ऊर्जा लगभग शून्य कार्बन, प्रचुर ईंधन और न्यूनतम दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदान करने का वादा करती है।
- **प्रौद्योगिकीय चुनौतियाँ:** अभी भी शुद्ध ऊर्जा लाभ प्राप्त करने, सामग्री की संधारणीयता और व्यावसायिक विस्तार में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **भारत की भूमिका:** भारत ITER परियोजना का प्रमुख भागीदार है, जिससे फ्यूजन अनुसंधान दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनता है।

निष्कर्ष

भारत को एआई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपदा विज्ञान और स्वच्छ ऊर्जा में प्रगति को एक समन्वित नवाचार रणनीति में एकीकृत करना चाहिए। अनुसंधान वित्तपोषण को मजबूत करना, STEM शिक्षा को बढ़ावा देना, नैतिक एआई शासन सुनिश्चित करना और संप्रभु तकनीकी क्षमता का निर्माण करना विकसित भारत और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

‘इंडियन एक्सप्रेस’ का एडिटोरियल एनालिसिस

क्यू आर कोड स्कैन करें



भारत ने राफेल लड़ाकू विमान का बड़ा सौदा मंजूर किया

चर्चा में क्यों: भारत के रक्षा खरीद बोर्ड (Defence Procurement Board) ने 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है — यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाकू विमान खरीद होगी, जो वायुसेना की युद्ध क्षमता को काफी बढ़ाएगी।

पृष्ठभूमि

- भारतीय वायुसेना (IAF) की स्वीकृत क्षमता 42 लड़ाकू स्काइडन है, लेकिन वर्तमान में केवल 30-31 स्काइडन ही संचालित हो रहे हैं।
- स्वदेशी विमान कार्यक्रमों में देरी और पुराने प्लेटफॉर्म जैसे MiG-21, MiG-27 और Jaguar के सेवानिवृत्त होने से क्षमता में अंतर पैदा हो गया है।
- भारत ने 2016 के भारत-फ्रांस सरकार-से-सरकार समझौते के तहत 36 राफेल जेट शामिल किए थे।
- वर्तमान स्वीकृति मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रम से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य मध्यम अवधि की युद्धक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

भारत का रक्षा खरीद बोर्ड (DPB)

- यह एक उच्च-स्तरीय खरीद निकाय है जिसे रक्षा खरीद प्रक्रिया को तेज करने और देरी कम करने के लिए बनाया गया है।
- इसे 2020 में रक्षा खरीद प्रणाली के आधुनिकीकरण के सुधारों के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया।
- इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव करते हैं।

यह क्या करता है

- अपनी निर्धारित वित्तीय शक्तियों के भीतर पूंजीगत और राजस्व खरीद को मंजूरी देता है।
- स्वदेशीकरण पर विशेष ध्यान (Buy Indian, Buy Indian-IDDMM श्रेणियाँ)।
- उन मामलों को संभालता है जिन्हें पहले उच्च समितियों का इंतज़ार करना पड़ता था।

प्रणाली में इसकी भूमिका

- यह रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के अधीन कार्य करता है।
- DAC बड़े और नीति-स्तर के अधिग्रहणों को संभालता है।
- DPB मध्यम स्तर और तात्कालिक खरीद के बड़े हिस्से को संभालता है, जिससे पूरी प्रणाली तीव्र हो जाती है।

इसका महत्व

- लालफीताशाही कम करता है।
- सैन्य आधुनिकीकरण को तेज करता है।
- रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देता है।

राफेल लड़ाकू विमान के बारे में

- निर्माता: Dassault Aviation (फ्रांस)
- प्रकार: द्विन-इंजन, 4.5-पीढ़ी का बहु-भूमिका लड़ाकू विमान
- मुख्य भूमिकाएँ
 - वायु श्रेष्ठता
 - भूमि और समुद्री हमला
 - टोही
 - परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता

उन्नत तकनीकें

- AESA रडार (RBE2-AA)
- SPECTRA इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली
- Meteor BVR (Beyond Visual Range) मिसाइल
- SCALP लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइल
- उच्च sortie generation rate और कम रखरखाव समय

सौदे का सामरिक महत्व

1. वायु शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना

- भारत की दो मोर्चों पर संभावित खतरे का सामना करने की क्षमता मजबूत होगी।
- गहरे प्रहार, प्रथम प्रहार और सटीक प्रहार क्षमता बढ़ेगी।

2. स्काइडन की कमी को दूर करना

- सेवानिवृत्त विमानों के कारण स्काइडन में आई कमी को कम करने में मदद।
- स्वदेशी प्लेटफॉर्म के पूरी तरह चालू होने तक निरंतरता सुनिश्चित होगी।

3. फोर्स मल्टीप्लायर प्रभाव

- राफेल के उन्नत सेंसर और हथियार नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता को बेहतर बनाते हैं।
- Su-30 MKI और AWACS जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर समन्वय।

4. सामरिक साझेदारी

- भारत-फ्रांस रणनीतिक रक्षा सहयोग को मजबूत करता है।
- फ्रांस कम भू-राजनीतिक शर्तों के साथ एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में उभरा है।

आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव

1. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत

- सौदे में शामिल होने की संभावना:

- तकनीकी हस्तांतरण

- लाइसेंस प्राप्त उत्पादन
 - निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों की भागीदारी
 - भारत के एयरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का अवसर
- 2. रोजगार और कौशल विकास**
- बड़े पैमाने पर उत्पादन से उच्च-कुशल रोजगार पैदा हो सकते हैं।
 - रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े MSME को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- 1. उच्च वित्तीय लागत**
 - राफेल दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है।
 - इससे रक्षा पूंजी बजट पर दबाव पड़ सकता है।
- 2. आयात पर निर्भरता**
 - इंजन और एवियोनिक्स जैसी प्रमुख तकनीकों अभी भी विदेशी स्रोतों से आती हैं।
 - इससे रणनीतिक स्वायत्तता पर चिंता होती है।
- 3. शामिल करने और आपूर्ति की समय-सीमा**
 - लंबी उत्पादन और आपूर्ति अवधि से संचालन संबंधी लाभ में देरी हो सकती है।
- 4. अवसर लागत**
 - बड़े आयात से धन का विचलन स्वदेशी परियोजनाओं से हो सकता है, जैसे:
 - तेजस Mk-2
 - एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA)

आगे की राह

- ऑफसेट और स्थानीय निर्माण के माध्यम से अधिकतम स्वदेशीकरण सुनिश्चित करना।
- आयात और स्वदेशी विकास का संतुलित लड़ाकू विमान अधिग्रहण रणनीति अपनाना।
- AMCA और तेजस Mk-2 जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों को तेज करना।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करना।
- आकस्मिक खरीद से बचने के लिए दीर्घकालिक योजना में सुधार करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राफेल विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राफेल एक द्वि-इंजन, बहु-भूमिका लड़ाकू विमान है।
2. यह Meteor Beyond Visual Range (BVR) एयर-टू-एयर मिसाइल से लैस है।
3. राफेल पाँचवीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है।
4. भारत ने राफेल विमान फ्रांस के साथ सरकार-से-सरकार समझौते के माध्यम से प्राप्त किए हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4 (b) 1 और 3 केवल
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

(ए) : २५६

उग्रवादी समूहों से आतंक का खतरा

चर्चा में क्यों: खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले उच्च सुरक्षा चेतावनी जारी की है, जिसमें बांग्लादेश आधारित और खालिस्तानी उग्रवादी समूहों से संभावित आतंकवादी खतरे की आशंका जताई गई है, और दिल्ली को मुख्य लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- गणतंत्र दिवस एक उच्च-प्रोफाइल राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिससे यह आतंकवादी और उग्रवादी समूहों के लिए पसंदीदा लक्ष्य बन जाता है जो अधिकतम प्रभाव चाहते हैं।
- खुफिया सूचनाएँ ऑनलाइन प्रचार, भर्ती प्रयासों और उग्रवादी नेटवर्कों के बीच सीमा-पार समन्वय में वृद्धि का संकेत देती हैं।
- यह चेतावनी निष्क्रिय आतंकी मॉड्यूलों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों और क्षेत्रीय अस्थिरता के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं के बीच आई है।

मुख्य उग्रवादी खतरे

- **बांग्लादेश आधारित उग्रवादी समूह**
 - **Ansarullah Bangla Team (ABT)** और अन्य इस्लामवादी संगठनों को निम्न कारणों से निगरानी में रखा गया है:
 - ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से कट्टरपंथीकरण
 - भारत में स्लीपर सेल के साथ सीमा-पार संपर्क
 - छिद्रपूर्ण सीमाओं, नकली पहचान और अवैध प्रवासन मार्गों का उपयोग कर ऑपरेटिवों की घुसपैठ
- **खालिस्तानी उग्रवादी समूह**
 - कुछ खालिस्तानी संगठन, जो मुख्यतः विदेशी भूमि से संचालित होते हैं।
 - अलगाववादी भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास।
 - विशेष रूप से युवाओं के बीच लक्षित प्रचार।
 - विदेशी फंडिंग, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और संगठित अपराध नेटवर्क के साथ सहयोग के प्रमाण।

दिल्ली मुख्य लक्ष्य क्यों है?

- राष्ट्रीय राजधानी का उच्च प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व।
- यहाँ संवैधानिक प्राधिकरण, विदेशी गणमान्य व्यक्ति और बड़े सार्वजनिक समारोह आयोजित होते हैं।
- व्यापक मीडिया कवरेज किसी भी व्यवधान के प्रचार मूल्य को बढ़ा देता है।

खतरे के प्रकार

- लोन-वुल्फ हमले
- इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED)
- साइबर कट्टरपंथ और ऑनलाइन उकसावा

- सार्वजनिक परिवहन, भीड़भाड़ वाले बाजारों और समारोह स्थलों जैसे सॉफ्ट टारगेट पर हमला

किए जा रहे सुरक्षा उपाय

बहु-स्तरीय सुरक्षा तैनाती

- दिल्ली पुलिस
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs)
- इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और RAW

सुदृढ़ किए गए उपाय

- निगरानी और CCTV मॉनिटरिंग
- सीमा जांच और हवाई अड्डा सुरक्षा
- उग्रवादी सामग्री की साइबर निगरानी
- राज्य पुलिस बलों और विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया गया।

आतंकी खतरों का मुकाबला करने में चुनौतियाँ

- एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेजी से कट्टरपंथीकरण
- उग्रवादी नेताओं के लिए सीमा-पार सुरक्षित ठिकाने
- लोन-वुल्फ हमलावरों की पहचान करने में कठिनाई
- उग्रवादी गतिविधियों को छिपाने के लिए कानूनी और मानवीय चैनलों का उपयोग

आगे की राह

- खुफिया-आधारित पुलिसिंग और वास्तविक समय डेटा साझाकरण को मजबूत करना।
- विशेष रूप से ऑनलाइन कट्टरपंथ-रोधी रणनीतियों को बढ़ाना।
- तकनीक आधारित निगरानी के माध्यम से सीमा प्रबंधन में सुधार।
- आतंक वित्तपोषण और प्रचार को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करना।
- स्थानीय कट्टरपंथ को रोकने के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: आधुनिक आतंकवादी हमलों को रोकने में निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे बड़ी चुनौती उत्पन्न करता है?

- एजेंसियों के बीच कमजोर समन्वय
- लोन-वुल्फ कट्टरपंथ की पहचान में कठिनाई
- आतंकवाद के विरुद्ध कानूनी ढाँचे की कमी
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग का अभाव

(9) : 2018

रणनीतिक सीमा रक्षा परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों: पर्यावरण मंत्रालय के पैनल ने चीन सीमा (लद्दाख और सिक्किम) के पास रक्षा से संबंधित 17 अवसंरचना प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे उच्च ऊँचाई वाले रक्षा क्षेत्रों में रसद और रणनीतिक तैयारी मजबूत होगी।

मुख्य बिंदु

- **उद्देश्य:** रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों, विशेषकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारत की सीमा अवसंरचना को मजबूत करना।
- **अवस्थिति:** स्वीकृत परियोजनाएँ लद्दाख और सिक्किम क्षेत्रों में हैं, जो चीन की निकटता के कारण संवेदनशील हैं।
- **परियोजनाओं का दायरा:** इसमें सड़क निर्माण, हवाई पट्टियाँ, पुल और अग्रिम परिचालन सुविधाएँ शामिल हैं, जिससे रक्षा बलों की बेहतर गतिशीलता और तैनाती सुनिश्चित होगी।
- **रणनीतिक महत्व:**
 - सैन्य रसद और तीव्र सैनिक आवाजाही में सुधार।
 - सीमा क्षेत्रों में निगरानी और परिचालन तत्परता को बढ़ावा।
 - चीन-भारत सीमा की बदलती परिस्थितियों के बीच भारत के सीमा अवसंरचना आधुनिकीकरण को समर्थन।

पृष्ठभूमि

- भारत की सीमा अवसंरचना को ऐतिहासिक रूप से कठिन भू-भाग, प्रतिकूल मौसम और पर्यावरणीय स्वीकृतियों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
- पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में होने के कारण विशेष पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती थी।
- हाल की स्वीकृतियाँ दर्शाती हैं कि महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय नियमों को सरल बनाया जा रहा है।

रणनीतिक रक्षा अवसंरचना के प्रकार

1. **सीमा सड़क और संपर्क परियोजनाएँ**
 - अग्रिम क्षेत्रों के पास सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण, विशेषकर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकट।
2. **सीमा चौकियाँ (BOPs)**
 - निगरानी और तैनाती के लिए अग्रिम सैन्य चौकियों की स्थापना या विस्तार।
3. **पुल और क्लवर्ट निर्माण**
 - दुर्गम भू-भाग में सैनिकों और आपूर्ति की आवाजाही में सहायता करने वाले रणनीतिक पुल और क्लवर्ट।
4. **सेना ब्रिगेड मुख्यालय सुविधाएँ**
 - अग्रिम क्षेत्रों में ब्रिगेड स्तर की सैन्य इकाइयों के लिए अवसंरचना।
5. **गोला-बारूद भंडारण और रसद समर्थन सुविधाएँ**
 - उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में तत्परता और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण।
6. **प्रशिक्षण और समर्थन अवसंरचना**
 - फायरिंग रेंज, प्रशिक्षण मैदान और संबंधित सुविधाएँ।

निष्कर्ष

इन परियोजनाओं की मंजूरी रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की सीमा रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे चीन सीमा पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति बेहतर तैयारी सुनिश्चित होगी।

हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल

चर्चा में क्यों: DRDO गणतंत्र दिवस परेड में लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-ASHM) प्रदर्शित करेगा, जो उच्च गति वाली समुद्री प्रहार क्षमता वाली स्वदेशी प्रणाली है और नौसैनिक युद्ध तकनीक में प्रगति को दर्शाती है।

मुख्य विवरण

- DRDO अपने लॉन्चर के साथ लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-ASHM) का प्रदर्शन करेगा।
- यह मिसाइल प्रणाली का पहला आधिकारिक सार्वजनिक प्रदर्शन होगा।
- LR-ASHM के साथ DRDO अन्य रक्षा नवाचारों और “Combat Submarines के लिए Naval Technologies” विषय पर भारत टेकरो पार्क (जनवरी 26–31) में आयोजित प्रदर्शनी में भी प्रस्तुति देगा।

लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-ASHM)

- LR-ASHM एक स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा और समुद्री प्रहार आवश्यकताओं के लिए विकसित किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

- गति:** यह मैक 5 से अधिक हाइपरसोनिक गति प्राप्त करती है — प्रारंभिक बूस्ट चरण में लगभग मैक 10 तक और बाद में लगभग मैक 5 के आसपास स्थिर हो जाती है।
- प्रक्षेप पथ:** यह क्वासी-बैलिस्टिक ग्लाइड प्रोफाइल का उपयोग करती है, जिसमें उच्च गति के साथ अप्रत्याशित उड़ान पथ होता है, जिससे इसे रोकना कठिन हो जाता है।
- उड़ान प्रोफाइल:** यह कम ऊँचाई पर उच्च गतिशीलता के साथ उड़ान भरती है, जिससे शत्रु रडार द्वारा इसकी पहचान काफी कम हो जाती है।
- प्रणोदन:** इसमें दो-चरणीय ठोस रॉकेट प्रणाली होती है — पहला चरण मिसाइल को गति देता है और दूसरा चरण अलग होकर बिना इंजन वाले हाइपरसोनिक ग्लाइड चरण में प्रवेश कराता है।
- मार्गदर्शन और सेंसर:** इसमें स्वदेशी एवियोनिक्स और सेंसर हैं जो स्थिर और गतिशील सतह जहाजों के विरुद्ध अंतिम चरण में मार्गदर्शन में सहायता करते हैं।

मारक दूरी और पेलोड

- अनुमानित रूप से इसकी लगभग 1500 किमी की मारक दूरी है, जिससे पारंपरिक एंटी-शिप हथियारों की सीमा से बाहर रहकर हमला किया जा सकता है।

महत्व

स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा

- LR-ASHM भारत की आत्मनिर्भरता को उन्नत रक्षा तकनीकों में दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करता है।
- इसके स्वदेशी एवियोनिक्स, सेंसर और प्रणोदन गहन तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं।

नौसैनिक प्रहार क्षमता और प्रतिरोधक शक्ति

- इस प्रकार की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल भारत की समुद्री प्रहार क्षमता को बढ़ाती है।
- भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में रणनीतिक गहराई और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है।

रणनीतिक संकेत

- गणतंत्र दिवस के दौरान LR-ASHM का प्रदर्शन भारत के सैन्य नवाचार और शक्ति का संदेश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुँचाता है, विशेषकर बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य के बीच।

समुद्री रक्षा का विकास

- हाइपरसोनिक हथियार आधुनिक युद्ध की अग्रिम तकनीक हैं, और केवल कुछ देशों के पास यह क्षमता है।
- LR-ASHM की उच्च गति, गतिशीलता और कम दृश्यता इसे समुद्री नियंत्रण और क्षेत्र निषेध अभियानों में अत्यंत प्रभावी बनाती है।

विस्तृत रणनीतिक संदर्भ

हाइपरसोनिक हथियारों की वैश्विक दौड़

- अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश हाइपरसोनिक हथियारों में भारी निवेश कर रहे हैं।
- उनकी उच्च गति और गतिशीलता उन्हें पारंपरिक कूज मिसाइलों की तुलना में मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने में अधिक सक्षम बनाती है।
- इससे तीव्र प्रतिक्रिया समय और अवरोधन के विरुद्ध अधिक जीवित रहने की क्षमता मिलती है।

मौजूदा शस्त्रागार का पूरक

- LR-ASHM भारत की अन्य नौसैनिक प्रहार प्रणालियों जैसे BrahMos को पूरक बनाता है।
- इससे सब-सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्तरों पर एक बहु-स्तरीय मिसाइल क्षमता विकसित होती है।

निष्कर्ष

लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-ASHM) भारत की नौसैनिक और मिसाइल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। हाइपरसोनिक गति, लंबी दूरी, कम दृश्यता और स्वदेशी तकनीक के संयोजन से यह भारत की समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। गणतंत्र दिवस पर इसका प्रदर्शन भारत के अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीक में अग्रणी बनने और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में आत्मनिर्भर रक्षा एवं रणनीतिक तैयारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (LR-ASHM) के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

- यह एक सबसोनिक मिसाइल है जो मुख्यतः अल्प दूरी की तटीय रक्षा के लिए बनाई गई है।
- यह हाइपरसोनिक गति और कम ऊँचाई वाले ग्लाइड प्रक्षेप पथ का उपयोग करती है जिससे शत्रु रडार से बचा जा सके।
- इसे रूस से आयात किया गया है और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
- इसकी मारक दूरी 200 किमी से कम है और यह केवल स्थिर जहाजों को निशाना बनाती है।

(9) 2022

BSF ने “ऑप्स अलर्ट” शुरू किया

चर्चा में क्यों: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने जैसलमेर सेक्टर में एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें बढ़ते खतरों और ड्रोन घुसपैठ के जवाब में बहु-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड और गहन गश्त तैनात की गई है।

मुख्य विवरण

- यह अभ्यास 28 जनवरी तक चलने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी कमान के सबसे संवेदनशील रेगिस्तानी सीमा क्षेत्रों में निगरानी और गश्त को मजबूत करना है।
- यह गणतंत्र दिवस से पहले बढ़ी हुई सतर्कता के समय शुरू किया गया है, जब पूरे देश में सुरक्षा बल आतंकवाद-रोधी उपायों को मजबूत कर रहे हैं।

बहु-स्तरीय सुरक्षा उपाय

ऑप्स अलर्ट के तहत BSF ने प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड और अतिरिक्त बलों की तैनाती की है, ताकि अनधिकृत सीमा पार और हवाई घुसपैठ को रोका जा सके। इस अभियान में शामिल हैं:

- संवेदनशील क्षेत्रों में चार-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड और अधिक कवरेज।
- पैदल और वाहन गश्त में वृद्धि, साथ ही रेगिस्तानी इलाके के अनुकूल ऊंट गश्त।
- ड्रोन या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए उन्नत निगरानी प्रणालियों द्वारा स्क्रीनिंग और निगरानी।
- संभावित खतरों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त गश्त और खुफिया जानकारी साझा करना।
- स्थानीय पुलिस नेतृत्व ने भी समन्वय बढ़ा दिया है।

ड्रोन घुसपैठ और सीमा सतर्कता

- हाल के वर्षों में ड्रोन घुसपैठ की घटनाएँ बढ़ी हैं, विशेषकर गंगानगर और राजस्थान सीमा क्षेत्रों में, जिसके कारण निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमताएँ बढ़ाई गई हैं।
- सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हवाई घुसपैठ के जोखिमों में खुफिया जानकारी एकत्र करना, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, या शलुतापूर्ण सामग्री की आपूर्ति शामिल हो सकती है।
- यह दर्शाता है कि बहु-स्तरीय सतर्कता और तकनीकी निगरानी प्रणाली अब संचालनात्मक प्राथमिकता बन गई हैं।

व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण

BSF का ऑप्स अलर्ट शुरू करना प्रमुख सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय तैयारी पर जोर को दर्शाता है, विशेषकर राष्ट्रीय आयोजनों से पहले। यह बल भारत-पाक सीमा के साथ बदलती चुनौतियों के अनुसार अपनी तैनाती और रणनीतियों की नियमित समीक्षा और अनुकूलन करता है।

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- पूरा नाम:** सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force)
- स्थापना:** 1 दिसंबर 1965 (भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद)
- मूल मंत्रालय:** गृह मंत्रालय, भारत सरकार

मोटो: “Duty Unto Death” (मृत्यु तक कर्तव्य)

मुख्य भूमिकाएँ

1. सीमा सुरक्षा

- पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं की रक्षा तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा।

- अवैध पारगमन, तस्करी और घुसपैठ को रोकना।
- विद्रोह-रोधी और तस्करी-रोधी अभियान
- आवश्यकता पड़ने पर आंतरिक सुरक्षा अभियानों में सहायता।
- आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध अभियानों में भागीदारी।
- आपदा प्रबंधन और सहायता
- बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करना।
- औपचारिक कर्तव्य**
- बीटिंग रिट्रीट समारोह और पाकिस्तान के साथ वाघा-अटारी सीमा समारोह के लिए प्रसिद्ध।

संगठन और शक्ति

- कर्मचारी:** लगभग 2,50,000 सक्रिय कर्मी।
- संरचना:** फ्रंटियर मुख्यालय, बटालियन और विशेष इकाइयों में विभाजित, जैसे क्लिक एक्शन टीम और कैवेलरी एवं ऊंट इकाइयाँ (जैसलमेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में उपयोगी)।
- उपकरण:** हल्के और भारी हथियार, निगरानी तकनीक, ड्रोन, वाहन और विशेष रेगिस्तानी/आतंकवाद-रोधी उपकरण।

आगे की रणनीति

BSF की योजना है:

- विशेष रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान सीमा क्षेत्रों में उच्च सतर्कता बनाए रखना।
- वास्तविक समय निगरानी के लिए ड्रोन, सेंसर और नाइट-विजन उपकरणों जैसी तकनीक का उपयोग करना।
- स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों और समुदाय के साथ समन्वय बढ़ाना ताकि घुसपैठ रोकी जा सके और खतरों का त्वरित जवाब दिया जा सके।
- उभरती सुरक्षा चुनौतियों के अनुसार रणनीतियों की लगातार समीक्षा और अनुकूलन करना, ताकि जैसलमेर सेक्टर सुरक्षित बना रहे।

निष्कर्ष

“ऑप्स अलर्ट” का आरंभ BSF के सक्रिय सीमा प्रबंधन दृष्टिकोण को दर्शाता है, विशेषकर जैसलमेर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, जहाँ रेगिस्तानी भू-भाग और पाकिस्तान की निकटता विशेष सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। बहु-स्तरीय गश्त, उन्नत निगरानी प्रणालियों और तकनीकी साधनों की तैनाती के माध्यम से BSF का उद्देश्य खतरों को रोकना, सीमा को सुरक्षित रखना और स्थानीय समुदायों को सुरक्षा का भरोसा देना है।

मणिपुर में भारतीय सेना का विद्रोह-रोधी अभियान

चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने मणिपुर में यूनाइटेड कूकी नेशनल आर्मी (UKNA) जैसे उग्रवादी समूहों के खिलाफ विद्रोह-रोधी अभियान शुरू किया है। यह अभियान चुराचांदपुर और कांगपोकपी के पहाड़ी जिलों में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में उग्रवादी खतरों को निष्क्रिय करना है।

मुख्य बिंदु

- जनवरी 2026 के मध्य में भारतीय सेना ने असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मणिपुर के चुराचांदपुर और कांगपोकपी के पहाड़ी जिलों में बड़ा विद्रोह-रोधी अभियान शुरू किया।

- विशेष इकाइयाँ जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेज को हेलीकॉप्टर द्वारा दूरदराज़ पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा गया, ताकि संदिग्ध उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया जा सके।

किसे निशाना बनाया जा रहा है

- यह अभियान मुख्य रूप से उग्रवादी समूहों, विशेषकर यूनाइटेड कूकी नेशनल आर्मी (UKNA) के खिलाफ है, जो दक्षिणी मणिपुर में सक्रिय है।
- UKNA सरकार के सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) समझौते का हिस्सा नहीं है — यह एक ऐसा समझौता है जिसके तहत कई अन्य जातीय उग्रवादी समूहों ने हिंसा रोकने और हथियार बंद रखने पर सहमति दी है।

SoO (Suspension of Operations) समझौता

- SoO मूल रूप से सरकार और उग्रवादी समूहों के बीच युद्धविराम समझौता है।
- औपचारिक शांति संधि के विपरीत, इसमें उग्रवादियों को तुरंत निरस्त्र होने या आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह सरकार और नागरिकों के खिलाफ हिंसा रोकने पर केंद्रित होता है।
- इसका उद्देश्य विश्वास निर्माण उपाय के रूप में संवाद को जारी रखना है, जबकि ज़मीन पर हिंसा को कम किया जाए।

पालता

- केवल राज्य में संचालित पंजीकृत उग्रवादी समूह ही SoO पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- जो समूह SoO से सहमत होते हैं, वे हमले रोकने, नाबालिगों की भर्ती न करने और नागरिक क्षेत्रों से बचने का वचन देते हैं।
- उदाहरण के लिए, मणिपुर में कई कूकी और मैतेई उग्रवादी समूहों ने SoO पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन UKNA ने इससे इनकार किया है, इसलिए अभियान अभी भी इसके खिलाफ जारी है।

मणिपुर में इसका महत्व

- मणिपुर का संघर्ष मुख्य रूप से मैतेई (घाटी) और कूकी-जो (पहाड़ी) समुदायों के बीच जातीय तनाव से जुड़ा है।
- SoO अधिकांश उग्रवादी समूहों को हिंसा से पीछे हटने की अनुमति देता है, बिना तुरंत निरस्त्रीकरण के।

समस्या क्यों उत्पन्न होती है

- UKNA जैसे समूह SoO ढांचे से बाहर रहते हैं, जिससे नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले जारी रहते हैं।
- इसलिए लक्षित विद्रोह-रोधी अभियानों की आवश्यकता होती है।

UKNA द्वारा हिंसा की वृद्धि

- चुराचांदपुर में एक नागरिक के अपहरण और हत्या की घटना, जिसे संदिग्ध UKNA उग्रवादियों से जोड़ा गया, ने पूरे मणिपुर में तनाव बढ़ा दिया।

- ऐसी घटनाओं ने जातीय विभाजन को फिर से भड़का दिया और क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया।

दीर्घकालिक शांति का टूटना

- मणिपुर संघर्ष मई 2023 में मैतेई (मुख्यतः घाटी में रहने वाले) और कूकी-जो (मुख्यतः पहाड़ी समुदाय) के बीच जातीय और राजनीतिक तनाव के कारण शुरू हुआ, जिससे हजारों लोगों का विस्थापन हुआ।
- कई उग्रवादी समूहों ने SoO ढांचे के तहत शलुता समाप्त करने पर सहमति दी थी, लेकिन UKNA ने इस समझौते में शामिल होने से इनकार किया और उग्रवादी गतिविधियाँ जारी रखीं, जिनमें वसूली, धमकी और नागरिकों पर हमले शामिल हैं।

लक्षित खुफिया-आधारित अभियान

- सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर उन क्षेत्रों में अभियान चलाए हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जो उग्रवादियों के मजबूत ठिकाने या आवाजाही मार्ग माने जाते हैं।
- पिछले मुठभेड़ों में उग्रवादियों को निष्क्रिय किया गया और विदेशी निर्मित हथियार बरामद किए गए, जो खतरे के स्तर और सरकार की इन संगठनों को खत्म करने की मंशा को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष

मणिपुर में विद्रोह-रोधी अभियान आंतरिक सुरक्षा और जातीय तनाव के जटिल संबंध को दर्शाता है। हालाँकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैर-अनुपालन करने वाले उग्रवादी समूहों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन मणिपुर में स्थायी शांति व्यापक रणनीति पर निर्भर करेगी, जिसमें शामिल हों:

- सुरक्षा उपाय
- राजनीतिक संवाद
- प्रभावी शासन
- समुदायों के बीच सुलह

विच्छिन्नता के मूल कारणों को दूर करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना पूर्वोत्तर में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मणिपुर में हाल के विद्रोह-रोधी अभियान पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और जातीय तनाव के जटिल संबंध को उजागर करते हैं। इन अभियानों के कारणों पर चर्चा कीजिए और क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार के रूप में

चर्चा में क्यों: डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ (2026) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता (MHH) को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी उत्पाद तथा स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए।

मुख्य विवरण

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं का अभाव अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (सारभूत समानता) का उल्लंघन करता है।
- न्यायालय ने निरंतर परमादेश (Continuing Mandamus) जारी किया, जिसमें केंद्र और राज्यों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, कार्यशील शौचालय और अपशिष्ट निपटान प्रणाली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
- मासिक धर्म स्वास्थ्य को शिक्षा का अधिकार (RTE), शारीरिक स्वायत्तता, निजता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जोड़ा गया।
- इस निर्णय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को कल्याणकारी योजना से बदलकर संवैधानिक रूप से लागू किए जा सकने वाले अधिकार में परिवर्तित कर दिया।

मासिक धर्म स्वास्थ्य अधिकार का संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार और गरिमा**
 - न्यायालय ने गरिमा, समानता और निजता को शामिल करते हुए अनुच्छेद 21 का विस्तार किया।
 - मासिक धर्म के दौरान सुविधाओं के अभाव को अपमान, कलंक और गरिमा की कमी से जोड़ा गया।
- **शारीरिक स्वायत्तता और निजता**
 - मासिक धर्म के दौरान पर्याप्त सहायता न होने के कारण स्कूल से अनुपस्थिति शारीरिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
 - न्यायालय ने मासिक धर्म को प्रजनन स्वास्थ्य का हिस्सा माना।
- **अधिकारों का न्यायिक विस्तार**
 - स्वास्थ्य, निजता और पर्यावरण से जुड़े पूर्व निर्णयों की तरह यह निर्णय भी अनुच्छेद 21 को जीवंत संवैधानिक गारंटी के रूप में दर्शाता है।
- **जीवन से गरिमा तक**
 - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं, बल्कि मानव विकास और आत्मसम्मान के लिए आवश्यक परिस्थितियों को भी शामिल करता है।

अनुच्छेद 14 के तहत सारभूत समानता

- **औपचारिक समानता से आगे**
 - लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार जैविक वास्तविकताओं की अनदेखी कर सकता है, जिससे मासिक धर्म वाली छात्राओं के खिलाफ अप्रत्यक्ष भेदभाव हो सकता है।

- **संरचनात्मक असमानता**
 - न्यायालय ने माना कि मासिक धर्म संरचनात्मक बहिष्कार का कारण बन सकता है, इसलिए राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक है।
- **राज्य का सकारात्मक दायित्व**
 - समानता के लिए आवश्यक है कि लड़कियों को शिक्षा और सार्वजनिक स्थानों में समान अवसर देने हेतु विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
- **लैंगिक उत्तरदायी शासन**
 - निर्णय इस विचार को मजबूत करता है कि कानून और नीतियों में लैंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए।

मासिक धर्म स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार (RTE अधिनियम, 2009)

- **“मुफ्त शिक्षा” की पुनर्परिभाषा**
 - न्यायालय ने कहा कि मुफ्त शिक्षा का अर्थ है कि स्वच्छता उत्पादों की लागत जैसी अप्रत्यक्ष बाधाएँ भी हटाई जाएँ।
- **संवैधानिक आवश्यकता के रूप में अवसंरचना**
 - अलग और कार्यशील शौचालय अब वैकल्पिक दिशा-निर्देश नहीं बल्कि संवैधानिक आवश्यकता हैं।
- **ड्रॉपआउट और अनुपस्थिति का संबंध**
 - NFHS-5 के अनुसार केवल 77.3% महिलाएँ (15–24 वर्ष) स्वच्छता विधियों का उपयोग करती हैं, जिससे 23% ड्रॉपआउट या लगातार अनुपस्थिति की समस्या जुड़ी है।
- **मासिक धर्म गरीबी**
 - उत्पादों, पानी और निपटान सुविधाओं की कमी शैक्षिक निरंतरता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश

- **मुफ्त सैनिटरी उत्पाद**
 - सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएँ, जिसमें वेंडिंग मशीनें भी हों।
- **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) कॉर्नर**
 - स्कूलों में अतिरिक्त यूनैफॉर्म, अंडरवियर और डिस्पोज़ल बैग के साथ विशेष स्थान बनाए जाएँ।
- **स्वच्छता अवसंरचना**
 - कार्यशील लैंगिक रूप से अलग शौचालय, जिनमें पानी और साबुन हमेशा उपलब्ध हो।
- **अपशिष्ट निपटान अनुपालन**
 - निपटान प्रणाली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2016 के अनुरूप हो, ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो।

- जवाबदेही तंत्र
 - जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को निरीक्षण करना होगा और NCPDR/राज्य CPCRस द्वारा निगरानी की जाएगी।
 - छात्रों से गुमनाम प्रतिक्रिया भी एकत्र की जाएगी।

सामाजिक संवेदनशीलता और पाठ्यक्रम सुधार

- लड़कों में जागरूकता
 - न्यायालय ने लड़कों को मासिक धर्म के बारे में शिक्षित करने का निर्देश दिया ताकि उत्पीड़न और कलंक कम हो सके।
- शिक्षक प्रशिक्षण
 - सभी शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता और मासिक धर्म वाली छात्राओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम में समावेशन
 - NCERT और SCERT को मासिक धर्म पर लैंगिक-संवेदनशील और वैज्ञानिक सामग्री शामिल करनी होगी।
- कानून एक सामाजिक साधन के रूप में
 - यह निर्णय सामाजिक दृष्टिकोण और स्कूल वातावरण को बदलने के लिए कानूनी साधनों का उपयोग करता है।

मौलिक अधिकार के रूप में MHH का महत्व

- जैविक नागरिकता
 - निर्णय यह मानता है कि महिलाएँ “जैविक कर (biological tax)” वहन करती हैं, जिसे राज्य को समर्थन के माध्यम से संतुलित करना चाहिए।
- सकारात्मक स्वतंत्रता
 - यह केवल हस्तक्षेप न करने से आगे बढ़कर राज्य की सक्रिय भूमिका (उत्पाद, शौचालय, निजता) पर बल देता है।
- मानवाधिकार ढाँचा
 - मासिक धर्म स्वास्थ्य को गरिमा, समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ा गया है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव
 - खराब स्वच्छता से प्रजनन और मूल संक्रमण जैसी समस्याएँ होती हैं, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

मासिक धर्म स्वच्छता पर सरकारी पहल

- मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS)
 - 10-19 वर्ष की किशोरियों को जागरूकता, स्वच्छता और सुरक्षित निपटान के लिए लक्षित करता है।
- PM भारतीय जनऔषधि परियोजना
 - 16,000 से अधिक केंद्रों पर ₹1 प्रति पैड की दर से 96 करोड़ से अधिक पैड नवंबर 2025 तक बेचे गए।
- आशा नेटवर्क
 - सब्सिडी वाले नैपकिन वितरित करता है और समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाता है।
- शिक्षा और स्वच्छता कार्यक्रम
 - समग्र शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन और UGC सलाह अवसंरचना और जागरूकता को समर्थन देते हैं।

कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

- अंतिम चरण की अवसंरचना कमी
 - कई स्कूलों में पानी, साबुन, रखरखाव और नियमित आपूर्ति की कमी होती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- वित्तीय बाधाएँ
 - MHM के लिए समर्पित बजट की कमी से शिक्षा वित्त पर दबाव पड़ सकता है।
- अपशिष्ट प्रबंधन जोखिम
 - गलत दहन और तकनीकी क्षमता की कमी पर्यावरणीय अनुपालन को प्रभावित कर सकती है।
- सामाजिक कलंक
 - लगातार सामाजिक वर्जनाएँ रिपोर्टिंग और ईमानदार प्रतिक्रिया को प्रभावित करती हैं।

आगे की राह

- समावेशी नीति निर्माण
 - MHH ढाँचे को ट्रांसजेंडर और गैर-द्विआधारी व्यक्तियों तक विस्तारित करना।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादन
 - बायोडिग्रेडेबल पैड निर्माण को बढ़ावा देकर लागत कम करना और रोजगार बढ़ाना।
- जल सुरक्षा
 - स्कूल स्वच्छता को जल जीवन मिशन के साथ जोड़कर पानी की सुनिश्चित आपूर्ति करना।
- निजता-प्रथम अवसंरचना
 - शौचालयों में अंदरूनी कुंडी, गोपनीयता स्क्रीन, दर्पण और हुक होना चाहिए।
- नवाचार आधारित वितरण
 - आपूर्ति श्रृंखला विफल होने पर Pad Credits या DBT जैसे विकल्पों का उपयोग।
- मानकीकृत खरीद
 - सभी उत्पादों को IS 17518 / ASTM D-6954 बायोडिग्रेडेबल मानकों को पूरा करना चाहिए।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक मूलभूत संवैधानिक सत्य को रेखांकित करता है: मासिक धर्म गरिमा, समानता या शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देकर न्यायालय ने एक लंबे समय से उपेक्षित मुद्दे को कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले अधिकार में बदल दिया है। अब प्रभावी कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि मासिक धर्म एक सार नहीं बल्कि सामान्य जीवन का हिस्सा बने।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के संविधान में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है?

- (a) अनुच्छेद 15 (b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 25

(c) : 2019

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से भारत में सारभूत समानता और शिक्षा के अधिकार को कैसे मजबूती मिलती है? (GS-2, 150 शब्द, 10 अंक)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी विनियम, 2026 पर रोक

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के प्रोत्साहन) विनियम, 2026 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है और आगे के आदेश तक 2012 के विनियमों को जारी रखने का निर्देश दिया है।

मुख्य विवरण

- 2026 के विनियम उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए अधिक कठोर और लागू करने योग्य ढांचा बनाने के उद्देश्य से लाए गए थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए 2012 के विनियमों को पुनः लागू किया, क्योंकि नए नियमों की अस्पष्टता और संभावित सामाजिक विभाजन को लेकर चिंता व्यक्त की गई।
- ये विनियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों सहित जातिगत भेदभाव और छाल आत्महत्याओं की घटनाओं के बाद बनाए गए थे।
- न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या नए नियम समावेशी, स्पष्ट और संवैधानिक रूप से संतुलित हैं।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

- **अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता**
 - अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की गारंटी देता है।
 - किसी भी नियामक ढांचे को भेदभाव से समान सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जब तक कि उचित वर्गीकरण के आधार पर अलग व्यवस्था न हो।
- **अनुच्छेद 15(1) और 15(4) – भेदभाव निषेध और संरक्षणात्मक भेदभाव**
 - अनुच्छेद 15(1) धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
 - अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC, ST के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
 - बहस का मुद्दा यह है कि 2026 के विनियम औपचारिक समानता और सारभूत समानता के बीच संतुलन बनाते हैं या नहीं।
- **अनुच्छेद 21 – गरिमा के साथ जीवन का अधिकार**
 - संस्थागत भेदभाव से जुड़ी छाल आत्महत्याओं ने इस मुद्दे को अनुच्छेद 21

के दायरे में ला दिया, जिसमें गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य के साथ जीवन का अधिकार शामिल है।

- **अनुच्छेद 142 – पूर्ण न्याय**
 - सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए 2012 के ढांचे को पुनर्स्थापित किया, ताकि संवैधानिक वैधता पर पुनर्विचार करते समय सुरक्षा बनी रहे।

UGC विनियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

- **भेदभाव की लक्षित परिभाषा**
 - धारा 3(1)(c) में विशेष रूप से SC/ST/OBC समूहों के विरुद्ध जाति-आधारित भेदभाव को परिभाषित किया गया, जिससे सामान्य भेदभाव से अलग श्रेणी बनाई गई।
- **संस्थागत तंत्र**
 - अनिवार्य रूप से निम्न संस्थाओं की स्थापना:
 - ◆ समान अवसर केंद्र (EOCs)
 - ◆ विभागों में Equity Ambassadors
 - ◆ संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए Equity Squads
 - ◆ इस संस्थागत व्यवस्था का उद्देश्य निवारक सतर्कता सुनिश्चित करना था।
- **समयबद्ध शिकायत निवारण**
 - शिकायत की 24 घंटे में समीक्षा
 - 15 कार्य दिवसों में जांच
 - 7 दिनों में संस्थान प्रमुख द्वारा कार्रवाई
 - यह 2012 के सलाहकारी ढांचे की तुलना में देरी की समस्या को दूर करने का प्रयास था।
- **दंडात्मक प्रावधान**
 - अनुपालन न करने पर संभावित परिणाम:
 - UGC अनुदान की वापसी
 - मान्यता समाप्त करना
 - धारा 2(f) और 12B सूची से हटाना
 - यह व्यवस्था सलाहकारी से लागू करने योग्य विनियमों की ओर बदलाव को दर्शाती है।

कड़े विनियमों के पीछे कारण

- **भेदभाव के बढ़ते मामले:** UGC डेटा (2026) के अनुसार पिछले पाँच वर्षों में जाति-आधारित भेदभाव के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई।
- **छाल आत्महत्या की चिंता:** न्यायिक टिप्पणियों में IIT परिसरों सहित कई मामलों में शैक्षणिक बहिष्कार और संस्थागत उपेक्षा के पैटर्न सामने आए।
- **छालवृत्ति में देरी और आर्थिक दबाव:** छालवृत्ति में देरी से वंचित छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे शैक्षणिक ड्रॉपआउट और मानसिक तनाव बढ़ता है।
- **अहश्य और ज्ञानात्मक पक्षपात:** शोधों ने मूल्यांकन, कक्षा में सहभागिता और मार्गदर्शन आवंटन में सूक्ष्म भेदभाव को उजागर किया है।

न्यायिक चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **बहिष्करणात्मक दायरा:** याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जाति भेदभाव को केवल SC/ST/OBC तक सीमित करना अन्य समूहों के लिए कानूनी उपायों को सीमित कर सकता है।

- **Non-Regression का सिद्धांत:** न्यायालय ने प्रश्न उठाया कि 2026 के नियम 2012 के नियमों से कम समावेशी क्यों प्रतीत होते हैं, जबकि अधिकारों की सुरक्षा में कमी नहीं होनी चाहिए।
- **अस्पष्टता और व्यापकता:** छात्रावासों या समूहों में “अलगाव” जैसे शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे, जिससे मनमानी व्याख्या का डर पैदा हुआ।
- **झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा का अभाव:** झूठी शिकायतों के लिए कोई स्पष्ट दंड प्रावधान नहीं था।
- **रैगिंग का उल्लेख न होना:** पहले के दिशानिर्देशों के विपरीत, रैगिंग को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, जबकि यह परिसर में प्रमुख समस्या है।

शासन और नीति आयाम

- **NEP 2020 के साथ सामंजस्य:** विनियम NEP 2020 के समानता और समावेशन पर जोर के अनुरूप बनाए गए थे।
- **केंद्रीय नियामक प्राधिकरण:** UGC अधिनियम, 1956 के तहत UGC को HEIs के लिए बाध्यकारी विनियम बनाने का अधिकार है। बहस का विषय नियामकीय अतिक्रमण और आवश्यकता के बीच संतुलन है।
- **स्वायत्तता बनाम जवाबदेही:** यह मुद्दा संस्थागत स्वायत्तता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य की निगरानी के बीच संतुलन को दर्शाता है।
- **सामाजिक एकता की चिंता:** न्यायालय ने चेतावनी दी कि अस्पष्ट पहचान-आधारित तंत्र परिसर में एकता के बजाय धुवीकरण बढ़ा सकते हैं।

आगे की राह

- **समावेशी पुनर्लेखन:** भेदभाव को सार्वभौमिक शब्दों में परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 15(4) के तहत लक्षित उपाय बनाए रखना।
- **विशेषज्ञ समिति की समीक्षा:** संवैधानिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सामाजिक न्याय विशेषज्ञों की समिति बनाकर भाषा और प्रावधानों को स्पष्ट करना।
- **झूठी शिकायतों के विरुद्ध सुरक्षा:** दंडात्मक प्रावधान और प्रक्रियात्मक न्याय सुनिश्चित करना।
- **रैगिंग और क्षेत्रीय भेदभाव को शामिल करना:** इक्विटी ढांचे में रैगिंग, भाषाई भेदभाव और क्षेत्रीय पक्षपात को स्पष्ट रूप से शामिल करना।
- **दंडात्मक से निवारक दृष्टिकोण:** संवेदनशीलता कार्यशालाएँ, शिक्षक प्रशिक्षण, सहपाठी मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली पर अधिक जोर देना।

निष्कर्ष

UGC विनियम, 2026 उच्च शिक्षा में समानता को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास थे। हालाँकि, संवैधानिक शासन यह सुनिश्चित करता है कि संरक्षणात्मक कानून स्पष्ट, समावेशी और संतुलित हों। इन विनियमों पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय और समानता परस्पर विरोधी नहीं हैं। अब चुनौती यह है कि ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जो वंचित छात्रों की सुरक्षा करे और साथ ही सामाजिक समरसता तथा संस्थागत विश्वास को भी मजबूत बनाए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को किस शक्ति से सशक्त करता है?

- (a) संविधान में संशोधन करना
- (b) मौलिक अधिकारों को लागू करना

(c) पूर्ण न्याय के लिए आदेश/डिक्री पारित करना

(d) अधीनस्थ विधायन बनाना

(C) : 2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: UGC इक्विटी विनियम, 2026 के संदर्भ में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और कानून के समक्ष समानता के बीच संवैधानिक संतुलन की व्याख्या कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

बढ़ती डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ

चर्चा में क्यों: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने बढ़ती डिजिटल लत और स्क्रीन-सम्बंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम तथा भारत की दीर्घकालिक उत्पादकता के लिए खतरा बताया है।

मुख्य बिंदु

- इंटरनेट कनेक्शन 250 मिलियन (2014) से बढ़कर लगभग 970 मिलियन (2024) हो गए, जिससे 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में पहुँच लगभग सार्वभौमिक हो गई।
- भारतीयों ने 2024 में स्मार्टफोन पर लगभग 1 लाख करोड़ घंटे बिताए, जो डिजिटल संपर्क की व्यापकता दर्शाता है।
- सर्वेक्षण के अनुसार 15-24 वर्ष के युवा सोशल मीडिया लत और गेमिंग विकारों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
- 1990 से MMR में 86% की गिरावट जैसे पारंपरिक स्वास्थ्य संकेतकों में प्रगति के बावजूद, जीवनशैली-जनित मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं।

डिजिटल लत को समझना

- **अनियंत्रित डिजिटल संलग्नता:** डिजिटल लत का अर्थ है डिजिटल उपकरणों का लगातार और अत्यधिक उपयोग, जिससे मनोवैज्ञानिक तनाव और कार्यात्मक अक्षमता उत्पन्न होती है। आर्थिक सर्वेक्षण इसे नशे की लत के समान व्यवहार मानता है, जिसमें लालसा, वापसी-लक्षण और नियंत्रण की कमी शामिल होती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** अत्यधिक स्क्रीन उपयोग चिंता, अवसाद, कम आत्म-सम्मान और साइबर-बुलिंग से जुड़ा है। डॉक्टर किशोरों में नींद विकार, भावनात्मक अस्थिरता और ध्यान की कमी के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट करते हैं।
- **शारीरिक स्वास्थ्य प्रभाव:** लंबे समय तक स्क्रीन के संपर्क से नींद की कमी (Sleep Debt) बढ़ता है, जो नीली रोशनी के कारण मेलाटोनिन को दबा देता है। मोटापा, “टेक-नेक”, डिजिटल आँखों में तनाव और निष्क्रिय जीवनशैली जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।
- **संज्ञानात्मक और सामाजिक प्रभाव:** निरंतर डिजिटल उत्तेजना से ध्यान अवधि घटती है और गहन अध्ययन की क्षमता कम होती है। ऑफ़लाइन सामाजिक नेटवर्क कमजोर होते हैं, जिससे सामाजिक पूंजी और अंतर-व्यक्तिगत कौशल में कमी आती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उजागर प्रमुख प्रवृत्तियाँ

- **लगभग सार्वभौमिक डिजिटल पहुँच:** 15-29 वर्ष के युवाओं में इंटरनेट पहुँच तेज़ी से बढ़ी है। सस्ता डेटा और स्मार्टफोन के प्रसार ने भारत को विश्व के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में शामिल कर दिया है।

- **उपयोग पैटर्न और शिक्षा अंतर:** ASER 2024 के अनुसार केवल 57% बच्चे (14-16 वर्ष) शिक्षा के लिए फोन का उपयोग करते हैं, जबकि 76% सोशल मीडिया के लिए करते हैं, जिससे डिजिटल प्राथमिकताओं में असंतुलन दिखाई देता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का विरोधाभास:** डिजिटल अर्थव्यवस्था अब राष्ट्रीय आय का लगभग 14% योगदान देती है, जिससे मजबूत आर्थिक लाभ मिलता है। लेकिन लत के कारण उत्पादकता हानि एक विकास बनाम व्यवहारिक स्वास्थ्य का विरोधाभास प्रस्तुत करती है।
- **स्वास्थ्य बोझ में परिवर्तन:** संक्रामक रोगों और मातृ मृत्यु में कमी आई है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विकार और जीवनशैली-सम्बंधित समस्याएँ प्रमुख चिंता बन रही हैं।

डिजिटल लत के संरचनात्मक कारण

- **डोपामिन-प्रेरित एल्गोरिद्म:** प्लेटफॉर्म अधिकतम जुड़ाव के लिए अनंत स्क्रॉल, ऑटो-प्ले और एआई-आधारित फीड का उपयोग करते हैं। एल्गोरिद्म अक्सर 15-24 आयु वर्ग के युवाओं की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को लक्षित करते हैं।
- **महामारी-जनित निर्भरता:** कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ कार्य और डिजिटल सामाजिक संपर्क सामान्य हो गए। उच्च स्क्रीन समय विकल्प के बजाय आदत बन गया, जिससे दीर्घकालिक निर्भरता बढ़ी।
- **सस्ता डेटा और 5G विस्तार:** भारत में दुनिया के सबसे सस्ते डेटा शुल्कों में से एक है। 5G के प्रसार ने उच्च-परिभाषा स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग को तेज़ किया है।
- **गेमिंग और वास्तविक धन प्रोत्साहन:** वास्तविक धन वाले गेमिंग ऐप वित्तीय प्रोत्साहनों का उपयोग करते हैं, जिससे बाध्यकारी व्यवहार बढ़ता है। ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) अधिनियम, 2025 वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जोखिमों को संबोधित करने का प्रयास करता है।
- **शहरी अलगाव और जीवनशैली परिवर्तन:** शहरी एकल परिवार और कामकाजी माता-पिता पारंपरिक सामाजिक समर्थन को कम करते हैं। "iPad Kid" जैसी प्रवृत्ति माता-पिता की सहभागिता के स्थान पर डिजिटल प्रतिस्थापन को दर्शाती है।

बच्चों में सोशल मीडिया लत: एक नीतिगत बहस

- **वैश्विक उदाहरण – ऑस्ट्रेलिया:** ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी संशोधन विधेयक (2024) पारित किया, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुपालन न करने पर प्लेटफॉर्म पर भारी जुर्माना लगाया जाता है।
- **प्रतिबंध के पक्ष में तर्क:** साइबर-बुलिंग, शैक्षणिक गिरावट, नींद की कमी और हानिकारक वायरल प्रवृत्तियों के संपर्क को लेकर चिंता। अत्यधिक मान्यता संस्कृति असुरक्षा और विकृत आत्म-छवि को बढ़ाती है।
- **पूर्ण प्रतिबंध के विरोध में तर्क:** प्रवर्तन की कठिनाइयाँ और बच्चों को असुरक्षित डिजिटल स्थानों की ओर धकेलने का जोखिम प्रमुख चिंता है। विशेषज्ञ पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सुरक्षित प्लेटफॉर्म की वकालत करते हैं।

भारतीय कानूनी ढाँचा

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 67B)
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (नाबालिगों के लिए अभिभावकीय सहमति)
- आईटी नियम, 2021
- NCPDR शिकायत तंत्र

फिर भी, क्रियान्वयन की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

भारत के लिए प्रमुख चुनौतियाँ

- **व्यापक डेटा का अभाव:** दूसरा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण लंबित है, जिससे साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण सीमित होता है।
- **तकनीकी बचाव:** बच्चे वीपीएन या नकली खातों का उपयोग कर अभिभावकीय नियंत्रण को पार कर लेते हैं।
- **कॉर्पोरेट प्रतिरोध:** भारत टेक कंपनियों का बड़ा वैश्विक उपयोगकर्ता आधार है; कठोर आयु विनियम उद्योग के विरोध का सामना कर सकते हैं।
- **अत्यधिक उपयोग का सामान्यीकरण:** उच्च स्क्रीन समय को अक्सर चिकित्सीय जोखिम के बजाय आधुनिक जीवनशैली माना जाता है।
- **विशेषज्ञ देखभाल की कमी:** डिजिटल लत के लिए विशेष क्लिनिक बहुत कम हैं, जैसे NIMHANS का SHUT क्लिनिक, जो मुख्यतः शहरी केंद्रों में है।

आगे की राह

- **डिजिटल वेलनेस नीति ढाँचा:** "डिजिटल एक्सेस" से "डिजिटल वेलनेस" की ओर परिवर्तन। स्वस्थ डिजिटल उपयोग के लिए मापनीय राष्ट्रीय संकेतक विकसित करना।
- **आयु-आधारित सुरक्षा उपाय:** सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य आयु सत्यापन। पूर्ण प्रतिबंध के बजाय संतुलित आयु-सीमाएँ।
- **नेटवर्क-स्तरीय नियंत्रण:** विभेदित कोटा वाले परिवार डेटा प्लान—शिक्षा के लिए असीमित, मनोरंजन के लिए सीमित।
- **डिजिटल साक्षरता और पाठ्यक्रम सुधार:** नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिजिटल कल्याण, साइबर सुरक्षा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को पाठ्यक्रम में शामिल करना।
- **मानसिक स्वास्थ्य ढाँचा सुदृढ़ करना:** टेली-MANAS को संकट परामर्श से आगे बढ़ाकर निवारक डिजिटल लत प्रबंधन तक विस्तारित करना। जिला-स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक को प्रोत्साहित करना।
- **ऑफलाइन सहभागिता को बढ़ावा:** युवा क्लब, खेल अवसर, पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्रों में निवेश।
- **सुरक्षा-आधारित डिज़ाइन दृष्टिकोण:** नाबालिगों के लिए गोपनीयता-सुरक्षित डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अनिवार्य करना। एआई-आधारित हानिकारक सामग्री पहचान को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ डिजिटल विस्तार ने आर्थिक परिवर्तन को तीव्र किया है, लेकिन साथ ही व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक जोखिम भी उत्पन्न किए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बताता है कि डिजिटल लत केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि एल्गोरिद्म, बाज़ार प्रोत्साहनों और सामाजिक परिवर्तन से निर्मित एक संरचनात्मक चुनौती है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की रक्षा के लिए नवाचार, विनियमन और कल्याण के बीच संतुलन आवश्यक है। सरकार, विद्यालय, अभिभावक और प्रौद्योगिकी कंपनियों की समन्वित भूमिका से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रौद्योगिकी निर्भरता और तनाव का स्रोत बनने के बजाय सशक्तिकरण का साधन बने।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में डिजिटल लत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 15-24 वर्ष के युवा डिजिटल लत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
2. भारत के पास डिजिटल लत के प्रसार पर व्यापक राष्ट्रीय-स्तर का डेटा उपलब्ध है।
3. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सत्यापनीय अभिभावकीय सहमति अनिवार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

(e) : 2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास और बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बीच उत्पन्न विरोधाभास पर चर्चा कीजिए। एक संतुलित विनियामक ढाँचा सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

POCSO मामलों में तेज़ निपटान हमेशा न्यायपूर्ण नहीं

चर्चा में क्यों: 2025 में, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) के अंतर्गत POCSO अधिनियम के तहत 109% निपटान दर दर्ज की गई, लेकिन घटती दोषसिद्धि दर ने बाल पीड़ितों को मिलने वाले न्याय की गुणवत्ता पर चिंता बढ़ा दी है।

मुख्य बिंदु

- फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों ने 2025 में 80,320 पंजीकृत मामलों के विरुद्ध 87,754 मामलों का निपटान किया (109% निपटान दर)।
- भारत में वर्तमान में 773 FTSCs संचालित हैं, जिनमें 400 समर्पित POCSO न्यायालय हैं, जिन्हें निर्भया निधि से वित्तपोषित किया गया है।
- दोषसिद्धि दर 35% (2019) से घटकर 29% (2023) हो गई है।
- सहायता व्यक्तियों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLVs) जैसी सहायता प्रणालियाँ कई राज्यों में पर्याप्त रूप से लागू नहीं हो पाई हैं।

POCSO अधिनियम, 2012: कानूनी ढाँचा और उद्देश्य

- **बाल-केंद्रित कानून:** 2012 में लागू बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए एक व्यापक, लैंगिक-तटस्थ कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **अपराधों का व्यापक दायरा:** यह प्रवेशात्मक और गैर-प्रवेशात्मक हमला, यौन उत्पीड़न और बाल अश्लीलता को अपराध घोषित करता है। 2019 संशोधन में गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड (अत्यंत मामलों में मृत्युदंड तक) का प्रावधान जोड़ा गया।
- **बाल-अनुकूल प्रक्रिया:** अधिनियम में इन-कैमरा सुनवाई, पहचान की गोपनीयता, सुरक्षित वातावरण में बयान दर्ज करना तथा एक वर्ष के भीतर मुकदमे के निपटान का प्रावधान किया गया है।

- **संस्थागत तंत्र:** विशेष न्यायालय, विशेष लोक अभियोजक, बाल कल्याण समितियाँ और सहायता व्यक्तियों की व्यवस्था की गई है, ताकि न्याय प्रक्रिया संवेदनशील और आघात-सचेत हो।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) का विस्तार

- **संस्थागत वृद्धि:** अक्टूबर 2019 से, निर्भया निधि से ₹1,952 करोड़ के समर्थन से 773 FTSCs स्थापित किए गए, जिनमें 400 विशेष रूप से POCSO मामलों को संभालते हैं।
- **निपटान दक्षता में सुधार:** FTSCs प्रति माह औसतन 9.5 मामलों का निपटान करते हैं, जबकि सामान्य न्यायालयों में यह 3.2 है। सितंबर 2025 तक 3.5 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया जा चुका है।
- **लंबित मामलों में कमी का दावा:** 2025 में 109% निपटान दर ने प्रभावी लंबित मामलों के प्रबंधन की धारणा बनाई और तेज़ न्याय में सार्वजनिक विश्वास को मजबूत किया।
- **गति बनाम सार का विवाद:** हालांकि, निपटान आँकड़े अक्सर दोषसिद्धि की गुणवत्ता या पीड़ित पुनर्वास के परिणामों के बजाय केवल मामलों के बंद होने पर केंद्रित होते हैं।

घटती दोषसिद्धि दर: कमजोर न्याय का संकेत

- **दोषसिद्धि दर में गिरावट:** राष्ट्रीय स्तर पर दोषसिद्धि दर 35% (2019) से घटकर 29% (2023) हो गई, जबकि FTSCs में औसत दोषसिद्धि दर 19% बताई जाती है।
- **जल्दबाज़ी में जाँच:** उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे उच्च-भार वाले राज्यों में अपूर्ण आरोप-पत्र और फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी अभियोजन को कमजोर करती है।
- **फॉरेंसिक अवसंरचना की कमी:** चिकित्सीय और फॉरेंसिक प्रयोगशाला रिपोर्टों में देरी साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है, जिससे कई मामलों में आरोपमुक्ति हो जाती है।
- **प्रक्रियात्मक कमजोरियाँ:** तेज़ निपटान के कारण कभी-कभी गवाहों की जिरह और साक्ष्य सत्यापन की गहराई कम हो जाती है।

सहायता तंत्र के क्रियान्वयन में कमजोरी

- **धारा 39 के अंतर्गत सहायता व्यक्ति:** अधिनियम प्रशिक्षित सहायता व्यक्तियों की नियुक्ति अनिवार्य करता है, जो बाल पीड़ितों को मार्गदर्शन दें; लेकिन **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (2021)** के बावजूद कई राज्यों ने इन्हें नियुक्त नहीं किया है।
- **पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs):** FIR दर्ज कराने में परिवारों की सहायता के लिए पुलिस थानों में PLVs महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, **आंध्र प्रदेश में 942 में से केवल 42 पुलिस थानों में PLVs हैं**, जबकि **तमिलनाडु में 1,577 थानों में एक भी नहीं है**।
- **पीड़ितों का मुकदमा छोड़ना:** परामर्श और कानूनी मार्गदर्शन के अभाव में कई पीड़ित न्यायिक प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं, जिससे आरोपमुक्ति की संभावना बढ़ जाती है।
- **मुआवज़े में देरी:** अंतरिम मुआवज़ा अक्सर अंतिम निर्णय तक टल जाता है, जिससे प्रभावित परिवारों की शिक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है।

सामाजिक-आर्थिक और न्यायिक चिंताएँ

- **परिवारों पर आर्थिक बोझ:** वंचित परिवारों को यात्रा और कानूनी खर्च उठाने पड़ते हैं तथा लंबे मुकदमों के कारण काम के दिन भी खोने पड़ते हैं।
- **समस्याग्रस्त न्यायिक प्रथाएँ:** कुछ मामलों में, अदालतों ने आरोपी द्वारा विवाह प्रस्ताव देने पर दोषसिद्धि को कम कर दिया है, जो बाल संरक्षण कानून की भावना के विपरीत है।

- **जागरूकता की कमी:** अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चों और अभिभावकों में, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, POCSO के बारे में जागरूकता कम है।
- **किशोर संबंधों पर संतुलन का प्रश्न:** सहमति आधारित किशोर संबंधों और शोषणकारी संबंधों में अंतर करने के लिए सहमति की आयु से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा पर चर्चा चल रही है।

आगे की राह

- **जाँच की गुणवत्ता सुदृढ़ करना:** फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए सख्त समयसीमा तय की जाए, पुलिस प्रशिक्षण सुधारा जाए और आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले उनकी पूर्णता सुनिश्चित की जाए।
- **सहायता व्यक्तियों और PLVs की सार्वभौमिक नियुक्ति:** RTI-आधारित पारदर्शिता तंत्र के माध्यम से अनिवार्य नियुक्ति और निगरानी।
- **त्रैमासिक दोषसिद्धि ऑडिट:** राज्यों का मूल्यांकन केवल निपटान संख्या पर नहीं बल्कि दोषसिद्धि दर और गुणवत्ता संकेतकों पर किया जाए।
- **समय पर अंतरिम मुआवज़ा:** शिक्षा और वित्तीय संकट को रोकने के लिए प्रारंभिक चरण में ही मुआवज़ा सुनिश्चित किया जाए।
- **बाल-केंद्रित मूल्यांकन मानक:** प्रदर्शन मूल्यांकन को “मामले निपटाए गए” से बदलकर “न्याय प्रदान किया गया” जैसे संकेतकों पर आधारित किया जाए, जिसमें पीड़ित संतुष्टि और पुनर्वास परिणाम शामिल हों।
- **न्यायिक संवेदनशीलता:** न्यायाधीशों और अभियोजकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण, ताकि संवैधानिक नैतिकता और बाल अधिकार सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के विस्तार से POCSO मामलों में संख्यात्मक दक्षता बढ़ी है, लेकिन घटती दोषसिद्धि दर और कमजोर सहायता तंत्र संरचनात्मक कमियों को उजागर करते हैं। बाल पीड़ितों के लिए न्याय को केवल निपटान आँकड़ों से नहीं मापा जा सकता। एक वास्तव में सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए गति, निष्पक्षता, जवाबदेही और बाल-केंद्रित देखभाल के बीच संतुलन आवश्यक है। तभी POCSO ढाँचा बच्चों की सुरक्षा के अपने संवैधानिक उद्देश्य को पूरा कर सकेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: POCSO अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक लैंगिक-तटस्थ कानून है।
2. यह बाल पीड़ितों के लिए सहायता व्यक्तियों की नियुक्ति अनिवार्य करता है।
3. यह केवल महिला पीड़ितों पर लागू होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

(c) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “POCSO मामलों में उच्च निपटान दर हमेशा बेहतर न्यायिक परिणामों का संकेत नहीं देती।” आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

गरीबी और विकासात्मक मुद्दे

चर्चा में क्यों: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट को उजागर करता है, जहाँ MPI हेडकाउंट अनुपात 11.28% तक घट गया है, जो समावेशी विकास में प्रगति को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

- लगभग 248 मिलियन लोग 2013–14 से 2022–23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बाहर आए।
- इस अवधि में भारत का MPI हेडकाउंट अनुपात 29.17% से घटकर 11.28% हो गया।
- सामाजिक क्षेत्र व्यय बढ़कर GDP का 7.9% हो गया है, जो समावेशी विकास का समर्थन करता है।
- प्रगति के बावजूद क्षेत्रीय असमानताएँ, पोषण की कमी और ग्रामीण गरीबी प्रमुख चिंताएँ बनी हुई हैं।

गरीबी की अवधारणा और मापन

- **सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी:** निरपेक्ष गरीबी का अर्थ है भोजन और आश्रय जैसी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना। सापेक्ष गरीबी समाज के भीतर असमानता को मापती है और आय वितरण में अंतर को दर्शाती है।
- **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):** MPI तीन आयामों — स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर — में वंचना को मापता है। यदि किसी परिवार को भारत संकेतकों के कम से कम एक-तिहाई में वंचित पाया जाता है, तो उसे गरीब माना जाता है।
- **वैश्विक और राष्ट्रीय MPI:** भारत का राष्ट्रीय MPI, जो NFHS डेटा पर आधारित है, अधिक सटीक लक्ष्य निर्धारण की अनुमति देता है। अनुमान के अनुसार 2005–06 से 2019–21 के बीच 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।

आय से क्षमता दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन

- अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण (capability approach) से प्रेरित होकर अब गरीबी को केवल कम आय नहीं बल्कि अवसरों और स्वतंत्रताओं की कमी के रूप में देखा जाता है।

भारत में गरीबी की स्थिति: प्रवृत्तियाँ और आँकड़े

- **दीर्घकालिक गिरावट:** भारत की गरीबी दर 1973 में लगभग 55% से घटकर 2011 में 21.9% हो गई (तेंदुलकर पद्धति), जो दशकों में संरचनात्मक सुधार दर्शाती है।
- **हालिया MPI गिरावट:** आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार MPI 11.28% तक घट गया है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ गरीबी कमी की घटनाओं में से एक है।
- **ग्रामीण-शहरी अंतर:** ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। पहले के MPI आँकड़ों में ग्रामीण गरीबी लगभग 32% और शहरी क्षेत्रों में 8–9% दिखाई गई थी, जो सेवाओं तक असमान पहुँच को दर्शाता है।
- **राज्य-स्तरीय अंतर:** बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अभी भी उच्च गरीबी दर है, जबकि केरल, तमिलनाडु और गोवा में बहुआयामी वंचना न्यूनतम है।

भारत में गरीबी की संरचनात्मक विशेषताएँ

- **कृषि संकट:** भारत के लगभग आधे कार्यबल का कृषि पर निर्भर रहना, कम उत्पादकता और विखंडित भूमि-स्वामित्व से जुड़ा है।
- **आय असमानता:** ऑक्सफैम (2022) के अनुसार शीर्ष 5% के पास भारत की 60% से अधिक संपत्ति है, जो संपत्ति के संकेंद्रण को दर्शाता है।

- **जाति और सामाजिक बहिष्कार:** अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ बहुआयामी गरीबी में अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं।
- **लैंगिक आयाम:** वेतन अंतर, अवैतनिक देखभाल कार्य और सीमित संपत्ति स्वामित्व के कारण महिलाएँ अधिक संवेदनशील होती हैं, जिससे गरीबी का स्वीकरण बढ़ता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** 80% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक रोजगार में हैं, जहाँ नौकरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।

गरीबी से उत्पन्न विकासवात्मक समस्याएँ

- **खराब स्वास्थ्य परिणाम:** भारत में दुनिया के सबसे अधिक कुपोषित बच्चों की संख्या है। NFHS-5 के अनुसार IMR 35 प्रति 1,000 जीवित जन्म है, जो निरंतर संवेदनशीलता दर्शाता है।
- **शैक्षिक वंचना:** गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे पीढ़ीगत गरीबी बनी रहती है।
- **शहरी झुग्गियाँ और प्रवास:** गरीबी-प्रेरित प्रवास से झुग्गियों का विस्तार होता है, जिससे शहरी अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव बढ़ता है।
- **पर्यावरणीय क्षरण:** आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है।
- **सामाजिक अस्थिरता:** लगातार गरीबी अपराध, सामाजिक अशांति और शोषण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकती है।

जनसांख्यिकी और गरीबी के बीच संबंध

- **जनसंख्या दबाव:** तेज जनसंख्या वृद्धि रोजगार, भूमि और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश बनाम बोझ:** भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या अक्सर प्रदान करती है, लेकिन पर्याप्त कौशल और रोजगार के बिना यह गरीबी को गहरा कर सकती है।
- **उच्च प्रजनन दर और गरीबी चक्र:** शिक्षा और परिवार नियोजन की कमी गरीब परिवारों में उच्च प्रजनन दर को बढ़ाती है।

गरीबी कमी हेतु नीतिगत हस्तक्षेप

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** बेहतर लक्ष्यीकरण से PDS और PM-KISAN जैसी योजनाओं में रिसाव कम हुआ है।
- **स्वच्छता और जल उपलब्धता:** स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ने स्वच्छता और पेयजल की वंचना को काफी कम किया है।

- **वित्तीय समावेशन:** 55 करोड़ से अधिक जन धन खाते गरीब परिवारों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ चुके हैं।
- **स्वास्थ्य और बीमा:** आयुष्मान भारत विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
- **रोजगार और कौशल विकास:** मनरेगा और स्किल इंडिया पहल ग्रामीण रोजगार और कौशल अंतर को कम करने का प्रयास करती हैं।

आगे की राह

- **पोषण और मानव पूंजी पर ध्यान:** बच्चों में बौनापन और एनीमिया कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।
- **सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना:** शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना की गुणवत्ता सुधारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी पहुँच।
- **शहरी गरीबी रणनीति:** प्रवासी श्रमिकों, झुग्गी पुनर्वास और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए विशेष नीतियाँ विकसित करना।
- **जलवायु-सहिष्णु विकास:** विशेषकर कृषि-निर्भर क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन को जलवायु अनुकूलन के साथ जोड़ना।
- **समावेशी विकास मॉडल:** श्रम-प्रधान विनिर्माण, MSMEs और सामाजिक क्षेत्र व्यय को बढ़ावा देना ताकि व्यापक-आधारित विकास सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) निम्नलिखित में से किन आयामों में वंचना को मापता है?

- (a) आय, रोजगार और संपत्ति (b) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर
(c) आय और उपभोग केवल (d) अवसंरचना और शासन

(q) 2020

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: “भारत में बहुआयामी गरीबी में हालिया गिरावट सामाजिक अवसंरचना में सुधार को दर्शाती है, लेकिन संरचनात्मक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।” चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

शिशुपालगढ़: कलिंग के एक प्राचीन नगरीय केन्द्र की पुनर्खोज

चर्चा में क्यों: ओडिशा के भुवनेश्वर के निकट स्थित प्राचीन नगर शिशुपालगढ़ ने हाल ही में पुनः ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि इसे प्राचीन भारत के एक योजनाबद्ध नगरीय केन्द्र और कलिंग की भूली-बिसरी राजधानी के रूप में महत्व दिया जा रहा है।



प्रमुख विवरण

- शिशुपालगढ़ महानदी डेल्टा में स्थित एक प्रारम्भिक नगरीय बस्ती था, जो वर्तमान भुवनेश्वर के पास स्थित है और जिसका उत्कर्ष लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ।
- पुरातात्विक प्रमाण ग्रिड आधारित योजना, किलेबंदी और नागरिक संरचनाओं को दर्शाते हैं, जो प्राचीन भारत में उन्नत नगर नियोजन का संकेत देते हैं।
- यह नगर समुद्री व्यापार नेटवर्क के विस्तार के काल में समृद्ध हुआ, जिसने भारत को रोमन तथा हान साम्राज्य जैसी सभ्यताओं से जोड़ा।

प्रमुख विशेषताएँ

- किलेबंदी को मुख्य दिशाओं (cardinal directions) के अनुसार सटीक रूप से स्थापित किया गया था, जो उन्नत अभियान्तिकी ज्ञान का संकेत देता है।
- यहाँ से प्राप्त रुलेटेड मूट्टाड (Rouletted pottery) और अर्द्ध-मूल्यवान मनके अंतरमहाद्वीपीय व्यापार संबंधों की ओर संकेत करते हैं।
- अनेक भारतीय स्थलों के विपरीत, शिशुपालगढ़ में विशाल धार्मिक स्मारकों पर अधिक जोर नहीं था, जिससे केवल अनुष्ठानिक गतिविधियों के बजाय नगरीय नागरिक जीवन की झलक मिलती है।

पृष्ठभूमि

- शिशुपालगढ़ प्रारम्भिक ऐतिहासिक भारत की व्यापक कथा के अंतर्गत आता है—यह वह काल था जिसमें नगरीकरण, राज्य संरचनाओं का विकास और विदेशी व्यापार का विस्तार हुआ। इसकी पुनर्खोज उन पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है, जिनमें प्राचीन भारत को मुख्यतः धार्मिक और स्मारकीय नगरों तक सीमित समझा जाता था।

समस्याएँ और चुनौतियाँ

- मूल नाम अभी भी अनिश्चित है; “शिशुपालगढ़” एक लोकप्रचलित नाम है, जिसका आधार अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है, जिससे ऐतिहासिक पहचान जटिल हो जाती है।
- अतिक्रमण और क्षरण इस स्थल के संरक्षण के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।
- सीमित जन-जागरूकता के कारण भारत के प्रमुख प्राचीन स्थलों में इसकी पहचान सीमित बनी हुई है।

निष्कर्ष

शिशुपालगढ़ का अध्ययन प्रारम्भिक भारतीय नगरीय नियोजन और वैश्विक संपर्कों

की हमारी समझ को समृद्ध करता है। अनुसंधान, संरक्षण और जन-सहभागिता को समेकित करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस भूले-बिसरे सभ्यता केन्द्र को भारतीय इतिहास की व्यापक कथा में उचित स्थान मिले।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: शिशुपालगढ़ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वोत्तम रूप से किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है?

- (a) वैदिक यज्ञीय वेदियाँ (b) प्राचीन भारतीय नगरीय नियोजन
(c) मुगल सैन्य स्थापत्य (d) हस्तिनापुर की पौराणिक राजधानी

(9) :225

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “शिशुपालगढ़ प्राचीन भारत में जटिल नगरीकरण के प्रारम्भिक चरण को प्रकट करता है।” ऐसे पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण में ऐतिहासिक महत्व और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)

केरल विधानमंडल अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2026

चर्चा में क्यों: चौथा केरल विधानमंडल अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव (KLIBF) 7-13 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ, जिसमें 2 लाख से अधिक आगंतुक आए, जिससे यह एक प्रमुख सांस्कृतिक और सार्वजनिक संवाद का आयोजन बन गया।

प्रमुख विवरण

- केरल विधान सभा द्वारा आयोजित इस महोत्सव में निःशुल्क प्रवेश दिया गया और इसमें 407 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पैनल चर्चा, लेखकों से भेंट, पुस्तक लोकार्पण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ शामिल थीं।
- 173 प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया, जिनके साथ 170 से अधिक प्रकाशक और 282 स्टॉल विभिन्न साहित्यिक विधाओं को प्रदर्शित कर रहे थे।
- थेय्यम जैसी पारंपरिक कला शैलियों तथा विद्यार्थियों के लिए संवादात्मक सत्रों ने सांस्कृतिक सहभागिता को और सुदृढ़ किया।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह महोत्सव केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था; इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रस्तुतियाँ तथा दृष्टिबाधित और विद्यार्थियों के लिए समावेशी स्थान भी शामिल थे।
- इसने साहित्य को पारंपरिक कला रूपों के साथ जोड़ा, जिससे भारत की संस्कृति और कला की विविधता प्रदर्शित हुई।

- इस आयोजन में विधान सभा भवन और संग्रहालय के भ्रमण की भी व्यवस्था की गई, जिससे नागरिक संस्थानों को सांस्कृतिक संवाद से जोड़ा गया।

पृष्ठभूमि

- KLIBF की परिकल्पना साहित्य और विचारों तक लोकतांत्रिक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी, जिससे विधानमंडलीय स्थानों को सार्वजनिक सांस्कृतिक सहभागिता से जोड़ा जा सके। आरंभ से ही इस महोत्सव में विद्वानों, लेखकों और आम जनता की भागीदारी लगातार बढ़ती रही है।

निष्कर्ष

KLIBF की सफलता भारत के सजीव साहित्यिक परिदृश्य को दर्शाती है और यह दिखाती है कि सांस्कृतिक महोत्सव बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, पुस्तकों को प्रोत्साहित करने और लोकतांत्रिक सहभागिता को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: केरल विधानमंडल अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (a) क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रोत्साहित करना
- (b) पठन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना
- (c) सैन्य इतिहास का प्रदर्शन करना
- (d) केवल बाल साहित्य पर केंद्रित होना

(q) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चर्चा कीजिए कि KLIBF जैसे साहित्यिक महोत्सव भारत में सांस्कृतिक विकास और लोकतांत्रिक संवाद में कैसे योगदान देते हैं। (150 शब्द / 10 अंक)

पृष्ठभूमि

- कलोलसवम की जड़ें केरल की विद्यालयीय सांस्कृतिक महोत्सव परंपरा में हैं, जो प्रदर्शनकारी कलाओं और युवाओं की भागीदारी पर बल देती है। यह क्षेत्रीय कला रूपों के संरक्षण और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

निष्कर्ष

कलोलसवम का समावेशी मॉडल राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी कला महोत्सवों के लिए प्रेरणा बन सकता है, जिससे भारत में सांस्कृतिक निरंतरता और रचनात्मक उत्कृष्टता को सुदृढ़ किया जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: केरल स्कूल कलोलसवम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

- (a) केवल खेलों पर केंद्रित है
- (b) एक प्रमुख छात्र सांस्कृतिक कला महोत्सव है
- (c) एक सैन्य परेड है
- (d) केवल अंतरराष्ट्रीय कला का प्रदर्शन करता है

(q) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: केरल कलोलसवम जैसे विद्यालयीय सांस्कृतिक महोत्सव भारत की कलात्मक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में क्या भूमिका निभाते हैं? विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द / 10 अंक)

64वाँ केरल स्कूल कलोलसवम 2026

चर्चा में क्यों: 64वाँ केरल स्कूल कलोलसवम, 14-18 जनवरी 2026 को त्रिशूर में आयोजित हुआ। यह एशिया के सबसे बड़े विद्यालयीय कला महोत्सवों में से एक के रूप में उभरा, जिसमें सैकड़ों कला रूपों में प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की गईं।

प्रमुख विवरण

- 1957 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह कलोलसवम 249 श्रेणियों में लगभग 14,000 विद्यार्थियों की भागीदारी देखता है।
- वर्ष 2026 के संस्करण में पहली बार चिकित्सकीय कारणों वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन भागीदारी का विकल्प शुरू किया गया।

प्रमुख विशेषताएँ

- प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में नृत्य, संगीत, रंगमंच, दृश्य कला और साहित्य शामिल हैं।
- यह एक युवा-केंद्रित सांस्कृतिक मंच के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करता है और भविष्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करता है।

‘बागुरुम्बा दाहो’ लोक नृत्य

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में आयोजित विशाल ‘बागुरुम्बा दाहो’ प्रस्तुति में भाग लिया, जिसमें बोडो समुदाय के 10,000 नर्तकों ने भाग लिया। इससे जनजातीय कला और संस्कृति पर ध्यान आकर्षित हुआ।



प्रमुख विवरण

- बागुरुम्बा बोडो समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो प्रकृति और सामंजस्य का प्रतीक है।
- इस प्रस्तुति में महिला नर्तकियों और संगीतकारों ने तितलियों, पक्षियों और फूलों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, जो प्रकृति से जुड़ी सांस्कृतिक सौंदर्यबोध को दर्शाती है।

प्रमुख विशेषताएँ

- 10,000 कलाकारों की विशाल भागीदारी सांस्कृतिक विरासत के लिए सामुदायिक सहभागिता को दर्शाती है।
- जनजातीय पहचान और प्रकृति पर केंद्रित विषय समकालीन सांस्कृतिक कथाओं के विकास को भी प्रतिबिंबित करता है।

पृष्ठभूमि

- बागुरुम्बा असम की जनजातीय आबादी के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके प्रदर्शन पारंपरिक रूप से सामाजिक समारोहों और उत्सवों से जुड़े होते हैं।

निष्कर्ष

लोक परंपराओं को आधुनिक सांस्कृतिक परिदृश्य में फलने-फूलने के लिए संस्थागत समर्थन और सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है।

- प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉ. सोनल मान सिंह ने इस महोत्सव को परंपरा और नवाचार के उत्सव के रूप में वर्णित किया।

प्रमुख विशेषताएँ

- अनेक शास्त्रीय नृत्य शैलियों की प्रस्तुतियाँ हुईं, जिनमें परंपरा को समकालीन नृत्य-रचना के साथ जोड़ा गया।
- इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और उन्हें भारत की प्रदर्शनकारी कलाओं की विरासत से परिचित कराना था।

पृष्ठभूमि

- भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ (जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी आदि) सदियों में विकसित हुई हैं। इनमें पौराणिक कथाएँ, सौंदर्यशास्त्र और दार्शनिक अवधारणाएँ समाहित हैं, जो भारतीय संस्कृति के केंद्र में स्थित हैं।

निष्कर्ष

‘कला-यात्रा’ जैसे महोत्सव पारंपरिक कला रूपों और समकालीन दर्शकों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, जिससे स्थायी सांस्कृतिक सहभागिता सुनिश्चित होती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बागुरुम्बा एक लोक नृत्य है जो किस समुदाय से संबंधित है?

- (a) संथाल (b) बोडो
(c) गोंडी (d) भूटिया

(q) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बागुरुम्बा जैसे जनजातीय लोक नृत्यों का भारत की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण में क्या महत्व है? इन्हें बेहतर ढंग से कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? (150 शब्द / 10 अंक)

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ‘कला-यात्रा’ महोत्सव मुख्यतः किसका उत्सव मनाता है?

- (a) अंतरिक्ष विज्ञान (b) शास्त्रीय कला और संस्कृति
(c) खेल उपलब्धियाँ (d) आर्थिक मंच

(q) : 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ‘कला-यात्रा’ जैसे सांस्कृतिक महोत्सव भारत की शास्त्रीय प्रदर्शनकारी कलाओं के पुनर्जीवन और संरक्षण में क्या भूमिका निभाते हैं? चर्चा कीजिए। (150 शब्द / 10 अंक)

दिल्ली ‘कला-यात्रा 2026’

चर्चा में क्यों: पाँच दिवसीय ‘कला-यात्रा 2026’ महोत्सव दिल्ली में प्रारम्भ हुआ, जिसका उद्देश्य शास्त्रीय कलाओं का उत्सव मनाना है। यह सरकार और प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है।



प्रमुख विवरण

- दिल्ली सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग और सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शास्त्रीय कला रूपों, कार्यशालाओं और प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया गया।

गणतंत्र दिवस परेड 2026 में वडोदरा की भरतनाट्यम मंडली

चर्चा में क्यों: वडोदरा की एक भरतनाट्यम मंडली को नई दिल्ली में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुति देने के लिए चुना गया। यह शास्त्रीय कला के माध्यम से क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय एकता को उजागर करता है।

प्रमुख विवरण

- यह मंडली प्रोफेसर पारुल शाह और उनके विद्यार्थियों के नेतृत्व में है, जो ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति देगी।
- केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस प्रस्तुति को राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय नृत्य की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है।

प्रमुख विशेषताएँ

- भरतनाट्यम, एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली, लय, भाव और कथात्मक मुद्राओं

के माध्यम से कथाएँ प्रस्तुत करती है, जिसकी जड़ें संस्कृत और तमिल परंपराओं में हैं।

- गणतंत्र दिवस पर क्षेत्रीय मंडलियों की उपस्थिति भारत की बहुलतावादी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है।

पृष्ठभूमि

- गणतंत्र दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम अक्सर भारत की सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक विविधता को प्रदर्शित करते हैं, जो सैन्य और नागरिक प्रदर्शनों के साथ संतुलन स्थापित करते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय उत्सवों में शास्त्रीय कलाओं को शामिल करना भारत के बहुलतावादी स्वरूप को सुदृढ़ करता है और नागरिकों में सांस्कृतिक गौरव की भावना को बढ़ाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका उद्गम किस राज्य से हुआ है?

- (a) पंजाब (b) तमिलनाडु
(c) राजस्थान (d) असम

(q) :१२९

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजनों में शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों का भारत की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने में क्या महत्व है? विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द / 10 अंक)

CCHAHAL ACADEMY

यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा

2027/28/29

प्रवेश प्रारंभ

एनसीईआरटी+जीएस+सीसैट
फाउंडेशन बैच के लिए

माध्यम — English
हिंदी
द्विभाषी (Bilingual)

वैकल्पिक विषय

राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (PSIR) - भूगोल
समाज शास्त्र - इतिहास - मानव शास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी)



चहल एकेडमी, 22-B, ग्राउंड फ्लोर, करोल बाग, मेट्रो पिलर नंबर 112,
ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ☎ 9313218122, 9625993995

हमारी शाखाएँ

नई दिल्ली, अहमदाबाद, आनंद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी,
जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागालैंड, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, सूरत, ठाणे, वडोदरा

स्वस्थ जनसंख्या: एक सुदृढ़ भविष्य के लिए ABDM-केंद्रित मार्ग

चर्चा में क्यों: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने बेहतर स्वास्थ्य परिणामों पर प्रकाश डाला है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) जैसी डिजिटल स्वास्थ्य पहलों को एक सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए केंद्रीय बताया है।

प्रमुख विवरण

- भारत ने MMR, U5MR, NMR और IMR में तीव्र गिरावट हासिल की है, जो 1990 के दशक से वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन दर्शाती है।
- ABDM और ई-संजीवनी जैसी डिजिटल पहलें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को मजबूत कर रही हैं।
- सर्वेक्षण ने मोटापा, अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, डिजिटल लत और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य जैसी उभरती चुनौतियों को रेखांकित किया है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सर्वेक्षण और डिजिटल स्वास्थ्य मंचों का उपयोग स्वास्थ्य हॉटस्पॉट की पहचान और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सुधार के लिए किया जा रहा है।



वित्त मंत्रालय



स्वास्थ्य:

सार्वजनिक और निवारक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना

- भारत ने MMR, U5MR और NMR में 1990 के दशक से वैश्विक प्रवृत्तियों से अधिक कमी हासिल की है।
- शिशु मृत्यु दर (IMR) में पिछले दशक में 37% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ई-संजीवनी ने नागरिकों की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाया है।
- टेली-मानस (Tele-MANAS) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24x7 टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन (14416) प्रदान करता है।
- ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) अधिनियम, 2025 युवाओं में डिजिटल लत और वित्तीय हानि की समस्या को संबोधित करता है।

@PIB_india @PIBHindi @pibindia @pibindia @pibindia @pibindia @pibindia

भारत का स्वास्थ्य संक्रमण: प्रमुख उपलब्धियाँ

- मातृ और शिशु मृत्यु में तीव्र गिरावट: भारत ने 1990 से मातृ मृत्यु अनुपात

(MMR) में 86% की कमी हासिल की है, जो वैश्विक 48% गिरावट से अधिक है। यह संस्थागत प्रसव, प्रसवपूर्व देखभाल और स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार को दर्शाता है।

- बाल जीवित रहने के संकेतकों में सुधार: पाँच वर्ष से कम आयु मृत्यु दर (U5MR) 78% घटकर (1990-2023) और नवजात मृत्यु दर 70% घट गई है, जो बेहतर नवजात देखभाल और टीकाकरण कवरेज को दर्शाता है।
- शिशु मृत्यु दर (IMR) में प्रगति: IMR 40 (2013) से घटकर 25 (2023) हो गया—पिछले दशक में 37% से अधिक की गिरावट। यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और पोषण में उपलब्धियों को दर्शाता है।
- प्रमुख कार्यक्रमों की भूमिका: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान जैसी पहलों ने निवारक और उपचारात्मक सेवाओं तक पहुँच का विस्तार किया है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- संघीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना: 2021 में प्रारम्भ किया गया ABDM एक परस्पर-संचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें स्वास्थ्य आईडी, रजिस्ट्रियाँ और सहमति-आधारित डेटा साझाकरण शामिल है।
- ABHA (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट): नागरिकों को एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्राप्त होती है, जिससे अस्पतालों में चिकित्सा अभिलेखों तक निर्बाध पहुँच मिलती है, दोहराव कम होता है और देखभाल की निरंतरता बेहतर होती है।
- स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकरण: ABDM अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, फार्मसियों और बीमा कंपनियों से जुड़ता है, जिससे प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाएँ कम होती हैं।
- साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: डिजिटल स्वास्थ्य डेटा से रोग निगरानी, संसाधन आवंटन और लक्षित हस्तक्षेप को समर्थन मिलता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन मजबूत होता है।
- डिजिटल स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: यह मिशन स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और डिजिटल सेवाओं में नए अवसर पैदा कर रहा है।

ABDM को पूरक करने वाले ICT नवाचार

- ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन मंच: डॉक्टर-से-डॉक्टर और डॉक्टर-से-रोगी परामर्श प्रदान करता है, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाता है तथा मरीजों के खर्च को कम करता है।
- अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS): अस्पतालों के कार्यप्रवाह का डिजिटलीकरण दक्षता, पारदर्शिता और रोगी ट्रैकिंग में सुधार करता है।
- एआई आधारित स्वास्थ्य हॉटस्पॉट पहचान: एआई और ABDM डेटा का उपयोग मधुमेह और मोटापे जैसे रोग समूहों की पहचान के लिए किया जाता है।
- अग्रिम पंक्ति कर्मियों का डिजिटलीकरण: आशा डिजिटल मंच और मोबाइल ऐप मातृ और शिशु स्वास्थ्य संकेतकों की वास्तविक समय निगरानी को सक्षम बनाते हैं।

- यह योजना माता-पिता/अभिभावकों को बच्चों के लिए प्रारंभिक आयु से सेवानिवृत्ति बचत बनाने की अनुमति देती है।
- दिशा-निर्देश पात्रता, अंशदान मानदंड, निकासी नियम और नियमित NPS में संक्रमण को स्पष्ट करते हैं।
- इसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता और पेंशनयुक्त समाज को बढ़ावा देना है, जो विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अंतर्गत है।

संस्थागत ढाँचा और शासन

- **नियामक प्राधिकरण:** यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक समान पेंशन क्षेत्र निगरानी सुनिश्चित करता है।
- **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के साथ एकीकरण:** एनपीएस वात्सल्य एक फीडर योजना के रूप में कार्य करती है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में बालक के वयस्क होने के बाद सहज संक्रमण सक्षम बनाती है।
- **विधिक आधार:** दिशा-निर्देश PFRDA (निकास और निकासी) विनियम, 2015 में किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं, जो नियामक स्पष्टता और निवेशक संरक्षण प्रदान करते हैं।
- **नीतिगत संदर्भ:** यह योजना सार्वभौमिक पेंशन कवरेज, वित्तीय समावेशन और दीर्घकालिक घरेलू बचत को बढ़ावा देने के भारत के व्यापक प्रयासों को पूरक करती है।

पात्रता और लाभार्थी संरचना

- **सार्वभौमिक अल्पायु कवरेज:** यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, जिसमें एनआरआई और ओसीआई भी शामिल हैं, जिससे पेंशन का दायरा वैश्विक स्तर तक विस्तृत होता है।
- **अल्पायु एकमात्र लाभार्थी:** खाता बच्चे के नाम पर संचालित होता है, जिससे बचत का कानूनी स्वामित्व उसी के पास रहता है।
- **अभिभावक आधारित संचालन:** माता-पिता या कानूनी अभिभावक 18 वर्ष की आयु तक खाते का संचालन करते हैं, जिससे प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित होती है।
- **वित्तीय समावेशन आयाम:** एनआरआई/ओसीआई भागीदारी की अनुमति देकर यह योजना प्रवासी-सम्बद्ध बचत को प्रोत्साहित करती है और पूँजी निर्माण को सुदृढ़ करती है।

अंशदान संरचना और लचीलापन

- **कम प्रवेश बाधा:** न्यूनतम प्रारंभिक और वार्षिक अंशदान ₹250 है, जिससे यह योजना निम्न-आय वाले परिवारों के लिए भी सुलभ बनती है।
- **अंशदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं:** किसी सीमा का अभाव दीर्घकालिक संपत्ति संचय और स्वैच्छिक पेंशन योजना को प्रोत्साहित करता है।
- **तृतीय-पक्ष अंशदान की अनुमति:** रिश्तेदारों और मित्रों द्वारा अंशदान उपहार के रूप में दिया जा सकता है, जिससे परिवार-आधारित वित्तीय योजना को बढ़ावा मिलता है।
- **चक्रवृद्धि की शक्ति:** प्रारंभिक आयु में पेंशन बचत शुरू करने से दीर्घ निवेश अवधि मिलती है, जिससे बड़ा सेवानिवृत्ति कोष बनने की संभावना बढ़ती है।

एनपीएस वात्सल्य योजना

उद्देश्य
पेंशनधारी समाज का निर्माण करना और बच्चों को सशक्त बनाना।

नोडल मंत्रालय
वित्त मंत्रालय

नाबालिग को एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) प्राप्त होती है।

योगदान आधारित पेंशन योजना
एनपीएस के अंतर्गत नाबालिगों के लिए योगदान आधारित पेंशन योजना

पात्रता

भारतीय नागरिक जिनकी **आयु 0-18 वर्ष** है, पात्र हैं।
संरक्षक अनिवासी भारतीय (NRI) या भारत का विदेशी नागरिक (OCI) हो सकता है।
ऐसे मामलों में NRE/NRO बैंक खाता अनिवार्य है।

विनियमन
पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), भारत

योगदान
माता-पिता न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह का योगदान कर सकते हैं।
कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

18 वर्ष की आयु पर खाता सामान्य NPS या गैर-NPS खाते में परिवर्तित हो जाता है।

निकासी नियम

➤ **लॉक-इन अवधि**
खाता खोलने की तिथि से 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि।

➤ **आंशिक निकासी**
लॉक-इन के बाद 25% तक निकासी की जा सकती है: शिक्षा के लिए चिकित्सा उपचार के लिए दिव्यांगता की स्थिति में **(अधिकतम तीन बार निकासी)**

मृत्यु की स्थिति में
पूरी राशि संरक्षक को मिलती है।
यदि माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो नया संरक्षक पंजीकृत किया जाता है। यदि दोनों की मृत्यु हो जाए, तो कानूनी संरक्षकता लागू होती है।

18 वर्ष पर निकासी
खाता सामान्य NPS में परिवर्तित हो जाता है।
यदि कोष ₹2.5 लाख से अधिक है, तो 80% राशि से वार्षिकी (annuity) लेनी होगी और 20% निकासी संभव है। अन्यथा पूरी राशि की निकासी की अनुमति है।

निवेश और पेंशन निधि विकल्प

- **निधि चयन की स्वतंत्रता:** अभिभावक PFRDA-पंजीकृत पेंशन निधियों में से किसी का चयन कर सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ती है।
- **बाजार-संबद्ध प्रतिफल:** NPS की तरह निवेश बाजार से जुड़ा होता है, जिससे पारंपरिक बचत की तुलना में संभावित रूप से अधिक प्रतिफल मिल सकता है।
- **जोखिम विविधीकरण:** NPS संरचना इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देती है, जिससे जोखिम संतुलित होता है।
- **वित्तीय साक्षरता प्रभाव:** बाजार-आधारित पेंशन उत्पादों का प्रारंभिक अनुभव समय के साथ घरेलू वित्तीय जागरूकता को बढ़ा सकता है।

निकासी और निकास प्रावधान

- **तीन-वर्ष लॉक-इन:** आंशिक निकासी केवल तीन वर्ष बाद ही संभव है, जिससे दीर्घकालिक बचत की प्रतिबद्धता बनी रहती है।
- **सीमित आंशिक निकासी:** स्वयं के अंशदान का 25% तक (प्रतिफल को छोड़कर) विशेष उद्देश्यों के लिए निकाला जा सकता है।
- **अनुमत उपयोग:** निकासी शिक्षा, चिकित्सा उपचार और दिव्यांगता-संबंधी आवश्यकताओं के लिए अनुमत है।
- **आवृत्ति सीमा:** 18 वर्ष से पहले दो बार और 18-21 वर्ष के बीच दो बार निकासी की अनुमति है, जिससे दुरुपयोग रोका जा सके।

वयस्कता प्राप्त होने पर संक्रमण

- **अनिवार्य नवीन KYC:** 18 वर्ष की आयु पर सदस्य को नया KYC पूरा करना होगा।
- **निरंतरता के विकल्प:** व्यक्ति एनपीएस वात्सल्य जारी रख सकता है, NPS टियर-I में स्थानांतरित कर सकता है या शर्तों के अनुसार बाहर निकल सकता है।
- **वार्षिकी आवश्यकता:** निकास पर कम से कम 20% कोष से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य है।
- **छोटे कोष में लचीलापन:** यदि कोष ₹8 लाख या उससे कम है, तो पूर्ण निकासी की अनुमति है।

जमीनी स्तर के वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका

- **समुदाय-स्तरीय प्रोत्साहन:** दिशा-निर्देश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और बैंक मित्तों को जागरूकता और नामांकन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
- **ग्रामीण पहुँच:** यह रणनीति ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों को लक्षित करती है।
- **वित्तीय समावेशन समन्वय:** यह पहल जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति जैसी योजनाओं को पूरक करती है।
- **महिला-नेतृत्वित सेवा वितरण:** अग्रिम पंक्ति की महिला कार्यकर्ताओं के माध्यम से लैंगिक समावेशी वित्तीय पहुँच को मजबूत किया जाता है।

भारत की पेंशन व्यवस्था के लिए महत्व

- **प्रारंभिक बचत संस्कृति:** यह योजना बचपन से ही आजीवन वित्तीय योजना की संस्कृति को संस्थागत बनाती है।
- **जनसांख्यिकीय लाभ:** भारत की लगभग 40% जनसंख्या 18 वर्ष से कम है, इसलिए प्रारंभिक पेंशन नामांकन दीर्घकालिक बचत को बढ़ा सकता है।
- **पूँजी बाजार की गहराई:** पेंशन परिसंपत्तियों में वृद्धि घरेलू पूँजी निर्माण और अवसंरचना वित्तपोषण को समर्थन दे सकती है।
- **विकसित भारत@2047 के अनुरूप:** यह पहल वित्तीय रूप से सुरक्षित और पेंशनयुक्त समाज की दिशा में योगदान देती है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **जागरूकता अंतर:** अल्पायु के लिए पेंशन उत्पाद अभी भी कई परिवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अपरिचित हैं।
- **इक्विटी बाजार जोखिम:** बाजार-संबद्ध प्रतिफल अस्थिरता जोखिम के संपर्क में ला सकते हैं।
- **प्रशासनिक जटिलता:** नया KYC और संक्रमण नियम कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए प्रक्रिया को जटिल बना सकते हैं।
- **अन्य बचत योजनाओं से प्रतिस्पर्धा:** PPF, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं से प्रतिस्पर्धा नामांकन को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष

एनपीएस वात्सल्य योजना भारत की पेंशन संरचना में एक दूरदर्शी सुधार का प्रतिनिधित्व करती है, जो बचपन से ही सेवानिवृत्ति योजना को जीवन-चक्र में शामिल करती है। इसकी सफलता व्यापक जागरूकता, सरल प्रक्रियाओं, मजबूत निवेशक संरक्षण और प्रभावी जमीनी पहुँच पर निर्भर करेगी। यदि प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह योजना वित्तीय रूप से सुरक्षित और पेंशन-सुसज्जित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एनपीएस वात्सल्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह PFRDA द्वारा विनियमित है।
2. यह केवल भारत में रहने वाले अल्पायु व्यक्तियों के लिए खुली है।
3. लॉक-इन अवधि के बाद स्वयं के अंशदान का 25% तक आंशिक निकासी अनुमत है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- | | |
|-----------------|---------------|
| (a) केवल 1 और 3 | (b) केवल 1 |
| (c) केवल 2 और 3 | (d) 1, 2 और 3 |
| (e) 2, 3, 4 | |

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एनपीएस वात्सल्य जैसी प्रारंभिक वित्तीय योजना पहलें भारत की बचत प्रवृत्ति को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द / 10 अंक)

मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, साथ ही प्रचार और अंतराल-वित्तपोषण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है।

प्रमुख विवरण

- यह योजना 2030-31 तक जारी रहेगी, जिसमें पहुँच बढ़ाने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी समर्थन दिया जाएगा।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच जागरूकता और क्षमता निर्माण के माध्यम से कवरेज बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

- 60 वर्ष की आयु से ₹1,000-₹5,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है।
- जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य इस योजना में नामांकित हैं।

अटल पेंशन योजना: उद्देश्य और तर्क

- **वृद्धावस्था आय सुरक्षा:** APY का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके पास औपचारिक सेवानिवृत्ति लाभ नहीं होते।
- **असंगठित क्षेत्र को लक्ष्य:** भारत की लगभग 85-90% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है, जहाँ सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा कवरेज नहीं होता।
- **वित्तीय समावेशन से जुड़ाव:** यह योजना जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) पहल पर आधारित है और निम्न-आय वाले परिवारों में दीर्घकालिक बचत की आदतों को प्रोत्साहित करती है।
- **पेंशनयुक्त समाज की परिकल्पना:** APY का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा उन्मुख कल्याणकारी राज्य की दिशा में संक्रमण का समर्थन करना है।

अटल पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:** 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सदस्य ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह तक निश्चित पेंशन प्राप्त करते हैं।
- **परिभाषित अंशदान योजना:** अंशदान आयु (18-40 वर्ष) और इच्छित पेंशन स्तर के आधार पर निर्धारित होता है।
- **सरकारी सह-अंशदान (प्रारंभिक चरण):** प्रारंभिक नामांकन (2015-16) के लिए सरकार ने 50% सह-अंशदान या ₹1,000 वार्षिक प्रदान किया।
- **स्वचालित डेबिट प्रणाली:** अंशदान बैंक खातों से स्वतः कटौती के माध्यम से किया जाता है, जिससे अनुपालन बढ़ता है।

2030-31 तक विस्तार की कार्यान्वयन रणनीति

- **प्रचार और विकास गतिविधियाँ:** सरकार जागरूकता अभियान, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और संस्थागत क्षमता निर्माण को वित्तपोषित करेगी।
- **अंतराल-वित्तपोषण:** बजटीय समर्थन एक्युअरियल या संचालनात्मक अंतर को भरने के लिए दिया जाएगा।
- **अंतिम-मौल समावेशन:** ग्रामीण क्षेत्रों, महिला श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **डिजिटल और संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और फिनटेक प्लेटफॉर्म का उपयोग नामांकन और सेवा दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

प्रदर्शन और उपलब्धियाँ

- **तीव्र सदस्य वृद्धि:** 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ सदस्य, जो निम्न-आय समूहों में व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है।
- **लैंगिक समावेशन:** एक महत्वपूर्ण प्रतिशत महिला सदस्य हैं।
- **अन्य योजनाओं के साथ पूरकता:** APY जन धन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसी योजनाओं को पूरक बनाता है।
- **राजकोषीय संतुलन:** अंशदान-आधारित होने के कारण APY पर दीर्घकालिक राजकोषीय भार अपेक्षाकृत कम है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **कम पेंशन पर्याप्तता:** भविष्य की मुद्रास्फीति और जीवनयापन लागत को देखते हुए ₹5,000 की अधिकतम पेंशन अपर्याप्त हो सकती है।
- **जागरूकता अंतर:** कई असंगठित श्रमिक अभी भी पेंशन उत्पादों से अनभिज्ञ हैं।

- **अनियमित अंशदान:** आय अस्थिरता के कारण खाते निष्क्रिय हो सकते हैं।
- **कवरेज सीमाएँ:** गिग श्रमिक, प्लेटफॉर्म श्रमिक और प्रवासी श्रमिक अभी भी कम प्रतिनिधित्व वाले हैं।

भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना में महत्व

- **समावेशी विकास का समर्थन:** APY सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करता है और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में सहायता करता है।
- **जनसांख्यिकीय तैयारी:** भारत की वृद्ध होती आबादी को देखते हुए प्रारंभिक पेंशन कवरेज भविष्य के जोखिमों को कम कर सकता है।
- **औपचारिकीकरण को बढ़ावा:** यह योजना अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में मदद करती है।
- **विकसित भारत @2047 दृष्टि:** पेंशन कवरेज का विस्तार सामाजिक रूप से सुरक्षित विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

निष्कर्ष

APY को 2030-31 तक जारी रखना वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे चलकर पेंशन की पर्याप्तता बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना, गिग श्रमिकों को शामिल करना और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग महत्वपूर्ण होगा। एक मजबूत और समावेशी पेंशन प्रणाली कल्याण-उन्मुख वित्तीय रूप से सुरक्षित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अटल पेंशन योजना (APY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह मुख्यतः असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करती है।
2. यह एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है।
3. यह पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित पेंशन योजना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

(9) 2025

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अटल पेंशन योजना (APY) भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने में कैसे योगदान देती है? चर्चा कीजिए। (150 शब्द / 10 अंक)

PFRDA ने 'एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना' प्रस्तुत की

चर्चा में क्यों: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति बचत के साथ स्वास्थ्य वित्तपोषण को एकीकृत करने के लिए एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना को पायलट आधार पर प्रस्तुत किया है।

प्रमुख विवरण

- PFRDA ने इस योजना को नियामकीय सैंडबॉक्स ढाँचे के अंतर्गत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) के रूप में प्रस्तुत किया है।
- यह योजना सदस्यों को ओपीडी (OPD) और आईपीडी (IPD) चिकित्सा खर्चों के लिए NPS से जुड़ी बचत का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
- यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी है तथा NPS खाता रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।
- इसका उद्देश्य स्व-व्यय स्वास्थ्य खर्च (Out-of-Pocket Expenditure – OoPE) को कम करना और स्वास्थ्य-पेंशन अभिसरण का परीक्षण करना है।

संस्थागत ढाँचा: PFRDA की भूमिका

- **वैधानिक नियामक:** PFRDA, जिसे PFRDA अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, भारत में पेंशन क्षेत्र के विकास को विनियमित और प्रोत्साहित करता है। यह पारदर्शिता और सदस्य संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की निगरानी करता है।
- **नियामकीय सैंडबॉक्स दृष्टिकोण:** सैंडबॉक्स वित्तीय उत्पादों के नियंत्रित प्रयोग की अनुमति देता है, जिससे पूर्ण क्रियान्वयन से पहले परिचालन जोखिम, उपभोक्ता संरक्षण मुद्दों और तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके।
- **बहु-योजना संरचना (MSF):** नई योजना NPS के मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के अंतर्गत संचालित होती है, जिससे विविध निवेश विकल्प उपलब्ध होते हैं तथा नियामकीय निगरानी और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित होता है।
- **सदस्य-केंद्रित नवाचार:** यह पहल लचीले, आवश्यकता-आधारित पेंशन उत्पादों की दिशा में PFRDA के प्रयासों को दर्शाती है, जो सेवानिवृत्ति योजना के वैश्विक रुझानों के अनुरूप है।

एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **स्वैच्छिक और लचीला अंशदान:** NPS खाता रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है और वर्तमान गैर-सरकारी NPS मानदंडों के अनुसार अंशदान कर सकता है।
- **चिकित्सा निकासी प्रावधान:** सदस्य अपनी स्वयं की अंशदान राशि का 25% तक OPD/IPD खर्चों के लिए निकाल सकते हैं, निकासी की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, बशर्ते न्यूनतम कोष ₹50,000 बना रहे।
- **कोष हस्तांतरण सुविधा:** 40 वर्ष से अधिक आयु (गैर-सरकारी क्षेत्र) के सदस्य अपने मुख्य NPS खाते से 30% तक अंशदान स्वास्थ्य योजना में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- **गंभीर बीमारी निकास विकल्प:** यदि अस्पताल में भर्ती उपचार लागत कोष के 70% से अधिक हो जाए, तो सदस्य 100% राशि केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए निकाल सकता है।

दावा निपटान और शासन सुरक्षा उपाय

- **प्रत्यक्ष भुगतान तंत्र:** निकासी राशि सीधे स्वास्थ्य लाभ प्रशासक (HBA), तृतीय-पक्ष प्रशासक (TPA) या अस्पताल को दी जाती है, जिससे दुरुपयोग कम होता है।
- **अधिशेष संरक्षण:** चिकित्सा निपटान के बाद बची हुई राशि सदस्य के सामान्य NPS खाते में वापस कर दी जाती है।
- **शिकायत निवारण प्रणाली:** पेंशन निधियों को मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा।
- **डेटा संरक्षण अनुपालन:** यह योजना डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत स्पष्ट डिजिटल सहमति सुनिश्चित करती है।

महत्व: स्वास्थ्य-पेंशन अभिसरण

- **पहला संरचित एकीकरण:** यह भारत का पहला औपचारिक प्रयास है जिसमें सेवानिवृत्ति बचत को स्वास्थ्य वित्तपोषण से जोड़ा गया है।
- **OOPE में कमी:** भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 48% स्व-व्यय है (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुसार)। यह योजना चिकित्सा संकटों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर सकती है।
- **चिकित्सकीय निर्धनता की रोकथाम:** स्वास्थ्य व्यय के कारण हर वर्ष लाखों लोग गरीबी में चले जाते हैं; पेंशन-संबद्ध स्वास्थ्य समर्थन इस जोखिम को कम कर सकता है।
- **NPS पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना:** स्वास्थ्य उपयोगिता जोड़ने से NPS की आकर्षकता बढ़ सकती है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **सीमित पायलट पैमाना:** चूँकि यह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्रारंभिक चरण में सदस्य कवरेज सीमित रहेगा।
- **सेवानिवृत्ति कोष पर जोखिम:** बार-बार चिकित्सा निकासी से दीर्घकालिक पेंशन कोष कम हो सकता है।
- **जागरूकता और वित्तीय साक्षरता:** असंगठित श्रमिकों में पेंशन उत्पादों की कम समझ अपनाने में बाधा बन सकती है।
- **संचालनात्मक समन्वय:** पेंशन निधि, फिनटेक कंपनियाँ, TPA और अस्पतालों के बीच समन्वय आवश्यक होगा।

नियामकीय सैंडबॉक्स का व्यापक महत्व

- **फिनटेक नवाचार को बढ़ावा:** सैंडबॉक्स ढाँचा बिना पूर्ण नियामकीय बोझ के नवाचारपूर्ण वित्तीय उत्पादों के परीक्षण को सक्षम बनाता है।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** PoC दृष्टिकोण वास्तविक डेटा के आधार पर नीति सुधार की अनुमति देता है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा:** कई नियामक (जैसे यूके FCA, RBI सैंडबॉक्स) नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण के संतुलन के लिए इस मॉडल का उपयोग करते हैं।
- **भविष्य के सामाजिक सुरक्षा मॉडल:** यह पायलट भविष्य में एकीकृत पेंशन-बीमा-स्वास्थ्य उत्पादों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

निष्कर्ष

एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वास्थ्य वित्तपोषण और सेवानिवृत्ति योजना के अभिसरण को बढ़ावा देती है। दीर्घकालिक सफलता के लिए सरकार को पर्याप्त जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, डेटा संरक्षण और मजबूत डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करनी होगी। यदि यह पायलट सफल होता है, तो यह भारत में चिकित्सा असुरक्षा को कम करने और पेंशन कवरेज को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

- (a) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना
- (b) पेंशन बचत को चिकित्सा खर्च सहायता से जोड़ना
- (c) आयुष्मान भारत को प्रतिस्थापित करना
- (d) निःशुल्क अस्पताल उपचार प्रदान करना

(9) : 25

गोबरधन योजना: अपशिष्ट को संपत्ति में बदलना

चर्चा में क्यों: जनवरी 2026 तक भारत में गोबरधन पहल के अंतर्गत 189 कार्यात्मक संपीड़ित बायोगैस (CBG) परियोजनाएँ हैं, हालांकि पारदर्शिता और क्रियान्वयन से जुड़ी कमियाँ अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं।

प्रमुख विवरण

- गोबरधन योजना भारत सरकार की एक पहल है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है, जिसका उद्देश्य जैविक अपशिष्ट को बायोगैस और बायो-CNG में परिवर्तित करना है।
- भारत में वर्तमान में 189 कार्यात्मक CBG संयंत्र और 979 सामुदायिक/क्लस्टर आधारित बायोगैस परियोजनाएँ विभिन्न राज्यों में संचालित हैं।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट से संपत्ति (waste-to-wealth) और परिपल अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
- नीति निकायों की रिपोर्टें कार्यक्रम में डेटा पारदर्शिता की कमी और धीमी अपनाने की समस्या को रेखांकित करती हैं।

अवधारणा और संस्थागत ढाँचा

- प्रमुख अपशिष्ट-से-ऊर्जा पहल:** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रारम्भ की गई यह पहल पशु गोबर और जैविक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन कर नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक खाद उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती है।
- नोडल मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) क्रियान्वयन का समन्वय करता है।
- बहु-मंत्रालयीय अभिसरण:** इस योजना में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल हैं।
- SATAT कार्यक्रम के साथ एकीकरण:** यह योजना सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) कार्यक्रम को पूरक करती है, जो परिवहन ईंधन के रूप में संपीड़ित बायोगैस (CBG) को बढ़ावा देता है।

गोबरधन योजना के उद्देश्य

- अपशिष्ट-से-संपत्ति रूपांतरण:** यह योजना पशु गोबर, फसल अवशेष, नगर ठोस अपशिष्ट और सीवेज को बायोगैस, CBG और जैविक खाद में परिवर्तित करती है।
- गाँवों की स्वच्छता और स्वच्छता:** वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन खुले में कचरा फेंकने, आवारा पशु समस्या और बायोमास जलाने को कम करता है।
- ग्रामीण आय में वृद्धि:** किसान और ग्रामीण परिवार गोबर और जैविक अपशिष्ट बायोगैस संयंत्रों को देकर आय अर्जित कर सकते हैं।
- ऊर्जा सुरक्षा:** CBG LPG, पेट्रोल और डीजल का विकल्प है, जिससे आयात प्रतिस्थापन और ऊर्जा विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- परिपल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** यह योजना अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को ऊर्जा और खाद में परिवर्तित कर संसाधन दक्षता को बढ़ाती है।

प्रमुख विशेषताएँ और संचालन तंत्र

- संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन:** जैविक अपशिष्ट से प्राप्त बायोगैस को शुद्ध कर CBG बनाया जाता है, जिसकी विशेषताएँ CNG के समान होती हैं।
- बायो-CNG संयंत्र पारिस्थितिकी तंत्र:** सरकार CBG संयंत्रों को समर्थन देती है और जिला स्तर के बायोगैस/CBG संयंत्रों को प्रोत्साहित करती है।
- एकीकृत पंजीकरण पोर्टल:** एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच परियोजनाओं के पंजीकरण, निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
- सामुदायिक और क्लस्टर मॉडल:** वाणिज्यिक संयंत्रों से लेकर 979 सामुदायिक

बायोगैस परियोजनाएँ गाँव स्तर पर विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देती हैं।

- राज्य-वार प्रगति:** यह पहल 37 राज्यों में फैली हुई है; गुजरात (25) और हरियाणा (20) कार्यात्मक CBG अवसंरचना में अग्रणी हैं।

योजना के लाभ

- पर्यावरणीय लाभ**
 - मीथेन उत्सर्जन में कमी:** वैज्ञानिक गोबर प्रबंधन खुले विघटन से मीथेन उत्सर्जन को रोकता है।
 - बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन:** यह लैंडफिल दबाव, ठूठ जलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा फेंकने को कम करता है।
 - प्रदूषण नियंत्रण:** बायोगैस/CBG का उपयोग जीवाश्म ईंधन की तुलना में कण और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।
- आर्थिक और सामाजिक लाभ**
 - ग्रामीण रोजगार सृजन:** बायोगैस संयंत्र अपशिष्ट संग्रह, संयंत्र संचालन, लॉजिस्टिक्स और रखरखाव में रोजगार उत्पन्न करते हैं।
 - किसानों के लिए अतिरिक्त आय:** किसान गोबर और कृषि अवशेष बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं।
 - उद्यमिता अवसर:** यह योजना जैव-ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करती है।
- ऊर्जा और कृषि लाभ**
 - नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार:** CBG भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा मिश्रण को मजबूत करता है।
 - आयात बिल में कमी:** प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ईंधनों के विकल्प से ऊर्जा आयात निर्भरता कम होती है।
 - जैविक खाद उत्पादन:** बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त डाइजेस्टेट मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- पारदर्शिता की कमी:** शोध संगठनों की रिपोर्टें गोबरधन पोर्टल पर अधूरी जानकारी को दर्शाती हैं।
- धीमी अपनाने की गति:** 2030 तक 5,000 CBG संयंत्रों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 115-189 संयंत्र कार्यात्मक हैं।
- अंतर-राज्य असंतुलन:** कुछ राज्यों में प्रगति अधिक है जबकि अन्य क्षेत्रों में संस्थागत क्षमता कम है।
- जागरूकता और क्षमता अंतर:** किसानों और पंचायतों में तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी है।
- फीडस्टॉक आपूर्ति समस्या:** जैविक अपशिष्ट की निरंतर आपूर्ति और संग्रह कई जिलों में चुनौती बनी हुई है।

निष्कर्ष

गोबरधन योजना भारत के स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और परिपल अर्थव्यवस्था लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता रखती है। हालांकि 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डेटा पारदर्शिता सुधारना, अंतिम-मील क्रियान्वयन को मजबूत करना, किसानों में जागरूकता बढ़ाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा। बेहतर संस्थागत अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी के साथ यह योजना भारत के सतत ग्रामीण परिवर्तन का आधार बन सकती है।

स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS)

चर्चा में क्यों: स्टार्टअप इंडिया मिशन ने 2026 में अपना दशक पूरा किया, जिससे भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए घरेलू जोखिम पूँजी के विस्तार में स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) की भूमिका उजागर हुई।

प्रमुख विवरण

- FFS को 2016 में ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था।
- यह SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (AIFs) को पूँजी प्रदान करता है, सीधे स्टार्टअप को नहीं।
- SIDBI इस योजना का प्रबंधन करता है और निधि तैनाती की निगरानी करता है।
- 1,370+ स्टार्टअप में ₹25,500+ करोड़ निवेश 140+ AIFs के माध्यम से किया गया है।

स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS): अवधारणा और संरचना

- **अप्रत्यक्ष वित्तपोषण मॉडल:** FFS सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं करता; इसके बजाय यह SEBI-पंजीकृत AIFs (सहायक निधियाँ) को पूँजी प्रदान करता है, जो स्टार्टअप में इक्विटी और इक्विटी-संबद्ध साधनों के माध्यम से निवेश करते हैं। इससे सरकारी जोखिम कम होता है और पेशेवर निधि प्रबंधन संभव होता है।
- **कोष और समयरेखा:** यह योजना 2016 में ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ स्वीकृत हुई थी, जिसे 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्रों में क्रियान्वयन प्रगति के आधार पर जारी किया जाना था।
- **अनिवार्य गुणक प्रभाव:** FFS से समर्थन प्राप्त AIFs को प्रतिबद्ध राशि के कम से कम दोगुने निवेश को स्टार्टअप में लगाना होता है, जिससे निजी पूँजी आकर्षित होती है।
- **क्षेत्रीय कवरेज:** निवेश फिनटेक, डीप-टेक, हेल्थ-टेक, एग्री-टेक और विनिर्माण जैसे नवाचार-आधारित क्षेत्रों को लक्षित करते हैं।



FFS के क्रियान्वयन में SIDBI की भूमिका

- **संस्थागत दायित्व:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), जिसकी स्थापना 1990 में हुई, MSME क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है।
- **निधि प्रबंधक कार्य:** SIDBI उपयुक्त AIFs का चयन करता है, पूँजी प्रतिबद्ध करता है, प्रदर्शन की निगरानी करता है और योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- **MSME-स्टार्टअप संबंध:** MSME मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन देकर नवाचार प्रसार को मजबूत किया जाता है।
- **हरित और समावेशी ध्यान:** SIDBI स्वच्छ उत्पादन और ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ावा देता है।

स्टार्टअप इंडिया पारिस्थितिकी तंत्र: एक दशक की वृद्धि

- **पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार:** भारत में अब 2 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं।
- **यूनिकॉर्न का उदय:** यूनिकॉर्न की संख्या 2014 में 4 से बढ़कर 120 से अधिक हो गई है, जिनका संयुक्त मूल्यांकन \$350 अरब से अधिक है।
- **भौगोलिक लोकतंत्रीकरण:** लगभग 50% स्टार्टअप टियर-II और टियर-III शहरों से हैं।
- **महिला-नेतृत्वित नवाचार:** 45% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक/साझेदार है।

पूरक स्टार्टअप इंडिया योजनाएँ

- **क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS):** NCGTC के माध्यम से बिना जमानत ऋण प्रदान करती है; ₹800 करोड़ से अधिक के 330 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS):** ₹945 करोड़ कोष के साथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप और बाजार प्रवेश का समर्थन करती है।
- **स्टार्टअप इंडिया हब और इन्वेस्टर कनेक्ट:** डिजिटल मंच जो स्टार्टअप को निवेशकों और इनव्यूबेटर्स से जोड़ते हैं।
- **राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग:** राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करती है।

अटल नवाचार मिशन (AIM) और पाइपलाइन निर्माण

- **विद्यालयों में नवाचार संस्कृति:** 10,000+ अटल टिकरिंग लैब्स 733 जिलों में स्थापित हैं।
- **AIM 2.0:** डीप-टेक व्यावसायीकरण और क्षेत्रीय समावेशन पर बल देता है।
- **सीमांत और आकांक्षी क्षेत्र:** जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान।
- **वैश्विक सहयोग:** भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ।

क्षेत्रीय और मंत्रालय-नेतृत्वित स्टार्टअप समर्थन

- **GENESIS:** ₹490 करोड़ डीप-टेक मंच जो टियर-II/III शहरों में 1,600 स्टार्टअप को लक्ष्य बनाता है।
- **TIDE 2.0:** AI, IoT, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स स्टार्टअप का समर्थन करता है।
- **NIDHI कार्यक्रम:** 12,000+ स्टार्टअप, 1.3 लाख रोजगार और 1,100+ बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियाँ उत्पन्न।
- **MeitY स्टार्टअप हब:** 6,148+ स्टार्टअप और 517+ इनव्यूबेटर्स का समर्थन।

जमीनी स्तर और समावेशी उद्यमिता

- **SVEP: DAY-NRLM** के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमिता को समर्थन।
- **ASPIRE योजना:** ₹1 करोड़ तक पूँजी समर्थन के साथ ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा।
- **PMEGP:** ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी।
- **ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करना:** एग्री-टेक, टेलीमेडिसिन और माइक्रोफाइनेंस स्टार्टअप स्थानीय रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं।

स्टार्टअप वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ

- **प्रारंभिक चरण वित्तपोषण अंतर:** डीप-टेक और हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए पूँजी की कमी बनी हुई है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** महानगरों में अभी भी वेंचर कैपिटल प्रवाह का प्रभुत्व है।
- **निकास बाधाएँ:** सीमित IPO और अधिग्रहण अवसर निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करते हैं।
- **नियामकीय और अनुपालन बोझ:** स्टार्टअप को कर, ESOP और अनुपालन ढाँचों से जुड़ी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) ने भारत में घरेलू जोखिम पूँजी बढ़ाने और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे चलकर ध्यान डीप-टेक वित्तपोषण, वैश्विक बाजार पहुँच, आसान निकास और

क्षेत्रीय समावेशन पर होना चाहिए। मजबूत वित्तीय संरचना द्वारा समर्थित स्टार्टअप विकसित भारत 2047 की दिशा में नवाचार-आधारित और रोजगार-उन्मुख विकास को आगे बढ़ा सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सीधे स्टार्टअप में निवेश करता है।
2. इसका प्रबंधन SIDBI द्वारा किया जाता है।
3. समर्थित AIFs को स्टार्टअप में कम से कम दोगुना निवेश करना होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

(C) : 2022

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल



'द हिंदू' और 'इंडियन एक्सप्रेस' से 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें



WEF वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026: भारत के लिए निहितार्थ

चर्चा में क्यों: विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (GLOBAL RISKS REPORT) 2026 ने साइबर सुरक्षा को भारत का सबसे बड़ा तात्कालिक जोखिम और भू-आर्थिक टकराव को सबसे गंभीर वैश्विक खतरे के रूप में पहचाना है।

मुख्य विवरण

- रिपोर्ट भू-आर्थिक टकराव को अल्पकाल में शीर्ष वैश्विक जोखिम के रूप में चिन्हित करती है।
- भारत के लिए, साइबर सुरक्षा जोखिम प्रथम स्थान पर है, इसके बाद असमानता और कमजोर सार्वजनिक सेवाएँ हैं।
- प्रौद्योगिकीय खतरे जैसे एआई का दुरुपयोग और भ्रामक सूचना वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं।
- दीर्घकालीन जोखिमों पर जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता ह्रास का प्रभुत्व बना हुआ है।

विश्व आर्थिक मंच एवं वैश्विक जोखिम रूपरेखा के बारे में

- क्लाउस श्राब द्वारा 1971 में स्थापित, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- यह एक सार्वजनिक-निजी सहयोग मंच के रूप में कार्य करता है जो वैश्विक नेताओं को साथ लाता है।
- दावोस बैठक और ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट जैसी प्रमुख रिपोर्टों के लिए जाना जाता है।
- हितधारक पूंजीवाद और वैश्विक नीति संवाद के विचार को बढ़ावा देता है।

वैश्विक जोखिम की परिभाषा:

वैश्विक जोखिम उस घटना या स्थिति को कहते हैं जो वैश्विक जीडीपी, जनसंख्या या प्राकृतिक संसाधनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। यह रूपरेखा सरकारों को प्रणालीगत कमजोरियों का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करती है।

भू-आर्थिक टकराव: उभरते वैश्विक बिंदु

- अर्थ और प्रकृति:** भू-आर्थिक टकराव में व्यापार बाधाएँ, प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी प्रतिबंध, और निवेश नियंत्रण जैसे रणनीतिक उपयोग शामिल होते हैं ताकि भू-राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह आर्थिक साधनों के हथियारीकरण को दर्शाता है।
- सबसे उच्च स्थान क्यों:** रिपोर्ट इसे सशस्त्र संघर्ष और अत्यधिक मौसम से भी ऊपर रखती है क्योंकि संरक्षणवाद, आपूर्ति-श्रृंखला विखंडन, और प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक अलगाव बढ़ रहा है।
- हाल की वैश्विक प्रवृत्तियाँ:** उदाहरणों में टैरिफ युद्ध, सेमीकंडक्टर निर्यात पर प्रतिबंध, और महत्वपूर्ण खनिज नियंत्रण शामिल हैं। ये कदम बहुपक्षीय व्यापार मानकों को कमजोर करते हैं और अनिश्चितता बढ़ाते हैं।
- भारत के लिए निहितार्थ:** एक व्यापार-निर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को निर्यात अस्थिरता, पूंजी प्रवाह अस्थिरता, और आपूर्ति व्यवधान जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक लचीलापन महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत के लिए शीर्ष प्रणालीगत जोखिम के रूप में साइबर सुरक्षा

- खतरे का पैमाना:** भारत में 2025 में लगभग 369 मिलियन मैलवेयर पहचान दर्ज की गई (डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया), जो तेजी से डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था में उच्च जोखिम को दर्शाती है।
- हमलों की प्रकृति:** ट्रोजन (43%) और इन्फेक्टर (34%) प्रमुख हैं, जो दर्शाता है कि साइबर हमले अब अधिक परिष्कृत और लक्षित हो रहे हैं।
- सुरक्षा से तेज डिजिटल विस्तार:** यूपीआई, आधार-लिंक्ड सेवाएँ, डीबीटी संरचना, और फिनटेक के तेज विस्तार ने डिजिटल सतह को साइबर रक्षा क्षमता से अधिक तेजी से बढ़ा दिया है।
- रणनीतिक निहितार्थ:** साइबर जोखिम अब चुनाव, बैंकिंग प्रणालियाँ, विद्युत ग्रिड, और सरकारी विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का मुद्दा बन जाती है।


असमानता एक जोखिम गुणक के रूप में

विरोधाभासी संकेतक: भारत का विश्व बैंक गिनी सूचकांक (~25.5) मध्यम असमानता दर्शाता है, परंतु ऑक्सफैम के अनुमान के अनुसार शीर्ष 1% ने लगभग 22.6% राष्ट्रीय आय प्राप्त की, जो गहरी संरचनात्मक विषमताएँ दिखाता है।

- श्रमिक मुद्रास्फीति, महामारी, या स्वचालन-जनित रोजगार हानि जैसे संकटों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- स्थायी विषमताएँ सामाजिक अशांति, क्षेत्रीय असंतुलन, और संस्थानों में विश्वास की कमी को बढ़ा सकती हैं, जिससे शासन की स्थिरता प्रभावित होती है।
- रिपोर्ट असमानता को केवल कल्याण मुद्दा नहीं बल्कि मैक्रो-आर्थिक और राजनीतिक जोखिम कारक मानती है।

विश्व द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे बड़े जोखिम

अगले 2 और 10 वर्षों में सबसे गंभीर वैश्विक जोखिमों पर विशेषज्ञों का दृष्टिकोण



* यह आकलन शैक्षणिक क्षेत्र, व्यवसाय, सरकार, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के 900 से अधिक विशेषज्ञों के जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है, जिन्हें सितंबर-अक्टूबर 2024 के दौरान एकत्र किया गया।

स्रोत: विश्व आर्थिक मंच

अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा

- **स्वास्थ्य व्यय अंतर:** भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय लगभग **जीडीपी का 1.9%** है, जो **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य 2.5%** से कम है।
- **सामाजिक सुरक्षा अंतर:** भारत सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य को छोड़कर) पर लगभग **जीडीपी का 5%** खर्च करता है, जबकि वैश्विक औसत लगभग **13%** है।
- **संकटों को अवशोषित करने की कमजोरी:** पेंशन, शहरी सेवाओं और शिक्षा में सीमित कवरेज संकटों या जलवायु आपदाओं से निपटने की क्षमता को घटाता है।
- **शासन निहितार्थ:** कमजोर सार्वजनिक सेवाएँ बाहरी झटकों को घरेलू अस्थिरता में बदल देती हैं, जिससे **राजकोषीय दबाव और असमानता बढ़ती है।**

भू-आर्थिक और वित्तीय संकटों के प्रति संवेदनशीलता

- **पूंजी प्रवाह अस्थिरता:** भारत ने 2025 में लगभग **18.9 अरब अमेरिकी डॉलर एफपीआईआई बहिर्वाह** देखा, जो वैश्विक मौद्रिक सख्ती और व्यापार तनाव के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है।
- **व्यापार-निर्भरता जोखिम:** प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी भारत के निर्यात, विनिर्माण वृद्धि, और रोजगार को शीघ्र प्रभावित कर सकती है।
- **मुद्रा और बाजार दबाव:** वैश्विक अनिश्चितता रुपये को कमजोर कर सकती है, आयात लागत बढ़ा सकती है, और **समष्टि-आर्थिक प्रबंधन** को जटिल बना सकती है।
- **रणनीतिक सबक:** विविध व्यापार साझेदारियाँ और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं।

राज्य-आधारित संघर्ष और हाइब्रिड सुरक्षा खतरे

- **क्षेत्रीय सुरक्षा दबाव:** निरंतर सीमा-पार आतंकवाद और छिटपुट हमले बाहरी सुरक्षा जोखिमों को उजागर करते हैं।
- **हाइब्रिड युद्ध का उदय:** आधुनिक खतरे साइबर हमलों, भ्रामक सूचना, आर्थिक दबाव, और प्रतिनिधि युद्ध को जोड़ते हैं।
- **शहरी और एकाकी-भेड़िया जोखिम:** बढ़ता शहरीकरण और डिजिटल उग्रवाद नए आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- **विकासवादी संतुलन:** दीर्घकालीन सुरक्षा तनाव सामाजिक और अवसंरचनात्मक व्यय से संसाधनों को मोड़ सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत का जोखिम परिदृश्य तेजी से साइबर असुरक्षा, असमानता, भू-आर्थिक विखंडन, और हाइब्रिड खतरों के संगम से आकार ले रहा है। देश को डिजिटल लचीलापन मजबूत करना, समावेशी विकास को गहरा करना, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना, और आर्थिक संबंधों का विविधीकरण करना होगा। मजबूत संस्थानों और रणनीतिक दूरदर्शिता द्वारा समर्थित सम्पूर्ण-सरकार और सम्पूर्ण-समाज दृष्टिकोण प्रणालीगत वैश्विक जोखिमों के युग में भारत की वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हाल के वैश्विक आकलनों के अनुसार, भारत के लिए शीर्ष तात्कालिक जोखिम कौन-सा है?

- | | |
|---------------------|------------------------|
| (a) जलवायु परिवर्तन | (b) साइबर सुरक्षा |
| (c) सशस्त्र संघर्ष | (d) खाद्य मुद्रास्फीति |

(9) : 2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. डिजिटल युग में साइबर असुरक्षा भारत के लिए एक प्रणालीगत राष्ट्रीय जोखिम के रूप में उभरी है। चुनौतियों की परीक्षा कीजिए और एक व्यापक रणनीति सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)

भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर (IICDEM) 2026

चर्चा में क्यों: भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर उद्घाटन भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (IICDEM) 2026 की मेजबानी कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- तीन-दिवसीय IICDEM 2026 का आरम्भ 21 जनवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ।
- इसका आयोजन भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (IICDEM) द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के अंतर्गत किया जा रहा है।
- लगभग 100 प्रतिनिधि 70 से अधिक देशों से भाग ले रहे हैं, जिससे यह एक प्रमुख वैश्विक चुनावी मंच बन गया है।
- ECI ने चुनाव-संबंधित सेवाओं और सूचना के लिए ECINET, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, भी लॉन्च किया।

IICDEM 2026: वैश्विक चुनावी शासन के लिए महत्व

- **लोकतांत्रिक नेता के रूप में भारत:** इस उद्घाटन सम्मेलन की मेजबानी भारत को चुनाव प्रबंधन पर एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करती है, जो दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराने के अपने अनुभव का उपयोग करता है।
- **अपने प्रकार का सबसे बड़ा सम्मेलन:** 70+ देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी के साथ, यह आयोजन चुनावी अखंडता और लोकतांत्रिक दृढ़ता पर अंतर-देशीय सीख को बढ़ावा देता है।
- **उभरती चुनौतियों पर ध्यान:** चर्चाएँ दुष्प्रचार, चुनावों में तकनीक, मतदाता समावेशन, और चुनावी विश्वास जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं, जो आज की प्रमुख वैश्विक चिंताएँ हैं।
- **चुनावी कूटनीति को सुदृढ़ करना:** यह सम्मेलन दक्षिण-दक्षिण सहयोग और लोकतांत्रिक क्षमता निर्माण में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जो उसके सॉफ्ट पावर पहुँच को पूरक बनाता है।

प्रमुख विषय और विचार-विमर्श

- **चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs) का संवाद:** पूर्ण सत्र विश्वभर के EMBs को सर्वोत्तम प्रथाओं, संस्थागत नवाचारों और नियामक ढाँचों के आदान-प्रदान के लिए एक साथ लाते हैं।
- **36 विषयगत कार्य समूह:** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के नेतृत्व में, ये समूह मतदाता सूचियाँ, प्रौद्योगिकी अपनाना, समावेशन और कानूनी सुधारों पर विचार-विमर्श करते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मानक:** सम्मेलन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे वैश्विक मानकों की जाँच करता है, जो लोकतांत्रिक मानकों के अनुरूप हैं।
- **चुनाव प्रक्रियाओं में नवाचार:** सत्रों में EVMs, VVPAT, बड़े पैमाने की लॉजिस्टिक्स, और डिजिटल चुनाव प्रबंधन प्रणालियों के साथ भारत के अनुभव को उजागर किया गया।

ECINET का शुभारम्भ: चुनावों का डिजिटल रूपांतरण

- **वन-स्टॉप चुनावी प्लेटफॉर्म:** ECINET चुनाव-संबंधित सूचना और सेवाओं को एकल डिजिटल इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है, जिससे मतदाताओं और हितधारकों के लिए पहुँच में सुधार होता है।
- **पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि:** डिजिटल समेकन दोहराव को कम करता है, रीयल-टाइम डेटा उपलब्धता में सुधार करता है, और चुनावी प्रक्रियाओं में सार्वजनिक विश्वास को सुदृढ़ करता है।
- **नागरिक-केंद्रित शासन:** यह प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है, जिससे चुनावी भागीदारी अधिक सुविधाजनक और समावेशी बनती है।
- **वैश्विक प्रदर्शन प्रभाव:** ECINET बड़े पैमाने के लोकतांत्रिक अभ्यासों के प्रबंधन में भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो अन्य देशों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है।

भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका (स्थिर + समकालीन)

- **संवैधानिक स्थिति:** ECI एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
- **विश्व का सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास:** भारत 900 मिलियन से अधिक मतदाताओं (लोकसभा 2024) से जुड़े चुनाव कराता है, जो अद्वितीय लॉजिस्टिक और प्रशासनिक क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- **हाल के सुधार:** मतदाता सूची शुद्धिकरण, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम (SVEEP), और तकनीकी एकीकरण जैसी पहलों ने विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया है।
- **वैश्विक क्षमता निर्माण:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, ECI विश्वभर में चुनाव प्रबंधन निकायों का समर्थन बढ़ाता है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (IIIDEM)

- **संस्थागत पृष्ठभूमि:** 2011 में स्थापित, IIIDEM, ECI की प्रशिक्षण और अनुसंधान शाखा के रूप में कार्य करता है, जो चुनावी क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
- **वैश्विक ज्ञान केंद्र:** यह चुनावी अधिकारियों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जो विश्वभर में लोकतांत्रिक शासन में योगदान देता है।
- **विशेषीकृत शैक्षणिक कार्यक्रम:** IIIDEM चुनावी कानून, लॉजिस्टिक्स, प्रौद्योगिकी और मतदाता समावेशन को कवर करने वाले आवासीय और अनावासीय पाठ्यक्रम चलाता है।
- **द्वारका में समर्पित परिसर:** संस्थान दिल्ली में पूर्ण विकसित परिसर से कार्य करता है, जो चुनावी उत्कृष्टता के लिए भारत की संस्थागत अवसरचना को सुदृढ़ करता है।

व्यापक रणनीतिक और शासन निहितार्थ

- **चुनावी अखंडता को सुदृढ़ करना:** वैश्विक सहयोग डीपफेक, धन शक्ति और मतदाता दमन जैसे खतरों से निपटने में मदद करता है।
- **समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देना:** फोकस क्षेत्रों में महिलाओं, युवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी शामिल है।
- **प्रौद्योगिकी बनाम विश्वास बहस:** सम्मेलन डिजिटल नवाचार को पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास के साथ संतुलित करने की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है।
- **भारत की लोकतांत्रिक सॉफ्ट पावर:** सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में “लोकतंत्र की जननी” के रूप में अपनी छवि को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष

IICDEM 2026 लोकतांत्रिक शासन और चुनाव प्रबंधन में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हुए, भारत को तकनीकी सुरक्षा उपायों को गहरा करना चाहिए, संस्थागत स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना चाहिए, और समावेशी चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। IICDEM और IIIDEM जैसे मंचों के माध्यम से सतत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तीव्र तकनीकी और राजनीतिक परिवर्तन के युग में सुदृढ़ लोकतंत्रों के निर्माण में सहायता कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (IICDEM) का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| (a) विदेश मंत्रालय | (b) भारत का निर्वाचन आयोग |
| (c) नीति आयोग | (d) विधि आयोग भारत का |
| (q) : 2024 | |

प्रगति प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री का PRAGATI प्लेटफॉर्म हाल ही में अपनी 50वीं समीक्षा बैठक पूरी कर चुका है, जो रीयल-टाइम शासन और परियोजना निगरानी को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका को उजागर करता है।

मुख्य विवरण

- PRAGATI प्रधानमंत्री का प्रमुख ICT-सक्षम शासन प्लेटफॉर्म है जिसे 2015 में शुरू किया गया था।
- यह शिकायत निवारण, कार्यक्रम निगरानी, और परियोजना समीक्षा को एक ही इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है।
- यह प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्र/राज्य अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संवाद को सक्षम बनाता है।
- इसका उद्देश्य ई-पारदर्शिता, ई-जवाबदेही, और सरकारी पहलों के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

उत्पत्ति और संस्थागत ढाँचा

- **प्रारम्भ और दृष्टि (2015):** PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) को 25 मार्च 2015 को शासन को तीव्र करने और केंद्र-राज्य समन्वय में सुधार के लिए शुरू किया गया था।
- **प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा डिज़ाइन:** यह प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) से तकनीकी सहायता प्राप्त हुई, जिससे सुरक्षित सरकारी सदस्यता सुनिश्चित हो सके।
- **समग्र-सरकारी दृष्टिकोण:** यह PMO, संघ मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक ही डिजिटल मंच पर लाता है, जिससे नौकरशाही साइलो कम होते हैं।
- **सहकारी संघवाद पर ध्यान:** राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करके PRAGATI टीम इंडिया की अवधारणा को क्रियान्वित करता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर नीति क्रियान्वयन में सुधार होता है।

तकनीकी संरचना

- **तीन-प्रौद्योगिकी एकीकरण:** PRAGATI विशिष्ट रूप से डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को जोड़ता है, जिससे साक्ष्य-आधारित समीक्षा संभव होती है।
- **रीयल-टाइम दृश्य निगरानी:** प्रधानमंत्री लाइव परियोजना चित्र और डैशबोर्ड देख सकते हैं, जिससे निर्णय-निर्माण में सुधार और सूचना असमानता में कमी आती है।
- **डेटा अभिसरण:** यह CPGRAMS (शिकायतें), परियोजना निगरानी समूह (PMG), और MoSPI परियोजना डेटा जैसे डेटाबेस को समेकित करता है, जिससे समग्र निगरानी होती है।
- **सुरक्षित डिजिटल शासन:** सरकारी-नियंत्रित प्लेटफॉर्म होने के कारण यह डेटा सुरक्षा और प्रशासनिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, जो संवेदनशील अवसंरचना समीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रमुख विशेषताएँ और कार्यप्रणाली

- **तीन-स्तरीय संरचना:** यह प्रणाली PMO स्तर, केंद्रीय सचिवों के स्तर, और राज्य मुख्य सचिवों के स्तर पर संचालित होती है, जिससे ऊर्ध्वाधर समन्वय सुनिश्चित होता है।
- **मासिक PRAGATI बैठकें:** प्रधानमंत्री प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं, प्रमुख योजनाओं और सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
- **मुद्दा पहचान प्रक्रिया:** मामलों को जन शिकायतों, रुकी हुई परियोजनाओं और प्राथमिकता कार्यक्रमों से चिन्हित किया जाता है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप संभव होता है।
- **अनुवर्ती तंत्र:** बैठकों के बाद कैबिनेट सचिवालय परियोजनाओं की निगरानी करता है, जबकि मंत्रालय PMO की देखरेख में योजनाओं और शिकायतों का अनुगमन करते हैं।
- **परिणाम-उन्मुख शासन:** यह संरचना सुनिश्चित करती है कि निर्णय समयबद्ध क्रियान्वयन से जुड़े हों, जिससे नीति विलंब कम होता है।

शासन में सुधार में भूमिका

- **अवसंरचना को तेज़ करना:** PRAGATI का उपयोग राजमार्ग, रेलवे, बिजली और शहरी परियोजनाओं की निगरानी के लिए किया गया है, जिससे हजारों करोड़ रुपये के अटके निवेश को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
- **शिकायत निवारण को सुदृढ़ करना:** CPGRAMS के साथ एकीकरण नागरिक शिकायतों के प्रति प्रतिक्रिया में सुधार करता है, जिससे नागरिक-केंद्रित शासन मजबूत होता है।
- **सहकारी संघवाद को बढ़ावा:** प्रधानमंत्री-राज्य प्रत्यक्ष संवाद समन्वय अंतराल को कम करता है और केंद्र-राज्य समन्वय में सुधार करता है।
- **जवाबदेही बढ़ाना:** रीयल-टाइम समीक्षा शीर्ष-स्तरीय दबाव उत्पन्न करती है ताकि समय पर क्रियान्वयन हो सके, जिससे भारत में दीर्घकालिक क्रियान्वयन कमियों को संबोधित किया जा सके।

विस्तारशील दायरा और समकालीन प्रासंगिकता

- **अवसंरचना से सामाजिक क्षेत्र तक:** प्रारम्भ में बड़ी परियोजनाओं पर केंद्रित PRAGATI अब सामाजिक योजनाओं, DBT कार्यक्रमों और कल्याण वितरण की भी निगरानी करता है।
- **डिजिटल शासन का प्रोत्साहन:** यह प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया और सरकार के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन पर बल के अनुरूप है।
- **साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण:** भू-स्थानिक और डैशबोर्ड विश्लेषण का

उपयोग डेटा-आधारित प्रशासन का समर्थन करता है, जो सार्वजनिक नीति में एक प्रमुख सुधार है।

- **50 बैठकों का मील का पत्थर:** हाल की उपलब्धि प्रौद्योगिकी-आधारित कार्यपालिका निगरानी को भारत के शासन मॉडल में संस्थागत बनाने का संकेत देती है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

- **अत्यधिक केंद्रीकरण की चिंता:** अत्यधिक शीर्ष-स्तरीय निगरानी मंत्रालयों की स्वायत्तता और नौकरशाही पहल को कम कर सकती है।
- **डेटा गुणवत्ता के मुद्दे:** प्रभावशीलता विभागों द्वारा सटीक और समय पर डेटा प्रविष्टि पर निर्भर करती है, जो राज्यों में भिन्न होती है।
- **डिजिटल विभाजन:** कमजोर डिजिटल अवसंरचना वाले राज्यों को प्लेटफॉर्म का पूर्ण उपयोग करने में क्षमता बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
- **कार्यपालिका नियंत्रण बनाम पारदर्शिता:** दक्षता बढ़ाने के बावजूद PRAGATI मुख्यतः कार्यपालिका के भीतर संचालित होता है, जिससे संस्थागत पारदर्शिता पर बहस उठती है।

निष्कर्ष

PRAGATI भारत में प्रौद्योगिकी-संचालित, परिणाम-उन्मुख शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हुए, डेटा गुणवत्ता को मजबूत करना, राज्य क्षमता को बढ़ाना, और पारदर्शिता तंत्रों का संस्थाकरण महत्वपूर्ण होगा। यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, तो PRAGATI रीयल-टाइम सहकारी संघवाद और नागरिक-केंद्रित प्रशासन का आधार बन सकता है, जिससे भारत की लंबे समय से चली आ रही क्रियान्वयन कमी को पाटने में मदद मिलेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. PRAGATI निम्नलिखित में से किन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है:

1. डिजिटल डेटा प्रबंधन
2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
3. भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी

सही उत्तर चुनें:

- (a) 1 और 2 केवल (b) 2 और 3 केवल
(c) 1 केवल (d) 1, 2 और 3

(P) : 2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में शासन और सहकारी संघवाद को सुधारने में PRAGATI प्लेटफॉर्म की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026

चर्चा में क्यों: हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 वैश्विक यात्रा गतिशीलता में प्रमुख परिवर्तनों को उजागर करता है, जिसमें एशियाई देश शीर्ष स्थानों पर प्रभुत्व बनाए हुए हैं और भारत अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है।

मुख्य विवरण

- हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 पासपोर्टों को वैश्विक गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुँच के आधार पर क्रमबद्ध करता है।

- सिंगापुर सूची में शीर्ष पर है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।
- भारत 80वें स्थान तक सुधरा है, जो क्रमिक गतिशीलता लाभ को दर्शाता है।
- यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के डेटा पर आधारित है, जिसमें 199 पासपोर्ट और 227 गंतव्य शामिल हैं।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक: अवधारणा और पद्धति

- **परिभाषा और उद्देश्य:** हेनले पासपोर्ट सूचकांक पासपोर्टों की शक्ति को उन गंतव्यों की संख्या गिनकर मापता है जहाँ बिना पूर्व वीजा के प्रवेश संभव है। यह वैश्विक गतिशीलता के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- **डेटा स्रोत (IATA):** क्रम निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के विशिष्ट डेटा पर आधारित है, जो यात्रा नियमों का उच्च विश्वसनीयता और वैश्विक कवरेज सुनिश्चित करता है।
- **ऐतिहासिक विकास:** यह सूचकांक 2006 में Henley & Partners Visa Restrictions Index (HVR) के रूप में शुरू हुआ और अब यह सबसे अधिक उद्भूत वैश्विक गतिशीलता संकेतकों में से एक बन गया है।
- **कवरेज और दायरा:** 2026 संस्करण में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्यों का मूल्यांकन किया गया है, जिससे यह सबसे व्यापक तुलनात्मक गतिशीलता डेटासेट बनता है।

2026 में वैश्विक गतिशीलता प्रवृत्तियाँ

- **एशियाई प्रभुत्व:** एशियाई देश रैंकिंग में अग्रणी बने हुए हैं, जो उनके मजबूत कूटनीतिक नेटवर्क, आर्थिक एकीकरण और वैश्विक विश्वास को दर्शाते हैं।
- **रणनीतिक गतिशीलता का उदय:** पासपोर्ट शक्ति बढ़ते हुए भू-राजनीतिक प्रभाव, व्यापार साझेदारियों और द्विपक्षीय वीजा समझौतों को दर्शाती है, केवल आर्थिक आकार को नहीं।
- **बढ़ती गतिशीलता असमानता:** शीर्ष और निचले पासपोर्टों के बीच अंतर व्यापक बना हुआ है, जो आवागमन की स्वतंत्रता में वैश्विक असमानता को उजागर करता है।
- **महामारी के बाद सामान्यीकरण:** COVID-19 व्यवधानों के बाद वैश्विक यात्रा पहुँच काफी हद तक स्थिर हो गई है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में गतिशीलता पुनर्प्राप्ति असमान बनी हुई है।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 के प्रमुख मुख्य बिंदु

- **शीर्ष स्थान – सिंगापुर:** सिंगापुर वैश्विक स्तर पर पहला स्थान रखता है, जो सबसे अधिक गंतव्यों तक वीजा-मुक्त या आगमन पर वीजा पहुँच प्रदान करता है।
- **दूसरा स्थान – जापान और दक्षिण कोरिया:** दोनों देश संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जो मजबूत कूटनीतिक विश्वसनीयता और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाते हैं।
- **भारत की बेहतर रैंकिंग:** भारत पाँच स्थान ऊपर चढ़कर 80वें स्थान पर पहुँच गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और कूटनीतिक पहुँच में क्रमिक सुधार को दर्शाता है।

- **न्यूनतम स्थान – अफगानिस्तान:** अफगानिस्तान सबसे नीचे (101वाँ) स्थान पर है, जहाँ केवल 24 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुँच है, जो भू-राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है।

पासपोर्ट शक्ति के निर्धारक

- **कूटनीतिक संबंध:** व्यापक द्विपक्षीय समझौतों और स्थिर विदेशी संबंधों वाले देश सामान्यतः अधिक वीजा-मुक्त पहुँच का आनंद लेते हैं।
- **आर्थिक शक्ति:** मजबूत अर्थव्यवस्थाएँ गंतव्य देशों के बीच विश्वास उत्पन्न करती हैं, जिससे उनके नागरिकों के लिए गतिशीलता विशेषाधिकार बढ़ते हैं।
- **सुरक्षा और प्रवासन जोखिम की धारणा:** जिन देशों को अवैध प्रवासन जोखिम कम माना जाता है, उन्हें सामान्यतः अधिक वीजा शिथिलता मिलती है।
- **सॉफ्ट पावर और वैश्विक प्रतिष्ठा:** सांस्कृतिक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राजनीतिक स्थिरता पासपोर्ट शक्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

भारत की स्थिति: अवसर और चुनौतियाँ

- **क्रमिक सुधार:** भारत का 80वें स्थान पर पहुँचना बढ़ते कूटनीतिक संपर्क और बेहतर वैश्विक एकीकरण को दर्शाता है।
- **संरचनात्मक सीमाएँ:** आय असमानता, प्रवासन चिंताएँ और सुरक्षा धारणाएँ जैसे कारक अभी भी व्यापक वीजा-मुक्त पहुँच को सीमित करते हैं।
- **क्षेत्रीय तुलना:** भारत अभी भी कई पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से गतिशीलता शक्ति में पीछे है।
- **नीतिगत निहितार्थ:** व्यापार समझौतों, पर्यटन कूटनीति और द्विपक्षीय वीजा छूट को बढ़ाने से दीर्घकाल में भारत की रैंकिंग सुधर सकती है।

निष्कर्ष

भारत को पासपोर्ट गतिशीलता में सुधार के लिए रणनीतिक वीजा कूटनीति, मजबूत व्यापार साझेदारियाँ और बढ़ी हुई वैश्विक भागीदारी को अपनाना चाहिए। चूँकि वैश्विक गतिशीलता आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति का प्रमुख संकेतक बन चुकी है, इसलिए विदेश नीति विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास निर्माण में निरंतर सुधार आवश्यक होगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक वैश्विक व्यवस्था में भारत की विकसित होती स्थिति पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. हेनले पासपोर्ट सूचकांक देशों को किस आधार पर रैंक करता है:

- (a) विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों की संख्या
- (b) गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुँच
- (c) प्रवासी आबादी का आकार
- (d) पर्यटन राजस्व

(9) : 2024

सुभाष चन्द्र बोस

चर्चा में क्यों: 23 जनवरी को सुभाष चन्द्र बोस की जयंती (पराक्रम दिवस) भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उनके विशिष्ट राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में उनके योगदान पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करती है।



मुख्य विवरण

- सुभाष चन्द्र बोस एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे जिन्होंने सक्रिय साधनों के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की।
- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की स्थापना की और उसका नेतृत्व किया ताकि ब्रिटिश शासन को सैन्य चुनौती दी जा सके।
- वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन बाद में 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया।
- उनका नारा “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा” भारतीय युवाओं में उग्र राष्ट्रवाद को प्रेरित करता था।

प्रारम्भिक जीवन और शिक्षा

- जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि:** सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक (ओडिशा) में एक सुशिक्षित बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रमुख वकील थे, जिससे मजबूत शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित हुआ।
- विद्यालय और कॉलेज शिक्षा:** उन्होंने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल और रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में अध्ययन किया, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में प्रवेश लिया। 1916 में राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उनका निष्कासन उनकी प्रारम्भिक राजनीतिक चेतना को दर्शाता है।
- कैम्ब्रिज और आईसीएस सफलता:** बोस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और 1920 में भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे उनकी असाधारण शैक्षणिक योग्यता प्रदर्शित होती है।
- आईसीएस से त्यागपत्र:** जलियांवाला बाग नरसंहार से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 में ICS से त्यागपत्र दे दिया, सुरक्षित औपनिवेशिक करियर के बजाय राष्ट्रीय सेवा को चुना।
- बौद्धिक प्रभाव:** बोस स्वामी विवेकानन्द से गहराई से प्रेरित थे और चित्तरंजन दास से मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिससे आध्यात्मिकता और उग्र राष्ट्रवाद का उनका मिश्रण आकार लिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका

- कांग्रेस में प्रवेश (1921):** बोस ने असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस में प्रवेश किया और शीघ्र ही पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने वाले एक गतिशील युवा नेता के रूप में उभरे।
- संगठनात्मक और संपादकीय कार्य:** उन्होंने फॉरवर्ड समाचारपत्र का संपादन किया और बाद में स्वराज का प्रारम्भ किया, राष्ट्रवादी जनमत को संगठित करने और औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना के लिए प्रेस का उपयोग किया।

- पूर्ण स्वराज की वकालत:** जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर बोस ने 1928 में डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जिसे बाद में 1929 में कांग्रेस की नीति बना दिया गया।
- कांग्रेस अध्यक्षता:** वे हरिपुरा अधिवेशन (1938) में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और त्रिपुरी अधिवेशन (1939) में पुनः चुने गए, जिससे उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता प्रदर्शित होती है।
- राष्ट्रीय योजना दृष्टि:** हरिपुरा में बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति के गठन का समर्थन किया, जो स्वतंत्रता से दशकों पहले राज्य-नेतृत्व वाले औद्योगीकरण की परिकल्पना करता था।

महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद

- स्वतंत्रता संग्राम का दृष्टिकोण:** बोस उग्र और अंतरराष्ट्रीय रणनीति के पक्षधर थे, जबकि महात्मा गांधी ने अहिंसक जन-आंदोलन पर जोर दिया।
- ब्रिटिश वार्ताओं पर दृष्टिकोण:** गांधी क्रमिक दबाव और वार्ता को प्राथमिकता देते थे; बोस तत्काल और बलपूर्वक निष्कासन में विश्वास करते थे।
- नेतृत्व शैली:** गांधी सर्वसम्मति-आधारित जन राजनीति का अनुसरण करते थे, जबकि बोस ने अनुशासित संगठनात्मक दृष्टिकोण के साथ केंद्रीकृत और जन राजनीति का संयोजन किया।
- विदेशी गठबंधनों पर बहस:** बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विदेशी शक्तियों का समर्थन लेने के इच्छुक थे, जबकि गांधी आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे।
- मतभेदों के बावजूद पारस्परिक सम्मान:** गांधी ने बोस को “देशभक्तों का राजकुमार” कहा, जबकि बोस ने गांधी को “राष्ट्रपिता” कहा, जिससे वैचारिक मतभेद के बावजूद व्यक्तिगत शत्रुता का अभाव दिखता है।

फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन (1939)

- गठन का कारण:** 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आंतरिक मतभेदों के कारण बोस ने उग्र राष्ट्रवादी शक्तियों को संगठित करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया।
- उद्देश्य:** इस ब्लॉक का लक्ष्य तत्काल स्वतंत्रता, समाजवादी अभिमुखता, और किसानों तथा मजदूरों की लामबंदी था।
- राजनीतिक महत्व:** यह व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर वामपंथी और उग्र धारा का प्रतिनिधित्व करता था।
- जन अपील:** फॉरवर्ड ब्लॉक ने उग्र राष्ट्रवाद के नेता के रूप में बोस की छवि को मजबूत किया।

भारत से पलायन और अंतरराष्ट्रीय रणनीति

- नाटकीय पलायन (1941):** बोस कलकत्ता में नजरबंदी से “जियाउद्दीन” के रूप में भेष बदलकर भाग निकले और पेशावर के रास्ते जर्मनी पहुँचे, जिससे उनकी उल्लेखनीय योजना क्षमता प्रदर्शित हुई।
- जर्मनी में स्वतंत्र भारत केन्द्र:** बर्लिन में उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को संगठित किया और भारतीयों से ब्रिटेन के विरुद्ध उठ खड़े होने का आह्वान करते हुए रेडियो प्रसारण प्रारम्भ किए।

- **पूर्वी एशिया की ओर स्थानांतरण (1943):** जापान की रणनीतिक स्थिति को पहचानते हुए बोस दक्षिण-पूर्व एशिया चले गए ताकि INA का नेतृत्व संभाल सकें।
- **स्वतंत्रता संघर्ष का वैश्वीकरण:** उनके प्रयासों ने भारत के उद्देश्य को अंतरराष्ट्रीय बनाया और इसे द्वितीय विश्व युद्ध की भू-राजनीति से जोड़ा।

भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) और सैन्य अभियान

- **INA का पुनर्गठन:** मूलतः मोहन सिंह (1942) द्वारा संगठित, बोस ने 1943 में सिंगापुर में INA का पुनर्गठन किया और "दिल्ली चलो" का आह्वान किया।
- **आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार:** बोस ने आज़ाद हिन्द की अस्थायी सरकार (1943) की स्थापना की, जिसे कई धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता मिली।
- **रानी झांसी रेजिमेंट:** INA में लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में एक सर्व-महिला युद्ध इकाई शामिल थी, जो महिलाओं की भागीदारी पर बोस के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- **सैन्य प्रगति:** INA बल 1944 में मोइरंग (मणिपुर) पहुँचे, जहाँ पहली बार भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराया गया।
- **सीमाएँ और पीछे हटना:** द्वितीय विश्व युद्ध (1945) में जापान की पराजय के साथ INA के अभियान समाप्त हो गए, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद पर उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यंत विशाल था।

विरासत और ऐतिहासिक महत्व

- **पराक्रम दिवस:** भारत सरकार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है ताकि बोस के साहस और नेतृत्व का सम्मान किया जा सके।
- **औपनिवेशिक नीति पर प्रभाव:** INA मुकदमों और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह (1946) ने कथित रूप से ब्रिटिशों के भारतीय सशस्त्र बलों पर नियंत्रण के विश्वास को हिला दिया।
- **दृढ़ राष्ट्रवाद का प्रतीक:** बोस स्वतंत्रता संग्राम की उग्र और अंतरराष्ट्रीय रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गांधीवादी तरीकों का पूरक थी।
- **स्थायी जन अपील:** उनके नारे "जय हिन्द" और "तुम मुझे खून दो..." भारत की राष्ट्रीय चेतना में गहराई से निहित हैं।
- **इतिहासलेखन का महत्व:** आधुनिक विद्वत्ता बोस को स्वतंत्रता आंदोलन के रणनीतिक विस्तार के रूप में देखती है, न कि केवल गांधी के विरोधी के रूप में।

निष्कर्ष

सुभाष चन्द्र बोस का जीवन यह दर्शाता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुआयामी था, जिसमें अहिंसक जन आंदोलनों के साथ क्रांतिकारी और अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी शामिल थे। अनुशासन, योजना और राष्ट्रीय एकता पर उनका जोर समकालीन भारत के लिए भी प्रासंगिक है। बोस को स्मरण करना केवल प्रतीकवाद से आगे बढ़कर संवैधानिक देशभक्ति, राष्ट्रीय एकीकरण और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के साथ गहरे जुड़ाव की ओर ले जाना चाहिए।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से सुभाष चन्द्र बोस के बारे में कौन-सा कथन सही है?

- उन्होंने 1930 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की
- उन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन जॉइन करने से पहले त्यागपत्र दे दिया
- वे कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे

(d) उन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार का विरोध किया


(9) 2022

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. सुभाष चन्द्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उग्र और अंतरराष्ट्रीय धारा का प्रतिनिधित्व किया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

मन्नाथु पद्मनाभन

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथु पद्मनाभन को उनकी जयंती (2 जनवरी 2026) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।



पृष्ठभूमि

- **पूरा नाम:** मन्नाथु पद्मनाभन
- **जन्म:** 2 जनवरी 1878, केरल
- **मृत्यु:** 25 फरवरी 1970
- **संस्थापक:** नायर सर्विस सोसाइटी (NSS) – 1914
- **क्षेत्र:** सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम, सामुदायिक उत्थान

मन्नाथु पद्मनाभन केरल के सबसे प्रभावशाली सामाजिक सुधारकों में से एक थे जिन्होंने जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया, साथ ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

सामाजिक सुधार में योगदान

1. मंदिर प्रवेश आंदोलन

- उन्होंने **वैकोम सत्याग्रह (1924-25)** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें निम्न जातियों के लिए मंदिर मार्गों तक पहुँच की मांग की गई थी।
- **लावणकोर के महाराजा** द्वारा जारी मंदिर प्रवेश उद्घोषणा (1936) का सक्रिय समर्थन किया, जिसने सभी हिंदुओं के लिए मंदिर खोल दिए।
- उनके प्रयासों ने केरल समाज में **जड़ जमाए जातिगत अवरोधों को समाप्त करने में** सहायता की।

2. NSS के माध्यम से सामुदायिक सुधार

- उन्होंने **नायर सर्विस सोसाइटी (NSS)** की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था:
 - शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना।
 - नायर समुदाय के भीतर एकता, अनुशासन और सुधार को प्रोत्साहित करना।
 - NSS को सामाजिक सद्भाव और जनकल्याण के लिए एक व्यापक मंच में परिवर्तित करना।

3. शैक्षिक सुधार

- आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रोत्साहन किया।
- महिलाओं की शिक्षा और नैतिक विकास पर जोर दिया।
- शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख साधन के रूप में देखा।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और गांधीवादी सिद्धांतों का समर्थन किया।
- सक्रिय रूप से शामिल रहे:
 - सविनय अवज्ञा आंदोलन
 - भारत छोड़ो आंदोलन
- त्वावणकोर स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कई बार गिरफ्तार किए गए।

दर्शन और आदर्श

- राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक सुधार में विश्वास करते थे।
- उन्होंने समर्थन किया:
 - सभी जातियों के लिए समानता और गरिमा
 - सामुदायिक पहचानों से परे राष्ट्रीय एकीकरण
- महात्मा गांधी जैसे नेताओं के साथ निकटता से कार्य किया, सामाजिक सुधार प्रयासों को स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ते हुए।

उनकी विरासत का महत्व

- केरल की प्रगतिशील, सामाजिक रूप से समावेशी समाज के रूप में प्रतिष्ठा में निर्णायक योगदान दिया।
- उनके कार्य ने निम्नलिखित के लिए आधार तैयार किया:
 - सामाजिक न्याय आंदोलनों के लिए
 - हाशिए पर स्थित समूहों की लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए
- उन्हें सामुदायिक सुधार और राष्ट्रवाद के बीच सेतु के रूप में याद किया जाता है।

निष्कर्ष

मन्नाथु पद्मनाभन का जीवन और कार्य राष्ट्रीय चेतना के साथ संयुक्त सामाजिक सुधार की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करते हैं। जातिगत पदानुक्रम को चुनौती देकर, शिक्षा को बढ़ावा देकर, और सामुदायिक सुधार को स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़कर, उन्होंने अधिक समावेशी और प्रगतिशील भारतीय समाज के निर्माण में योगदान दिया। उनकी विरासत आज भी सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी की समकालीन चर्चाओं को प्रभावित करती है, जिससे वे समकालीन भारत में भी एक प्रासंगिक व्यक्तित्व बने रहते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. मन्नाथु पद्मनाभन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्होंने सामाजिक सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की।
2. उन्होंने वैकोम सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई।
3. वे 1936 की मंदिर प्रवेश उद्धोषणा से जुड़े थे।
4. उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

(ए) 2022

सावित्रीबाई फुले

समाचार में क्यों: प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2025 को सावित्रीबाई फुले को एक अग्रणी सामाजिक सुधारक के रूप में सराहा, जिन्होंने सेवा और शिक्षा के माध्यम से समाज के परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित किया।



ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- सावित्रीबाई फुले 19वीं शताब्दी के मध्य में रहीं, जो निम्नलिखित विशेषताओं वाला एक काल था:
 - कठोर जातिगत पदानुक्रम
 - गहराई से जड़ जमा चुकी पितृसत्ता
 - महिलाओं और दलितों को शिक्षा से वंचित किया जाना
 - औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रूढ़िवादी सामाजिक प्रथाओं का प्रभुत्व
- इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, सावित्रीबाई आधुनिक भारत में सामाजिक समानता की सबसे प्रारम्भिक और साहसी आवाजों में से एक के रूप में उभरीं।

भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भूमिका

- 1848 में, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने पुणे के भिडे वाड़ा में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया।
- सावित्रीबाई भारत की प्रथम औपचारिक रूप से प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनीं।
- उन्होंने सभी जातियों की लड़कियों को पढ़ाया, जिनमें वे भी शामिल थीं जिन्हें “अछूत” माना जाता था।

सामना किया गया सामाजिक प्रतिरोध

- महिलाओं की शिक्षा का रूढ़िवादी समूहों ने कड़ा विरोध किया।
- सावित्रीबाई को स्कूल जाते समय अक्सर गाली दी जाती थी, धमकाया जाता था और उन पर पत्थर तथा गोबर फेंका जाता था।
- इसके बावजूद, उन्होंने परिवर्तन लाने का साहसिक संकल्प बनाए रखा और पढ़ाना जारी रखा — जो उनके नैतिक साहस और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान

- सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को केवल साक्षरता नहीं बल्कि मुक्ति का साधन माना।
- मुख्य पहलें:
 - लड़कियों, दलितों और गरीबों के लिए अलग-अलग विद्यालय खोले।
 - विधवाओं की शिक्षा की वकालत की, जो उस समय क्रांतिकारी कदम था।
- बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो निम्नलिखित के लिए आश्रय स्थल था:
 - गर्भवती विधवाएँ
 - यौन शोषण की पीड़िताएँ

- सक्रिय रूप से विरोध किया:
 - बाल विवाह
 - जबरन विधवापन
 - कन्या भ्रूण/शिशु हत्या

दलित और वंचित समुदायों के लिए कार्य

- ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जातिगत भेदभाव को चुनौती दी।
- ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की।

सत्यशोधक समाज के उद्देश्य

- सामाजिक समानता को बढ़ावा देना
- जाति-आधारित अनुष्ठानों और पुजारी प्रभुत्व को अस्वीकार करना
- तार्किक चिंतन और मानव गरिमा को प्रोत्साहित करना
- शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए एक मंच प्रदान करना

साहित्यिक और बौद्धिक योगदान

- सावित्रीबाई फुले ने साहित्य को सामाजिक सुधार के हथियार के रूप में प्रयोग किया।
- मुख्य कृतियाँ:
 - काव्य फुले (कविता संग्रह)
 - बावन काशी सुबोध रत्नाकर
- उनकी रचनाओं के विषय:
 - लैंगिक अन्याय
 - जातिगत उत्पीड़न
 - शिक्षा का महत्व
 - सामाजिक पाखंड की आलोचना

मानवीय कार्य

- 1897 के प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई ने स्वयं बीमार लोगों की देखभाल की।
- प्रभावित लोगों की सेवा करते हुए वे स्वयं इस बीमारी से संक्रमित हो गईं।
- उनकी मृत्यु एक ऐसे जीवन का प्रतीक बनी जो पूरी तरह सेवा और त्याग को समर्पित था।

वैचारिक महत्व

- सावित्रीबाई फुले के विचार निम्नलिखित में निहित थे:
 - सामाजिक न्याय
 - मानव समानता
 - तर्कवाद
 - सशक्तिकरण के रूप में शिक्षा
- उन्होंने चुनौती दी:
 - औपनिवेशिक उदासीनता
 - स्वदेशी सामाजिक उत्पीड़न

विरासत और समकालीन प्रासंगिकता

- उन्हें डॉ. बी.आर. आंबेडकर जैसे बाद के सामाजिक सुधारकों की अग्रदूत के रूप में माना जाता है।
- उनकी जयंती (3 जनवरी) महाराष्ट्र में महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है।

- आज भी प्रेरित करती हैं:
 - नारीवादी आंदोलन
 - दलित अधिकार आंदोलन
 - समावेशन पर केंद्रित शैक्षिक सुधार

निष्कर्ष

सावित्रीबाई फुले का जीवन शिक्षा और सामाजिक सुधार को परिवर्तन के साधन के रूप में दर्शाता है। उन्होंने न केवल महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक बाधाओं को तोड़ा, बल्कि एक अधिक समावेशी और समानतावादी भारत की नींव भी रखी। उनका साहस, धैर्य और दृष्टि आज भी लैंगिक असमानता, जातिगत भेदभाव और शैक्षिक विषमता जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. “सावित्रीबाई फुले के शिक्षा और सामाजिक सुधार में अग्रणी प्रयासों ने 19वीं शताब्दी के भारत में लैंगिक और जातिगत भेदभाव को चुनौती दी।” उनके योगदानों पर चर्चा कीजिए और समकालीन सामाजिक असमानताओं के समाधान में उनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। (15 अंक / 250 शब्द)

रानी वेलु नाचियार

समाचार में क्यों: प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2026 को रानी वेलु नाचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें भारत की सबसे साहसी और दूरदर्शी शासकों में से एक के रूप में याद करते हुए, जिनका साहस, बलिदान और नेतृत्व पीढ़ियों को प्रेरित करता है।



प्रारम्भिक जीवन और पृष्ठभूमि

- **जन्म:** 3 जनवरी 1730, रामनाथपुरम, तमिलनाडु
- **वंश:** शिवगंगा का नायक वंश
- **परिवार:** राजा चेल्लमुथु विजयराघुनाथ सेतुपति की पुत्री
- **शिक्षा:** युद्धकला, तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में प्रशिक्षण — जो उस समय की महिलाओं के लिए असामान्य था

रानी वेलु नाचियार युद्ध और प्रशासन के ज्ञान से परिपूर्ण एक शाही वातावरण में पली-बढ़ीं, जिसने उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया।

औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष

- उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपने प्रतिरोध के लिए याद किया जाता है।
- जब उनके पति मुथुवडुगनाथ पेरियावुडया थेवर 1772 में ब्रिटिशों के साथ एक युद्ध में मारे गए, तब वे निर्वासन में चली गईं।

निर्वासन के दौरान उन्होंने पड़ोसी शासकों के साथ गठबंधन बनाए और हैदर अली, मैसूर के सुल्तान, से मार्गदर्शन प्राप्त किया ताकि अपनी सैन्य रणनीति को मजबूत कर सकें।

सैन्य नेतृत्व और विजय

- रानी वेलु नाचियार ने एक रणनीतिक सेना का संगठन किया, जिसमें महिला सैनिकों का दस्ता “उदयाल” भी शामिल था, जिससे वे महिला-नेतृत्व वाली सैन्य शक्ति तैनात करने वाली पहली भारतीय रानियों में से एक बनीं।

- 1780 में, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध और तोड़फोड़ जैसी नवाचारी रणनीतियों का उपयोग करते हुए **शिवगंगा को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया**, जो उनके दूरदर्शी सैन्य कौशल को दर्शाता है।
- वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने और अपना राज्य स्वतंत्र रूप से पुनः प्राप्त करने वाली **पहली भारतीय रानी** बनीं।

युद्धभूमि से परे योगदान

- अपने प्रगतिशील शासन के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने प्राथमिकता दी:
 - अपने लोगों के कल्याण को, विशेष रूप से किसानों और वंचित समुदायों के लिए
 - महिलाओं के सशक्तिकरण को, आत्मरक्षा और प्रशासन में प्रशिक्षण देकर
 - अपने राज्य में शिक्षा और सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित करना
- उन्हें साहस, बलिदान और दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने बाद के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया।

विरासत

- रानी वेलु नाचियार का जीवन और शासन लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, यह दर्शाते हुए कि महिलाएँ योद्धा, प्रशासक और रणनीतिकार के रूप में सक्षम हैं।
- वे भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक प्रतिरोध की एक प्रतीक बनी हुई हैं।
- उनकी जयंती (3 जनवरी) साहस, नेतृत्व और देशभक्ति को प्रेरित करने के लिए स्मरण की जाती है।

निष्कर्ष

रानी वेलु नाचियार का जीवन साहस, दूरदृष्टि और दृढ़ता का उदाहरण है। ब्रिटिशों के विरुद्ध उनकी लड़ाई और उनका प्रगतिशील शासन महिलाओं की नेतृत्व और रणनीति में भूमिका को उजागर करता है। आज उन्हें याद करना महिलाओं की समाज को नेतृत्व देने, रक्षा करने और परिवर्तित करने की क्षमता की याद दिलाता है, जो ऐतिहासिक वीरता को समकालीन प्रेरणा से जोड़ता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. रानी वेलु नाचियार ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि:

- (a) वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली पहली महिला शासक थीं
- (b) उन्होंने महिला-नेतृत्व वाली सेना का गठन किया और अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध किया
- (c) उन्होंने तमिलनाडु में पहला महिला विद्यालय स्थापित किया
- (d) उन्होंने ब्रिटिश क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया

(9) : 2018

रानी अहिल्याबाई होलकर

समाचार में क्यों: मुख्यतः **पाटन समुदाय** से जुड़े लोगों के एक समूह को वाराणसी के **मणिकर्णिका घाट** पर रानी अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा को कथित क्षति पहुँचाने के विरोध में प्रदर्शन करने के कारण हिरासत में लिया गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **पूरा नाम:** अहिल्याबाई होलकर
- **जन्म:** 31 मई 1725, चोंडी, महाराष्ट्र
- **वंश:** इंदौर का होलकर वंश
- **शासनकाल:** 1767-1795



रानी अहिल्याबाई होलकर को भारत की सबसे सक्षम और पूजनीय शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिन्हें उनकी प्रशासनिक कुशलता, न्यायप्रियता और परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने पति **मल्हार राव होलकर** की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली और इंदौर के राज्य का विशिष्ट रूप से शासन किया।

एक शासक के रूप में योगदान

- **प्रशासनिक उत्कृष्टता**
 - कुशल शासन के लिए जानी जाती थीं, जिसमें न्याय, कल्याण और आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया गया।
 - राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भी एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बनाए रखा।
- **धर्म और संस्कृति का संरक्षण**
 - भारत भर में अनेक **मंदिर, घाट, कुएँ और धर्मशालाएँ** बनवाए और उनका पुनर्निर्माण कराया, जिनमें वाराणसी, गया, सोमनाथ और काशी शामिल हैं।
 - धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया, सभी धर्मों का सम्मान किया और तीर्थयात्रा को प्रोत्साहित किया।
- **परोपकार और जनकल्याण**
 - सार्वजनिक कार्यों पर बल दिया, जिनमें सड़कें, तालाब, कुएँ और तीर्थयात्रियों के लिए विश्रामगृह शामिल हैं।
 - शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण की वकालत की।
 - न्यायसंगत कराधान और पारदर्शी प्रशासन की स्थापना की।

प्रशासनिक उपलब्धियाँ

- **शासन और न्याय**
 - निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन पर जोर दिया।
 - ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया।
 - एक समृद्ध और भ्रष्टाचार-मुक्त राज्य बनाए रखा।
- **आर्थिक विकास**
 - कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया।
 - सड़कों, कुओं और सिंचाई प्रणालियों का निर्माण कराया।
 - स्थानीय बाजारों और कारीगरों को बढ़ावा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई।
- **कानून और व्यवस्था**
 - शांति बनाए रखी और बाहरी खतरों से अपने प्रजाजनों की रक्षा की।
 - सैनिकों और नागरिक सेवकों के कल्याण को सुनिश्चित किया।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान**
 - पूरे भारत में मंदिरों, घाटों, कुओं, धर्मशालाओं और विश्रामगृहों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया।

- प्रसिद्ध स्थलों में काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी), सोमनाथ मंदिर (गुजरात), ल्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र), द्वारका, गया और रामेश्वरम शामिल हैं।
- तीर्थयात्राओं और धार्मिक सद्भाव का समर्थन किया, सभी धर्मों के लोगों का स्वागत किया।
- **सामाजिक कल्याण और महिलाओं का सशक्तिकरण**
 - शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया।
 - गाँवों के लिए स्कूल, धर्मशालाएँ और कुएँ स्थापित किए।
 - महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए समानता और न्यायपूर्ण व्यवहार की वकालत की।
 - अक्सर कल्याणकारी परियोजनाओं में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर अपने मंत्रियों से परामर्श करती थीं।

सैन्य क्षमता

- यद्यपि वे मुख्यतः एक नागरिक प्रशासक थीं, फिर भी उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक सुसज्जित सेना बनाए रखी।
- ब्रिटिश या मराठा प्रतिद्वंद्वियों के साथ अनावश्यक संघर्ष से बचने के लिए रणनीतिक कूटनीति का प्रयोग किया।
- उनके शासनकाल में आंतरिक शांति और बाहरी सुरक्षा बनी रही।

नेतृत्व शैली

- **नैतिक और करुणामयी:** न्याय, ईमानदारी और सेवा-भाव को महत्व दिया।
- **दूरदर्शी:** दीर्घकालिक आधारभूत संरचना और सांस्कृतिक परियोजनाओं में निवेश किया।
- **समावेशी:** सामाजिक और धार्मिक परियोजनाओं में महिलाओं और वंचित समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।
- **समकालीनों द्वारा सम्मानित:** मिल और प्रतिद्वंद्वी दोनों ने उनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की प्रशंसा की।

विरासत

- उन्हें “महिला शासकों की मर्यादा पुरुषोत्तम” के रूप में जाना जाता है।
- उनके बाद भी उनका राज्य स्थिर और समृद्ध बना रहा।
- उन्होंने अच्छे शासन के लिए बाद के शासकों और प्रशासकों को प्रेरित किया।
- उनके योगदान यह दर्शाते हैं कि औपनिवेशिक-पूर्व भारत में महिलाएँ केवल सहधर्मिणी ही नहीं, बल्कि प्रभावी शासक भी थीं।
- वार्षिक स्मरण और प्रतिमाएँ उनके नेतृत्व, सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण के मूल्यों का उत्सव मनाती हैं।

निष्कर्ष

रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन नैतिक, दूरदर्शी नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा का प्रमाण है। हाल की घटनाएँ उनकी विरासत की स्थायी भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतिध्वनि को दर्शाती हैं। उनकी प्रतिमाओं और स्मारकों का संरक्षण केवल सम्मान का कार्य नहीं, बल्कि न्याय, सुशासन और जनकल्याण के उन मूल्यों की याद दिलाता है जिन्हें उन्होंने प्रतिपादित किया।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासक कब बनीं?

- अपने पिता की मृत्यु के बाद
- अपने पति और पुत्र की मृत्यु के बाद
- मराठा पेशवा के साथ एक संधि के बाद
- ब्रिटिश नियुक्ति के द्वारा


(9) 2022

पार्वती गिरी

समाचार में क्यों: प्रधानमंत्री ने पार्वती गिरी को उनकी जन्म शताब्दी (19 जनवरी 2026) के अवसर पर श्रद्धांजलि दी, यह उल्लेख करते हुए कि उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सराहनीय भूमिका निभाई।

पार्वती गिरी के बारे में

पार्वती गिरी (1926–1995) ओडिशा की एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और परोपकारी थीं। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत के संघर्ष के दौरान युवाओं, महिलाओं और वंचित समुदायों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने साहस और प्रतिबद्धता के लिए जानी जाने वाली पार्वती गिरी सामाजिक न्याय, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जमीनी आंदोलनों में गहराई से जुड़ी थीं।



स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में सक्रिय रूप से भाग लिया और ओडिशा में संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल रहीं।
- ऐसे समय में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता की वकालत की जब सामाजिक मान्यताएँ उनके सार्वजनिक भागीदारी को सीमित करती थीं।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन, जनसभाएँ और जागरूकता अभियान आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा को जोखिम में डाला।

स्वतंत्रता के बाद सामाजिक कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पार्वती गिरी ने स्वयं को सामाजिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया:

- **वंचित बच्चों,** विशेष रूप से ग्रामीण ओडिशा की लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।
- स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया।
- महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों का समर्थन किया, जिससे सामुदायिक पहलों पर स्थायी प्रभाव पड़ा।

स्मरण का महत्व

जन्म शताब्दी समारोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अज्ञात नायकों, विशेषकर उन महिलाओं को याद करने के महत्व को रेखांकित करते हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पार्वती गिरी जैसे नेता साहस, धैर्य और सेवा की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों को राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं।

निष्कर्ष

पार्वती गिरी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करना केवल उनके बलिदानों का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि नागरिक भागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रेरित करना भी है। उनका जीवन स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और राष्ट्र-निर्माण के बीच स्थायी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. पार्वती गिरी कौन थीं?

- ओडिशा की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना
- ओडिशा की एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता
- ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री
- साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता

(q) : 259

चहल एकेडमी द्वारा निःशुल्क पहल

CCHAHAL
ACADEMY

'द हिंदू' और 'इंडियन एक्सप्रेस' से 10
बहुविकल्पीय प्रश्नों की दैनिक प्रश्नोत्तरी

क्यू आर कोड स्कैन करें



जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMFs)

चर्चा में क्यों: हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMFs) एक लाभकारी विधि है और इसे खनन से प्रभावित समुदायों के हित में उदारतापूर्वक व्याख्यायित किया जाना चाहिए।

मुख्य विवरण

- न्यायालय ने खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लिए DMFs की कल्याण-उन्मुख प्रकृति पर जोर दिया।
- DMFs एक वैधानिक निकाय हैं, जिन्हें MMDR संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत बनाया गया है।
- इन्हें खनन पट्टा धारकों के अनिवार्य योगदान से वित्त प्राप्त होता है।
- धनराशि PMKKKY (प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए भेजी जाती है।

DMFs का कानूनी और संस्थागत ढांचा

- **वैधानिक आधार:** DMFs को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9B से कानूनी समर्थन प्राप्त है, जिसे 2015 में संशोधित किया गया था। इससे यह कानूनी रूप से लागू होने वाली कल्याणकारी संस्थाएँ बनती हैं।
- **राज्य सरकार का अधिकार:** राज्य सरकारें खनन-प्रभावित जिलों में DMFs की अधिसूचना और संचालन करती हैं, जो भारत की संघीय शासन व्यवस्था को दर्शाता है।
- **गैर-लाभकारी ट्रस्ट संरचना:** प्रत्येक DMF को सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि धन सामुदायिक कल्याण के लिए ही उपयोग हो, न कि सामान्य सरकारी व्यय के लिए।
- **लाभकारी विधि सिद्धांत:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल के अवलोकन ने यह पुनः स्पष्ट किया कि DMFs जैसे कल्याणकारी कानूनों की व्याख्या प्रभावित आबादी के पक्ष में उदारता से की जानी चाहिए।

उद्देश्य और मुख्य जनादेश

- **खनन से प्रभावित लोगों का कल्याण:** मुख्य उद्देश्य उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनन गतिविधियों से प्रभावित होते हैं।
- **क्षेत्र-आधारित विकास:** DMFs जिला स्तर की योजना पर ध्यान देते हैं, क्योंकि खनन के प्रभाव भौगोलिक रूप से केंद्रित होते हैं और स्थानीय समाधान की आवश्यकता होती है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक शमन:** इनका उद्देश्य पर्यावरणीय क्षरण, विस्थापन और आजीविका हानि की भरपाई करना है, जो खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में सामान्य समस्याएँ हैं।
- **पूरक शासन उपकरण:** DMFs को केंद्र और राज्य की मौजूदा योजनाओं के पूरक के रूप में बनाया गया है, ताकि विकास व्यय में समन्वय सुनिश्चित हो सके।

वित्तपोषण तंत्र और वित्तीय संरचना

- **अनिवार्य खनिक योगदान:** DMFs को खनन पट्टा धारकों द्वारा किए गए वैधानिक भुगतान के माध्यम से वित्त प्राप्त होता है, जो संसाधन शासन में “प्रदूषक भुगतान करें” सिद्धांत को लागू करता है।
- योगदान दरें
 - 12 जनवरी 2015 से पहले दिए गए पट्टों के लिए: रॉयल्टी का 30%
 - उस तिथि के बाद दिए गए पट्टों के लिए: रॉयल्टी का 10%
- यह व्यवस्था खनिज निष्कर्षण से जुड़ी स्थिर आय धारा सुनिश्चित करती है।
- **केंद्र सरकार की भूमिका:** केंद्र सरकार योगदान दरों की अधिसूचना जारी करती है, जिससे राज्यों में नियामक एकरूपता बनी रहती है।
- **बढ़ता वित्तीय महत्व:** समय के साथ DMFs ने हजारों करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, जिससे वे भारत में सबसे बड़े जिला-स्तरीय विकास निधियों में से एक बन गए हैं।

DMF निधियों का उपयोग

- **स्थानीय आधारभूत संरचना निर्माण:** धन का उपयोग सड़कें, पेयजल प्रणालियाँ, विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाएँ बनाने में किया जाता है।
- **सामुदायिक संपत्ति विकास:** DMFs सार्वजनिक सेवाओं के रखरखाव और उन्नयन का समर्थन करते हैं, जिससे खनन क्षेत्रों में अंतिम-मील सेवा वितरण में सुधार होता है।
- **कौशल विकास और आजीविका:** रोजगार और स्व-रोजगार अवसर पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, विशेष रूप से विस्थापित आबादी के लिए।
- **वार्षिक कार्य योजना तंत्र:** व्यय जिला-विशिष्ट योजनाओं द्वारा निर्देशित होता है, जिन्हें ट्रस्टी तैयार करते हैं, जिससे आवश्यकता-आधारित और विकेंद्रीकृत योजना सुनिश्चित होती है।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- **प्रारंभ और उद्देश्य:** खनन मंत्रालय द्वारा 2015 में प्रारंभ, PMKKKY DMF निधियों के उपयोग के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है।
- **उच्च-प्राथमिकता व्यय (न्यूनतम 60%):** इसमें शामिल हैं:
 - पेयजल
 - स्वास्थ्य
 - शिक्षा
 - पर्यावरण संरक्षण
 - महिलाओं और बच्चों का कल्याण
- **अन्य प्राथमिकता क्षेत्र (40% तक):** इसमें शामिल हैं:
 - भौतिक आधारभूत संरचना
 - सिंचाई
 - ऊर्जा

- जलागम विकास
- आजीविका सृजन
- **सतत विकास पर ध्यान:** PMKKKY का उद्देश्य दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना और खनन के बाद के सामाजिक-आर्थिक संकटों को कम करना है।

भारत के खनिज शासन में महत्व

- **समावेशी विकास का साधन:** DMFs सहकारी संघवाद और स्थानीय विकास को लागू करते हैं, विशेष रूप से जनजातीय और पिछड़े जिलों में।
- **संसाधन अभिशाप का समाधान:** खनिज संपदा को स्थानीय स्तर पर वितरित करके DMFs “resource curse” की समस्या को कम करने का प्रयास करते हैं।
- **SDGs के साथ सामंजस्य:** स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और पर्यावरण में निवेश भारत की सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।
- **जिला योजना को सुदृढ़ करना:** DMFs विकेंद्रीकृत और सहभागी खनिज क्षेत्र विकास की दिशा में एक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **निधियों का कम उपयोग:** कई राज्यों में अप्रयुक्त धनराशि का बड़ा संतुलन पाया जाता है, जो क्षमता और योजना की कमी को दर्शाता है।
- **पारदर्शिता की समस्याएँ:** सीमित सार्वजनिक खुलासा और कमजोर सामाजिक अंकेक्षण सामुदायिक निगरानी को कम करते हैं।
- **मूल उद्देश्य से विचलन:** कुछ जिलों में निधियों को सामान्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है जो सीधे प्रभावित समुदायों को लाभ नहीं पहुँचाती।
- **संस्थागत क्षमता की सीमाएँ:** जिला प्रशासन में अक्सर तकनीकी विशेषज्ञता और सहभागी योजना तंत्र की कमी होती है।

निष्कर्ष

जिला खनिज प्रतिष्ठान भारत में समानतापूर्ण और सतत खनिज विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, उनकी पूर्ण क्षमता पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी और परिणाम-आधारित योजना पर निर्भर करती है। हाल का न्यायिक जोर इस बात को रेखांकित करता है कि DMFs को जन-केंद्रित कल्याण संस्थाओं के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे खनिज संपदा का लाभ वास्तव में उन समुदायों तक पहुँचे जो इसकी सामाजिक और पर्यावरणीय लागत वहन करते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) किसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं?

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980

(9) : 2024

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) खनन-आधारित विकास को समावेशी बनाने के लिए बनाए गए थे। उनके प्रदर्शन और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और भारत में भूजल प्रदूषण

चर्चा में क्यों: केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) ने अपनी वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट-2025 में आंध्र प्रदेश में व्यापक भूजल प्रदूषण को चिह्नित किया है, जो BIS मानकों के अनुसार है।

मुख्य विवरण

- CGWB की 2025 की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश को उन राज्यों में शामिल करती है जहाँ भूजल गुणवत्ता की महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं।
- फ्लोराइड, नाइट्रेट, लवणता और भारी धातुएँ जैसे प्रदूषक कई जिलों में BIS पेयजल मानकों से अधिक पाए गए।
- इस निष्कर्ष से पेयजल सुरक्षा, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में चिंताएँ बढ़ती हैं।
- यह वैज्ञानिक भूजल प्रबंधन और कठोर विनियमन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB): संस्थागत ढाँचा

- **सर्वोच्च वैज्ञानिक एजेंसी:** CGWB जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और भूजल आकलन और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- **ऐतिहासिक विकास:** इसे 1970 में अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन का नाम बदलकर स्थापित किया गया और बाद में भूजल विंग (Geological Survey of India) के साथ 1972 में विलय कर दिया गया, जिससे इसकी तकनीकी क्षमता का विस्तार हुआ।
- **बहु-विषयक संरचना:** बोर्ड में हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूभौतिकीविद्, रसायनविद्, जलविज्ञानी और इंजीनियर शामिल हैं, जो एकीकृत भूजल विज्ञान और नीति समर्थन को सक्षम बनाते हैं।
- **संगठनात्मक विंग:** इसके चार प्रमुख विंग — SML, SAM, ED&MM, और WQ&TT — स्थिरता, निगरानी, ड्रिलिंग और जल गुणवत्ता को कवर करते हैं, जो एक समग्र शासन ढाँचा को दर्शाते हैं।

भारत में भूजल परिदृश्य

- **पेयजल का प्रमुख स्रोत:** भूजल ग्रामीण पेयजल का लगभग 85% और शहरी जल आवश्यकताओं का लगभग 50% पूरा करता है, जिससे यह जल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।
- **सिंचाई निर्भरता:** भारत की लगभग 60-65% सिंचाई भूजल पर निर्भर करती है, जो खाद्य सुरक्षा को समर्थन देती है, लेकिन अधिक दोहन को भी बढ़ाती है।
- **वैश्विक स्थिति:** भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जो अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक है (विश्व बैंक अनुमान)।
- **अतिदोहन ब्लॉक:** CGWB के आकलन के अनुसार कई आकलन इकाइयाँ अतिदोहन और गंभीर श्रेणियों में आती हैं, विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में।

ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल

मुदुनलाई टाइगर रिजर्व (MTR) में शीतकालीन आगंतुक

परिचय

- वैज्ञानिक नाम: *Aquila heliaca*
- कुल: Accipitridae - उपकुल: Aquilinae
- बड़ा शिकारी पक्षी (यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा)

संरक्षण स्थिति

IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य कम विज्ञानिक निकट

VU

संकेतप्रसंग गंभीर रूप से संकेतप्रसंग

वितरण

प्रजनन क्षेत्र: दक्षिण-पूर्वी यूरोप, पश्चिम और मध्य एशिया

शीतकाल में पाए जाते हैं: उत्तर-पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण और पूर्व एशिया

■ प्रजनन ■ प्रवासन मार्ग ■ शीतकालीन क्षेत्र

विशेषताएँ

- लंबाई: 0.92 मीटर
- पंखों का फैलाव: 2 से 2.14 मीटर
- वजन: लगभग 3.6 किलोग्राम
- रंग: काला-भूरा, सुनहरा मुकुट, धूसर पैर का आधार
- विपरीत लैंगिक द्विरूपता मादा बड़ी होती है
- अजनबूत पैर और पंजे: लंबे, मुड़े हुए नुकीले पंजे
- आयु: लगभग 56 वर्ष

अवस्थिति

अवस्थिति: नीलगिरी जिला, तमिलनाडु

क्षेत्रफल: 321 वर्ग किमी - त्रि-राज्य संगम क्षेत्र: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक

भाग: नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व (भारत का पहला बायोस्फियर रिजर्व)

- पश्चिमी घाट - लगभग 65 मिलियन वर्ष पुराने

महत्व

- शीतकालीन प्रवासी पक्षी
- स्वस्थ पाठिस्थितिकी तंत्र का संकेतक
- संरक्षण प्राथमिकता (सुभेद्य)

नदी: मोयर नदी

पर्यावास

सदाबहार, पर्णपाती, सागौन, घासभूमि, दलदली क्षेत्र

वनस्पति

हाथी घास, बांस, सागौन, टोण्डुड, जंगली चावल, अदरक, हल्दी, दालचीनी, पक्षी प्रजातियाँ: भारत की कुल पक्षी प्रजातियों का लगभग 8%

जीव-जंतु

पशु प्रजातियाँ: भारत की कुल पक्षी प्रजातियों का लगभग 8%

वन्यजीवों और पश्चिमी घाट की जैव विविधता का संरक्षण

हट्टी जनजाति

मुख्य तथ्य

बोड़ा त्योहार प्रारम्भ

उत्साह के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार

हिमाचल प्रदेश, टांस-गिरी (सिन्धु, हिमाचल प्रदेश), जोनसार बाबर (उत्तराखण्ड)

हट्टी जनजाति के बारे में

- नाम 'हट्ट' (बाजार) से लिया गया है।
- हिमाचल-उत्तराखण्ड सीमा क्षेत्र में निवास करते हैं (गिरी और टांस नदी घाटी)।
- दो कुल/क्षेत्र: टांस-गिरी (हिमाचल प्रदेश) और जोनसार बाबर (उत्तराखण्ड)।
- विशिष्ट सफेद ब्रिट-पीथ (टोपी/पगड़ी)

बहुपति प्रथा

जोदिदार (Joddidar): एक महिला दो या अधिक भाइयों से विवाह करती है।

सुंबली परिषद

पारंपरिक परिषद जो सामुदायिक मामलों का संचालन करती है।

अर्थव्यवस्था

कृषि और नकदी फसलें

जनसंख्या

लगभग 3 लाख (2023)

अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा

2023 में हिमाचल प्रदेश में ST का दर्जा प्रदान किया गया।

जोनसार बाबर (उत्तराखण्ड) में 1967 से ST का दर्जा।

परंपराएँ और अंतर्विवाह

मादा परंपराएँ और रीति-रिवाज अक्सर अंतर्विवाह

अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त

गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों: मकर संक्रांति से पहले खिचड़ी अर्पित करने के लिए भक्तों की भारी भीड़।

मंदिर के बारे में

- अवस्थिति: गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित।
- हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय का केंद्र।
- गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया, जो हठ योग के आचार्य थे।

प्रमुख विशेषताएँ

- गोरखनाथ तीर्थ एवं शिवलिंग
- गुरु गोरखनाथ की समाधि
- ऊँचा शंक्वाकार गुंबद
- सूक्ष्म पत्थरकारी और नक्काशीदार स्तंभ

गोरखनाथ और हठ योग की विरासत

नाथ परंपरा का प्रमुख केंद्र

केटीडिड्स

जन्म और कठमौर में नवीनतम खोज

चर्चा में क्यों

- जन्म और कठमौर में नीलो केटीडिड्स की तीन नई प्रजातियों की पहचान की गई।
- Conocephalus usmanii*, *Conocephalus nagariensis*, *Conocephalus ganderbali*

केटीडिड्स के बारे में

- अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं
- 8,000 से अधिक प्रजातियाँ (परिवार Tettigoniidae)
- झींगुर और टिट्टों से संबंधित
- "बुश क्रिकेट" (Bush Crickets) के नाम से भी जाने जाते हैं

लंबी छटीना

पत्ते जैसी जकल

ध्वनि उत्पन्न करना (Stridulation) - "केटी-टिट" जैसी ध्वनि

शाकाहारी आहार

चार-संछित पैर

जीवनकाल: लम्बम 1 वर्ष

नीलो केटीडिड्स

- झीलों और तालाबों के पास पाए जाते हैं
- संकट होने पर पानी के नीचे गोता लगा सकते हैं

जन्म और कठमौर में पाई गई नई प्रजातियाँ

<i>Conocephalus usmanii</i>	<i>Conocephalus nagariensis</i>	<i>Conocephalus ganderbali</i>
<ul style="list-style-type: none"> प्री. मोहनन्द कमिल उस्मानी के नाम पर 36 वंशवाली टिट्टुलेट्टी फाइल 	<ul style="list-style-type: none"> बदगम जिला 34 वंशवाली टिट्टुलेट्टी फाइल 	<ul style="list-style-type: none"> गंददबल क्षेत्र 28 वंश और V-आकार का निशान
<ul style="list-style-type: none"> डॉ. रमेश नागर के नाम पर 		<ul style="list-style-type: none"> गंददबल जिले के नाम पर

*** ऑर्थोपेटा (Orthoptera):** केटीडिड्स, झींगुर और टिट्टे।

पेम्बा प्रभाव

क्या गर्म पानी ठंडे पानी से तेज जम सकता है?

चर्चा में क्यों

JNCASR के भारतीय वैज्ञानिकों ने बर्फ बनने की प्रक्रिया का सिमुलेशन करके पानी के पेम्बा प्रभाव को सिद्ध किया है।

पेम्बा प्रभाव क्या है?

एक ऐसी परिघटना जिसमें कुछ परिस्थितियों में गर्म पानी, ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है। अटस्तू द्वारा वर्णन

संभावित व्याख्याएँ

सूक्ष्म बुलबुले

फेसे हुए बुलबुले ठंडा होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं।

वाष्पीकरण

गर्म पानी वाष्पीकरण के माध्यम से ऊष्मा खो देता है।

पाले का इन्सुलेशन

ठंडे पानी में बनने वाला पाला ऊष्मा के ह्रास को सीमा कर देता है।

खनिज अवक्षेप

उत्पन्न से खनिज टट जाते हैं, जिससे टिनांक बढ़ सकता है।

हाल के निष्कर्ष

- पेम्बा प्रभाव अन्य पदार्थों में भी देखा गया है।
- दब से होश अवस्था में परिवर्तन का सिमुलेशन किया गया।
- यह केवल पानी तक सीमित नहीं है।

Source: PIB

फेयर लीफ मंकी

(Trachypithecus phayrei)

चर्चा में क्यों

पर्यावास हानि फेयर लीफ मंकी को अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए मजबूर कर रही है।

अन्य नाम	पर्यावास
<ul style="list-style-type: none"> चरमा बंदर (बंगाली) चरमा-चकुवा बंदर (असमिया) 	
आहार	वितरण
<p>पत्तियाँ, कोमल टहनियाँ और फल</p>	<ul style="list-style-type: none"> पूर्वोत्तर भारत बांग्लादेश म्यांमार
विशेषीकृत पेट	STOMACH
<p>देशदार पत्तियों को कुशलवापूरक पचाता है।</p>	
संरक्षण स्थिति	
<p>संकटग्रस्त</p>	<p>CITES परिशिष्ट II</p>
खतरे	
<p>पर्यावास हानि</p>	<p>खंडन</p>
<p>शिकार</p>	

फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान

जिला: चमोली, उत्तराखंड



क्षेत्रफल: 87 वर्ग किमी
 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
 नंदा देवी जैवमंडल रिज़र्व का भाग (कोर ज़ोन)



पृष्ठभूमि: हिमाच्छादित हिमालय

खोज: 1931

द्वारा: फ्रैंक एस. स्माइथ एवं ब्रिटिश पर्वतारोही

अवस्थिति

- राज्य: उत्तराखंड
- जिला: चमोली
- ऊँचाई: 3,200-6,500 मीटर

नंदा देवी जैवमंडल रिज़र्व



वनस्पति (Flora) - (600 से अधिक प्रजातियाँ)

- ऑकिड, पोपी, प्रिमुला
- गेंदा, डेज़ी, एनीमोन
- औषधीय पौधे एवं जड़ी-बूटियाँ

जीव-जंतु

- हिम तेंदुआ
- काला भालू
- लाल लोमड़ी
- हिमालयी नेवला
- ग्रे लंगूर
- उड़ने वाली गिलहरी
- लाइम तितली

मुख्य विशेषताएँ

- जीवंत अल्पाइन घासभूमियाँ
- समृद्ध जैव विविधता
- उप-अल्पाइन वन (बर्च, रोडोडेड्रोन)
- शीतकाल में बर्फ से ढका रहता है
- ट्रेक मार्ग: गोविंदघाट → घांगरिया → फूलों की घाटी (17 किमी ट्रेक)

महत्व

- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (2005 से)
- उच्च ऊँचाई की पुष्प विविधता
- ग्रॉस्कर और महान हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पारिस्थितिक क्षेत्र
- इको-पर्यटन एवं संरक्षण स्थल

यात्रा का सर्वोत्तम समय

जुलाई - सितंबर
 (मानसून ऋतु)

खतरा

- वनाग्नि
- जलवायु परिवर्तन
- अत्यधिक पर्यटन

संरक्षण एवं अग्नि प्रबंधन की आवश्यकता

स्रोत: यूनेस्को, उत्तराखंड सरकार

हवाना सिंड्रोम

हाल की चिंताएँ फिर से उभरकर सामने आईं



पेंटागन रेडियो तरंग उपकरण का परीक्षण करता है

यह क्या है?

अमेरिकी राजनयिकों और जासूसों में रहस्यमय लक्षण



लक्षण

- अजीब ध्वनियाँ सुनाई देना
- चक्कर आना और मतली
- सिरदर्द
- सिरदर्द
- स्मृति और संतुलन से संबंधित समस्याएँ

उत्पत्ति

पहली बार रिपोर्ट: 2016

अवस्थिति: अमेरिकी दूतावास, हवाना, क्यूबा



2021 में भारत में मामला रिपोर्ट किया गया

मुख्य तथ्य

- अजीब आवाजें सुनाई देना
- चक्कर और मतली
- सिरदर्द और स्मृति हानि

आविर्भाव: 2016, क्यूबा

विश्व स्तर पर अमेरिकी अधिकारी प्रभावित

विश्व स्तर पर अमेरिकी अधिकारी प्रभावित

कारण: अस्पष्ट, अप्रमाणित कारण?

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-से कथन निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (EROs) के संबंध में सही हैं?

- वे किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और संशोधन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके नियुक्त किया जाता है।
- उनके पास संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कराने और परिणाम घोषित करने का अधिकार होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए एक स्थायी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।

कथन II: आईएसएस मानव शरीर क्रिया विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक प्रयोगों को सक्षम बनाता है जिन्हें पृथ्वी पर प्रभावी रूप से संचालित नहीं किया जा सकता।

कथन III: आईएसएस का संचालन केवल नासा द्वारा किया जाता है, अन्य देशों की कोई भागीदारी नहीं है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्न में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं लेकिन केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 3. वर्ष 2025-26 में भारत की राजकोषीय स्थिति पर GST दरों में कटौती के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- केन्द्र का राजकोषीय घाटा मुख्यतः धीमी कर-राजस्व प्राप्ति के कारण बढ़ा, जबकि व्यय नियंत्रित रहा।

2. नवंबर 2025 में GST संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग अपरिवर्तित रहा, जो दर कटौती के प्रभाव को दर्शाता है।

3. गैर-कर राजस्व, जिसमें RBI के लाभांश शामिल हैं, ने कर राजस्व में कमी को आंशिक रूप से संतुलित करने में सहायता की है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 4. भारत-अमेरिका परमाणु ऊर्जा सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- भारत अपनी प्रचुरता और कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण वैकल्पिक परमाणु ईंधन के रूप में थोरियम विकसित करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी कर रहा है।
- यह साझेदारी व्यापक इंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढाँचे के अंतर्गत अमेरिका के साथ भारत के रणनीतिक समन्वय को दर्शाती है।
- थोरियम-आधारित परमाणु प्रौद्योगिकी, यूरैनियम की तुलना में परमाणु प्रसार के जोखिमों को कम करती है।
- ऐसा ऊर्जा सहयोग भारत के नागरिक परमाणु समझौतों के अंतर्गत आता है, जिसके लिए दोनों देशों से नियामक अनुमोदन आवश्यक होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

प्रश्न 5. G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह 19 देशों, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ को सम्मिलित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
- इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- G20 बैठकों को कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है, और इसके निर्णयों को सदस्य देशों द्वारा एक केंद्रीकृत प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से लागू करना आवश्यक होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 6. इसरो के गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस मिशन का उद्देश्य 3-दिवसीय मिशन के लिए 400 किमी निम्न पृथ्वी कक्षा में एक दल को स्थापित करके भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है।
2. क्रू एस्केप सिस्टम (CES) को प्रक्षेपण से पूर्व चरण के दौरान प्रक्षेपण मंच पर दल की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. गगनयान मिशन को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना के पूर्ववर्ती के रूप में माना जाता है, जिसे भारत 2035 तक संचालित करने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से कौन-से कथन लोकपाल के संबंध में सही हैं?

1. कुछ अपवादों के साथ लोकपाल का अधिकार-क्षेत्र प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है।
2. लोकपाल बिना किसी सार्वजनिक पद वाले निजी नागरिकों के विरुद्ध भी जांच कर सकता है।
3. लोकपाल एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत हुई है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 8. भारत की जल-निकासी प्रणाली के संदर्भ में अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से क्या है?

- (a) गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच जल-विभाजक
(b) पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच विभाजक
(c) मानसून पवनों को रोकने वाली बाधा
(d) हिमालयी नदियों का स्रोत

प्रश्न 9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन 1: मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली के स्तर पर जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना है।
कथन 2: यह अपशिष्ट को कम करने, ऊर्जा का संरक्षण करने और सतत उपभोग अपनाने जैसे स्वैच्छिक कार्यों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है।

उपर्युक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से कौन-सा घटक अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) के वित्तपोषण में शामिल है?

- (a) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (b) विद्युत उत्पादन
(c) ग्रामीण आवास (d) जल आपूर्ति और सीवरेज

प्रश्न 11. भारत में व्यापार बोर्ड (Board of Trade) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक परामर्शदात्री निकाय है जो विदेश व्यापार नीति और निर्यात प्रोत्साहन पर सुझाव देता है।
2. इसमें राज्यों, उद्योग और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
3. इसकी सिफारिशें व्यापार समझौतों को बनाते समय सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 12. निम्नलिखित में से कौन-सी कृषि पद्धति विशेष रूप से धान की खेती से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से अपनाई जाती है?

- (a) धान के खेतों में निरंतर जलभराव
(b) स्थायी जलभराव के साथ प्रत्यक्ष बुवाई
(c) वैकल्पिक गीलापन और सुखापन (AWD)
(d) यूरिया का स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग

प्रश्न 13. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वेनेजुएला की सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वेनेजुएला OPEC का संस्थापक सदस्य है।
2. वेनेजुएला 1945 से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है।
3. वेनेजुएला कभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- कथन 1: श्रम सुविधा पोर्टल को अनुपालन की सरलता को बढ़ावा देने और एकीकृत ऑनलाइन मंच के माध्यम से श्रम कानून प्रवर्तन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रारंभ किया गया था।

कथन 2: यह पोर्टल पंजीकरण, लाइसेंसिंग, निरीक्षण रिपोर्ट और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित कई केंद्रीय श्रम कानूनों के अंतर्गत आते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्न में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है
- (b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है
- (c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है
- (d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है

प्रश्न 15. 15वें वित्त आयोग और राज्य उधारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- इसने राज्यों को ऊर्जा क्षेत्र सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधारी लचीलापन की अनुमति दी।
- इसने राज्यों को पुरस्कार अवधि के भीतर अप्रयुक्त उधारी सीमाओं को आगे ले जाने की अनुमति दी।
- इसने सभी राज्यों के लिए बिना किसी अपवाद के GSDP का 3% का समान राजकोषीय घाटा सीमा अनिवार्य किया।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
- (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 16. निम्नलिखित में से किन देशों का उल्लेख हाल के विमर्श में ऐसे उदाहरणों के रूप में किया गया है जहाँ बाहरी सैन्य हस्तक्षेप ने राजनीतिक समाधान के बजाय दीर्घकालिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया?

- वियतनाम
- इराक
- अफगानिस्तान
- यूक्रेन

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) 1, 2, 3 और 4 (d) केवल 1 और 4

प्रश्न 17. गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

- यह अधिनियम भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुँचाने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था और बाद में इसे आतंकवाद को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।
- इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार प्राप्त है।
- यह अधिनियम न्यायिक अनुमोदन के साथ आरोप-पत्र दाखिल किए बिना 180 दिनों तक हिरासत की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 18. युद्ध अभ्यास (Yudh Abhyas) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किनके बीच आयोजित किया जाता है?

- (a) भारतीय सेना और अमेरिकी सेना
- (b) भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना
- (c) भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना
- (d) भारतीय सेना और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स

प्रश्न 19. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए:

- कोलंबिया
- मेक्सिको
- क्यूबा
- वेनेजुएला
- ग्रीनलैंड
- चीन

उपर्युक्त में से कौन-से देश लैटिन अमेरिका और आर्कटिक के संदर्भ में अमेरिका की रणनीतिक, राजनीतिक या सुरक्षा चिंताओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं?

- (a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2, 4 और 6
- (c) 1, 2, 3, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

प्रश्न 20. हाल ही में सोना और चाँदी की कीमतों में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- सोना और चाँदी की कीमतों में वृद्धि मुख्यतः भू-राजनीतिक तनावों से प्रेरित है, जिनमें वेनेजुएला में अमेरिकी हमला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी शामिल है।
- वेनेजुएला वैश्विक तेल आपूर्ति में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, और उसके उत्पादन स्तर कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
- (c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 21. कार्बन-लिंकड व्यापार उपायों के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए:

- कार्बन-गहन उत्पादन वाले निर्यात उद्योगों के लिए अनुपालन लागत में वृद्धि।
- WTO व्यापार वार्ताओं में विकासशील देशों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि।
- वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर संभावित स्थानांतरण।

उपर्युक्त में से कौन-से वैध परिणाम हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) उस रेखा को संदर्भित करती है जहाँ तक दोनों पक्ष अंतिम सीमा समाधान लंबित रहने तक वास्तविक प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण का प्रयोग करते हैं।
2. LAC भारत और चीन के बीच औपचारिक रूप से सीमांकित और पारस्परिक रूप से सहमत सीमा है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 23. सेवाओं के क्रय प्रबंधक सूचकांक (Services PMI) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. सेवाएँ PMI सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के आँकड़ों से संकलित किया जाता है।
2. 50 से अधिक का सेवाएँ PMI मान विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से कम का मान संकुचन को दर्शाता है।
3. सेवाएँ PMI सेवाक्षेत्र में व्यावसायिक स्थितियों को मापता है, जो क्रय प्रबंधकों के मासिक सर्वेक्षणों पर आधारित होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 24. थल सेनाध्यक्ष (COAS) के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. थल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।
2. थल सेनाध्यक्ष भारतीय सेना से संबंधित मामलों पर संघ सरकार के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
3. थल सेनाध्यक्ष मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति (CCS) का सदस्य होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 25. वर्ष 2025 में वैश्विक तेल भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. वेनेजुएला के पास सिद्ध तेल भंडार का एकल सबसे बड़ा भंडार है।
2. OPEC देश सामूहिक रूप से विश्व के तेल भंडार का 50% से कम नियंत्रण रखते हैं।

3. भारत तेल भंडार के मामले में शीर्ष 10 देशों में शामिल है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 26. “रिफॉर्म एक्सप्रेस” भारतीय नीतिगत विमर्श में किसके संदर्भ में प्रयुक्त एक शब्द है?

- (a) भारत की सभी राजधानियों को जोड़ने वाली एक उच्च गति रेल परियोजना
(b) एक सरकारी पहल जो संरचनात्मक सुधारों और आर्थिक उदारीकरण उपायों पर बल देती है
(c) डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के लिए विश्व बैंक का एक कार्यक्रम
(d) दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के लिए एक उपभोक्ता संरक्षण योजना

प्रश्न 27. वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. GLASS को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध की वैश्विक निगरानी का समर्थन करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
2. GLASS में भागीदारी सभी WHO सदस्य देशों के लिए अनिवार्य है।
3. GLASS रोगाणुरोधी प्रतिरोध, रोगाणुरोधी उपयोग और उपभोग पर मानकीकृत आँकड़े एकत्र करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 28. वर्तमान सोमनाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है?

- (a) नागर (b) द्रविड़
(c) वेसर (d) इंडो-इस्लामिक

प्रश्न 29. भारत की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2025-26 में सुदृढ़ दर से बढ़ने का अनुमान है। इसके प्रक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित GDP वृद्धि दर 7% से अधिक है।
2. इस प्रक्षेपण को वर्तमान सरकार के अंतर्गत चल रहे संरचनात्मक सुधारों के परिणाम के रूप में रेखांकित किया गया है।
3. यह विनिर्माण वृद्धि में वृद्धि को दर्शाता है लेकिन सेवाक्षेत्र में ठहराव को भी दर्शाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 30. हाल ही में इंदौर जल मृत्यु से संबंधित कांग्रेस की मांग के संदर्भ में, पार्टी ने जांच के लिए किससे अनुरोध किया है?

- (a) राज्य मानव अधिकार आयोग (b) सर्वोच्च न्यायालय
(c) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (d) राष्ट्रीय हरित अधिकरण

प्रश्न 31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम का उद्देश्य कई कानूनों में कारावास के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना है।

कथन 2: यह अधिनियम अनुपालन के बोझ को कम करके तथा विश्वास-आधारित शासन ढाँचे को बढ़ावा देकर व्यवसाय करने की सुगमता और जीवनयापन की सुगमता में सुधार करने का प्रयास करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, परन्तु कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, किन्तु कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, किन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 32. निम्नलिखित में से कौन-सा वित्त आयोग का दायित्व नहीं है?

- (a) राज्यों को अनुदान-सहायता के संचालन के सिद्धांत
(b) राज्य समेकित निधियों को सुदृढ़ करने के उपाय
(c) जीएसटी दरों का निर्धारण
(d) करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण

प्रश्न 33. निम्नलिखित कथनों में से कौन-से राज्य महिला आयोग के संबंध में सही हैं?

- राज्य महिला आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है।
- आयोग मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों से वंचित होने से संबंधित मामलों तथा संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों से निपटता है।
- राज्य महिला आयोग के पास महिलाओं की सुरक्षा के लिए दंडात्मक कानूनों का निर्माण करने की शक्ति होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 34. बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है?

- (a) लाल सागर और भूमध्य सागर
(b) लाल सागर और अदन की खाड़ी

(c) अरब सागर और फारस की खाड़ी

(d) ओमान की खाड़ी और अरब सागर

प्रश्न 35. भारतीय रेल 2026 तक निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का व्यापक रूप से उपयोग करने का इरादा रखती है?

- (a) टिकट बुकिंग और ग्राहक सेवा को स्वचालित करना
(b) अवसंरचना का पूर्वानुमानित अनुरक्षण करना
(c) यात्री ट्रेनों में मानव चालकों को प्रतिस्थापित करना
(d) केवल माल ढुलाई लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करना

प्रश्न 36. वैश्विक जलवायु शासन के संदर्भ में, अमेरिका का जलवायु संधियों से बाहर निकलना किस संभावित परिणाम की ओर संकेत करता है?

- (a) जलवायु वित्त में मध्यम-आय वाले देशों का हाशियाकरण
(b) जलवायु शासन संरचना को पुनः कल्पित करने और सुदृढ़ करने का अवसर
(c) ISA में सभी विकसित देशों का अनिवार्य समावेश
(d) वैश्विक स्तर पर जलवायु शमन प्रतिबद्धताओं में कमी

प्रश्न 37. POCSSO अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

- अपराधों के शीघ्र परीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं।
- अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण को, जहाँ तक संभव हो, एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- बच्चे की सुरक्षा के लिए विशेष न्यायालय इन-कैमरा (बंद कक्ष में) सुनवाई कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 38. केंद्रीय भूजल बोर्ड (Central Ground Water Board) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

- CGWB जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह भारत में भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक आकलन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
- इसके पास पूरे भारत में किसानों पर सीधे जल-उपयोग शुल्क लगाने की शक्ति है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 39. भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) यह महात्मा गांधी की जयंती का स्मरण करता है।
- (b) यह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है।
- (c) यह भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को अपनाने का उत्सव मनाता है।
- (d) यह राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन को चिह्नित करता है।

प्रश्न 40. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: IRCTC का आधार-आधारित आरक्षण नियम टिकटों की दलाली (स्कैलिंग) को कम करने के लिए लागू किया गया था।

कथन 2: आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षण की समय-सीमा को ARP (Advance Reservation Period) के प्रारंभ दिवस की मध्यरात्रि तक बढ़ा देता है।

कथन 3: यह नीति केवल प्रीमियम ट्रेनों जैसे वंदे भारत पर टिकट बुकिंग पर लागू होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल I और III
- (c) केवल II और III
- (d) I, II और III

प्रश्न 41. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

- 1. यह 10+2 संरचना को हटाकर 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना लागू करती है।
- 2. यह मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में महत्व देती है।
- 3. यह 18 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 42. निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा बनाए रखने की कोशिश किए गए संवैधानिक संतुलन को दर्शाता है?

- (a) अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तिसंगत प्रतिबंध
- (d) अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26

प्रश्न 43. निम्नलिखित में से कौन-से संगठन में वेनेजुएला सदस्य है?

- 1. OPEC (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन)

2. संयुक्त राष्ट्र

3. सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन)

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 44. हाल ही में कर्नाटक से किस जीव के देखे जाने की सूचना मिली है?

- (a) हिम तेंदुआ
- (b) चंदन तेंदुआ
- (c) काला गैंडा
- (d) बंगाल गिर्रा

प्रश्न 45. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

- 1. अंतर-राज्य परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- 2. इसे राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
- 3. अंतर-राज्य परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों दोनों पर बाध्यकारी होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 46. ईरान की सीमाओं से लगे समुद्रों और जल निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

- 1. ईरान की तटरेखा कैस्पियन सागर के साथ लगती है।
- 2. फारस की खाड़ी ईरान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।
- 3. लाल सागर सीधे ईरान की सीमा से लगता है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

प्रश्न 47. मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल हाल ही में चर्चा में थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. ये त्योहार चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर चक्रों से जुड़े हुए हैं।
- 2. ये भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं और भाईचारे के संवैधानिक मूल्य का समर्थन करते हैं।
- 3. इन सभी त्योहारों को परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 48. भारत के सीमा अवसंरचना विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सीमा अवसंरचना का उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए होता है।
2. सीमाओं के पास बेहतर संपर्कता स्वतः ही सैन्यीकरण को बढ़ा देती है।
3. सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना विकास सामाजिक-आर्थिक समावेशन में सहायता कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन यौन अपराधों से संबंधित दंड विधि में सुधार की सिफारिश करने के लिए किया गया था।

कथन II: इसका गठन 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद किया गया था।

कथन III: समिति को महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा करने का दायित्व दिया गया था।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, परंतु इनमें से केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 50. भारत के अनुच्छेद 123 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं होता, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
2. अध्यादेश की वही शक्ति और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित किसी कानून का होता है।
3. अध्यादेश जारी होने के छह महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, चाहे संसद की बैठक हो या नहीं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: PSLV-C62 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए निर्धारित है।

कथन II: यह मिशन केवल भारत सरकार के उपग्रहों को ही ले जाता है।

कथन III: यह प्रक्षेपण विदेशी संस्थाओं के साथ भारत के अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन I और कथन III सही हैं तथा कथन II गलत है।
(c) कथन I और III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 52. भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) यह महात्मा गांधी की जयंती का स्मरण करता है।
(b) यह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है।
(c) यह भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को अपनाने का उत्सव मनाता है।
(d) यह राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन को चिह्नित करता है।

प्रश्न 53. हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से किया जाता है।
2. इसके उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
3. हरित हाइड्रोजन इस्पात और उर्वरक जैसे कठिन-उत्सर्जन क्षेत्रों के विकारबनीकरण में भूमिका निभा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 54. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index - CPI) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. CPI वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है जिन्हें परिवार उपभोग करते हैं।
2. CPI मुद्रास्फीति का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा के लिए आधिकारिक रूप से किया जाता है।
3. CPI में ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 55. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency - NIA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NIA की स्थापना राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत की गई थी।
2. NIA के महानिदेशक (Director General) की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा की जाती है।
3. महानिदेशक के रूप में नियुक्त एक सेवारत IPS अधिकारी को 55 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 56. नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index - EPI) 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. EPI 2024 को चार व्यापक स्तंभों — निर्यात अवसंरचना तथा नीति एवं शासन सहित — के आधार पर संरचित किया गया है, जिन्हें समान महत्व दिया गया है।
2. महाराष्ट्र निर्यात तैयारी के संदर्भ में तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर उभरा है।
3. EPI का एक उद्देश्य 2030 तक भारत के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य का समर्थन करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 57. भारत में नागरिक चुनाव (Civic Elections) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. नागरिक चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
2. नागरिक चुनावों का संवैधानिक आधार 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 है।
3. नागरिक चुनाव केवल भारत निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद ही कराए जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 58. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. DRDO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
2. यह मिसाइलों जैसे सामरिक प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए उत्तरदायी है।

3. यह निजी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करता है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 59. 'नोबेल शांति पुरस्कार' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है।
2. राष्ट्रपतियों को केवल राष्ट्रीय सरकारों द्वारा ही नामांकित किया जा सकता है।
3. यह पुरस्कार राजनयिक प्रयासों के लिए भी दिया जा सकता है, भले ही शांति के परिणाम अभी विवादित हों।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 60. भारत-जापान सहयोग सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि:

1. दोनों मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत का समर्थन करते हैं।
2. जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सहायता दाता है।
3. उनकी साझेदारी एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है।

उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 61. भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री का संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है।
2. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है।
3. भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकरण होता है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 62. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी दक्षिणी जर्मनी से होकर बहती है और अंततः काला सागर में गिरती है?

- (a) राइन (b) एल्बे
(c) ओडर (d) डैन्यूब

प्रश्न 63. भारत में गिग कार्य और महिलाओं के रोजगार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गिग कार्य लचीले रोजगार अवसर प्रदान करता है, जिससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है।
2. भारत के श्रम कानून गिग कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से कवर करते हैं और सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करते हैं।
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए प्रावधान शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 64. भारत के शेयर बाजार के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए:

1. सेबी (SEBI) जैसी नियामक संस्थाएँ निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
2. व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) का शेयर बाजार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता।
3. वित्तीय क्षेत्र के सुधार और संस्थागत विकास सतत बाजार वृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 65. मृत्युदंड और मानवाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा (ICCPR) केवल सबसे गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की अनुमति देती है।
2. ईरान ICCPR का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन अपने घरेलू कानून के अंतर्गत अभी भी मृत्युदंड की अनुमति देता है।
3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सीधे ही फाँसी पर रोक (moratorium) लागू कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 66. कॉमनवेल्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कॉमनवेल्थ देशों का एक स्वैच्छिक संघ है, जिनमें अधिकांश पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हैं।
2. कॉमनवेल्थ सचिवालय का मुख्यालय लंदन में स्थित है।
3. कॉमनवेल्थ स्पीकर्स समिट विधायी सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 67. सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. STC का गठन 2017 में हुआ था और यह दक्षिणी यमन के पृथक्करण की मांग करता है।
2. STC राष्ट्रपति हादी के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार का समर्थन करता है।
3. STC को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से राजनीतिक और सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 68. भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है?

- (a) संविधान का संशोधन (b) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(c) राज्य के नीति निर्देशक तत्व (d) आपातकालीन प्रावधान

प्रश्न 69. भारत में निजी विद्यालयों के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को शुल्क विनियमन पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
2. न्यायिक निर्णयों में कहा गया है कि बिना सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के शुल्क पर पूर्ण राज्य नियंत्रण अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करता है।
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए एक समान शुल्क संरचना निर्धारित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 70. भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NAAQS को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
2. भारत की PM2.5 के लिए अनुमेय सीमाएँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवीनतम दिशानिर्देशों से अधिक कठोर हैं।
3. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) NAAQS का उपयोग गैर-प्राप्ति (non-attainment) शहरों की पहचान के आधार के रूप में करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 3
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2 और 3

प्रश्न 71. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. IMEC का उद्देश्य रेलमार्ग, बंदरगाह और डिजिटल अवसंरचना के एकीकृत नेटवर्क के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ते हुए संपर्कता को बढ़ाना है।
2. इस गलियारे में पूर्वी और उत्तरी कॉरिडोर शामिल हैं, जो भारत को अरब की खाड़ी से और आगे यूरोप से जोड़ते हैं।
3. IMEC की घोषणा G20 शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 72. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: मोनरो सिद्धांत ने घोषित किया कि यूरोपीय शक्तियाँ पश्चिमी गोलार्ध के देशों के मामलों में नए उपनिवेश स्थापित नहीं करेंगी और हस्तक्षेप नहीं करेंगी।

कथन 2: इसे 1823 में नवस्वतंत्र लैटिन अमेरिकी देशों को यूरोपीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए घोषित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, परंतु कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, परंतु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 73. निम्नलिखित में से कौन-से उद्देश्य वैश्विक एआई शिखर सम्मेलनों से संबंधित हैं?

1. एआई के नैतिक मानकों का सामंजस्य स्थापित करना
2. विकसित देशों द्वारा एआई पर एकाधिकार नियंत्रण को बढ़ावा देना
3. समावेशी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को प्रोत्साहित करना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 74. यूनाइटेड किंगडम की अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को देशों द्वारा बढ़ते हुए सेवा निर्यात के एक घटक के रूप में देखा जा रहा है।

कथन 2: विदेशी छात्रों द्वारा किया गया व्यय किसी देश के भुगतान संतुलन में सेवा खाते के अंतर्गत योगदान देता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) दोनों कथन सही हैं, परंतु कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, परंतु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 75. विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. विश्व आर्थिक मंच एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
2. इसकी सदस्यता मुख्यतः प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें वैश्विक पहुँच और उद्योग नेतृत्व के आधार पर चुना जाता है।
3. देशों की सरकारें विश्व आर्थिक मंच की औपचारिक मतदान सदस्य होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 76. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. CBDC कानूनी निविदा (legal tender) का एक डिजिटल रूप है जिसे किसी देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है और यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देनदारी होती है।
2. खुदरा CBDC मुख्यतः अंतर-बैंक निपटान और बैंकों के बीच बड़े मूल्य के वित्तीय लेन-देन के लिए होती है।
3. CBDC नकद प्रबंधन की लागत को कम करने, भुगतान दक्षता में सुधार करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 77. भारत में मीडिया विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) मुख्य रूप से टीवी डिजिटल समाचारों में सांप्रदायिक संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निपटारा करती है।

कथन II: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति और वाक् की पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कथन III: नैतिक पत्रकारिता समाज में सांप्रदायिक तनाव और घृणा भाषण को कम करने में सहायता करती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) केवल कथन I और कथन III सही हैं।
 (b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, परंतु कथन III गलत है।
 (c) केवल कथन III सही है।
 (d) कथन I, II और III सभी सही हैं।

प्रश्न 78. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आर्थिक संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: उच्च आवृत्ति संकेतक (High Frequency Indicators - HFIs) संकेत देते हैं कि अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

कथन II: RBI की मौद्रिक नीति सीधे सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, न कि RBI द्वारा।

कथन III: रोजगार और औद्योगिक गतिविधि को आर्थिक वृद्धि के रुझानों के हिस्से के रूप में निगरानी की जाती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) केवल कथन I और कथन III सही हैं। (b) केवल कथन II सही है।
 (c) सभी कथन सही हैं। (d) कोई भी कथन सही नहीं है।

प्रश्न 79. डेनमार्क और ग्रीनलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. ग्रीनलैंड डेनमार्क के साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसकी अपनी संसद और प्रधानमंत्री हैं।
2. डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा और विदेश मामलों के लिए उत्तरदायी है, जबकि ग्रीनलैंड अधिकांश घरेलू मामलों का प्रबंधन करता है।
3. ग्रीनलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है क्योंकि डेनमार्क यूरोपीय संघ का सदस्य है।

उपर्युक्त में से कितने सही नहीं हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
 (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 80. निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विस्तृत देवदार वन पाए जाते हैं?

- (a) ओडिशा (b) राजस्थान
 (c) हिमाचल प्रदेश (d) तमिलनाडु

प्रश्न 81. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SIR का उद्देश्य गहन सत्यापन के माध्यम से मतदाता सूचियों की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करना है।
2. संविधान का अनुच्छेद 326 यह अनिवार्य करता है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
3. SIR अभ्यास का स्पष्ट उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 82. नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. INA ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंतरराष्ट्रीय आंदोलन का रूप दे दिया।
2. नेताजी का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है।
3. INA ने जातिगत भेदभाव को अस्वीकार किया और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
 (c) केवल तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 83. वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यह संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर प्राप्तियों के वितरण की सिफारिश करता है।
2. यह राज्य सरकारों की उधारी सीमा निर्धारित करता है।
3. यह स्थानीय निकायों को पूरक सहायता देने के लिए राज्यों की समेकित निधि को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाता है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
 (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 84. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) के अंतर्गत आयातकों को क्या करना आवश्यक होता है?

- (a) सभी आयातों पर सीमा शुल्क का भुगतान करना
 (b) अंतर्निहित उत्सर्जन के बराबर कार्बन प्रमाणपत्र खरीदना
 (c) यूरोपीय संघ के श्रम मानकों का पालन करना
 (d) उत्पादन को यूरोपीय संघ के देशों में स्थानांतरित करना

प्रश्न 85. भारत-यूरोपीय संघ संबंधों और चल रही मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत-EU FTA का उद्देश्य भारत की आर्थिक निर्भरता को चीन, रूस और अमेरिका पर कम करना है।
2. 16वाँ भारत-EU शिखर सम्मेलन 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के साथ हुआ।
3. FTA पर अंतिम हस्ताक्षर केवल भारत और यूरोपीय संघ के बीच वार्ताओं के समापन पर निर्भर करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 86. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना।
2. ध्वज संहिता, भारत नागरिकों को पूरे वर्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराने से प्रतिबंधित करती है और इसे केवल निर्धारित राष्ट्रीय दिनों पर ही अनुमति देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 87. सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि सामान्यतः सोने की आकर्षण क्षमता को कम करती है क्योंकि यह ब्याज नहीं देता।
2. अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि से सामान्यतः वैश्विक सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं।
3. अधिक भूराजनैतिक अनिश्चितता सामान्यतः सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को बढ़ा देती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 88. हानि और क्षति वित्त (Loss and Damage Finance) को सबसे उपयुक्त रूप से किस रूप में वर्णित किया जाता है?

- (a) स्वैच्छिक निजी बीमा
(b) बाजार आधारित कार्बन व्यापार
(c) विकास सहायता का विकल्प
(d) जलवायु न्याय तंत्र

प्रश्न 89. यूरोपीय संघ की संस्थागत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा प्रदान करती है।
2. यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है।
3. यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 90. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

मिसाइल प्रौद्योगिकी	प्रमुख विशेषता
1. बैलिस्टिक मिसाइल	बिना शक्ति के उड़ान का चरण
2. हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन	वायुमंडलीय संचालन
3. हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल	स्कैमजेट प्रणोदन

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 91. प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. IPO वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को जारी करती है।
2. कंपनियाँ विस्तार, ऋण चुकाने या विकास के लिए पूंजी जुटाने हेतु IPO के माध्यम से शेयर जारी करती हैं।
3. यदि निर्गम का आकार छोटा हो तो IPO को नियामकीय स्वीकृति के बिना भी जारी किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 92. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. HAL रक्षा मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।
2. HAL मुख्य रूप से विमानों, हेलीकॉप्टरों और एयरो-इंजन के डिजाइन, विकास, निर्माण और रखरखाव में संलग्न है।

3. HAL की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद रक्षा उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 93. जनगणना 2027 में स्व-गणना (Self-enumeration) सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्व-गणना सुविधा नागरिकों को एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जनगणना विवरण भरने, पूरा करने और जमा करने की अनुमति देती है।
2. स्व-गणना पोर्टल संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा।
3. स्व-गणना के माध्यम से विवरण जमा करने के बाद एक संदर्भ आईडी (Reference ID) उत्पन्न होती है जिसे क्षेत्रीय गणनाकर्मी के साथ साझा करना होता है।
4. स्व-गणना का प्रावधान जनगणना नियम, 1990 में संशोधन के बाद सक्षम किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 94. भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में मृत्यु के अधिक मामलों का कारण स्वास्थ्य सेवाओं की खराब गुणवत्ता है, न कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी।
2. केवल डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाओं की संख्या बढ़ाना ही भारत की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 95. नरसिंहवर्मन प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. उन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और वातापिकोंडा की उपाधि धारण की।
2. वे महाबलीपुरम में शैल-कृत (रॉक-कट) मंदिरों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थे।
3. उनके शासनकाल में ह्वेनसांग (Xuanzang / ह्वेन त्सांग) ने कांचीपुरम का दौरा किया।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 96. बारामती हवाई पट्टी महाराष्ट्र के किस भौतिक भू-भाग (Physiographic Region) में स्थित है?

- (a) दक्कन पठार (b) कोंकण तट
(c) पश्चिमी घाट (d) विदर्भ मैदान

प्रश्न 97. नई दिल्ली में लोदी आर्ट डिस्ट्रिक्ट (LAD) का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?

- (a) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत अधिसूचित एक केंद्र द्वारा संरक्षित विरासत क्षेत्र
(b) भारत का पहला सार्वजनिक कला क्षेत्र, जो समकालीन भित्ति चित्रों को शहरी सार्वजनिक स्थानों के साथ जोड़ता है
(c) केवल स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत विकसित एक कला ग्राम
(d) एक निजी गैलरी समूह, जहाँ प्रवेश केवल टिकट के माध्यम से संभव है

प्रश्न 98. अरावली पर्वतमाला और उसकी पारिस्थितिक भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अरावली पर्वतमाला का निर्माण सीनोजोइक युग में हुआ था और यह हिमालय पर्वत प्रणाली से भूवैज्ञानिक रूप से अधिक युवा है।
2. अरावली पर्वतमाला एक पूर्ण जलवायु अवरोध के रूप में कार्य करती है, जो थार मरुस्थल के पूर्वी भारत की ओर विस्तार को रोकती है।
3. अरावली का परिदृश्य महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों का समर्थन करता है, जो राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में तेंदुओं जैसे बड़े स्तनधारियों की आवाजाही को सुगम बनाता है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

प्रश्न 99. औषधि अनुसंधान के लिए नए प्राथमिकता तंत्र (New Priority Mechanism) की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. सूचना SUGAM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होती है।
2. यह केवल व्यावसायिक स्तर के औषधि निर्माण पर लागू होता है।
3. ऑनलाइन स्वीकृति/पुष्टिकरण प्राप्त होने के बाद औषधि संश्लेषण प्रारंभ किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 100. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

- (a) रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- (b) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- (c) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- (d) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

प्रश्न 101. हाल के आकलनों के अनुसार, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) में सुधारों के प्रभाव को निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे बेहतर दर्शाता है?

- (a) CPSEs ने पूंजी निर्माण के वित्तपोषण के लिए विदेशी उधारी पर अधिक निर्भरता बढ़ा दी है।
- (b) अधिक पूंजीगत व्यय दायित्वों के कारण घाटे में चलने वाले CPSEs की संख्या बढ़ गई है।
- (c) CPSEs सरकार के राजस्व और घरेलू निवेश के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं।
- (d) CPSE सुधारों के कारण रणनीतिक क्षेत्रों से सरकार का पूर्णतः निष्कासन हो गया है।

प्रश्न 102. भारतीय आपराधिक कानून में वैवाहिक बलात्कार अपवाद (Marital Rape Exception) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वैवाहिक बलात्कार अपवाद विवाह के भीतर निरंतर सहमति को मानता है और पति द्वारा बिना सहमति के यौन संबंधों के लिए आपराधिक दायित्व से इनकार करता है।
2. यह कानूनी धारणा समानता, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकारों के साथ टकराव के कारण संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 103. राजस्व घाटा (Revenue Deficit) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. जब राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, तो राजस्व घाटा उत्पन्न होता है।
2. राजस्व घाटा यह संकेत देता है कि सरकार पूंजी निर्माण के लिए उधार ले रही है।
3. लगातार बना रहने वाला राजस्व घाटा पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि को कम कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 104. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का उद्देश्य अधिकार-आधारित ढाँचे के माध्यम से भारत की बड़ी आबादी को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।

कथन II: इस अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से अत्यधिक रियायती दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।

कथन III: यह अधिनियम ICDS और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करता है, साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ भी देता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
- (b) कथन I और कथन III दोनों सही हैं, परंतु इनमें से केवल एक कथन I की व्याख्या करता है।
- (c) कथन II या कथन III में से केवल एक सही है और वही कथन I की व्याख्या करता है।
- (d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 105. भारत में हृदय रोग से संबंधित मृत्यु में बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आयु-समायोजित मृत्यु दर (Age-adjusted death rates) का उपयोग जनसंख्या की आयु संरचना में अंतर के प्रभाव को हटाकर समय के साथ मृत्यु दर की तुलना करने के लिए किया जाता है।
2. दर्ज की गई हृदय मृत्यु में वृद्धि आवश्यक रूप से हृदय रोग की वास्तविक घटनाओं में समानुपाती वृद्धि को दर्शाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 106. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. RTI अधिनियम नागरिकों और राज्य के बीच सूचना असमानता को कम करता है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही सुदृढ़ होती है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) से संबंधित जानकारी को RTI के अंतर्गत प्रकट करने से छूट प्राप्त नहीं कर सकता।
3. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जैसे हालिया कानूनों ने ऐसे अपवाद जोड़े हैं जो RTI के अंतर्गत कुछ श्रेणियों की जानकारी के प्रकटीकरण को सीमित कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?



- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर कुंजी

प्रश्न1.	a	प्रश्न2.	c	प्रश्न3.	d	प्रश्न4.	a	प्रश्न5.	a (3 केवल)
प्रश्न6.	b	प्रश्न7.	c	प्रश्न8.	b	प्रश्न9.	a	प्रश्न10.	d
प्रश्न11.	a	प्रश्न12.	c	प्रश्न13.	a	प्रश्न14.	a	प्रश्न15.	b
प्रश्न16.	c	प्रश्न17.	d	प्रश्न18.	a	प्रश्न19.	c	प्रश्न20.	a
प्रश्न21.	b	प्रश्न22.	a	प्रश्न23.	b	प्रश्न24.	b (1 और 2 केवल)	प्रश्न25.	b (1 और 3 केवल)
प्रश्न26.	b	प्रश्न27.	c	प्रश्न28.	a	प्रश्न29.	b	प्रश्न30.	b
प्रश्न31.	a	प्रश्न32.	c	प्रश्न33.	a	प्रश्न34.	b	प्रश्न35.	b
प्रश्न36.	b	प्रश्न37.	d	प्रश्न38.	b (1 और 2 केवल)	प्रश्न39.	b	प्रश्न40.	a
प्रश्न41.	a	प्रश्न42.	c	प्रश्न43.	s	प्रश्न44.	b	प्रश्न45.	a
प्रश्न46.	b (1 और 2 केवल)	प्रश्न47.	a	प्रश्न48.	b	प्रश्न49.	a	प्रश्न50.	b (1 और 2 केवल)
प्रश्न51.	b	प्रश्न52.	b	प्रश्न53.	c	प्रश्न54.	c	प्रश्न55.	b
प्रश्न56.	b	प्रश्न57.	a	प्रश्न58.	c	प्रश्न59.	a	प्रश्न60.	a
प्रश्न61.	b (2 और 3 केवल)	प्रश्न62.	d	प्रश्न63.	b	प्रश्न64.	b	प्रश्न65.	a
प्रश्न66.	d	प्रश्न67.	c	प्रश्न68.	b	प्रश्न69.	a	प्रश्न70.	a
प्रश्न71.	d	प्रश्न72.	a	प्रश्न73.	b	प्रश्न74.	a	प्रश्न75.	a
प्रश्न76.	b (1 और 3 केवल)	प्रश्न77.	a	प्रश्न78.	a	प्रश्न79.	a (3 केवल)	प्रश्न80.	c
प्रश्न81.	a	प्रश्न82.	b (1 और 3 केवल)	प्रश्न83.	b (1 और 3 केवल)	प्रश्न84.	b	प्रश्न85.	b
प्रश्न86.	a	प्रश्न87.	c	प्रश्न88.	d	प्रश्न89.	a	प्रश्न90.	d
प्रश्न91.	a	प्रश्न92.	b (1 और 2 केवल)	प्रश्न93.	a	प्रश्न94.	a	प्रश्न95.	a
प्रश्न96.	a	प्रश्न97.	b	प्रश्न98.	a	प्रश्न99.	c	प्रश्न100.	c
प्रश्न101.	c	प्रश्न102.	c	प्रश्न103.	c	प्रश्न104.	a	प्रश्न105.	a
प्रश्न106.	b (1 और 3 केवल)								

चहल एकेडमी द्वारा ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें



किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए  9205927650

 **CHAHAL ACADEMY**
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)

www.chahalacademy.com
Follow Us 

MRP. ₹ 120.00